## सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 की कार्य सूची।

**मद सं0–1** सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 17.12.2016 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

**मद सं0:–2** **सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदनः–**

(1) जनपद देहरादून, टिहरी एंव उत्तरकाशी के नवनिर्मित मार्गों को यातायात हेतु खोलने के आदेश दिनांक 08.02.2017 का अनुमोदन।

**मद सं0–3** **सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–**

दिनांक 01.12.16 से दिनांक 31.01.2018 तक मो0गा0अ0–1988 की धारा–87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :–

**अ–** सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट –1713 से 4032

**ब–** शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिटः–

| | | |
|---|---|---|
| 1–जनभार वाहन के स्थाई परमिट | – | 1437 से 4032 |
| 2–भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट | – | 902 से 2108 |
| 3–मैक्सी कैब के स्थाई परमिट | – | 490 से 1798 |
| 4–टैक्सी कैब के स्थाई परमिट | – | 122 से 403 |
| 5–यूटिलिटी के स्थाई परमिट | – | 106 से 428 |
| 6–सवारी गाडी के स्थाई परमिट पर्वतीय मार्ग | – | 113 से 482 |
| मैदानी मार्ग | – | – |
| 7– निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं) को जारी परमिट | – | 193 से 781 |
| 8– ठेका गाडी के स्थाई परमिट | – | 131 से 369 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| स– | स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट– | | 10 |
| द– | स्थाई ठेका गाडी के परमिटों का नवीनीकरण :– | | |
| | 1– ठेका गाडी परमिट | – | 189 |
| | 2– ऑटो परमिट | – | 312 |
| | 3– टैम्पो परमिट | – | 210 |
| | 4– मैक्सी कैब परमिट | – | 39 |

**मद स0– 4– याचिका स0 2265/14 –श्री विजयवर्धन बनाम राज्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश दिनांक 24.10.2017 का अवलोकन।**

उपरोक्त याचिका श्री विजयवर्धन ड़डरियाल द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 21.8.2014 तथा 30.8.2014 के विरूद्व दायर की गई थी। याचिका विज्ञप्ति के क्रमांक 6, 8, 9, 10 11, 12 मे लिखित मामलो के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुये दायर की गई थी। प्राधिकरण की बैठक की विज्ञप्ति के इन क्रमॉकों में विभिन्न मार्गो पर हल्की वाहनो को स्टेज कैरिज/ठेका परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत करने हेतु सूचना प्रकाशित की गई थी ।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.2.2017 द्वारा उपरोक्त याचिका निस्तारित कर दी गई है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्न प्रकार है :–

The Petitioner has challenged Annexure N0.1 dated 21-8-2014. Sub paragraph 3 of paragraph no 7 of the counter affidavit filed by respondent nos. 2&3, reads as under –

Regarding point no.9 it has been decided that the application for the Contract permits has been cancelled and the proposal to be sent to the Government for the classification of the aforesaid routes as stage carriage route.

Thus, it is evident from the reply that the application for contact permits has been cancelled and proposal has been sent to the State Government.

Accordingly, the write petition is disposed of. However, direction is issued to the respondents to ensure that in future the contract permits are issued in accordance with Sub Section(3) (a) of Sectiuon 71 of the Motor Vehicle Act, 1988.

अतः प्राधिकरण मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशो का अवलोकन करने की कृपा करें ।

**मद स0–5** **श्री सचिन भाटिया पुत्र श्री एन0के0 भाटिया की मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे दायर रिट याचिका स0 177/12 में पारित आदेश दिनांक 31.8.2017 के अनुपालन में याचिका के संलग्नक–9 (श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा) की आपत्ति पर विचार व आदेश।**

श्री सचिन भाटिया ने यह याचिका प्राधिकरण के आदेश दिनांक 11.11.2011 के विरूद्व दायर की गई है। इन आदेशो द्वारा देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर 05 सथाई सवारी गाडी परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जे0एन0ओ0यू0आर0एम0 योजना की बसों के लिये स्वीकृत किये गए थे । याचिकाकर्ता देहरादून–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग का आपरेटर था, जिस पर याचिकाकर्ता के नाम पर परमिट स0 1085/एसटीए/एससी/यूके/06 जारी था। इस पर वाहन स0 यू0के0–07पीए–0797 संचालित थी। यह मार्ग देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग से भिन्न मार्ग है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, कि सचिव् राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड ने अपने पत्र स0 5946/एसटीए/नौ–10/2017 दिनांक 27.9.2017 द्वारा सूचित किया है, कि श्री संचिन भाटिया का परमिट स0 108/एसटीए/एससी/यूके/06 दिनांक 19.3.2016 को श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह नि0 भीमावाला, देहरादून के नाम हस्तान्तरण हो चुका है, जिस पर वाहन संख्या यू0के0–07पीए–0112 संचालित है, अर्थात याचिकाकर्ता/श्री सचिन भाटिया वर्तमान में इस मार्ग के परमिट धारक नही हैं।

मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका में दिनांक 31.8.2017 को निम्न आदेश पारित किये गये है–

**Honble Rajiv Sharma, j**

**Mr Amar Shukla, Advocate vice Mr Gopal Narain, Advocate for the petitioner.**
**Mr B.S. Parihar, S.C, for the State**

**Petitioner approached this Court by way of WPMS No 383 of 2011. It was decided**

**by this Court on 5.3.2011 permitting the petitioner to raise objections before the Regional Transport Authority. The concerned authority was directed to consider the representations while deciding item No 11 of the Advertisement dated 19-2-2011. Petitioner therafter raised the objections on 9-3-2011 vide Annexure No-9 However, surprisingly, the Regional Transport Authority has not taken into consideration the obejection specifically preferred by the petitioner against the advertisement dated 19-2-2011, more particulary, item No-11.**

**Once this Court had directed the Regional Transport Authority to decide the objections, the same should have been considered, on its own merits. Objections raised by the petitioner have even not been discussed in the operative portion of the impugned decision.**

**Accordingly, the petition is allowed, Impugned decision dated 11-11-2011 is Quashed and set aside. The Regional Transport Authority is directed to decide the obejections raised by the petitioner-Union, vide Annexure N0-9 dated 09-3-2011by passing a fresh order.**

**Pending application, if any, stands disposed of.**

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स0 383/11 में पारित आदेश दिनांक 05.2011 कें संदर्भ में श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा देहरादून–कालसी मार्ग पर परिवहन निगम को जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे दिनांक 09.3.2011 को आपत्ति की गई थी, इस आपत्ति को श्री सचिन कुमार भाटिया द्वारा दायर याचिका स0 177/12 मे एनेक्चर–9 के रूप मे संलग्न किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09–03–11 में अपत्तिकर्ताओं ने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दायर याचिका संख्या 383/11 में पारित आदेश दिनांक 05–03–11 प्रस्तुत किए गए थे। मा0 न्यायालय के आदेश निम्न प्रकार हैः–

"The petitioner has filed the present writ petition for the quashing of item No. 11 of the advertisement dated 19th February, 2011 issued by the Secretaty Regional Transpotr Authority, Dehradun. The advertisement issued indicated that various matters would be considered by the authority on 9th March, 2011 and that objections, if any, would be entertained from aggrieved persons till 1st March, 2011. Item No. 11 indicated that applications in Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission Scheme for Dehradun-Kalsi route would be considered.

The contention of the petitioner that the Secretary Regional Transpor Authority had no power to issue the advertisement nor applications for Dehradun-kalsi route could be considered, is bereft of merit. This Court is of the opinion that objections so raised in the writ petition could be easily objected by the petitioner before the authority concerned. If such objections are raised, the authority concerned will consider and decide the matter while deciding item No. 11 of the advertisement dated 19th February, 2011.

The writ petitions is dismissed at this stage."

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09–03–11 में मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किए गये थेः–

"इस मद के अन्तर्गत मंडलीय प्रबंधक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिए देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग 10 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधियों को सुना गया उन्होंने निवेदन किया है कि उनको उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी किए जाएं। परिवहन निगम को परमिट जारी करने विरुद्ध श्री एस0के0 श्रीवास्तव ने आपत्ति करते हुए कहा कि जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसें विभिन्न शहरों में नगर बस सेवा चलाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी हैं। इन बसों को नगर क्षेत्र से बाहर संचालन के परमिट जारी करना उचित नहीं हैं।

प्राधिकरण के समक्ष श्री एस0के0 श्रीवास्तव श्री राकेश मित्तल, सचिव, देहरादून–कालसी–कुल्हाल (पांवटा) डाकपत्थर मोटर ऑनर्स एसोसियशन तथा सचिव/अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर ऑनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने देहरादून–कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को तथा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत परिवहन निगम को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की है तथा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दायर याचिका सं0–383/11 में पारित आदेश दिनांक 05–03–11 की छायाप्रति संलग्न की है। इन आदेशों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्राधिकरण के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति दी जाती है तो जेएनएनयूआरएम योजना की बसों को परमिट स्वीकृत करने से पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा दी गयी आपत्ति का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। अपनी आपत्तियों में आपत्तिकर्ताओं ने निम्न बिन्दु उठायें हैः–

1. जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त बसें नगर बस सेवा चलाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी हैं। देहरादून–कालसी नगर बस सेवा मार्ग नहीं है इसलिए इस मार्ग पर इन बसों को परमिट जारी नहीं किए जा सकते हैं।

2. उन्होंने अपनी आपत्ति में यह भी कहा है कि जेएनएनयूआरएम बसों के संचालन हेतु सरकार द्वारा बनाई गयी समिति में सम्भागीय परिवहन अधिकारी को भी सदस्य सचिव, नामित किया गया है, जो सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के भी सचिव हैं। इसलिए यह धारा 68(2) में दिए गए प्राविधानों के विरुद्ध है। जैसा कि मा0 कर्नाटका राज्य उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0–13980/88 तथा अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 25–08–89 में निर्णित है। (ए0आई0आर0 1990 कर्नाटका, 1982)।

3. आपत्तिकर्ता ने यह भी कहा है कि शासन द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के गठन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 18–04–2001 भी नियमानुसार नहीं है। इस अधिसूचना में आयुक्त गढ़वाल मण्डल को प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उप परिवहन आयुक्त को सदस्य एवं एक गैर सरकारी सदस्य नामित करने का प्राविधान है, परन्तु वर्तमान में विभाग में कोई भी उप परिवहन आयुक्त नहीं है।

अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर ऑनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति की है। अपनी आपत्ति में उन्होंने यह कहा है कि उनके मार्ग को प्रश्नगत मार्ग द्वारा ओवरलेप किया जाता है। मार्ग पर बहुत अधिक संख्या में वाहनों का संचालन हो रहा है। निजी वाहनों के अतिरिक्त मार्ग पर हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, हिमाचलप्रदेश रोडवेज, चंडीगढ़ रोडवेज तथा मार्ग सूची सं0–5 की बसें भी चलती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 15 बसें देहरादून से कालसी होते हुए साहिया, आराकोट, चकराता, त्यूनी आदि स्थानों को संचालित हो रही हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि देहरादून–कालसी मार्ग पर और परमिट जारी नहीं किए जाए।

उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में प्राधिकरण से समय मांगा गया है। अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि परिवहन निगम को प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए तथा मामले को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। ″

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दायर याचिका सं0 383/11 का निस्तारण हो जाने के पश्चात् श्री शर्मा ने स्पेशल अपील सं0–33/11 दायर की थी। इस याचिका का निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10–03–11 द्वारा किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का मुख्यांश निम्न प्रकार हैः–

"We do not think that in doing so, the learned Judge did something, which is appeal, However, we direct the Regional Transport Authority to consider the above objection on the part of the appellant and tjereupon to proceed further in the matter in accordance with law."

इस मामले को पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण ने इस मामले पर निम्न आदेश पारित किये गये है

*''इस मद के अन्तर्गत मण्डलीय प्रबन्धक, संचालन, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिये देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर 10 स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.*

*11 में इस मार्ग पर परिवहन निगम को परमिट जारी करने के विरुद्व अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर आनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आपत्ति की गई थी। प्राधिकरण ने इस बैठक में यह निर्णय लिया था कि, इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाय। परिवहन निगम ने आपत्ति के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है, जिसका उल्लेख मद में किया गया है।*

*उत्तराखण्ड परिवहन निगम को प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व श्री एस के श्रीवास्तव ने आपत्ति करते हुऐ कहा कि, इस मार्ग पर समय सारिणी का निर्धारण नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि, प्राधिकरण की पिछली बैठक में निजी वाहन स्वामियों द्वारा की गई आपत्ति पर उत्तर देने के लिये परिवहन निगम को समय दिया गया था। परिवहन निगम द्वारा दिये गये उत्तर को उन्हें नहीं दिखाया गया। उन्होनें कहा कि, परिवहन निगम द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में जवाब दाखिल करने हेतु उनको भी समय दिया जाय।*

*उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, परिवहन निगम द्वारा उक्त सम्बन्ध में उत्तर अपने पत्र–73/एचक्यू/संचालन–11/2011 दिनांक 16.03.11 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसको प्राधिकरण की कार्यसूची में उल्लिखित किया गया है। प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया कि, इस बैठक के सम्बन्ध में विज्ञप्ति समाचार पत्रों में दिनांक 23.10.11 को विज्ञापित की गई थी। उसमें इस मद का भी उल्लेख किया गया था। अतः आपत्तिकर्ता के पास निगम के उत्तर की प्रति प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध था, परन्तु ऐसा ना करके उनके द्वारा आज आपत्ति की जा रही है।*

*प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिये 05 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये जाते हैं, स्वीकृत परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किये जायेंगे।*

मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका स0 177/12 मे पारित आदेश दिनांक 31.8.2017 द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 11.11.2011 को निरस्त (quashed and set aside) कर दिया है। इस आदेश द्वारा परिवहन निगम को 5 सवारी गाडी परमिट देहरादून–कालसी मार्ग के स्वीकृत करने सम्बन्धी प्राधिकरण के आदेश को निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवहन निगम को स्वीकृत परमिटों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। परिवहन निगम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में परिवहन निगम द्वारा देहरादून कालसी मार्ग पर उनको जारी किये गये 05 स्थाई सवारी गाडी कार्यालय में जमा करा दिये हैं। उन्होंने मार्ग पर पुनः 05 वाहनों को स्थाई सवारी हेतु नये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनका विवरण निम्नवत है।

1. यूके08 पीए – 0272 2–यूके08 पीए– 0276 3– यूके08 पीए – 0278 4. यूके08 पीए – 0283 5. यूके08 पीए – 0284

मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किये है, कि याचिकाकर्ता यूनियन द्वारा दी गई आपत्ति का निस्तारण करते हुये नये आदेश पारित करे।

याचिका के संलग्न–9 में श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा दिनांक 09.03.2011 में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून को प्रेषित प्रत्यावेदन है। जो निम्नवत हैः–

| देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग के ऑपरेटर श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 09.03.2011 को प्रेषित प्रत्यावेदन |
|---|
| (1) ------<br>(1)That the Motor Vehicle Act 1988 empowers the State Govt. to constitute the State Transport Authority and Regional Transport Authority by notification published in the official gazette.<br>(2) That on 9-1 1-2000 the new State has been created and known as Slate of Uttaranchal (now Uttarakhand)<br>(3) That the Section 68 of the Motor Vehicle Act provides for constitution of STA and RTA by the State Government. The said section is reproduced herein under.<br>"68- Transport Authorities- (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute for the State a State Transport Authority to exercise and discharge the powers and functions specified in sub section (3) and shall in like manner constitute Regional Transport Authorities to exercise and discharge throughout such areas (in this chapter referred to as regions) as may he specified in the notification, in respect of each regional transport authority.: the powers and functions conferr1d by or under this chapter on such authorities.<br>Provided that in the Union territories, the Administrator may abstain from constituting any Regional Transport Authority. |

**(2)** A S4ttc. Transport Authority or a Regional Transport Authority shall consist of a Chairman who has had judicial experience or experience as an Appellate or a Revisional authority or as an adjudicating authority competent to pass any order or to take any decision under any law and in the case of State 'Transport Authority, such other persons (whether officials or not) not being more than four and in the case of a Regional Transport (Authority, such other persons (whether official or not) not being more than two, as the State Govt. may think fit to appoint, but no person who has any financial interest whether as proprietor employee or otherwise in any transport undertaking shall be appointed, or continue to be, a member of a State or Regional Transport Authority and if any person being a member of any such authority acquires a financial interest in any transport undertaking, he shall within four weeks of so doing give notice in writing to the State Govt. Of the acquisition of such interest and shall vacate office.

Provided that. nothing in this sub section .shall prevent any of the members of' the State Transport Authority -or a Regional Transport Authority, as the case may be, to preside over a meeting of such authority 'during the absence of the Chairman, notwithstanding that such member does not possess judicial experience or experience as an appellate or a revisional authority or as an adjudicating authority competent to pass any order or take any decision under any law:

Provided further that the State Government may-

(i) where it considers necessary or expedient so to do, constitute the State Transport Authority or a Regional Transport Authority for any region so as o consist of only one member who shall be an official with judicial experience or experience as an appellate or a revisional authority or as an adjudicating authority competent to pass any order-or take any decision under any law;

(ii) by rules made in this behalf, provide fr the transaction of business of such authorities in the absence of the Chairman or any other member and specify the circumstance under which and the manner in which such business could be so transacted:

Provided also that nothing in this sub section shall he construed as debarring an official (other than an official connected directly with the management or operation of a transport undertaking) from being appointed or continuing as a member of any such authority merely be reason of the fact that the Government employing the official has or acquires any financial interest in a transport undertaking.

**(3)** The State Transport Authority and every Regional Transport Authority shill give effect to any directions issued under Section 67 and the State Transport Authority shall, subject to such directions and save as otherwise provided by or under this Act, exercise and discharge throughout the State the following powers and functions namely:

(a) to co4ordjnate and regulate the activities and policies of the Regional Transport Authorities, if any, of the State;

(b) to perform the duties of a Regional Transport Authority where there is no, such Authority and, if it thinks fit or if so required by a Regional Transport Authority, to perform those duties in respect of any route common to two or more regions.

(c) to settle all disputes and decide all matters on which differences of opinion, arise between Regional Transport Authorities.

[(ca)]cal Government to formulate routes for plying stage carriages and]

(d) to discharge 'such other functions as may be prescribed

**(4)** For the purpose of exercising and discharging the powers and functions spe4i!ed in sub section (3) a State Transport Authority may, subject to such conditions as may be prescribed issue directions to any Regional Transport, and the Regional Transport Authority shall in the discharge of its functions under this Act, give' effect to and be guided by such direction.

**(5)** The State Transport Authority and any Regional Transport Authority if authorized in this behalf by rules made under Sec. 96 may delegate such of its powers and functions to such authority or person subject to such restrictions, limitations and conditions as may be proscribed 'by the said rules.".

4- That the Rule 56 of the Motor Vehicles Rules 1998 which is applicable to the State of Uttarakhand provides method for constitution/quorum of RTA. The Rule 56 is reproduced herein below:

"Regional Transport Authority- (I) The quorum to constitute a meeting of "the Regional Transport Authority shall be-

(i) one, in case the authority consists of two or three members

(ii) two, in the case the authority consists of two or three members

(2) 10 quorum shall be necessary for a reconvened meeting adjourned for the want of quorum.

(3) The Chairman if unable to attend a meeting shall nominate a meiñber to act as Chairman at the meeting.

(4) The Chairman or the acting Chairman nominated under sub ule (.3) shall have a second or casting vote

(5) The Regional Transport Authority shall meet at such time and at such places as the Chairman may appoint: provide that the authority shall meet not less than once in two months unless the State Transport Authority-otherwise directs

(6) Not less than ten days' noticc to the members shall be given of any meeting, of the Regional Transport-Authority.

Provided that where in the opinion of the Chairman, an emergency meeting of the Regional Transport Authority is necessary, a notice of not less than twenty four hours shall be given to the members.

(7) The Regional Transport Officer of the region concerned shall be ex office Secretary of the Regional Transport Authority.
(8)The State Government may at anytime-
(i) determine without assigning any reason by notification in the official gazette, the term of any nominated member of the Regional Transport Authority.

(ii) Subject to the provisions of Section (68) vary the composition of the authority, and, consequently reduce or increase the number of official or non-official members-

(9) Subject to the provisions of sub rule (8) a nominated member (other than ex officio member) of the Regional Transport Authority shall hold office. for a period of one year or until his Successor is nominated whichever is later."
**(5)** - That from the perusal of sub rule 7 of Rule 56 it is abundantly clear that the Regional Transport of the region concerned shall be ex officio Secretary of the Regional Transport Authority.
**(6)-** That the State Government in exercise of power vested on it constituted the Regional Transport Authority vide notification dated 18.4.2001 for different region in which Regional Transport Authority Dehradun fields place at serial no. I. The said notification contemplates that the Commissioner Garhwal Region is the Chairman of' the RTA and Deputy Transport Commissioner is the Member of RTA and one member will be nominated by the government who would be non- government.' Copy of notification dated 18.4.01 is annexed as **Annexue-1** to this objection.
**(7)**- That it is no out of context to mention here that at present there is no Deputy Transport Commissioner as Mr. Vinod Sharma, who was holding the- of' Deputy Transport Commissioner was relieved to the State of Uttar Pradesh on 14.8.10 in compliance of Judgment rendered by Hon'ble High Court of Uttarakhand in writ petition no. 79/SB/08 M.C. Joshi & others .Vs State of Uttarakhand & others. Consequently he joined his services in Uttar Pradesh.
**(8)-** That in absence of Deputy Transport Commissioner who is member of RTA, the meeting cannot be held by the RTA as the quorum of the Regional Transport Authority is not complete.
**(9)-** That it is not out of context to mention here that from the perusal of Sub Section 2 of Section 68 of Motor Vehicle Act it is abundantly clear that no person who has any financial interest whether as proprietor, employee or otherwise in any transport undertaking shall be appointed pr continue to be a member of State or Regional Transport Authority rid if any person being a member of any such authority acquires a financial interest in any transport undertaking, he shall within four weeks of so doing, give notice in writing to the State Govt.

of the acquisition of such interest and shall vacate office.

**(10)-**That the 4Central Government introduced a scheme known as Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) by which the central Government funded to the State Govt. for plying the vehicle under the said scheme through State Transport Undertaking in various cities. in State of' Uttarakhand three districts were selected for the said' scheme i.e. Dehradun, Haridwar and Nainital. Consequently the buses under the said. scheme were purchased by the Government. This scheme pertains to only city routes. True and correct copy of scheme of: December 2005 issued by Govt. of India is annexed as **Annexure-2** to this objection.

**(11)-**That based on said scheme the State Road Transport Corporation submitted is proposal for Dehradun city for plying the vehicle under the-said scheme mentioning the route in the list in which the route in question Dehradun-Kalsi has not been figured. The proposal given by the State Transport Corporation has accepted by the competent authority in to by permitting him to obtain the permit and ply the vehicles under the schemes on the route which were mentioned in the list submitted by him. Copy of list submitted by State Road Transport Corporation is annexed as **Annexure-3** to this objection.

**(12)-**That it is not out of context to mention here that the State Transport undertaking only applied for the permit in the route ISBT-Rajpur-Claimantown under the JNNURM scheme. This route is figured at serial no. & 2 in its proposal. The RTA granted the permit to the route mentioned herein above but the permit has not been tilted by the Transport Corporation as yet.

It is not out of context to mention here that there is no route figured at serial no.2 i.e. ISBT-Selakui-Doiwala-Jollygrant as the same has not been formulated as yet as required under Section 68 (3) (Ca) of Motor Vehicle Act 1988 therefore since the route has not formulated as yet hence the Regional Transport Authority is in legal obligation not to entertain the application for the route which is not in existence, But the Secretary RTA inspite of fact that there is no route known as lSBT-Selakui-Doiwa1a-Jollygrant, accepted the application of the Read Transport Corporation which is in gross violation of Section 68 (3) (Ca) as well as Section 68 (2).

**(13)-**That the Secretary RTA always tried to give undue advantage to the State Road Transport Undertaking as he is having personal/ economical, interest from the Transport Undertaking as she is also the Secretary: of the Board constituted by Road Transport Corporation under JNNURM.

**(14)-**That this fact corroborates from the fact that the Road Transport Corporation had already been granted 12 permit by the RTA which has been formulated as, required under section 68(3) (Ca) i.e. Parade ground-Doiwala vide decision dated 20.10.2010 but the same has not been lifted as yet by the Roadways Corporation. This action on the part of Roadways Corporation shows that he is not willing to act as per the guidelines of JNNURM as well as in the interest of public in large.

**(15)-** That it is pertinent to state here that the State Transport Corporation is well aware about the fact that the Secretary of the RTA. is also the Secretary/Member of the Board of JNNURM which is under the State Transport Undertaking moved an application for grant of stage carriage permit for the route which is not in existence. The entire exercise adopted for considering the said application of the Transport Corporation vitiates as the application has been made for the route which is not in existence as required under Section 68 (3) (Ca).

**(16)-**That since the proposal has been submitted by the Stale Transport Corporation has been accepted in to by the competent authority by permitting him to ply their vehicle mentioned in the list in which the route in question has not figured therefore the State Transport undertaking in the garb of JNNURM scheme. Can not travel beyond its proposal unless and until the same has been changed which has not been changed as yet.

**(17)-** That the buses under the JNNURM were only for the City routes as per the mandate of scheme itself therefore the same can ply on the city routes only after obtaining the valid permit. The City Routes ac defined under Section 68 (3) (a) which provides that the total length of City routes is within the radius of 20 Kms and in exceptional circumstances the same can be extended up to 25 Kms. Meaning thereby thetota1 length of city routes is to be 25 Kms. not more than that. Here the length of route under consideration is 55 Kms. therefore the route which is mentioned at item no 11 in advertisement dated 19.2.20 11 is not a city route and since the route is not a city route as classified in Section 68 (3) (Ca) therefore the RTA cannot grant the permit to th Roadways Corporation under JNNURM as the said schee specifically mandate that the buses under said scheme is only to he plied on the city routes. It is not out of context to mention here that the route Dehradun-Kalsi is not city route therefore in view of guidelines of scheme itself' no permit can he granted by the RTA under the JNNURM for the route which is not a city route.

**(18)-**That for plying the buses under the JNNURM a Board was constituted known as Dehradun City Bus Sewa Salahkar Board by the State Government vide order dated 19.3.2010. The aid Board consists, Chairman Nagar Nigam Dehradun would be Chairman of Board, Nominee of District Magistrate who is not below the rank of ADM would be Member, Nominee of SSP not below the rank of Additional S.P. and Regional Transport Officer Member/Secretary. Copy of order dated 19.3.10 is annexed as **Annexure-4** to this objection:

**(19)-** That from the perusal of constitution of Board it is abundantly clear that the Regional Transport Officer who is the ex-.officio Secretary of Regional Transport A authority nominated as the member/Secretary of the Board of State Transport Undertaking.

**(20)-**That from, the perusal of aforesaid constitution of board it is abundantly: clear that the Secretary Regional Transport Authority who issued the advertisement dated 19.2.20 is also the member/Secretary of the Board and also holding the post of Regional Transport Officer

Dehradun therefore in view of Sub Section-2 of Section 68 he cannot issue the advertisement dated 19.2.2011 nor he can hold the post of Secretary RTA, as per settled legal preposition of law and since has no authority a contemplated in Section 68 therefore any exercise on the behest of Secretary RTA is nothing but the same is in gross violation of Section 68 of Motor Vehicle Act 1988.

**(21)-** That the same controversy went before Hon'ble Apex Court in the case of Mor Modern Cooperative Transport Society Ltd. Vs. Financial Commissioner and Secretary to State of Haryana & others. The Hon'ble Apex Court has held that the employee who is having the interest with the Transport Undertaking cannot be appointed as a Chairman or any authority in the State Transport Authority or Regional Transport Authority as provided under Section 68 of Motor Vehicle Act'. Copies of judgments are annexed as **Annexure-10** to this objection.

**(22)-**That this question has again been dealt by Hon'ble Karnantaka High Court in the case of Bhaskaranand Vs. State of Karnataka & others and has held that person who is having any interest from the State Transport undertaking cannot be appointed in any capacity, Chairman or Secretary of State Transport Authority or Regional Transport Authority. Copy of judgment is 'annexed as Annexure-6 to this objection.

**(23)-**That in the instant case the member/Secretary of the Board (State Transport Undertaking) is the Secretary of Regional Transport Authority therefore the advertisement issued by the RTA is in gross violation of Sub Section 2 of Section 68 of Motor Vehicle Act.

**(24)-**That since the sub section 2 of Section 68 prohibits for appointment of a person who is haying financial interest with the transport undertaking therefore the Secretary RA cannot perform his duty as Secretary Regional Transport Authority as held by Hon'ble Apex Court being having the financial interest with the State Transport undertaking.

**(25)-**That it is not out of context to mention here that the Ministry of Urban Planning Govt. of India released the fund under the JNNURM scheme for purchasing the buses and as per the guidelines/object of the said scheme the buses under the said scheme can only be plied on the city route 'arid since the scheme itself introduced for the city routes only therefore the RTA cannot grant permit to the Roadways Corporation for the route mentioned at serial no. 11 which is not a city route nor the State Transport undertaking cannot apply for grant of permit for the route which.-.is not a city route and if the application of the Corporation would be considered by the RTA the 'same is in violation of the object/guidelines of the scheme itself which cannot permissible under the law.

**(26)-** That it is well settled principle of law that 'the authority should act within the 'four corners of the guidelines/object of the scheme mentioned in the scheme. Here in the present controversy the object of the scheme is that the buses under the JNNURM scheme can only be available of the city route but, contrary to that the, State Transport undertaking tried to obtain the permit by hook or crook which is

evident from the act that he applied for permit for the route ISBI-Selakui-Doiwala-Jolygrant, this route has not been formulated as yet and the law has been settled to this effect that if the route is not formulated the RTA cannot grant permit. Secondly he applied the permit for Dehradun-Kalsi via Prem Nagar route, total length of this route is 55 Kms. and as per Section 68 (3) (ca) the length of city route is 20 Kms and in exceptional cases 25 Kris. Since it has been established form the record itself that the Dehradun Kalsi is not a city route therefore the permit on this route cannot be considered or permit cannot be granted to the Roadways Corporation.

**(27)-** That as per the Rule 56 of the U.P. Motor Vehicle Rules 1998 which is adopted and applicable to the State of Uttarakhand, the quorum of RTA as defined in the Rule is the Commissioner of the region is the Chairman, the Deputy Transport Commissioner is the official member of' RTA and one unofficial nominated by State Govt. From the aioresai1 facts it is abundantly clear that the RTA consists with Chairman and two members out of which one official and one non official. At present there is not official member has been appointed by the State Govt. after transfer/ relieving of Mr. Vinod Sharma and only one unofficial member is available who has been nominated by the State Govt. in few months back.

From the aforesaid facts and circumstances it is abundantly clear that at present the quorum of RTA is not complete as required under Motor Vehicle Act and Rules and since the RTA has not been legally constituted as yet therefore any decision or exercise on the behest of the authority who is not legally constituted is vitiate and non est in the eyes of law.

**(28)-** That since it is apparent on the record that the RTA is not legally constituted as the person who is holding the post of Secretary RTA is also holding the post of Secretary/Member of Board of State Transport Undertaking therefore the advertisement is wholly illegal and is violative of Section 68(2) of Motor Vehicle Act.

**(29)-** That the Hon'ble High Court in its order dated 5-03-2011 specifically directed that the grounds/objection which wereraised in the writ petition by the petitioner, raise before the RTA and the RTA shall decide the same firstly. Copy of order dated 5-03-2011 is annexed as annexure -7 to this objection.

अतः प्राधिकरण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन में मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–6, <u>मा0 उच्च न्यायालय के याचिका स0 534/2015 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 के सम्बन्ध में श्री विजय वर्धन ड़डरियाल अध्यक्ष, देहरादून महानगर सिटी बस सेवा ''महासंघ'' एवं महासचिव् श्री राजेन्द्र कुमार विक्रम जनकल्याण समिति देहरादून के द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश</u> ।**

श्री विजयवर्धन ड़डरियाल अध्यक्ष, महानगर सिटी बस सेवा देहरादून ने अपने पत्र स0 18.9.2017 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के याचिका स0 534/2015 में दिनांक 04.7.2017 को पारित आदेश की प्रति संलग्न कर निम्न निवेदन किया गया है। उन्होने सूचित किया है–

''आपको अवगत कराना है, कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स0 534/2015 पारित आदेश दिनांक 04.7.2017 को वाहनों की आयु 20 वर्ष किये जाने हेतु बाध्यकारी है। ऐसी परिस्थिति में नगर बस सेवाओं के लिये बसो की भी आयु उ0प्र0 की तरह उत्तराखण्ड में 20 वर्ष माना जाना न्यायोचित होगा । अन्यथा मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.7.2017 की अवमानना होगी । अतः आपसे अनुरोध है, कि न्यायहित में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स0 534/2015 में पारित आदेश दिनांक 04.7.2017 का अनुपालन करते हुए नगर बस वाहनो (बसो) की आयु 20 वर्ष की जाये व आर0टी0ए0 के समक्ष पत्र एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को प्रस्तुत करते हुये वाहनों की आयु मोटरयान अधिनियम की धारा–59 के अनुसार 20 वर्ष निर्धारित की जाये। ताकि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो का अनुपालन सुनिश्चत हो सके तथा आर0टी0ए0 वाहन स्वामियो के साथ न्याय कर सके । ''

श्री राजेन्द्र कुमार महासचिव् विक्रम जन कल्याण समिति देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 22.8.2017 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि '' उपरोक्त अपील को संज्ञान में लेने का कष्ट करें, महोदय् राज्य सरकार द्वारा वाहनों की आयु सीमा सम्बन्धित आदेशो को माननीय् उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा खारिज करते हुये यह आदेश जारी किये गये है, कि राज्य सरकार को किसी भी वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नही है। अतः महोदय् से अनुरोध है, कि उक्त अपील को संज्ञान में लेते हुए समिति के विक्रम वाहनो को जो आपके अनुसार अपनी आयु सीमा पुरी कर चुके है, उनकी पुनः फिटनेस करके उन्हें संचालन करने की अनुमति करने की कृपा करें । ''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03.11.2008 के अन्य मद –7(1) मे पारित आदेश जिनके द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनों के मॉडल सीमा निर्धारित की गई थी, के विरूद्व मा0 उच्च न्यायलय में याचिका स0 170/2009 दायर की गई थी। इस याचिका को स्वीकृत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किये थे, कि राज्य परिवहन प्राधिकरण को मॉडल सीमा निर्धारित करने का अधिकार नही है। इन आदेशो के विरूद्व राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा याचिका स0 534/15 दायर की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2017 को इस याचिका को खारिज करते हुये यह आदेश पारित किये गये है ।

" The Contention of the appellant for attracting sub Section-4 of Section 68 is not an adependent provision, it is subject to the provision, of sub Section 68, Which provides the modalition in which the direction issued under Section 67 by the Regional Transport Authority, has to be complied with by the State Transport Authority.Yet again, this preposition will not fulfill, under Section 59 of the Act Since, the legislature in its wisdom is quite clear that the power of fixing the age of the vehicles, since under the statues has been vested with the Central Government, the judgment under challenge in appeal for the aforesaid reason do not suffer from any apparent legal error, thus the appeal fails and is dismissed with cost ."

इस सबंध मे अवगत कराना है कि देहरादून नगर बस सेवा की आयु सीमाा के सम्बन्ध में मामला प्राधिकरण की बैठक दिनाक 29.09.2001 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्राधिकरण द्वारा संकल्प स0–11 में निम्न आदेश पारित किये गये है–*" नगर बसों की आयु सीमा बढाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, नगर बस सेवा एसोसियशन देहरादून के प्रतिवेदन दिनांक 27.8.2011 पर विचार किया गया अध्यक्ष नगर बस सेवा एसोसिएशन ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि देहरादून मे नगर बसों के लिये 9 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, परन्तु उ0प्र0 में नगरों मे चल रही नगर बसो के लिये 20 वर्ष की माडल सीमा निर्धारित है, उन्होने निवेदेन किया है, कि देहरादून में भी नगर बसों की माडल सीमा उ0प्र0 के अनुरूप निर्धारित की जाय, मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है, कि देहरादून नगर मे चलने वाली नगर बसों के लिये 15 वर्ष की माडल सीमा निर्धारित की जाती है, परन्तु नगर बसों के परमिटो मे वाहनो का प्रतिस्थापन केवल नई बसों से किया जायेगा । "*

देहरादून केन्द्र के विक्रम वाहनो की आयु सीमा के सम्बन्ध में अवगत कराना है,कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी के आदेशों के क्रम में सुझावों को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 08–05–98 में विचार हेतु रखा गया था प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त देहरादून नगर मे प्रदूषण की समस्या को देखते हुये अन्य शर्तो के साथ यह शर्त आरोपित की गई थी कि ".विक्रम वाहनों की आयु सीमा 07 वर्ष निर्धारित की जाती है "।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे यह भी अवगत कराना है, कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, सम्भागीय परविहन प्राधिकरण देहरादून ने अपनी विभिन्न बैठको मे अन्य श्रेणी के वाहनो के परमिटो पर निम्नवत् आयु सीमा की शर्त आरोपित की गई है–

(1) भार वाहन– सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.1985 के संकल्प स0–9 के द्वारा पहाडी मार्गो पर 20 वर्ष तक के ट्रको के संचालन की अनुमति दी गई है ।

(2) टैक्सी/मैक्सी– राज्य परिवहन प्राधिकरण ने टैक्सी/मैक्सी की आयु सीमा 15 वर्ष इस शर्त के साथ आरोपित की है, कि 12 वर्ष पूर्ण हो जाने पर एक समिति द्वारा इन वाहनो का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात 06–06 माह का स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

उक्त आदेशो को प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20.5.2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–7 (क) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं0 1/12 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 27.07.2012 के अनुपालन में राजपुर–क्लेमेनटाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार एंव आदेश।**

राजपुर–क्लेमनटाउन नगर बस सेवा मार्ग है, इस मार्ग पर वर्तमान में 30 परमिट जारी है। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.5.2015 मे मद स0–5 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था । प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश किये थे–

*प्राधिकरण ने इस मार्ग पर अपनी बैठक दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये थे तथा मार्ग पर रिक्ति न होने के कारण शेष प्रार्थना पत्रों का अस्वीकृत किया था। इन आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार के द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ में अपील सं0 1/12 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 27.07.12 के द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.10 को निरस्त करते हुये सभी प्रार्थना पत्रों पर पुनः विचार करने के आदेश पारित किये थे।*

***"RTA is directed to consider all the application afresh and after affording opportunity of being heard to all, the application shall be considered and permits granted as per mechanism suggested in the body of this judgment."***

*मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेशो के विरूद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 1778/एमएस/12 दायर की थी। परन्तु याचिकाकर्ता के द्वारा उक्त याचिका वापस ले ली गई है।*

*अपीलकर्ता श्री अशोक कुमार ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत मार्ग का परमिट प्राप्त करने के सम्बन्ध में अपील/ याचिका दायर की गई है। अतः उनके प्रार्थना पत्र पर प्राथमिकता के आधार पर परमिट जारी करने की कृपा करें।*

*श्री सुभाष कुमार ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उनकी अपील सं0 16/2006 में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 20.09.2006 को दिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त मार्ग का परमिट स्वीकृत किया जाये।*

*राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग के अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह भण्डारी ने परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त की है कि मार्ग पर प्रत्येक 7 मिनट के अन्तराल पर वाहनों का संचालन हो रहा है। बसों के अतिरिक्त मार्ग पर विक्रम टैम्पो वाहनें संचालित हो रही हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि मार्ग पर और बसों के परमिट जारी न किये जायें।*

*श्री एस0के0 श्रीवास्तव, श्री राम कुमार सैनी ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उक्त मार्ग हेतु उनके स्थाई सवारी गाडी परमिट के प्रार्थना पत्र पर विचार कर परमिट स्वीकृत किया जायें*

*मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड ने दिनांक 27.07.12 को उक्त आदेश में यह भी निर्देश दिये हैं कि::–*

***"RTA is directed to consider all the applications for granting the permits before taking any decision. The RTA is also directed to adopt a resionable, transparent and scientific mechanism for granting permits to for deserving candidates out of 103 applications. While adopting a scienfific, resionable and transparent mechanism, The RTA can consider so many factors such as gender of applicant, socio-economic condition, socio-economic position, experience in transport business ect".***

*प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 17 में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रम में सचिव को वैज्ञानिक, पारदर्शी एंव युक्तियुक्त एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे। इन आदेशों के अनुपालन में सचिव द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सचिव द्वारा नगर बस योजना में रिक्ति से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में अन्तिम चयन हेतु कोई मानदण्ड, प्राथमिकताऐं तथा नीति ना होने का उल्लेख किया। ऐसे में 04 रिक्तियों के सापेक्ष प्राप्त 209 आवेदनों के निस्तारण करने में तकनीकी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।*

*श्री विजय वर्धन डंडरियाल, अध्यक्ष, देहरादून महानगर सीटी बस सेवा महासंघ ने परमिट जारी करने के विरूद्ध आपत्ति पत्र में कहा है कि धारा–71(3)(क) की अधिसूचना के अभाव में आरटीए के द्वारा मार्गों का सृजन एंव उन पर परमिटों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह अधिकार राज्य सरकार को है।*

*अध्यक्ष देहरादून महानगर बस सेवा महासंध की आपत्ति निराधार है, क्योंकि धारा 71(3)(क) मार्ग सृजन से सम्बन्धित नहीं है। उक्त धारा 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में यदि केन्द्र सरकार ऐसा उचित समझे, राज्य सरकार को स्टैज कैरिज परमिटों की संख्या सीमित करने हेतु निर्देश दिये जाने से सम्बन्धित है। ऐसी कोई निर्देश केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा कोई मार्ग सृजन नहीं किया जा रहा है तथा नगर बस योजना के अन्तर्गत परमिटों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण के आधार पर किये जाने का प्राविधान है।*

*अतः प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि संकल्प उक्त सं0 4 के अन्तर्गत गठित कमेटी से प्रस्ताव प्राप्त होने तक उक्त मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।*

इस सम्बन्ध मे अवगत करना है, कि प्राधिकरण द्वारा गठित कमेटी की आख्या प्राप्त हो गई है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.2010 मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों तथा उसके पश्चात प्राप्त स्थायी स्टेज कैरिज प्रार्थना पत्रो को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रार्थना पत्रों का विवरण परिशिष्ट में **'क'** में उल्लेखित है।

सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून ने अपने पत्र स0 9182/प्रर्वतन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 20.08.2014 द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्रस्तुत की थी। इसमें यह संस्तुति की गई थी कि मार्ग पर पूर्व में की गई संस्तुति सहित 06 नये परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है। इस प्रकरण मे मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में श्री विपिन शर्मा के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका स0 2722/2016, 3335/16 दायर की गई है। इन याचिकाओं का निस्तारण मा0 न्यायालय के आदेश दि0 25.12.2016 द्वारा कर दिया है। मा0 न्यायालय के आदेश का मुख्य अंश निम्न प्रकार है–

Having considered the submissions of learned counsel for parties, though this Court is not preventing the R.T.A from granting permanent State Carriage Permit to the applicants for the route Rajpur-Clement Town; but directs the R.T.A to frame guidelines, as per law while the R.T.A will first frame guidelines and therafter shall decide the total number of vacancies for which the permits are to be granted and thereafter will take a decision on the applications for grant of permit.

With the above observation and direction the write petitions stand disposed of finally.

श्री गोपाल सिंह भण्डारी अध्यक्ष, राजपुर–क्लेमनटाउन नगर बस सेवा एसोसिएशन ने अपने पत्र दि0 29.9.2016 द्वारा अपनी आपत्ति मे कहा है,कि मा0 एस0टी0ए0(टी) ने आदेश पारित किये थे, कि परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में एक पारदर्शी नीति तैयार की जाये। इस संदर्भ में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा बिना नीति निर्धारित किये परमिट स्वीकृत करना एस0टी0ए0 (टी) के आदेश के विरूद्व है, तथा उन्होने निवेदन

किया है, कि नीति निर्धारित करने के पश्चात ही परमिट स्वीकृत किये जाये। इस सम्बन्ध में अवगत करना है, कि आरटीए द्वारा नीति निर्धारित कर दी गई है। नीति निम्न प्रकार है–

प्राधिकरण ने दिनांक 17.12.2016 में मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि निम्न बिन्दुओं पर विचारोपरान्त परमिट स्वीकृति करने के सम्बन्ध में आवेदको का चयन किया जायेगाः–

(1) आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी हो। वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(2) आवेदक का चरित्र उत्तम प्रकृति का हो, इस हेतु पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(3) आवेदक कम से कम कक्षा–8 उर्त्तीण हो।

(4) 50 प्रतिशत परमिट बेरोजगार व्यक्ति के लिये आरक्षित रखे जाएं, ताकि रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकें।

(5) नये मार्गो पर परमिट जारी किये जाने के समय 50 प्रतिशत परमिट पुराने ऑपरेटरों को स्वीकृत किये जाएंगे।

(6) कतिपय वाहन स्वामी परमिट प्राप्त करने के पश्चात देय करों की वंचना करते है, विभाग द्वारा नियमानुसार वसूली के प्रयास करने पर भी कर वसूली नही हो पाती है, हेतु छोटी वाहन की स्थिति में रू0 20 हजार तथा बडी बस वाहन की स्थिति में रूपये 50 हजार की प्रतिभूति एफ0डी0 को बन्धक रखा जाये, ताकि करो की वसूली न होने पर प्रतिभूति की धनराशि से वसूली की जा सके।

(7) आवेदक बार–बार परमिट प्राप्त कर वाहन का विक्रय करने का आदी न हो। अर्थात आवेदक द्वारा विगत 03 वर्षो में कोई परमिट हस्तान्तरित न कराया हो।

(8) छोटे वाहन (7+1 क्षमता तक) की स्थिति में ऐसे आवेदको को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके पास पूर्व से कोई परमिट न हो।

(9) देहरादून नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत आने वाले मार्गो के परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेगे ।

(10) जिन मार्गो पर निर्धारित परमिटो की संख्या से कम आवेदक होगे, या वाहनो का संचालन कम लाभप्रद होगा, उन मार्गो पर नई वाहन से छूट प्रदान की जा सकती है ।

(11) एक बार जारी किया गया परमिट, परमिट जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं होगा ।

(12) बड़ी वाहन की दशा में आवेदक को कार्यालय का स्थान, वाहन के पार्किग के स्थल का विवरण, पेन कार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(13) आवेदक से सभी प्रपत्रो एवं सूचनाओ की सत्यता के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(14) शपथ पत्र मे दी गई सूचना के भविष्य मे कोई तथ्य सही नही पाये गये, तो प्राधिकरण को परमिट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

उक्त मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद सं0–9 के अन्तर्गत विचार व आदेश प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैः–'

*"प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि स्टेज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारित कर दी गई है । अतः सभी प्रार्थियो से जो इस नीति के अन्तर्गत आते है, इस सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किये जाय, कि वे इसके अन्तर्गत आते है, और परमिट स्वीकृति के पात्र है । इसके पश्चात प्रार्थना पत्रों को आगामी प्राधिकरण की बैठक में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाये "*

उपरोक्त नीति के अन्तर्गत जिन आवेदको के द्वारा अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, उनका विवरण निम्न प्रकार है–

1. श्री देवेन्द्र सिह राणा पुत्र श्री आन्नद सिहं राणा निवासी
2. श्री राजेन्द्र सिंह ढिल्लों पुत्र श्री भाग सिंह
3. श्री जसप्रीत सिंह मान पुत्र श्री जगवीर सिंह मान
4. श्री जगवीर सिंह मान पुत्र श्री लाल सिंह
5. श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री रविकान्त
6. श्री शंकर अग्रवाल पुत्र श्री रविकान्त

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि देहरादून नगर बस सेवा एसोशिऐशन के अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह भण्डारी ने अपने दिनांक 12.12.18 के द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने सम्बन्ध में आपत्ति ब्यक्त की गई है। उन्होंने अपने पत्र में अन्य बिन्दुओं साथ–साथ मुख्यतयाः अवगत कराया है कि **शहर में अन्य वाहनों के साथ–साथ बैटरी चालित रिक्शा, नीजी कार एंव दो पहिया वाहनों की दिन प्रतिदिन बढ रही संख्या व सडकों का अनुपात वही है, ऐसी परिसिथितियों में राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग पर स्थायी परमिट जारी करने पर एसोसियेशन को सख्य आपत्ति है। क्योंकि मार्ग पर पहले से ही ज्यादा संख्या में वाहनों का संचालन हो रहा है।**

मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण परिशिष्ट "**क**" में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

मद स0–7 (ख) श्री राम कुमार सैनी व श्री एस0के0 श्रीवास्तव की याचिका स0 382/2015 मे मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.1. 2018 के अनुपालन में राजपुर–क्लेमनटाउन नगर बस मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी के सम्बन्ध में विचार व आदेशः–

श्री राम कुमार सैनी, एवं श्री एस0के0 श्रीवास्तव ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.1.2018 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के रिट याचिका स0 382/2015 मे पारित आदेश दिनांक 12.1.2018 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करते हुये राजपुर–क्लेमनटाउन नगर बस मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी किये जाने के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है। मा0 न्यायालय ने इस याचिका में निम्न आदेश पारित किये है–

**"The Petitioners have applied for temporary permit. It was rejected. The petitioners also submitted application for grant of permanent permit in the year 2013. The Competent Authority, till date, has not taken any decision on the application of the petitioners only on the pretext that survey has not been conducted as per the Motor Vehicles Act.**

**Accordingly, the write pettion is disposed of with the direction to the Regional Transport Authority, Dehradun to consider the application preferred by the petitioners,in accordance with law, within a period of eight weeks from today.**

**However, before parting with the order. it shall be open to the petitioners to submit application for release of temporary permit. Which shall be considered in accordance with law, if the similarly situate persons have already been granted temporary permit.**

**Pending application, if any, also stands disposed of.**

इस सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार हैः–

याचिका स0 382/15 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के आदेश दिनांक 10.11.2014 के विरूद्व दायर की गई है, जिसके द्वारा राजपुर–क्लेमनटाउन नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रो को अस्वीकृत किया गया था। मामले का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत राजपुर–क्लेमेन्टाउन नगर बस सेवा मार्ग है। वर्तमान में इस मार्ग पर 30 परमिट जारी किये गये हैं। प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा दिनांक 21.06.2010 को सर्वे कर मार्ग पर 04 रिक्तियॉ प्रस्तावित की थी। जिसे प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में प्रस्तुत किया गया था, प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि मार्ग पर उपलब्ध चार परमिट परिवहन निगम को स्वीकृत किये जाते हैं तथा शेष प्रार्थना पत्रों को मार्ग पर कोई रिक्ती न होने के

कारण अस्वीकृत किया जाता है। अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों में से एक प्रार्थना पत्र श्री अशोक कुमार का भी था। श्री अशोक कुमार ने प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के समक्ष अपील सं0 1/12 दायर की थी। इस अपील का निस्तारण मा0 न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा किया था। मा0 न्यायाधिकरण ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08.10.10 को निरस्त कर दिया था, तथा आदेश पारित किये थे, कि प्राधिकरण पुनः सभी प्रार्थियों को सुनने के पश्चात आदेश पारित करें।

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.2013 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त आदेश पारित किये थे कि प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2010 में कराया गया है, तब से लगभग 04 वर्ष का समय ब्यतीत हो गया है एंव देहरादून शहर की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त सर्वेक्षण कराकर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने पत्र सं0 9182/प्रतर्वन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 20.08.2014 के द्वारा संयुक्त समिति की आख्या प्रेषित की थी, संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने पूर्व संस्तुति सहित मार्ग पर कुल 06 परमिट जारी करने की संस्तुति की थी।

प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट लेने हेतु निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पुनः प्राप्त हुये थें, इन प्रार्थना पत्रो को प्राधिकरण की बैठक दिनाक 10.11.2014 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था,:–

| क्र0 सं0 | प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथी | प्रार्थी का नाम व पता | वाहन सं0(यदि कोई हो) |
|---|---|---|---|
| 1. | 20.10.2014 | श्री भीम सिंह पुत्र नत्थी सिंह, 79 लोअर नथनपुर, देहरादून। | यू0के 07पीए–0267 |
| 2. | –तदैव– | श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री जी0एन0 शर्मा, 264 नथनपुर, देहरादून | यू0के 07पीए–0451 |
| 3. | –तदैव– | श्री एस0के0 श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव, 4 बी राजा रोड़, देहरादून । | यू0के 07–पीए 1397 |
| 4. | –तदैव– | श्री राम कुमार सैनी पुत्र श्री चमन लाल, प्रतीतपुर धर्मावाला, देहरादून। | यू0के 07–पीए 1125 |
| 5. | 05.11.14 | श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्रीदत्त भट्ट, एमडीडीए कॉलोनी, केदारपुरम, देहरादून | – |
| 6. | –तदैव– | श्रीमती सपना शर्मा पत्नी श्री विपिन शर्मा, 308 नेहरू कालोनी, धर्मपुर, देहरादून | – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | –तदैव– | श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा 308 नेहरू कालोनी, धर्मपुर, देहरादून। | – |
| 8. | –तदैव– | श्री अरविन्द कुल्हान पुत्र श्री हरि सिंह, ग्राम आमवाला अपर, नालापानी, देहरादून । | – |
| 9. | –तदैव– | श्रीमती बीना भण्डारी पत्नी श्री गोपाल भण्डारी, ए–186 नेहरू कॉलोनी धर्मपुर, देहरादून। | – |

प्राधिकरण द्वारा उक्त बैठक में निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

''प्रश्नगत मार्ग पर 04 रिक्तियॉ राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ द्वारा परमिट जारी करने के संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के आदेशों को निरस्त करने से तथा 02 अतिरिक्त रिक्तियॉ संयुक्त सर्वेक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्पन्न हुई है। पूर्व में जारी 04 परमिटों पर वाहन का संचालन कभी नही हुआ है। इसी प्रकार 02 अतिरिक्त रिक्ति पर कभी भी वाहन का संचालन नहीं हुआ है। अतः यह मानना कि उक्त रिक्तियों के कारण वर्तमान परिवहन सेवा ***(Existing Service)*** में कमी आयी है अथवा वर्तमान परिवहन सुविधायें जनता की परिवहन हेतु अपर्याप्त है, तर्क संगत नहीं है। प्राधिकरण के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उक्त मार्ग में परिवहन की समस्या है, न की ऐसी कोई मॉग किसी संगठन, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय जनता द्वारा की गई है।

अतः प्राधिकरण की राय में उक्त मार्ग पर विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता विद्यमान होना पुष्ट नहीं होता है।

उपरोक्त निष्कर्ष को निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों के आधार पर पुष्ट किया जा सकता हैः–

1- ***"It is true that in view of the decision of the Supreme Court in M.P. State Road Transport Corporation v. R.T.A. Raipur, AIR 1966 SC 156 a temporary permit can be granted under Section 62(c) even when there is a permanent need. But from this it does not follow that whenever there is a permanent need then it must be taken that a perticular temporary need also exists. See Raipur Transport Co. v. R.T.A. Jabalpur, AIR 1967 Madh Pra 141. The Regional Transport Authority has to decide for itself whether in the facts and circumstances of a case there exists a particular temporary need before it can issue a permit under Section 62(c)."***

(Madhya Pradesh State Road Corporation vs Regional Transport Authority, AIR 1968 MP 148a)

2. ***"In AIR 1966 SC 166 (Supra) The Supreme Court has not laid down that wherever there is a permanent need, then, without more, it must be presumed that a particular temporary need also exists"***

(Raipur Transport Co. Private Ltd. vs Regional Transport Authority, AIR 1967 M.P. 141)

3. "***A permanent need cannot become a temporary one merely becasue an order granting a permit has been set aside or its operation stayed in other proceedings."***

(G.B. Transports, Guruvayur vs R.T.A. Trichur, AIR 1960 Ker 239)

4. "***Merely because a temporary need may co-exist with a permanent need, it could not lead to the conclusion that whenever there is a permanent need a temporary need should always be presumed to exist as well. There can be no such presumption in law, but facts must be ascertained by the R.T.A and reasons must be given by that Authority, if it came to the conclusion that a particular temporary need did also exist along with the permanent need. Merely because filling of permanent vacancies, which were caused not on account of cancellation of existing permits or the discontinuance of existing services, but on account of the increase in the limit of permits on the route, was likely to take some time, it cannot be the basis for holding that a particular temporary need existed."***
(Gafoor vs Regional Transport Authority, AIR 1976 Raj 166).

5. "***No doubt the existence of a permanent vacancy may not necessarily mean that there is a particular temporary need within the meaning of Section 62(1)(c) of the Act."***
(Bherulal vs The S.T.A.T. , Rajasthan, AIR 1977 Raj 29).

उपरोक्त तथ्यों एंव विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता स्थापित न होने के कारण प्रश्नगत मार्ग पर धारा 87 के अन्तर्गत अस्थाई परमिट स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रश्नगत मार्ग हेतु अस्थाई परमिटों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।''

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशो के विरूद्व ही वर्तमान याचिका दायर की गई है, जिसका निस्तारण मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.18 के द्वारा किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जो अस्थाई परमिट हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है,उन पर किसी वाहन सं0 का उल्लेख नही किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद सं0 8– श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं0 15/11 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 12.12.2011 के अनुपालन में आईएसबीटी–परेड ग्राउण्ड–सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों को विचार एंव आदेश।**

प्राधिकरण ने इस मार्ग पर अपनी बैठक दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये थे तथा मार्ग पर रिक्ति न होने के कारण शेष प्रार्थना पत्रों का अस्वीकृत किया था। इन आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार के द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ में अपील सं0 15/11 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 12.12.11 के द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.10 को निरस्त करते हुये सभी प्रार्थना पत्रों पर पुनः विचार करने के आदेश पारित किये थे।

***"RTA is directed to consider all the application afresh and after affording opportunity of being heard to all, the application shall be considered and permits granted as per mechanism suggested in the body of this judgment."***

मा0 न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 521/एमएस/12 दायर की थी। परन्तु उनके द्वारा वर्तमान में उक्त याचिका वापस ले ली है।

अपीलकर्ता श्री अशोक कुमार ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत मार्ग का परमिट प्राप्त करने के सम्बन्ध में अपील/ याचिका दायर की गई है। अतः उनके प्रार्थना पत्र पर प्राथमिकता के आधार पर परमिट जारी करने की कृपा करें।

मा0 राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने उक्त आदेश में यह भी निर्देश दिये हैं किः–

***"RTA is directed to consider all the applications for granting the permits before taking any decision. The RTA is also directed adopt and apparent, transparent and scientific mechanism for granting permit to for deserving candidates out of 121 applications. The RTA will be at liberty to consider all the applications afresh as per the, socio-economic condition, gender sensitization, and experience in transport business, economic visibility to run the transport business. The RTA can adopt any other mechanism suitable for the geographical conditions of the route in question to ascertain the transparent mechanism before the permits."***

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.05.2015 में संकल्प सं0 4 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये थेः– **प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 17 द्वारा मा0 न्यायाधिकरण पारित आदेशों के क्रम में सचिव को वैज्ञानिक, पारदर्शी एंव युक्तियुक्त एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे। इन आदेशों के अनुपालन में सचिव द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 के अध्याय–5 के अन्तर्गत उदार नीति से परमिट जारी करने की संस्तुति की है परन्तु अध्याय– 6 के अन्तर्गत निर्मित नगर बस योजना में मार्गवार निर्धारित रिक्ति से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में अन्तिम चयन हेतु कोई मापदण्ड/अधिमान/प्राथमिकता न होने के सम्बन्ध में अवगत कराया है।**

जिससे प्रश्नगत मार्ग पर उपलब्ध 04 रिक्तियों के सापेक्ष प्राप्त 209 आवेदनों के निस्तारण करने में तकनीकी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

श्री विजय वर्धन डंडरियाल, अध्यक्ष, देहरादून महानगर सीटी बस सेवा महासंघ ने परमिट जारी करने के विरूद्ध प्रेषित आपत्ति पत्र में कहा है कि धारा–71 (3)(क) की अधिसूचना के अभाव में आरटीए के द्वारा मार्गों का सृजन एंव उन पर परमिटों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह अधिकार राज्य सरकार को है।

अध्यक्ष देहरादून महानगर बस सेवा महासंध की आपत्ति निराधार है, क्योंकि धारा 71(3)(क) मार्ग सृजन से सम्बन्धित नहीं है। उक्त धारा 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में यदि केन्द्र सरकार ऐसा उचित समझे, राज्य सरकार को स्टैज कैरिज परमिटों की संख्या सीमित करने हेतु निर्देश दिये जाने से सम्बन्धित है। ऐसी कोई निर्देश केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा कोई मार्ग सृजन नहीं किया जा रहा है तथा नगर बस योजना के अन्तर्गत परमिटों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण के आधार पर किया जाने का प्राविधान है।

अतः प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, नगर बस सेवा कार्ययोजना में रिक्ति के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा मे अंतिम चयन हेतु कोई प्राथमिकताऐं/अधिमान/नीति न होने के कारण राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों में सुझाये आधारों पर एक स्पष्ट नीति हेतु निम्न प्रकार एक कमेटी का गठन किया जाता है।

1. उपजिलाधिकारी(सदर), देहरादून।
2. संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।
4. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून।

उक्त कमेटी राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेश एवम् अन्य महत्वपूर्ण/उचित/उपयोगी पहलुओ का अध्ययन का सुस्पष्ट, वैज्ञानिक, तार्किक, पारदर्शी नीति हेतु प्रस्ताव दिनांक 30.06.20015 तक सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगी। पूर्व में इस मार्ग हेतु 04 रिक्तियॉ उपलब्ध थी। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 13 द्वारा प्रश्नगत मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण कराकर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। परन्तु अभी तक सर्वेक्षण आख्या प्राप्त नहीं हुई है। संयुक्त सर्वेक्षण कमेटी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.06.2015 तक सर्वेक्षण आख्या सचिव, प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तब तक के लिये उक्त मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून से संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

प्राधिकरण द्वारा स्थाई सवारी गाडी के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण उपरोक्त मद 7(क) दिया गया है।

श्रीमती कुसुमलता वर्मा पत्नी श्री बी0एस0 वर्मा, लेन नं0 3 नथनपुर, देहरादून तथा श्री आशिष कुमार पुत्र श्री चमन लाल, नीम्बूवाला, देहरादून ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 305/2018 दायर की है। जिसमें यह निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा उपरोक्त मार्ग पर दिनांक 09.09.2016 को स्थाई सवारी गाडी हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र अनिस्तारित हैं।

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.02.18 के द्वारा याचिका का निस्तारण करते हुये निम्नलिखित आदेश पारित किये हैः–

"Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding and directing the respondents to take decision on the application of petitioner dated 09-09-16 in accordance with law within stipulated time as deem fit and proper by this Hon'ble Court."

Learned counsel for the petitioners confined his prayer only to the extent that petitioners' application – Annexure- 1 for grant of permanent stage carriage permit is pending with respondent no. 1 Regional Transport Authority, Dehradun and the same may kindly be directed to be decided at an early date.

Learned Standing Counsel has no objection to such innocuous prayer of the petitioners.

Writ petition is disposed of by directing respondent no. 1 to decide the pending application – Annexure- 1 of the petitioner by a reasoned and speaking order as per law within a period of six weeks of presentation of certified copy of this order."

मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में उल्लेखित है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–9– <u>देहरादून–डोईवाला एवं सम्बद्व मार्ग से सम्बन्धित याचिका सं0 एस0एल0ए0 सं0–26018–26019/2013 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो का अवलोकन एवं इस मार्ग पर आरक्षण श्रेणी की रिक्तयों के सापेक्ष परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेशः</u>–**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.2010 मे देहरादून–डोईवाला एवं सम्बद्व मार्गो पर जारी किये गये परमिटो के विरूद्व इस मार्ग के एक परमिट धारक श्री ओमप्रकाश के द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एस0एल0ए0 सं0–26018–26019/2013 दायर की गई थी, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2017 मे निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

We do not see any ground to interfere with the impugned order(s). The special leave petitions are accordingly dismissed.

Pending applications, if any, shall also stand disposed of.

श्री हुकुम चन्द्र एवं श्री हरवंश लाल के द्वारा संयुक्त रूप में मा0 मंत्री कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसस्करण,कृषि शिक्षा, रेशम विभाग को प्रेषित अपने प्रार्थना मे यह निवेदन किया गया है '' कि लगभग 2011 से सिटी बस मार्ग देहरादून से जौली ग्रान्ट मार्ग का अस्थाई परमिट जारी हुये है, जिस पर आज तक वाहन संचालित है, स्थाई कराने की कृपा करें, संचालित वाहनों की पंजीयन संख्या यू0के0–07पीए–0479, यू0के0–07पीए–3475 है। इस सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार हैः–

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.2010 में सामान्य श्रेणी के सभी स्वीकृत परमिट धारको द्वारा अपने परमिट प्राप्त कर लिये गये थे, तथा आरक्षित श्रेणी के 06 परमिटो के सम्बन्ध मे प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

आरक्षित वर्ग के निम्नलिखित 06 आवेदकों को एक–एक परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिए सामान्य शर्तों, नगर बस के लिए निर्धारित शर्तों तथा इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे परमिट का हस्तान्तरण केवल आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को ही हस्तान्तरित कर सकेंगे। क्रमांक 1, 2 व 3 पर उल्लिखित आवेदकों को परिशिष्ट में उल्लिखित वाहन पर ही परमिट जारी किया जाएगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्य 03 आवेदकों को नई वाहन पर स्वीकृत परमिट जारी किया जाएगा।

| क्र0 सं0 | परिशिष्ट का क्रमांक | आवेदक का नाम व पता | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 | कु0 नीशा पुत्री श्री पदम सिह निवासी–माजरा माफी आईआईपी, | यूके07–पीए–0266 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | देहरादून | |
| 2 | 13 | श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मदन लाल निवासी–198, चुक्खुवाला, देहरादून। | यूके07–पीए–0278 |
| 3 | 34 | श्री दिनेश सिंह , पुत्र श्री आशारामनिवासी–132 अम्बेडकर मार्ग, डी0एल0 रोड, देहरादून। | यूके07–पीए–0447 |
| 4 | नया प्रार्थनापत्र क्र0–29 | श्रीमती बबीता देवी पत्नी श्री राकेश सोनकर 196, चुक्खुवाला देहरादून। | |
| 5 | नया प्रार्थनापत्र क्र0–37 | श्रीमती चम्पा देवी पत्नी स्व0 श्री बिषन सिंह1/177, चुक्खुवाला देहरादून। | |
| 6 | नया प्रार्थनापत्र क्र0–40 | श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री छोटे लाल कन्नौजिया, एच–154, नेहरु कालोनी, देहरादून। | |

उपरोक्त मे क्रम स0 1,2,3,4 द्वारा परमिट प्राप्त किये गये थे, लेकिन प्राधिकरण की नई वाहन पर परमिट जारी किये जाने के शर्त के अनुसार क्रम स0–5 एव क्रम स0–6 के आवेदको ने स्थाई परमिट प्राप्त नही किया गया है।

(क) क्र0स0–5 के श्रीमती चम्पा देवी की मृत्यू हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री हुकुम चन्द्र को नई वाहन पर परमिट स्वीकृत किया गया था, लेकिन श्री हुकुम चन्द के द्वारा पुरानी वाहन पर परमिट प्राप्त करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय मे एक वाद दायर किया गया था, जिस पर पारित आदेशो के अनुपालन में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के संकल्प स0–6 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है–

" इस मद के अन्तर्गत श्री हुकुम चन्द्र के मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका स0 1955/2016 में पारित आदेश दिनांक 15.7.2016 के अनुपालन में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.8.2016 को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। श्री हुकुम चन्द्र प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, और उनके द्वारा यह प्रार्थना की गई कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नई वाहन की व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन हो रहा है, इसलिये उनकी वर्तमान बस स0 यू0के0–07पीए–0479 मॉडल, 2009 पर स्थाई परमिट जारी किया जाये । उनके द्वारा बैठक में अपने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये यह भी कहा गया कि प्राधिकरण द्वारा पुरानी वाहन स0 यू0के0–07पीए–1311 एवं

यू0के0–07पीए– 1306 पर नया स्थाई परमिट जारी किये गये है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा परीक्षण करने पर यह मामला संज्ञान मे आया है, कि उपरोक्त वाहनो के स्वामियो को सम्बन्धित मार्गो के अस्थाई परमिट नई वाहन पर जारी किये गये थे, जिन्हे बाद मे स्थायी किया गया है।

प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.7.2016 का अवलोकन किया सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.2013 में प्राधिकरण की नीति के अनुसार नये वाहन के साथ उक्त प्रार्थी को छः माह का समय प्रदान करते हुये देहरादून–डोईवाला एवं सम्बन्धित मार्ग का परमिट स्वीकृत किया गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा परमिट प्राप्त नही किया गया है। प्रार्थी को पूर्व में परमिट प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अतः उनके प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। मार्ग पर रिक्ति उपलब्ध होने पर यदि उनके द्वारा अस्थाई परमिट के लिये आवेदन किया जाता है, तो उनकी उपरोक्त वाहन को अस्थाई परमिट जारी जारी किये जाने हेतु सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को अधिकृत किया।''प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशो के अनुपालन में श्री हुकुम चन्द को अस्थाई परमिट जारी किया जा रहा है ।

**(ख)** श्री हरबंश लाल के देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद स0 –5 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण ने निम्न आदेश पारित किये गये है–

''इस मद के अन्तर्गत श्री हंरवश लाल पुत्र श्री कालूराम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका स0 1382/16 मे पारित आदेशो के अनुपालन में याचिकाकर्ता द्वारा देहरादून–डोईवाला–जौलीग्रान्ट मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया किया गया ।

देहरादून–डोईवाला एंव सम्बन्धित मार्ग के परमिट धारको की ओर से श्री भूषण त्यागी एवं श्री जे0पी0 कम्पानी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये । उनके द्वारा इस मार्ग पर स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त की गई। आवेदक को पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत वाहन स0 यू0ए0–11–690 पर अस्थाई परमिट स्वीकृत किया जाता रहा है । प्राधिकरण की नीति अनुसार नगर बस मार्गो पर नई वाहन पर ही नया परमिट जारी किया जा सकता है ।

अतः आवेदक द्वारा वाहन स0 यू0ए0–11–690 हेतु प्रस्तुत स्थाई सवारी गाडी परमिट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। यदि आवेदक द्वारा नई वाहन पर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, तो उसे आगामी प्राधिकरण की बैठक

मे अन्य आवेदको के साथ विचार किया जायेगा। वर्तमान मे रिक्ति के सापेक्ष यदि आवेदक वाहन स0 यू0ए0–11–690 हेतु पर पुनः अस्थाई परमिट हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसका निस्तारण सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को आगामी बैठक तक करने हेतु अधिकृत किया जाता है । ''

प्राधिकरण के उक्त आदेशो के अनुपालन मे श्री हरंवश लाल की वाहन को अस्थाई परमिट जारी किया जा रहा है।

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशो के अनुपालन मे श्री हरवंश लाल को सचिव् प्राधिकरण द्वारा उनके वाहन सं0 यू0ए0–11–690 पर अस्थाई परमिट जारी किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, कि देहरादून–डोईवाला मार्ग पर वर्तमान में आवेदको के निम्न प्रार्थना पत्र प्राप्त है–

| क्र० सं० | कोर्टफीस क्रमांक | प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि | प्रार्थी का नाम व पता | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **128** | **02.09.11** | श्री कमल कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, ओखला सुन्दरवाला, रायपुर, देहरादून। | **अनु0 जाति0** |
| 2. | **28** | **20.10.12** | श्री मौ0 साजिद पत्र कबूल हसन, नजदीक मस्जिद माजरा, देहरादून। | यू0के 07पीए–0405 |
| 3. | **94** | **17.11.12** | श्री विजय उनियाल पुत्र श्री नन्द लाल उनियाल, गुजराड़ा,सहस्त्रधारा, देहरादून। | यूके 07पीए– 0260 |
| 4. | **95** | **17.11.12** | श्रीमती आशा उनियाल पत्नी श्री रोहित उनियाल, गुजराड़ा,सहस्त्रधारा, देहरादून। | यूके 07पीए– 0633 |
| 5. | **96** | **17.11.12** | श्रीमती मिथलेश रानी पत्नी श्री भूषण कुमार, 73 गॉधी रोड़, देहरादून। | यूके 07पीए– 0631 |
| 6. | **97** | **17.11.12** | श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द, 73 गॉधी रोड़, देहरादून। | यूके 07पीए– 0632 |
| 7. | **114** | **24.12.12** | यूटीसी, जेएनयूआरएम, हरिद्वार | यूके 08 पीए–0263 |
| 8. | **115** | **24.12.12** | यूटीसी, जेएनयूआरएम, हरिद्वार | यूके 08 पीए–0264 |
| 9. | **116** | **24.12.12** | यूटीसी, जेएनयूआरएम, हरिद्वार | यूके 08 पीए–0265 |
| 10. | **117** | **24.12.12** | यूटीसी, जेएनयूआरएम, हरिद्वार | यूके 08 पीए–0266 |
| 11. | **118** | **24.12.12** | यूटीसी, जेएनयूआरएम, हरिद्वार | यूके 08 पीए–0267 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | **119** | **24.12.12** | यूटीसी, जेएनयूआरएम, हरिद्वार | यूके 08 पीए–0268 |
| 13. | **120** | **24.12.12** | यूटीसी, जेएनयूआरएम, हरिद्वार | यूके 08 पीए–0269 |
| 14. | **121** | **24.12.12** | यूटीसी, जेएनयूआरएम, हरिद्वार | यूके 08 पीए–0270 |
| 15. | **122** | **24.12.12** | यूटीसी, जेएनयूआरएम, हरिद्वार | यूके 08 पीए–0271 |
| 16. | **123** | **24.12.12** | यूटीसी, जेएनयूआरएम, हरिद्वार | यूके 08 पीए–0272 |
| 17. | **15** | **19.07.13** | श्रीमती अंजना सैनी पत्नी श्री मनोज सैनी, 54/50 सुभाषनगर, देहरादून। | |
| 18. | **13053** | **03.8.16** | श्री अजय सोनकर पुत्र श्री सोहन लाल सोनकर, 4/1 ड़गवाल मार्ग देहरादून। | **अनु0 जाति0** |
| 19. | **993411** | **16.02.18** | श्री हरवशं लाल पुत्र श्री काल्लू राम, गॉव– बद्रीपुर, तिलवाड़ी, देहरादून। | यूके07पीए 3475<br>**अनु0 जाति0** |
| 20. | **992148** | **16.02.18** | श्री हुक्म चन्द 1/177 चुक्खूवाला देहरादून। | यूके 07पीए 0479<br>**अनु0 जाति0** |

उपरोक्त प्रार्थना पत्रो मे क्र0स0–19 एवं 20 के आवेदको को अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत अस्थाई परमिट जारी किये गये है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.16 के संकल्प सं0 8 द्वारा स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई है। नीति के बिन्दु सं0 9 मे उल्लेख है कि देहरादून नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले मार्गों के परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेंगे।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0 – 10** **याचिका स0 1854/15 में पारित मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का अवलोकन तथा आदेशो के अनुपालन के सम्बन्ध में विचार एवं आदेश** :–

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 के मद सं0 44 में मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अन्य के साथ निम्न परमिट धारक का मामला प्राधिकरण की बैठक मे प्रस्तुत किया गया था ।

1– श्री रोहिताश सैनी –वाहन स0 यू0के0–07टीए– 3642 परमिट स0 टैम्पो– 4051

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, ने विचारोपरान्त अन्य के साथ परमिट स0 टैम्पो–4051 को निलम्बित् किया था। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के इन आदेशों के विरूद्ध परमिट धारकों के द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील दायर की गई थी। जो मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा निरस्त कर दी गई थी।

मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध उपरोक्त परमिट धारक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका सं0 1854/15 दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय ने अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका निस्तारण अपने आदेश दिनांक 17.06.2015, 15.9.2015 तथा 30.10.2015 द्वारा कर दिया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का मुख्य अंश निम्नवत हैः–

" However, facts remain that in the present case no prior opportunity to furnish explanation was granted to the petitioners before suspending their respective permits. Therefore, impugned orders do not sustain in the eyes of law. Consequently, writ petitions are allowed. Impugned order suspending the respective permits are hereby quashed. However, Transport Authority, if so advised, shall be at liberty to pass fresh suspension order, after calling the exptation from the petitioners as required under section 86 of the Motor Vehicle Act, 1988."

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सभी याचिका कर्ताओं को परमिट वापस दे दिये गये हैं।

उपरोक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 मे विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, प्राधिकरण के समक्ष बैठक में जो परमिट धारक उपस्थित हुये, उनको सुनने के पश्चात निर्णय लिया कि इनके विरूद्व धारा–86 की कार्यवाही की आश्यकता नही है। प्राधिकरण ने निर्णय लिया था, कि शेष परमिट धारको से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विचार व आदेश प्रस्तुत किया जाये । अन्य परमिट धारको के स्पष्टीकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 मे प्रस्तुत किये गये थे, लेकिन परमिट स0 टेम्पो–4051 का स्पष्टीकरण बैठक मे प्रस्तुत नही किया गया था। जिन परमिट धारको के स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये थे, उन पर प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था, ***कि परमिट धारको द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट है, तथा इनके परमिटो के विरूद्व धारा –86 की कार्यवाही की आवश्यकता नही है।***

परमिट स0 टेम्पो–4051 के धारक श्री रोहिताश सैनी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, कि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जुर्माना देने मे असमर्थ है। अतः महोदय से प्रार्थना है, कि प्रार्थी को क्षमा किया जाए।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद स0–11 श्री छोटेलाल द्वारा दायर अपील स0 8/2016 में मा0 अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.6.2017 के सम्बन्ध में विचार व आदेश –**

श्री छोटेलाल पुत्र श्री रामलाल 26/2 भण्डारी बाग, देहरादून की वाहन स0 यू0एम0एस0–8359 के लिये देहरादून केन्द्र से 16 कि0मी0 अर्ध्यव्यास क्षेत्र के लिये ऑटो रिक्शा परमिट स0 2765 दिनांक 02.07.1993 से 01.7.1998 तक जारी किया गया था। मोटरगाडी अधिनियम, 1988 की धारा–81 में दिये गये प्राविधानो के अनुसार परमिट के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र परमिट समाप्त होने से 15 दिन पहले दिया जाना था, परन्तु उनके द्वारा परमिट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 20.6.2003 को दिया गया था । इस प्रार्थना पत्र को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03.11.2003 में प्रस्तुत किया गया था, प्राधिकरण ने आदेश पारित किये थे, कि परमिट धारक से कुछ सूचनाओं प्राप्त की जाये। परन्तु परमिट धारक द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई थी। इसके पश्चात उन्होने दिनांक 01.02.2005 को परमिट नवीनीकरण हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । इस प्रार्थना पत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.5.2006 में अन्य के साथ मद स0 –24 के अन्तर्गत आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था । प्राधिकरण ने मामले पर विचार उपरांत निर्णय लिया था, कि दिनांक 31.12.1999 तक समाप्त हो गये परमिटो के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को अस्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त परमिट के नवीनीकरण के सम्बन्ध में पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 30.6.2006 एवं दिनांक 16.10.2009 को प्राप्त हुये थे, इन प्रार्थना पत्रो को प्राधिकरण की बैठक क्रमशः दिनांक 27.12.2008 तथा दिनांक 12.11.2009 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया था, कि यह परमिट दिनांक 01.7.1998 को समाप्त हो गया था। इतने दिनों के पश्चात परमिट नवीनीकरण करने का कोई औचित्य नही है।

परमिट धारक श्री छोटे लाल का ऑटो रिक्शा परमिट नवीनीकरण करने विषयक् एक पत्र आयुक्त गढवाल मण्डल के कार्यालय से दिनांक 20.9.2015 को तथा मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के कार्यालय से दिनांक 30.9.2015 को प्राप्त हुये थे, इन पत्रो के उत्तर में श्री छोटेलाल को

कार्यालय के पत्र दिनांक 11.9.2015 तथा 09.10.2015 द्वारा परमिट नवीनीकरण के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशो के सम्बन्ध में सूचित किया गया था। श्री छोटे लाल ने प्राधिकरण के आदेशो के विरूद्व मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील स0 8/2016 दायर की गई थी । इस अपील का निस्तारण मा0 न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 28.6.2017 द्वारा किया गया है। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशो का मुख्य अंश निम्न प्रकार हैः–

Appellant Chotey Lal Appeal 08/2016 is allowed and the impungned order of the Respondent dated 02-11-2003 along with consequential order following it, dated 15-5-2006, 27-12-2008 and 12-11-2009 are hereby set aside.

Matter is remamded back to the Respondent Regional Transport Authority Dehradun, with directions to give proper and factual oppprtunity of being heard, to the Appellant-regarding his auto permit.

It is evedent that by now Appellants old auto-rickshaw would not be in a condition to run, It is further directed that the Appellant may still be heard **afresh** regarding the permit as per law.

The Appellant has been fighting for the renewal of his Auto permit for quite a long time, without having been heard by the Respondent, the matter therefore shall be decided within 4(four) weeks from the date of the judgment.

मा0 न्यायाधिकरण ने उपरोक्त मामले का निस्तारण 04 सप्ताह के अन्दर करने के आदेश पारित किये है ।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प सं0 9 एवं 12 में परमिट के नवीनीकरण के सम्बन्ध में निम्न निति निर्धारित की गई थी :–

*नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 15 दिन तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। 15 दिन से अधिक से छः माह तकके विलम्ब के लिये 12+1 सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये रू0 500 एंव 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनोंके लिये रू0 1000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये 12+1सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये रू0 1000 एंव 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनों लिये रू0 2000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। एक वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।*

इसके उपरांत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 एवं 17.3.2016 में एक वर्ष से अधिक विलम्ब से प्राप्त प्रार्थना पत्रो को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा यह आदेश पारित किये गये थे–

*प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि जिन परमिटों की वैधता/ प्रतिस्थापन दिनांक 30.11.2016 तक समाप्त हुये 05 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है, यदि उनके नवीनीकरण/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्राप्त होते है, तो उन प्रार्थना पत्रो का निस्तारण सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से परीक्षण/औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात निर्धारित प्रशमन शुल्क रू0 7500/ जमा करने पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि 31.5.2017 तक किया जायेगा।*

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0 –12 देहरादून –रायपुर– मालदेवता तथा सम्बन्धित मार्ग पर चालक को छोडकर 06 से अधिक सवारी ढोने वाली चार पहिया वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने पर विचार व आदेश ।**

देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग नगर बस सेवा मार्ग के रूप में सृजित है। इस मार्ग पर पूर्व में 14 स्थायी सवारी गाडी परमिट निर्गत किय गये थे। परन्तु परमिट धारको के द्वारा अपनी वाहनो का प्रतिस्थापन ले लिया गया था, तथा परमिट कार्यालय में सम्पर्ण कर दिये गये थे । मार्ग पर संचालित बसो की संख्या कम होने के कारण क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा नही मिल पा रही थी। मार्ग पर अवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उदेृश्य से मार्ग पर 08 सीटर चार पहिया हल्की 11 वाहनो को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये है। इनके अतिरिक्त माार्ग पर 03 बडी बसो का संचालन हो रहा है।

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 5749/एसटीए/दस–32/2017 दिनांक 19.09.2017 द्वारा अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 11.09.2017 तथा अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 01.09.2017 के साथ सुश्री बीना बहुगुणा, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, रायपुर का पत्र दिनांक 27.08.2017 तथा मा0 विधायक, रायपुर विधान सभा क्षेत्र का पत्र दिनांक 26.08.2017 प्राप्त हुआ है। इन पत्रों के द्वारा निवेदन किया गया है कि राजकीय महाविद्यालय रायपुर, देहरादून में अध्यनरत छात्र– छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण असुविधा का सामना करना पड रहा है। निवेदन किया है कि महाविद्यालय अध्यनरत छात्र– छात्राओं के लिये आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मार्ग पर संचालित वाहनों की यूनियन ने अपने पत्र दिनांक 28.07.2017 के द्वारा मार्ग पर 05 अतिरिक्त टाटा मैजिक के परमिट जारी करने का निवेदन किया है।

कार्यालय के पत्र सं0 4064/आरटीए/दस–307/2017 दिनांक 22.09.2017 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग पर उपलब्ध परिवहन सुविधा के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने अपने पत्र सं0 1739/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2018 दिनांक 17.02.2018 के द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध करायी गई है। जो निम्नवत हैः–

1. देहरादून –रायपुर– मालदेवता एंव सम्बन्धित मार्ग पर संचालित वाहनें बालावाला–गुलरघाटी– सहस्त्रधारा रोड तपोवन मार्ग पर संचालित हो रही हैं।
2. वर्तमान में इस क्षेत्र में कई आवासीय कॉलोनियॉ बन गई हैं जहॉ पर बस सेवा संचालित नहीं हो पा रही है। जिससे स्थानीय जनता को देहरादून नगर तक आने में पूर्ण परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है
3. प्रश्नगत मार्ग पर संचालित वाहनों की यूनियन द्वारा भी यह अनुरोध किया गया है कि मार्ग पर वाहनों की संख्या कम होने के कारण वे पूर्ण मार्ग पर अपनी सेवायें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

   अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत् मार्ग पर 10 चार पहिया 07/08 सीटर वाहनों को परमिट दिये जाने की संस्तुति की जाती है। उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु निम्नलिखित 05 प्रार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैः–

   1. श्री उमा नरेश तिवारी पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी निवासी 104ए डी0एल0 रोड, देहरादून।
   2. श्री छोटेलाल पुत्र श्री बिल्लू सोनकर, 81 चुक्खूवाला, देहरादून।
   3. श्री विपिन कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, 31/32 कांवली रोड, बल्लीवाला, देहरादून।
   4. श्रीमती रश्मि मनोडी पत्नी श्री गिरिश चन्द मनोडी, गढ निवास, मोहक्कमपुर खुर्द, देहरादून– वाहन सं0 यूके07टीए 3235
   5. श्रीमती सुलोचना देवी पत्नी भरत सिंह, बालावाला, देहरादून।

   अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0 –13 देहरादून –रायपुर –थानो मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो पर विचार व आदेश ।**

देहरादून–रायपुर–थानो बस मार्ग की लम्बाई 22 कि0मी0 है। वर्तमान मे मार्ग पर मात्र 05 वाहनो का संचालन हो रहा है। इस मार्ग पर नगर बस सेवा चलाने अथवा विक्रम टैम्पो चलाने के सम्बन्ध में क्षेत्र के ग्राम प्रधानो से प्राप्त प्रतिवेदन को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.05.2015 में मद स0–15 द्वारा विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, प्राधिकरण ने मामले पर विचारापरान्त निम्न आदेश पारित किये थेः–

प्रश्नगत मार्ग पर न्यूनतम परमिट/सेवाओं की आवश्यकता/वाहनों की उपयुक्तता/उपलब्ध अन्य परिवहन सुविधाओ/मार्ग की दशा आदि तथ्यों का सर्वेक्षण कर तदोपरान्त परमिट स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय। आख्या एक पक्ष में प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशो के अनुपालन मे परिवहन कर अधिकारी (प्रथम), ऋषिकेशं ने अपने पत्र सख्यां 1200/सामा0प्रशा0/मार्ग सर्वे/16, दिनांक 03.10.2016 द्वारा देहरादून–रायपुर मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रेषित की है। उन्होने सूचित किया है कि परेड ग्राउण्ड से थानों चौक तक मार्ग की लम्बाई 22.800 कि0मी0 है। मार्ग पर 5 बसों का सचांलन हो रहा है। तथा देहरादून से थानों तक 07 सेवांए तथा थानों से देहरादून के लिये 08 सेवांए सचांलित हो रही है। देहरादून से रायपुर तक पर्याप्त सख्यां में विक्रम एंव सिटी बस सचांलित है। किन्तु रायपुर से आगे मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन की सेवा टी0जी0एम0ओ0यू0 द्वारा सचांलित विश्वनाथ सेवा एंव मार्ग पर सचांलित 05 बसें ही है। विश्वनाथ सेवा द्वारा अधिकाशं लम्बी दूरी की सवारियां ही ले जायी जाती है। स्थानीय सवारियों को मार्ग की 05 बसों द्वारा ही परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होनें अपने पत्र में यह भी कहा है देहरादून राजधानी बनने के पश्चात उक्त क्षेत्र में कतिपय सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान स्थापित हुए है तथा क्षेत्र में विस्थापन से जनसख्यां में वृद्वि हुई है। स्थानीय नागरिको को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में विस्तार हेतु 02 और बसों को परमिट प्रदान किये जा सकते है जिससे कि वर्तमान में सचांलित वाहनों को भी आर्थिक नुकसान नही होगा तथा स्थानीय निवासियों को भी परिवहन हेतु पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

अध्यक्ष रायपुर–प्रेमनगर नगर बस सेवा ने मार्ग पर परमिट जारी करने के लिये आपत्ति की गई है। उन्होने अपनी आपत्ति मे कहा है, कि परेड ग्राउन्ड से रायपुर तक प्रेमनगर–रायपुर मार्ग, गुलरघाटी मार्ग नालापानी–सीमाद्वार मार्ग की बसो का संचालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त विक्रम एवं टाटा मैजिक वाहन मार्ग पर संचालित हो रहे है। उन्होने निवेदन किया है, कि रायपुर–थानो मार्ग पर बड़ी बसो के स्थान पर छोटे वाहनो को परमिट दिये जाये।

उक्त मामले को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद स0 –11 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

*''प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण क्षेत्र मे पड़ता है, इस मार्ग पर 05 वर्ष तक पुराने वाहनो के परमिट जारी किये जायगे। इस मार्ग पर परमिट हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र परिशिष्टि –'ख' मे वर्णित है। इन प्रार्थियो में से जो प्रार्थी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत आते है, उनमें से सवसे उपयुक्त पाये गये 02 प्रार्थियो को स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये जायेगे। सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा आवेदन किये गये आवेदको से जिनका विवरण परिशिष्ट–'ख' एवं परिशिष्ट–'ढ' में दिया गया है, उनसे निर्धारित शर्तो के सम्बन्ध मे शपथ पत्र माँगे जाय कि वे शर्तों के अन्तर्गत आते है, और परमिट लेने के इच्छुक है। सहमति पत्र प्राप्त होने पर आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जाय। ''*

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशो के अनुपालन मे किसी भी आवेदक के द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

श्रीमती श्वेता सिंघल पत्नी श्री अतुल सिंघल के द्वारा वाहन सं0 यूके07पीए– 0464 के लिये उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद स0–14 सेट न0–5 विकासनगर केन्द्र को समाप्त कर एक ही केन्द्र देहरादून निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

परिवहन कर अधिकारी–प्रथम, विकासनगर ने अपने पत्र स0 452/प्रर्वतन/2017 दिनांक 04.10.2017 के द्वारा सूचित किया है, कि ''सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी विकासनगर की अध्यक्षता में दिनांक 13.9.2017को कार्यालय परिसर मे सेट न0–5 विकासनगर केन्द्र एवं सेट न0–5 देहरादून केन्द्र के पदाधिकारियो के साथ बसों के संचालन के सम्बन्ध में एक बैठक आहूत की गई थी । बैठक मे यह सहमति बनी की विकासनगर केन्द्र एंव देहरादून केन्द्र के यूनियन के पदाधिकारी आपसी सहमति से दोनो केन्द्र के वाहन स्वमियों द्वारा मौखिक रूप में सूचित किया गया कि अभी सेट न0–5 देहरादून और सेट न0–5 विकासनगर केन्द्र के बीच संयुक्त रोटेशन नही बना है, तथा सेट न0–5 विकासनगर की बसें संचालित नही हो रही है। इस सबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह संस्तुति की जाती है, कि सेट न0–5 विकासनगर और सेट न0–5 देहरादून केन्द्र का आमेलन कर एक केन्द्र देहरादून बनाया जाये, इस सम्बन्ध मे यह भी सूचित करना है, कि दोनेा केन्द्रो के परमिट में उल्लेखित मार्ग एकसमान है।''

जौनसार बाबर जनजाति रंवाई जौनपुर, पिछड़ा क्षेत्र सेट न0–5 बस एसोसियशन विकासनगर ने अपने पत्र दिनांक 07.10.2017 के द्वारा सूचित किया है, कि ''विकासनगर केन्द्र तथा देहरादून केन्द्र के परमिट एक ही मार्गो के लिये जारी है, लेकिन पूर्व मे अपनी व्यवस्था अनुसार विकासनगर केन्द्र की वाहने विकासनगर–त्यूणी वाया मीनस संचालित की जा रही थी, जहॉ पर अब वाहनो का संचालन बन्द कर दिया गया है,

जिससे बस मालिको के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। अतः आपसे प्रार्थना है, कि विकासनगर केन्द्र की वाहनो को देहरादून केन्द्र के साथ सम्मलित करते हुय एक ही समय–सारणी निर्धारित करने की कृपा करें ।''

इस सम्बन्ध मे आख्या निम्नवत हैः–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03,4,5,6–2–1986 के संकल्प स0–37 मे पर्वतीय मार्गो के सेटो का निम्नवत् गठन किया गया था –

1– मार्ग सूची – एक ऋषिकेश केन्द्र ।
2– मार्ग सूची – दो टिहरी केन्द्र ।
3– मार्ग सूची – तीन घनसाली केन्द्र ।
4– मार्ग सूची – चार उत्तरकाशी केन्द्र ।
5– मार्ग सूची– पॉच विकास नगर केन्द्र ।

मार्ग सूची–5 में निम्न मार्ग, परमिटो की संख्या एवं कि0मी0 निर्धारित थे–

| क0स0 | मार्ग सूची के मार्गो के नाम | मार्ग की दूरी कि0मी0 | परमिटो की निर्धारित संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | देहरादून–विकासनगर–चकराता–त्यूणी | 170 | 60 |
| 2 | विकासनगर–चकराता–त्यूणी–आराकोट–चीवा | 151 | |
| 3 | विकासनगर–त्यूणी–अटाल | 145 | |
| 4 | विकासनगर–चकराता–लाखामण्डल | 140 | |
| 5 | कुल्हाल–साहिया–पैन्डुलानी | 71 | |
| 6 | प्रेमनगर–विकासनगर–कालसी–नागघाट–चकराता–त्यूणी | 174 | |
| 7 | विकासनगर–कोटी–इच्छाड़ी–मीनस | 60 | |
| 8 | प्रेमनगर–विकासनगर–यमुनाब्रिज–अलगाड़–चन्दोगी | 84 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | प्रेमनगर–हनुमानचट्टी वाया कालसी–बड़कोट | 172 | |
| 10 | विकासनगर–यमुनाब्रिज–नौगांव–पुरोला–मोरी–नटवाड़–सांकरीसौड | 181 | |
| 11 | विकासनगर–यमुनाब्रिज–मंसूरी | 67 | |
| 12 | विकासननगर–बड़कोट–उत्तरकाशी | 199 | |

**नोट–** 1– इस सेट में जो एकल मार्ग देहरादून अथवा प्रेमनगर से चल रहे है, वे पूर्वत चलते रहेगे। इस सेट के परमिट होल्डर यदि इस सेट मे दिये गये अन्य पहाड़ी मार्गो का प्ष्ठांकन अपने परमिटो मे करना चाहते हों, तो कर दिया जाय ।

2– इस सेट का संचालन केन्द्र विकासनगर होगा ।

3– इस सेट में सम्मलित किये जाने वाले किसी अन्य मार्ग के परमिट को प्रेमनगर तक नही बढाया जायेगा ।

4– सहारनपुर–चकरौता, सहारनपुर–चकरौता–त्यूणी तथा सहारनपुर–बड़कोट मार्गो को छोड़कर सभी मार्ग इस मार्ग सेट में सम्मलित हो जायेगे। उपरोक्त तीनों मार्ग एकल मार्ग रहेंगे।

**इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिये गये किः–**

1– उपरोक्त मार्ग सूचियां तत्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित की जायें । उत्तरकाशी एवं टिहरी जनपद के सभी एकल मार्ग उक्त सेंटो मे विलीन हो जायेगे।

2– अलग–अलग मार्ग सूचियों की बसो के लिये अलग–2 समय–सारणी इस प्रकार बनाई जायें, कि वह एक दूसरी सूची की मार्ग सूची की बसो से प्रतिस्पर्धा न करने पायें और जनता को लगातार नियमित अवधि पर सेवाये मिलती रहें। इसका अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अलग–अलग मार्ग सूची की बसें अलग–2 रंगो में होगी, ताकि बसों के रंगो से ही ज्ञात हो जाये, कि वह किस मार्ग सूची की है। मार्ग सूची की गाड़ियो पर सामने सेट नम्बर तथा केन्द्र का नाम भी निम्न प्रकार 10 वाई 2 इंच के अक्षरो में प्रदर्शित किया जायेगा।

**इसके उपरांत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15,16,17–5–1986 के संकल्प स0– 19 में निम्न आदेश पारित किये गये है–**

संभाग के पर्वतीय मार्गो के पुर्नगठन के सम्बन्ध में संभागीय प्राधिकरण द्वारा परिचालन विधि से पारित आदेश दिनांक 12.3.86 एवं 30.04.86 की पुष्टि की गई तथा सुवाखोली थत्यूण मार्ग को मार्ग सूची संख्या–एक में सम्मिलित किया जाता है। मार्ग सूची संख्या–पॉच में शर्त संख्या–3 को निरस्त किया जाता है, तथा मार्ग सूची –पॉच की बसो को प्रेमनगर तक चलने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

प्राधिकरण को यह भी बताया गया कि जनपद टिहरी तथा उत्तरकाशी के पर्वतीय क्षेत्रो मे पुराने सेटो को तथा पुराने एकल मार्गो को सेट आफ रूटस में सामायोजन किया जाना है। अतः जिन मार्गो पर बसें चल रही है,उन मार्गो को निम्न प्रकार समायोजित किया जाता है, तथा प्रत्येक सेट आफ रूट्स का बर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। जिन मार्गो का बर्गीकरण किया गया है, परन्तु कोई वाहन नहीं चल रही है, उन मार्गो का वर्गीकरण समाप्त समझा जायेगा।

| मार्ग सूची न0 | परमिटों की निर्धारित संख्या | समायोजित किये गये मार्ग सूची/मार्ग | समायोजित वैध परमिटों की संख्या | वर्गीकरण का वर्ग |
|---|---|---|---|---|
| मार्ग सूची न0–5 | 60 | 1–देहरादून–चकराता ।<br>2– विकासनगर–हरीपुर–कोटी–इच्छॉडी<br>3– प्रेमनगर–चन्दोगी ।<br>4– कुल्हाल–साहिया–फैण्डुलानी ।<br>5– विकासनगर–साहिया–फैण्डुलानी ।<br>6–प्रेमनगर–नांगथाट–चकाराता–त्यूणी ।<br>7–प्रेमनगर–विकासनगर–हनुमानचट्टी<br>8–विकासनगर–लाखामण्डल ।<br>9–विकासनगर–फण्डुलानी । | 41 | स्पेशल |

प्राधिकरण द्वारा समय–2 पर मार्ग सूची–5 में अन्य मार्गो को भी सम्मलित किया गया है, तथा वर्तमान में मार्ग सूची–5 के अन्तर्गत निम्न मार्ग निर्धारित है–

**मार्ग सूची संख्या–5 के मार्गो की सूचीः–**

1– देहरादून–विकासनगर–चकराता–त्यूनी ।
2–विकासनगर–चकराता–त्यूनी–आराकोट–चीवा।
3– विकासनगर–त्यूनी–अटाल ।
4–विकासनगर–चकराता–लाखामण्डल ।
5– कुल्हाल–सहिया–पैन्डुलानी ।
6–प्रेमनगर–विकासनगर–कालसी–नागथात–चकराता–त्यूनी।
7– विकासनगर–कोटी–इच्छाडी–मीनस।
8–प्रेमनगर–विकासनगर–यमुनाब्रिज–अलगाड–चन्दोगी।
9– प्रेमनगर–हनुमानचट्टीवाया कालसी–बडकोट।
10–विकासनगर–यमुनाब्रिज–नौगांव–पुरोला–मोरी–नै्टवाड–सांकरी सौड।
11– विकासनगर–यमुनाब्रिज–मंसूरी ।
12–विकासनगर–बडकोट–उत्तरकाषी ।
13– पुरोडी–रावना–डामटा।
14–त्यूनी–कथियान–दारागाड–कैराड।
15– कोटी–रजाणू।
16–अणु–चिल्हाड
17– नौगांव–पुजेली–राजगडी
18– राजस्तर–राजगडी ।
19– कथियान–फनार
20–मुन्सीघाटी–धोईरा।
21– सहिया–उत्पाल्टा।
22–चकराता से मंगरोली मोटर मार्ग 8.00 कि0मी0।

प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में फ्री–पॉलिसी के अन्तर्गत इस मार्ग सूची के परमिट जारी किये जा रहे है। वर्तमान में मार्ग सूची–5 में देहरादून से 33 विकासनगर से 24 परमिट जारी है। वर्तमान में परिवहन निगम द्वारा मार्ग सूची–5 का कोई परमिट प्राप्त नही किया गया है।

विकासनगर–अटाल–त्यूनी वाया क्वानू मीनस मार्ग का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, वर्तमान में मार्ग सूची स0–5 में विकासनगर से कोटी –इच्छाडी –मीनस मार्ग सम्मलित है। विकासनगर केन्द्र से संचालित परमिट धारको के द्वारा मुख्य रूप से अपनी वाहनो का संचालन विकासगन–कोटी–इच्छॉडी–मीनस होते हुये त्यूणी किया जा रहा था, जंबकि इस मार्ग का लगभग 19.05 कि0मी0 का भाग हिमाचल प्रदेश राज्य का है, और हिमाचल प्रदेश के भाग के लिये इनके परमिट वैध नही थे। दिनांक 19.4.2017 को त्यूणी के पास हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में बस दुर्घटना के पश्चात से इस मार्ग पर वाहनो का संचालन बन्द हो गया है । इस कारण से विकासनगर केन्द्र के वाहन संचालको को अपनी वाहनो के संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये उनके द्वारा देहरादून केन्द्र एवं विकासनगर केन्द्र के संयुक्त समय–सारणी निर्धारित करने हेतु प्रार्थना की गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–15 <u>विभिन्न मार्गो पर 7/8 सीटर चार पहिया हल्की वाहनो को स्टेज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश</u> –**

उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 15/ix/50/2016 दिनांक 05.01.2016 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा(3) के खण्ड (ग–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत देहरादून संभाग के निम्नलिखित मार्गो को मंजिली गाड़ी चलाने के लिये शासन द्वारा निर्मित किया गया है–

(1) परेड ग्राउन्ड–सचिवालय चौक –दिलाराम बाजार–ग्रेट वैल्यू होटल–पुलिस कालोनी–आई0टी0पार्क–सहस्त्रधारा रोड–मंसूरी बाईपास–नागल हटनाला मार्ग।

(2) सांई मन्दिर–कैनाल रोड–किशनपुर–साकेत कालोनी–ग्रेटवैल्यू होटल सचिवालय– ई0सी0रोड–आराघर– रिस्पना–केदारपुर–दून विश्वविधालय–मोथरोवाला मार्ग।

(3) प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्रचौक–उमेदपुर–देवीपुर–परवल–सिहनीवाला–शिमला बाईपास मार्ग वाया परवल, महेन्द्रचौक होते हुए प्रेमनगर मार्ग।

(4) प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्र चौक–गुसांई चौक–अम्बीवाला–शुक्लापुर वापस महेन्द्र चौक होते हुये प्रेमनगर मार्ग।

(5) प्रेमनगर–आरकेडिया टी स्टेट–मिठ्ठी बेरी–बनियावाला–गोरखपुर–शिमला बाईपास –आई0एस0बी0टी0 वाया बड़ोवाला–आरकेडिया होते हुये प्रेमनगर मार्ग।

(6) प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग ।

(7) अनारवाला–नया गॉव–हाथीबड़कला–परेड ग्राउण्ड–ई0सी0 रोड–आई0एस0बी0टी0 मार्ग।

इस मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 मे विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने आदेश पारित किये थे, कि इन मार्गो पर चार पहिया हल्की वाहनो को स्टेज कैरिज परमिट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये जाये। इन आदेशो के अनुपालन में कार्यालय में कार्यालय विज्ञप्ति स0 4279/आरटीए/दस–15/दि0 27.9.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये गये थे। प्रत्येक मार्ग पर परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो का विवरण परिशिष्ट **'ग'** (01 से 07) पर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में निम्न तथ्यो से भी अवगत कराना है, किः–

(1) उल्लेखित मार्गो में से क्रम स0–3 के मार्ग प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्रा चौक–अम्बीवाला एवं वापस प्रेमनगर मार्ग पर स्थानीय जनता की मॉग पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न वाहन स्वामियो को छोटी वाहनों के अस्थाई ठेका परमिट जारी किये गये है–

| क्र0सं0 | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन संख्या |
|---|---|---|
| 1 | श्री हर्षवीर सिंह पुत्र स्व0श्री सहदेव सिंह विंग न0–6/17/8 प्रेमनगर, देहरादून | यू0के0–07टीए–7028 |
| 2 | श्री इमरान खान पुत्र श्री सौकत अलीग्राम –परवल, सहसपुर, देहरादून । | यू0के0–07टीए– 6872 |
| 3 | श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री शशि कुमार 40/4 पार्क रोड देहरादून । | यू0के0–07टीए– 6841 |

(2) उल्लेखित मार्गो में से क्रम स0–6 प्रेमनगर –चौकी –धौलास मार्ग पर स्थानीय जनता की मॉग पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न वाहन स्वामियो को अस्थाई ठेका परमिट जारी किये गये थे–

| क्र0सं0 | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन संख्या |
|---|---|---|
| 1 | श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0श्री डी0एस0 राना ग्राम व पो0– सोड़ा सरोली, देहरादून | यू0के0–07टीए–6257 |
| 2 | श्री सुनील कुमार पुत्र श्री राम सिंह नेगी ग्राम–तिलवाडी, सहसपुर, देहरादून । | यू0के0–07टीए–6764 |
| 3 | श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री एस0एल0 चौहान 92 विजयपार्क, देहरादून । | यू0के0–07टीए–6768 |
| 4 | श्री दिनेश सिह नेगी पुत्र श्री भीम सिंह नेगी ग्राम–सुद्दोवाला, झाझरा, देहरादून । | यू0के0–07टीए–6766 |

इन वाहन स्वामियों के द्वारा उपरोक्त मार्गो पर सवारी गाडी स्थायी परमिट पूर्व में संचालित वाहनो पर जारी किये जाने हेतु अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है।

इस सम्बन्ध मे निम्न आपत्तियां प्राप्त हुयी हैः–

1– विक्रम जनकल्याण सेवा समिति (रजि0) ने अपने पत्र स0 26.9.2016 के माध्यम से सूचित किया है, कि देहरादून शहर मे यातायात की समस्या बडी विकराल है, देहरादून शहर की सड़के यातायात के लिये अधिक वाहनों का भार वहन करने मे सक्षम नही है। देहरादून शहर में 794 विक्रम वाहन व इसके अतिरिक्त टाटा मैजिक, थ्री–व्हीलर, सिटी बसें इत्यादि पहले से ही अधिक मात्रा में संचालित हो रही है । शहर

को आये दिन जाम की स्थिति से जूझना पड़ता हे । जैसा की समाचारपत्र के माध्यम से ज्ञात हुया है, कि दि0 05.10.2016 को प्राधिकरण की बैठक में शहरी क्षेत्र मे 7/8 सीटर सवारी वाहन के परमिट खोले जा रहे है, जबकि उन मार्गो पर पहले से ही यातायात के लिये 7/8 सीटर वाहन विक्रम टेम्पो/मैजिक/ऑटो रिक्शा, सिटी बस आदि संचालित है, जो जनहित मे कार्य कर रहे है।

महोदय् विक्रम जन कल्याण सेवा समिती अपने सभी 794 विक्रम वाहनों को इन्ही मार्गो पर स्थायी (स्टेज कैरिज) की मॉग लगातार वर्ष 2010 से कर रही है, जिसकी कार्यवाही शासन–प्रशासन द्वारा अन्तिम चरण पर है । इसलिये समिति आप सभी से आग्रह करती है, कि पहले विक्रम वाहनो को इन मार्गो पर सुव्यवस्थित किया जाये।

विक्रम जन कल्याण सेवा समिति देहरादून शहर क्षेत्र में सवारी वाहनों के परमिट खोले जाने का घोर विरोध करते हुये आन्दोलन करने के लिये बाध्य होगी, जिसके लिये शासन–प्रशासन स्वंय जिम्मेदार होगा।

2– वरि0पुलिस अधीक्षक, देहरादून ने अपने पत्र स0 एसटी–एसएसपी–6/2016 दि0 06.10.2016 द्वारा सूचित किया है कि वर्तमान समय मे देहरादून शहर में 794 विक्रम वाहन व इसके अतिरिक्त टाटा मैजिक, थ्रीव्हीहलर, सिटी बसें इत्यादि पहले से ही अधिक संख्या में संचालित होने से शहर मे आये दिन जाम की स्थिति से जूझना पड़ता है।

उल्लेखनीय है, कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा 07–08 सीटर सवारी वाहनों के परमिट यदि खोले/दिये जाते है, तो निश्चित ही देहरादून शहर के अन्दर वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर बृद्वि होना स्वाभाविक है। इस स्थिति में वर्तमान के सापेक्ष वाहनो को मैनेज करना भविष्य के लिये अत्यन्त जटिल समस्या उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है। यातायात व्यवसाय के साथ जनहित के दृष्टिगत 7–8 सीटर वाहनो को शहर के अन्दर अवागमन की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुरोध है, कि कृपया उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत 7–8 सीटर सवारी वाहनों को शहर के अन्दर अवागमन की अनुमति न दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

उपरोक्त मार्गो पर परमिट जारी न करने के सम्बन्ध में श्री विजयवर्धन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका स0 2736/2016 दायर की गई है, जिसमें विभाग द्वारा प्रति–शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उक्त मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद स0–12 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

**" प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि भी मार्गो के आवेदको से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति के सम्बन्ध मे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाय, कि वे नीति के अनुसार परमिट पाने के पात्र है। सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात मामले को विचार व आदेश हेतु आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जाय । "**

इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा विज्ञिप्ति स0 797/आरटीए/दस–15/2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 स्थानीय समाचार पत्रो मे प्रकाशित कर सम्बन्धित आवेदको से अपना इस आशय का शपथपत्र 02 सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था, कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई नीतिके अन्तर्गत आते है। जिन आवेदको के द्वारा अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, उनका विवरण पूर्व प्रार्थना पत्रो के विवरण के साथ परिशिष्टि में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि देहरादून नगर बस सेवा एसोशिऐशन के अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह भण्डारी ने अपने पत्र दिनांक 12.12.18 के द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.02.2018 हेतु जारी विज्ञप्ति में बिन्दु सं0 6 में वर्णित मार्ग (1) परेड ग्राउन्ड– सचिवालय चौक –दिलाराम बाजार–ग्रेट वैल्यू होटल–पुलिस कालोनी–आई0टी0पार्क–सहस्त्रधारा रोड–मंसूरी बाईपास–नागल हटनाला मार्ग एंव (2) सांई मन्दिर–कैनाल रोड–किशनपुर–साकेत कालोनी–ग्रेटवैल्यू होटल सचिवालय– ई0सी0रोड–आराघर–रिस्पना–केदारपुर–दून विश्वविधालय–मोथरोवाला मार्ग पर परमिट जारी करने के आपत्ति ब्यक्त की गई है। उन्होंने अवगत कराया है कि उक्त मार्गों के सामान्तरा विक्रम संचालित हो रहे हैं, इन मार्गों पर 7–8 सीटर के वाहनों को परमिट देना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0 16– प्रेमनगर– नन्दा की चौकी – पौधा– विधौली – डुंगा– भाऊवाला – सुद्वोवाला–प्रेमनगर– सहसपुर–सेलाकुंई–भाउवाला–डूंगा–कोटडा एवं सम्बद्व मार्गो (निम्नलिखित सूची में उल्लेखित) पर नये परमिट जारी करने पर विचार व आदेश।**

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम | मार्ग की लम्बाई |
|---|---|---|
| 1 | प्रेमनगर– नन्दा की चौकी – पौधा– विधौली – डुंगा– भाऊवाला – सुघोवाला–प्रेमनगर– | 30 कि0मी0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | प्रेमनगर–सहसपुर | 18 कि0मी0 |
| 3 | प्रेमनगर–सेलाकुई–भाऊवाला–डुंगा। | 25 कि0मी0 |
| 4 | सहसपुर–कोटडा– | 18 कि0मी0 |
| 5 | सहसपुर–शंकरपुर–कैंचीवाला–रामसावाला–जूनो–भाऊवाला | 12 कि0मी0 |

उपरोक्त मार्ग मे कुछ मार्गो का पृष्ठांकन करने के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र स0 4150/आरटीए/दस–152/ दिनांक 14.9.2016 द्वारा परिवहन कर अधिकारी–प्रथम, विकासनगर, को मार्गो का सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। परिवहन कर अधिकारी'–प्रथम विकासनगर ने उपरोक्त मार्गो का पृष्ठांकन जय मॉ बाला सुन्दरी यातायात सहकारी समिति प्रेमनगर देहरादून के अन्तर्गत संचालित छोटे चार पहिया वाहनों के सवारी गाडी परमिटो पर करने की संस्तुति करते हुये इन मार्गो का प्रष्ठांकन करने के साथ ही मार्ग पर 15 नये परमिट प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि उक्त मार्गो पर वर्तमान में 51 छोटी वाहनो का संचालन उपरोक्त मार्गो पर हो रहा है।

उक्त मार्गों पर नये परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रो का विवरण परिशिष्ट–घ में दिया गया है। इन मार्गो पर परमिट जारी करने के विरूद्व श्रीमती तेजेन्द्र कौर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका स0 1003/13(एमएस) दायर की गई थी, जो वर्तमान मे अनिस्तारित है।

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 17.12..2016 मे उपरोक्त मार्गो में नये मार्गो का पृष्ठांकन निर्धारित शर्त के साथ किये जाने के आदेश पारित किये गये है, लेकिन मार्ग पर नये परमिटो हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो का निस्तारण नही किया गया है। प्राधिकरण ने अपनी उपरोक्त बैठक में नये परमिट जारी किये जाने हेतु नीति का निर्धारण किया गया है। प्राधिकरण द्वारा नये परमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित नीति के अन्तर्गत होने के सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्रों का विवरण **परिशिष्ट–घ** में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद सं0–17 बाजावाला–मंसदावाला–कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग पर संचालित नगर बस सेवा वाहन के स्थान पर 7/ 8 चार पहिया वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

उक्त मामले को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 के मद स0–33 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थे–

*प्राधिकरण द्वारा कौलागढ–विधानसभा वाया बल्लूपुर चौक–बल्लीवाला चौक–जीएमएस रोड–सब्जी मंडी–लालपुल–महन्त इंदरेश हास्पीटल–कारगी चौक–रिस्पनापुल वर्गीकृत किया गया था। इसके पश्चात इस मार्ग का विस्तार सब्जी मंडी–माजरा–शिमला बाईपास–आईएसबीटी–कारगी चौक–विधानसभा तथा ओएनजीसी चौक से राजेन्द्र नगर–'किशन नगर होते हुए कनाट प्लेस–घण्टाघर–प्रिन्स चौक–रेलवे स्टेशन तक किया गया था। इस मार्ग पर 06 स्थाई सवारी गाडी परमिट दिये गये थे। वर्तमान में 01 परमिट वैध हैं।*

*उपरोक्त मार्ग के नगर बस सेवा के परमिटों को हल्की वाहनों के परमिटों में परिवर्तित करने तथा मार्ग का विस्तार कौलागढ से बाजावाला– मसन्दावाला तक करने के सम्बन्ध में मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 19(**i**) व (**ii**) में प्रस्तुत किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई थी। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया गया था।*

*मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/14, 2119/14 एंव 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकि: उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा– 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा –2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी **Modification** के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।*

*मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कमेटी गठित की गई थी एंव शासकीय अधिवक्ता से भी टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विधिक राय मॉगी गई थी। प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित कमेटी की आख्या एंव प्रश्नगत मामले पर शासकीय अधिवक्ता की राय दिनांक 17.05.2015 के आधार प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20.05.2015 में यह निर्णय लिया था कि प्राप्त आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की राय से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मोटर गाडी अधिनियम के अनुसार धारा 2(40) में निर्धारित स्टैज कैरिज की परिभाषा में आते हैं। अतः उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज*

*परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।*

*संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा आख्या प्रेषित की गई थी कि क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग के नगर बस परमिटों को छोटी जीप प्रकार के स्टैज कैरिज परमिटों मे परिवर्तित किया जाना उचित होगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने आख्या प्रेषित की है कि वर्तमान में मार्ग पर कोई बस सेवा संचालित नहीं हो रही है। मार्ग पर बसों का संचालन आर्थिक रूप से लाभप्रद न होने के कारण पर्याप्त सवारियॉ नही मिलना रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि कौलागढ से आगे मसन्दावाला का मार्ग काफी संकरा है तथा बसों के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं है। मार्ग पर केवल जीप प्रकार के हल्के वाहनों का संचालन उपयुक्त होगा।*

*मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि कौलागढ–विधान सभा मार्ग का विस्तार कौलागढ से बाजावाला होते हुये मसन्दावाला तक किया जाता है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार मार्ग को हल्की 04 पहिया मंजिली गाडी वाहनों के संचालन हेतु परिवर्तित किया जाता है। मार्ग पर पूर्व में जारी 06 नगर बस सेवा स्टैज कैरिज परमिट धारकों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो तथा अन्य प्रार्थियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।*

उपरोक्त मार्गो पर परमिट जारी न करने के सम्बन्ध में श्री विजयवर्धन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका स0 2736/2016 दायर की गई है, जिसमे विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर कर दिया गया है, वर्तमान रिट याचिका अनिस्तारित है।

इस मामले को पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद स0–13 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

**''प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सभी आवेदको से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाय कि वह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई परमिट जारी करने की नीति अनुसार सभी अर्हताये पूर्ण करते है, तद्पश्चात उनके प्रार्थना पत्रो पर आगामी बैठक में विचार किया जायेगा। ''**

प्राधिकरण के उक्त आदेशो के अनुपालन में इस मार्ग पर पूर्व मे नगर बस के परमिट धारकों द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांक 08.12.2017 में प्रस्तुत किये गये है, कि वह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति की अर्हताये पूर्ण करते हैः–

| क0 | कोर्ट फीस | प्रार्थना पत्र | प्रार्थी का नाम व पता | पूर्व में जारी परमिट |
|---|---|---|---|---|

| स0 | क्रमांक | प्राप्ति की तिथि | | संख्या एवं दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1648 | 01.10.2016 | श्रीमती **स्वेता** जायसवाल पत्नी श्री आदेश जायसवाल, नि0 कौलागढ कनोल रोड, देहरादून | पीएसटीपी–1939 वैधता 12.3.14 |
| 2 | 1652 | 01.10.2016 | श्री **राजेश** कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार शर्मा, नि0 चन्द्रबनी, देहरादून । | पीएसटीपी–2014 वैधता 30.3.2019 |
| 3 | 1654 | 01.10.2016 | श्रीमती **बबीता** भोज पत्नी श्री राजेन्द्र भोज, नि0 प्रेमपुर माफी, कौलागढ, देहरादून | पीएसीटी–1938 वैधता, 11.3.14 |
| 4 | 1656 | 01.10.2016 | श्रीमती **आरती** वर्मा पुत्री, स्व0 नाथी सिंह नि0 79 लोयर नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून । | पीएसटीपी–1940 वैधता, 12.3.14 |

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त मार्ग पर अन्य आवेदको के प्रार्थनापत्र भी प्राप्त है, जिनका विवरण **परिशिष्ट "ड"** में दिया गया है ।

इस संबधं में यह भी अवगत कराना है, कि उपमहालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड कार्यालय कौलागढ देहरादून ने अपने कार्यालय पत्र स0 132/सा0प्रशा0/नि0का0म0/2017–18/1521 दिनांक 13.12.2017 के सूचित किया है, कि सह आवासीय परिसर, कौलागढ, मे भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के राज्य स्तरीय चार स्थानीय कार्यालय संचालित हो रहे है। महालेखाकार भवन में संचालित सभी कार्यालयों में लगभग 800 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। इसके साथ–साथ आवासीय परिसर में लगभग 219 सरकारी आवासो मे लगभग 500 व्यक्ति निवास करते है, शहर मे प्रमुख स्थानो रेलवे स्टेशन, घण्टाघर, बस अड्डा, आई0एस0बी0टी0 से कोई भी सार्वजनिक यातायात साधन जैसे सिटी बस, विक्रम, मैजिक इत्यादि सीधे कार्यालय तक उपलब्ध नही है, जिसके कारण अधिकारियो/कर्मचारियो को शहर के विभिन्न स्थानो मे पहूॅचने मे कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी अवगत कराना है, कि कौलागढ से कार्यालय का रास्ता अत्यन्त सकरा होने के कारण बडे वाहनों (सिटी बस) का अवागमन अत्यन्त कठिन है। कार्यालय के लिए कोई सार्वजनिक यातायात माध्यम न होने के कारण कार्यालय के ज्यादा से ज्यादा अधिकारी एवं कर्मचारी अपने निजी वाहनो का प्रयोग करते है, जिससे प्रतिदिन कार्यालय समाप्ति के समय कौलागढ मे यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है। अतः अनुरोध है, कि शहर के प्रमुख स्थानो जैसे रेलवे स्टेशन, घण्टाघर, बस अड्डा, आई0एस0बी0टी0 से कौलागढ कार्यालय भवन तक सार्वजनिक यातायात के 7–8 सीटर छोटे वाहन की आवाजाही कराने का कष्ट करें।

इसी प्रकरण मे श्री हंरबश कपूर जी मा0 विधायक देहरादून कैण्ट ने अपने पत्र दिनांक 13.12.2017 के द्वारा उपरोक्त मार्ग पर सार्वजनिक यातायात के लिये 7–8 सीटर छोटे वाहन की आवाजाही/रूट निर्धारण सुनिश्चत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

बिष्ट गॉव, सिंगल, आईएसबीटी टाटा मैजिक आनर्स वैलफेयर एसोसिएशन ने अपने पत्र दिनांक 15.02.18 के द्वारा निवेदन किया है कि 20 फरवरी 2018 को होने वाली आरटीए की बैठक में थाना कैन्ट परेड ग्राउण्ड वाया बल्लुपुर चौक जी0एम0एस0 रोड हरिद्वार बाईपास रिस्पना पुल मार्ग एंव बाजावाला मसंदावाला– कौलागढ सीटी बस के स्थान पर हल्के चार पहिया वाहन न दिये जाये, यदि इन मार्गों पर परमिट जारी किये जाते हैं तो समस्त मैजिक संचालकों को भारी आर्थिक संकट होगा और बस वालों की मनमानी होगी। इन मार्गो। पर परमिट जारी न करें और हमारी आपत्ति पर प्रमुखता से निर्णय लें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद स0–18 <u>अनारवाला–थाना कैण्ट– परेड ग्राउन्ड वाया बल्लूपुर चौक, जी0एम0एस0रोड आईएस0बी0टी हरिद्वार बाईपास रिस्पना पुल मार्ग पर संचालित नगर बसो के स्थान पर 7/8 सीटर चार पहिया हल्की वाहनो को परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश</u>** –

उपरोक्त मार्ग के आपरेटरो ने अपने प्रार्थना पत्र दि0 29.9.2016 के द्वारा निवेदन किया है, कि मार्ग पर संचालित बडी बसो के स्थान पर हल्की वाहन के दो–दो परमिट स्वीकृत करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में अवगत करना है, कि उपरोक्त मामले को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दि0 10.9.2014 मे मद स0 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थे।

*इस मद के अन्तर्गत अनारवाला– थाना कैन्ट–परेड ग्रउण्ड वाया बल्लुपुर चौक–जी0एम0एस0 रोड–आईएसबीटी–हरिद्वार बाईपास–रिस्पना पुल मार्ग पर संचालित नगर बसों के स्थान पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।*

*प्राधिकरण के समक्ष बुलाये जाने पर मार्ग के परमिट धारक श्री सुखविन्दर सिंह, श्री विनोद चन्दोला एंव अन्य उपस्थित हुये, उन्होंने अवगत कराया कि उनके मार्ग पर कुल 13 नगर बसों का संचालन हो रहा था। परन्तु बिष्ट गॉव से गढ़ी कैन्ट होते हुये आईएसबीटी तक 32 छोटी वाहनों का संचालन होने से उनका मार्ग आईएसबीटी तक ओवरलेप हो रहा है। जिससे उनकी वाहनों को पर्याप्त सवारियॉ उपलब्ध न होने के कारण*

आर्थिक हानि होने के कारण वे अपनी वाहनों का टैक्स तथा मरम्मत आदि का कार्य भी नहीं करा पा रहें है साथ ही उनको अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। वर्तमान में मार्ग पर केवल 07 बसों का संचालन हो रहा है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके मार्ग पर संचालित नगर बसों के स्थान पर हल्की 07/08 सीटर वाहनों के स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाये तथा एक परमिट बस के परमिट के स्थान पर 02 हल्की वाहनों के परमिट जारी किये जायें।

उक्त मार्ग पर मार्ग यूनियन के अतिरिक्त प्रार्थियो ने परमिट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैः–

| क्र0स0 | कोर्ट फीस क्रमांक | प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि | प्रार्थी का नाम व पता |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 26.8.2014 | श्री कुलजीत सिह पुत्र श्री महेन्द्र , 47/01 भण्डारी बाग देहरादून । |
| 2 | 510 | 27.8.2016 | श्री राकेश राघव पुत्र श्री चमन लाल,ग्राम कोल्हुपानी नन्दा की चौकी, देहरादून । |
| 3 | 583 | 27.8.2016 | श्री महन्त विश्वनाथ योगी पुत्र श्री मथुरा नाथ योगी, 356 डाकरा बाजार, देहरादून । |
| 4 | 793 | 27.8.2014 | श्री कमल कुमार पुत्र श्री गौरी शंकर जयसवाल, 136 सहारनपुर रोड, देहरादून । |
| 5 | 1228 | 27.8.2016 | श्री अनुप पुत्र श्री बहादुर सिंह नि0 50 गंगोली पंडितबाडी, राजपुर देहरादून । |

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रार्थिनो ने दि0 10.9.2014 को प्राधिकरण के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है–

| क्र0स0 | कोर्ट फीस क्रमांक | प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि | प्रार्थी का नाम व पता |
|---|---|---|---|
| 1 | 1498 | 10.9.2014 | श्री विनोद पुत्र श्री भगत सिंह 523–ए गढी कैण्ट, देहरादून । |
| 2 | 1499 | 10.9.2014 | श्री रोहित पुत्र स्व0 श्री दिनेश, गढी कैन्ट, देहरादून । |
| 3 | 1517 | 10.9.2014 | श्री सजाउ रहमान पुत्र श्री इमरान, सिरचन्दी, भगवानपुर हरिद्वार । |

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। अतः प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा याचिका सं0 2076/14, 2119/14 एंव 2127/14 का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा कर दिया था। चूकिः उक्त याचिकाओं में समान प्रश्न यह था कि क्या टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को मोटर गाडी अधिनियम 1988 के धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाडी का परमिट दिया जा सकता है या नही? मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.14 के निर्णय में मोटर गाडी अधिनियम की धारा 72, 2(40), 2(28) का समेकित अध्ययन किया तथा कहा कि यदि धारा 2 की उपधारा 28 व 40 का अध्ययन धारा 72 के साथ पढ़ा जाये तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी Modification के साथ जो कि वह उचित समझें, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि परमिट के साथ आरोपित की जाये, किसी वाहन को स्टैज कैरिज के रूप में विशिष्ट मार्ग व क्षेत्रों में प्रयोग के लिये स्टैज कैरीज परमिट प्रदान कर सकता है जो स्टेज कैरीज की शर्तो को पूर्ण करती हों।

*मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कमेटी गठित की गई थी एंव शासकीय अधिवक्ता से भी टाटा मैजिक, महेन्द्रा मैक्सिमों व थ्री व्हीलर टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विधिक राय मॉगी गई थी। प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित कमेटी की आख्या एंव प्रश्नगत मामले पर शासकीय अधिवक्ता की राय दिनांक 17.05.2015 के आधार पर प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 20.05.2015 में यह निर्णय लिया था कि प्राप्त आख्या एंव शासकीय अधिवक्ता की राय से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मोटर गाडी अधिनियम के अनुसार धारा 2(40) में निर्धारित स्टैज कैरिज की परिभाषा में आते हैं। अतः उपरोक्त वाहनों की स्टैज कैरिज परमिट हेतु अर्हता/पात्रता इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि परमिट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/अर्हताओं को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।*

*प्रश्नगत मार्ग के निम्नलिखित बस परमिट धारको द्वारा हल्की चार पहिया वाहनों हेतु अपने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये हैः–*

| क्र0 स0 | कोर्ट फीस क्रमांक | प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि | प्रार्थी का नाम व पता |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660<br>1661 | 01–10–2016 | श्री सुनील कुमार पुत्र श्री गुणानन्द 63 जाग्रति विहार नत्थनपुर देहरादून। |
| 2 | 1662<br>1663 | 01–10–2016 | श्री भीम सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह 79 लोअर नत्थनपुर, देहरादून। |
| 3 | 1664<br>1665 | 01–10–2016 | श्री आदेश जायसवाल पुत्र श्री रतन सिंह जायसवाल कैनाल रोड़ कौलागढ़ देहरादून। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 1666<br>1667 | 01–10–2016 | श्रीमती बबीता सोनकर पत्नी श्री राकेश सोनकर चक्खूवाला आंशिक, देहरादून। |
| 5 | 1668<br>1669 | 01–10–2016 | श्री अनूप कुमार पंत पुत्र श्री नन्द किशोर पंत डांडा लोखड गुजराडा, देहरादून। |
| 6 | 1670<br>1671 | 01–10–2016 | श्री विनोद चन्दोला पुत्र श्री रमेश चन्द्र चन्दोला डांडा लोखंड गुजराड़ा, देहरादून। |
| 7 | 1672<br>1673 | 01–10–2016 | श्रीमती बलजीत कौर पत्नी श्री सतनाम सिंह 91 कश्मीरी कालोनी, देहरादून। |
| 8 | 1674<br>1675 | 01–10–2016 | श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार अमर भारती चन्द्रबनी, देहरादून। |
| 9 | 1676<br>1677 | 01–10–2016 | श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री रतन सिंह 9 खत्री मौहल्ला देहरादून। |
| 10 | 1678<br>1679 | 01–10–2016 | श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह 72/1 भण्डारी बाग, देहरादून। |
| 11 | 1680<br>1681 | 01–10–2016 | श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री रतन सिंह 9 खत्री मौहल्ला, देहरादून। |
| 12 | 1682<br>1683 | 01–10–2016 | श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री रतन सिंह 9 खत्री मौहल्ला देहरादून। |
| 13 | 1684<br>1885 | 01–10–2016 | श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री नाथी सिंह 79 लोवर नत्थनपुर, देहरादून। |

उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी न करने के सम्बन्ध में श्री विजयवर्धन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका स0 2736/2016 दायर की गई है, जिसमे विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। वर्तमान में रिट याचिका अनिस्तारित है।

इस मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद स0–14 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये थे–

**" प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जाय। "**

याचिका स0 2736/2016 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2017 में निम्न आदेश पारित किये :–

Learned Counsel for the petitioner prays for and is granted six weeks time to file rejoinder affidavit. List thereafter.

Objection, if any, to the intervention application may also be filed by the petitioner in the meantime. This is made clear that this Court has not passed any interim order in the matter.

उपरोक्त मार्ग पर नये स्थायी सवारी गाडी परमिट हेतु निम्नलिखित प्रार्थना प्राप्त हुये हैः–

| क्र०सं० | कोर्टफीस कमांक | प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि | प्रार्थी का नाम व पता |
|---|---|---|---|
| 1. | 21182 | 23.01.09 | श्रीमती शिमला देवी पत्नी रामआश्रे, 45 ईदगाह, कुम्हार मण्ड़ी, देहरादून। |
| 2. | 12732 | 02.12.09 | श्री अजहर परवेज पुत्र श्री सिकन्दर परवेज, 230 राजपुर रोड़, देहरादून। |
| 3. | 2454 | 05.11.11 | श्रीमती सुनिता सोनकर पत्नी श्री रतनलाल, 196 चुक्खुवाला, देहरादून। |

बिष्ट गॉव, सिंगल, आईएसबीटी टाटा मैजिक आनर्स वैलफेयर एसोसिएशन ने अपने पत्र दिनांक 15.02.18 के द्वारा निवेदन किया है कि 20 फरवरी 2018 को होने वाली आरटीए की बैठक में थाना कैन्ट परेड ग्राउण्ड वाया बल्लुपुर चौक जी0एम0एस0 रोड हरिद्वार बाईपास रिस्पना पुल मार्ग एंव बाजावाला मसंदावाला– कौलागढ सीटी बस के स्थान पर हल्के चार पहिया वाहन न दिये जाये, यदि इन मार्गों पर परमिट जारी किये जाते हैं तो समस्त मैजिक संचालकों को भारी आर्थिक संकट होगा और बस वालों की मनमानी होगी। इन मार्गो। पर परमिट जारी न करें और हमारी आपत्ति पर प्रमुखता से निर्णय लें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद स0–19 <u>देवपुरा अग्रसेन चौक –ऋषिकुल– शंकराचार्य चौक– चण्डीपुल–श्यामपुर कांगडी–रसियावढ–गैडीखाता– लालढाग मार्ग पर 7/8 सीटर चार पहिया हल्की वाहन को सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश –</u>**

परिवहन कर अधिकारी–प्रथम हरिद्वार ने अपने पत्र स0 102/प्रर्वतन/मार्गसर्वेक्षण /2016–17 दिनांक 10.8.2016 द्वारा उपरोक्त मार्ग पर 7/8 सीटर छोटी सवारी गाडी संचालित करने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की है। उनके द्वारा प्रेषित आख्या निम्न प्रकार है–

देवपुरा अग्रसेन चौक से **–ऋषिकुल– शंकराचार्य चौक– चण्डीपुल–श्यामपुर कांगडी–रसियावढ–गैडीखाता–लालढाग** मार्ग का सर्वेक्षण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है –

| क्रम स0 | मार्ग पर पड़ने वाले मुख्य स्थान | दूरी कि0मी0 में |
|---|---|---|
| 1 | देवपुरा अग्रसेन चौक से ऋषिकुल | 0.6 |
| 2 | देवपुरा से ऋषिकुल पुल | 1.1 |
| 3 | शकराचार्य चौक | 2.1 |
| 4 | चण्डीघाट | 3.3 |
| 5 | चण्डीदेवी मंदिर मार्ग | 5.7 |
| 6 | श्यामपुर थाना | 13.3 |
| 7 | रसियावढ | 21.4 |
| 8 | गैडीखाता | 25.2 |
| 9 | गैडीखाता रिर्पोटिग चौकी | 25.6 |
| 10 | इन्द्रानगर गैडीखाता | 27.01 |
| 11 | कटेवड | 31.02 |
| 12 | शिशुमन्दिर | 33.02 |
| 13 | लालढांग | 35.05 |

1. मार्ग की कुल दूरी 35.5 कि0मी0 है। हरिद्वार से गैडीखाता तक मार्ग राष्ट्रीय राज्यमार्ग पडता है। सम्बन्धित मार्ग भाग निगम की बसे टैक्सी मैक्सी कैब के अतिरिक्त जीएमओयू0क0 की बसे नियमित रूप से संचालित रहती है। परन्तु गैडीखाता से लालढाग तक 10

कि0मी0 मार्ग भाग पर यदाकदा जी0एम0ओ0यू0 की बसो के अतिरिक्त 4 या 5 मैक्सी कैब एवं 20–25 विक्रम आटो का संचालन होना अवगत कराया गया है ।

2– उल्लेखनीय है, कि सम्बन्धित मार्ग सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा बस/मिनी बस हेतु स्वीकृत करते हुये प्रयोग के तौर पर दो–तीन वाहनो को परमिट जारी किये गये थे, परन्तु लाभकारी न होने के कारण वाहन स्वामियो के द्वारा अपने परमिटो को सम्पर्ण कर दिया गया था। तब से वर्तमान समय तक मार्ग पर कोई सवारी गाडी परमिट जारी नही किये गये है। अतः वर्तमान परिस्थितियो मे सम्बन्धित मार्ग पर छोटी सवारी गाडी के परमिट जारी किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3– सम्बन्धित मार्ग भाग पर 08 गॉव है, जिनकी जनसख्यां लगभग 40 हजार के बताई गई है । मार्ग भाग पर प्राईमरी स्कूलो के अतिरिक्त 03 इण्टर कॉलेज एवं 01 डिग्री कालेज स्थित है ।

4– मार्ग का भाग पक्का है, मार्ग की चौड़ाई 3.6 मीटर है । मार्ग पर नियमित बस सेवाओ का संचालन नही होने के कारण स्थानीय जनमानस को बस सेवा का समूचित लाभ नही मिल पा रहा है ।

5– मार्ग पर सवारी गाडी 7 व 8 सीटर सेवा संचालन करने से वहॉ की 40 हजार की आबादी को सुगम परिवहन का लाभ मिल सकता है।

6– मार्ग छोटी 7 व 8 सीटर सवारी गाडी के सचांलन हेतु उपयोगी है। अतः परीक्षण के तौर पर 7 व 8 सीटर छोटी सवारी गाडी के परमिट जारी किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध मे अवगत करना है, कि प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक दिनांक 09.3.94 में सकंल्प स0–19 द्वारा हरिद्वार–लालढाग वाया चण्डीपुल–गैडीखाता मार्ग वर्गीकृत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा सकंल्प स0 19(2) द्वारा पारित आदेश निम्न प्रकार है–

उक्त मार्ग की दूरी 44 कि0मी0 है, जिसको ए श्रेणी मे वर्गीकृत किया जाता है। यद्यपि इस मार्ग मे चण्डीपुल से गैडीखाता के मध्य 14 कि0मी0 राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग पड़ता है। परन्तु अभी तक हरिद्वार मुख्यालय पहूचने के लिये लागढाग से कोई सीधी बस सेवा नही चलती है। हरिद्वार से लालढाग तक राज्य संडक परिवहन निगम द्वारा भी कोई बस सेवा नही चलाईजाती है । सहा0क्षेत्रीय प्रबंधक हरिद्वार ने अपने पत्र स0 1547/संचालन/स0क्षे0प्र0हरि/93 दिनांक 14.07.93 द्वारा प्रधान प्रबंधक संचालन उ0प0 परिवहन निगम लखनउ को अवगत कराया गया है, कि उक्त मार्ग पर निजी संचालन से परिवहन निगम की कोईसेवा प्रभावित नही होगी, जबकि जनपद के इस पिछडे क्षेत्र के लिये सीधा यातयात उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। उक्त दोनो मार्ग 50 कि0मी0 से छोटे मार्ग है, अतः इन पर मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–71 के प्राविधानो के

अन्तर्गत परमिट जारीकरने हेतु प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये जाये। समिती के प्रार्थना पत्रो को भी प्राप्त प्रार्थना पत्रो के साथ प्रस्तुत किया जाये। इसकीसूचना उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम को भी दी जाये।

प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशो के अनुपालन मे हरिद्वार–लालढांग मार्ग पर 05 स्थायी स्टेज कैरिज परमिट जारी किये गये थे, परन्तु मार्ग पर जारी किये गये परमिट समाप्त हो गये है, तथा वर्तमान में मार्ग पर कोई वाहन संचालित नही है। इस सम्बन्ध मे यह भी अवगत करना है, कि पूर्व मे हरिद्वार रोशनाबाद से मार्ग वर्गीकृत किया गया था। इस मार्ग पर हल्की चार पहिया वाहनो के प्राप्त प्रार्थना पत्रो को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद स0–16 के अन्तर्गत प्रस्ततु किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये थे–

''अतः आवेदको की संख्या को देखते हुये प्राप्त आवेदन पत्रो के प्रार्थियों मे से जो प्रार्थी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत आते है, उन्हे सचिव् द्वारा एक–एक स्थायी सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृत परमिट वाहनो के वैध प्रपत्र प्रस्तुत पर दिनांक 31.05.2017 तक प्राप्त कर सकते है । ''

उक्त आदेशो के अनुपालन में मार्ग पर किसी आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में परमिट प्राप्त नही किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, कि उक्त मार्ग पर परमिट स्वीकृति हेतु व्यापक प्रचार–प्रचार नही हो पाया था, जिस कारण से कई इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन प्रस्तुत नही कर पाये थे ।

मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट "च"** में उल्लेखित है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–20–<u>पुरोहित सेवा आश्रम–रोशनाबाद–लक्सर मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार व आदेशः–</u>**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग पुरोहितसेवाश्रम–हरिद्वार– कनखल–बी0एच0ई0एल0–रोशनाबाद–ओरगांबाद मार्ग है। इस मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा 35 वाहनो को स्थाई परमिट स्वीकृत किये गये थे। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.9.2001 में इस मार्ग का विस्तार जटवाड़ा पुल से लक्सर वाया ग्राम सराय एकड़– दीनारपुर–सुभाषगढ–वुजर्ग–टिवडी–बसेडी तक 04 वापसी सेवाये संचालन हेतु किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर 15 परमिट वैध है । लेकिन मार्ग पर वाहनो के संचालन के सम्बन्ध में परिवहन कर अधिकारी–प्रथम, हरिद्वार ने अपने पत्र स0 612/प्रर्वतन/2016–17 दिनांक 15.9.2016 के द्वारा निम्नवत् आख्या प्रेषित की गई हैः–

*अवगत कराना है, कि सम्बन्धित मार्ग पर वर्तमान में निम्नलिखित 05 बसे संचालित है, सम्बन्धित बसो का संचालन पूरे मार्ग पर न होकर मात्र सेक्टर–2 से रोशनाबाद तक किया जा रहा है–*

*यू0पी0–10सी–3749, 2.यू0पी0–06–4102, 3.यू0पी0–20सी–1929 4. यू0ए0–07जे– 7659 5.यू0ए0–08ई–9831*

*प्रकरण में अधाहस्ताक्षरी द्वारा मार्ग का सर्वे किया गया, तथा यह पाया गया कि सम्बन्धित मार्ग की बसों द्वारा पुराहित सेवा आश्रम से लक्सर तक वाहनो का संचालन न करते हुये मात्र सेक्टर–2 से रोशनाबाद तक ही वाहनो का संचालन किया जा रहा है। सर्वे के उपरान्त यह भी संज्ञान में आया है, कि मार्ग की बसे पुरोहित सेवा आश्रम नही जा रही है, और न ही रोशनाबाद से लक्सर के बीच परमिट अनुसार संचालन कर रही है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित बस आपरेटर एसोसियशन को भी इस कार्यालय के पत्र दि0 31.8/01.9.2016 के द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार सर्म्पण मार्ग पर वाहनों के संचालन न करने की शिकायत पर पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।*

*प्रकरण में सम्बन्धित बस आपरेटर एसोसियेशन द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.9.2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया है, कि सराय व नदी का रपटा टूटा होने एवं पुरोहित सेवाआश्रम रूट पर जाम की स्थिति बनी रहने व शंकराचार्य चौक से कनखल मे अधिक भीड़ होने तथा जटवाड़ा पुल से सेक्टर–2 आने में भीड़ में वाहनो को आने जाने मे परेशानी का सामना करने के कारण उनके द्वारा सम्पूर्ण मार्ग पर वाहनो का संचालन किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है । सम्बन्धित बस आपरेटर एसोसियशन द्वारा मार्ग पर मात्र सेक्टर –2 से रोशनाबाद तक की उक्त 05 वाहनो का संचालन ही किया जा रहा है, उक्त वाहने एक वापसी फेरे का संचालन कर रही है । प्राधिकरण द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार वर्तमान में सम्बन्धित मार्ग पर 15 बसो के परमिट वैध होने की सूचना प्रेषित की गई है । इस प्रकार 10 वाहन स्वामियों द्वारा वाहनो का संचालन मार्ग पर नियमित रूप से करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित वाहन स्वामियों के परमिट के विरूद्व कार्यवाही करते हुये नये परमिट जारी करने पर विचार किया जा सकता है ।*

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है, कि निम्न आवेदको के द्वारा उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी किये जाने हेतु 12 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे।

| क0 स0 | फीस सं0 | दिनांक | आवेदक का नाम एवं पता | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14218 | 27–8–.2016 | श्री अजय कुमार चौधरी पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह नि0 टिहरी विस्थापित कालोनी नियर पीएसी कैम्प रानीपुर हरिद्वार । | वाहन स0 डी0एल01पीबी–9509पर |
| 2 | 71 | 29–.8–.2016 | श्रीमती मृणाली शर्मा पत्नी श्री भारत भूषण नि0 141 शिवालिक नगर, बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार । | |
| 3 | 1573 | 01–10–2016 | श्री मुकेश गिरि पुत्र श्री प्रेम गिरि दौलतपुर हरिद्वार। | |
| 4 | 1574 | 01–10–2016 | श्री सोम प्रकाश पुत्र श्री चमेल सिंह विवेक विहार कालोनी कनखल हरिद्वार। | |
| 5 | 1575 | 01–10–2016 | श्री किशन पाल सिंह पुत्र श्री जगदीश 260 देवपुरा हरिद्वारं। | |
| 6 | 1576 | 01–10–2016 | श्री सुनील कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश पंजनहेड़ी कनखल हरिद्वार। | |
| 7 | 1577 | 01–10–2016 | श्री तेजपाल पुरी पुत्र श्री विनोदपुरी दौलतपुर हरिद्वार। | |
| 8 | 1578 | 01–10–2016 | श्री सुखपाल सिंह सैनी पुत्र श्री सादी राम राजेन्द्र नगर रूड़की हरिद्वार। | |
| 9 | 1579 | 01–10–2016 | श्री करनबन पुत्र श्री ओमबन दौलतपुर हरिद्वार। | |
| 10 | 1580 | 01–10–2016 | श्री विवेक चौहान पुत्र श्री बृज पाल सिह नूरपुर पंजनहेड़ी कनखल हरिद्वार। | |
| 11 | 1581 | 01–10–2016 | श्री प्रवेश कुमार पुत्र श्री छतर सिंह शिवालिक नगर रानीपुर हरिद्वार। | |
| 12 | 1582 | 01–10–2016 | श्री ऋषिपाल पुत्र श्री करमा दौलतपुर हरिद्वार। | |

उपरोक्त प्रार्थना पत्रो को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद स0–17 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है –

"अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया, कि मद में उल्लेखित सभी 12 प्रार्थियो को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट पॉच वर्ष की अवधि के लिये सामान्य शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट अधिकतम 05 वर्ष पुरानी वाहन पर दिनांक 31. 5.2017 तक जारी किया जायेगा।"

प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदको के द्वारा कोई परमिट प्राप्त नही किया गया है । कुछ प्रार्थियो ने निवेदन किया है, कि परमिट प्राप्त करने हेतु मॉडल की शर्त न लगायी जाय, तथा परमिट प्राप्त करने हेतु 06 माह का समय दिया जाये ।

अतः प्राधिकरण मामले पर अग्रिम आदेश पारित करने की कृपा करे ।

**मद स0– 21 – <u>बहादराबाद–पिरान कलियर–रूड़की– बहादराबाद–रोशनाबाद मार्ग पर अस्थाई परमिट पर संचालित वाहनो को स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश</u>** –

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के संकल्प स0–1(अनुपूरक) में प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

*इस मद के अन्तर्गत बहादराबाद–पिरान कलियर –रूडकी, बहादराबाद– रोशनाबाद बाया वी0एचईएल तथा गढमीरपुर मार्ग पर स्थायी सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है । पूर्व में बहादराबाद–पिरानकलियर –रूडकी राष्ट्रीकृत मार्ग था। शासन की अधिसूचना स0 349/नौ–1/2016(2008)/2015 के दि0 30.4.2015 द्वारा इस मार्ग को डि–नोटिफाईड किया गया है। मोटरगाडी अधिनियम, 1988 की धारा–68(तीन– ग–क) मे दिये गये प्राविधान के अनुसार मार्ग निर्मित करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। शासन की अधिसूचना स0 1296/नो–1/2016 दिनांक 16.10.2016 द्वारा मार्ग को मंजिली गाडी संचालन हेतु निर्मित किया गया है । प्राधिकरण ने इस मार्ग को 22 सीट तक की वाहनो के संचालन हेतु वर्गीकृत कियागया है । पूर्व मे मार्ग 36 मिनी बसो को अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये थे, वर्तमान मे 34 वाहने अस्थाई परमिट पर संचालित हो रही है । मद मे 37 आवेदको के प्रार्थना पत्र अंकित है । प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्र का मार्ग है, अस्थाई परमिट धारको द्वारा विगत लगभग 12 वर्षो से इस मार्ग पर अपनी सेवाये प्रदान की जा रही है, इसलिये जिन आवेदको की वाहने मार्ग पर अस्थाई परमिट के अन्तर्गत संचालित हो रही है, उनको एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट 05 अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है । स्वीकृत परमिट दिनांक 31.5.2017 तक वाहनो के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किये जायेगे । यदि किसी अस्थाई परमिट धारक द्वारा स्थाई सवारी गाडी परमिट प्राप्त नही किया जाता है, तो उसके स्थान अन्य आवेदको को अस्थाई परमिट सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वाहन प्रस्तुत करने पर जारी किया जायेगा ।*

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, मार्ग पर जारी 36 अस्थाई परमिटो में से प्राधिकरण द्वारा किये गये आदेशो के अनुपालन में 31 आवेदको के द्वारा स्थाई सवारी गाडी परमिट प्राप्त किये गये है। अन्य वाहनो पर स्थाई परमिट प्राप्त न होने का कारण है, कि पूर्व में जिस व्यक्ति के नाम पर परमिट स्वीकृत हुये थे, उनके द्वारा अपनी वाहने अन्य व्यक्तियो को विक्रय कर दी गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

| क्र0 सं0 | वाहन स0 | वर्तमान में वाहन स्वामी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | यू0के0–08पीए –0150 | श्री अनुज गोस्वामी पुत्र श्री प्रेम गिरी गोस्वामी | यह वाहन पूर्व में श्री प्रेम गिरी गोस्वामी के नाम पर पंजीकृत थी, तथा अस्थाई परमिट पर संचालित थी, श्री प्रेम गिरी की मृत्यू दिनांक 4.10.16 में हो गई, वाहन का हस्तान्तरण मृतक आश्रित के रूप में श्री अनुज गोस्वामी के नाम पर हुया है, तथा वाहन पर उक्त मार्ग का अस्थाई परमिट जारी किया जा रहा है। |
| 2 | यू0ए0–08के– 0078 | श्रीमती कविता पत्नी श्री करण बन । | यह वाहन पूर्व में श्री नरेश चन्द पुत्र श्री कैन्हया लाल के नाम पर पंजीकृत थी, तथा अस्थाई परमिट पर संचालित थी। स्थानान्तरण के पश्चात इस मार्ग का कोई अस्थाई परमिट प्राप्त नही किया गया है। |
| 3 | यू0के0–08पीए–0528 | श्री राजेश कुमार पुत्र श्री आत्माराम | यह वाहन पूर्व में श्री अजीम पुत्र श्री अययूब के नाम पर पंजीकृत एवं अस्थाई परमिट से आच्छॉदित थी, तथा अस्थाई परमिट दिनांक 27.4.2017 में कार्यालय में सम्पर्ण किया गया है । वाहन विक्रय हो गई है। तथा श्री राजेश कुमार के नाम पर उक्त मार्ग का अस्थाई परमिट जारी किया गया है। |
| 4 | यू0ए0–08सी– 9960 | श्री कुलदीप पुत्र श्री कालू | यह वाहन श्री आदेश कुमार जायसवाल के नाम पर पंजीकृत एवं अस्थाई परमिट से आच्छॉदित थी, वाहन श्री कुलदीप के नाम पर विक्रय हो गई । वर्तमान स्वामी द्वारा दि0 03.10.2016 में 02 माह का अस्थाई परमटि प्राप्त किया गया था, इसके पश्चात कोई अस्थाई परमिट प्राप्त नही किया । प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि तक स्थाई परमिट हेतु कोई आवेदेन प्रस्तुत नही किया गया है । |
| 5 | यू0पी0–07सी–6538 | श्री बालिग हुसैन पुत्र श्री जी0 हुसैन | वर्ष 2011 के पश्चात अस्थाई परमिट प्राप्त नही किया और न ही स्थाई प्राप्त किया गया है। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि तक स्थाई परमिट हेतु कोई आवेदेन प्रस्तुत नही किया गया है । |

वर्तमान में क्र0स0–1, 2, 3 पर अंकित वाहन स्वामियो को अस्थाई परमिट जारी किये गये है, जिन पर वाहनो का संचालन हो रहा है, तथा इन वाहन स्वामियों के द्वारा अपने वाहनो पर स्थाई परमिट जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तालिका के क्रमॉक 4 व 5 में उल्लेखित वाहन स्वामियों के द्वारा अपनी वाहनों के परमिट प्राप्त करने हेतु निर्धारित अवधि तक आवेदन प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध मे अन्य 02 नये आवेदको के द्वारा अस्थाई परमिट हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन मे सचिव् प्राधिकरण द्वारा इन आवेदको को उनके वाहनो पर अस्थाई परमिट जारी किये गये है–

1– श्री तेजपाल पुरी पुत्र श्री विनोद पुरी, – वाहन स0 यू0ए0–08ई–9922 मिनी बस, ।
2– श्री मनोज गिरी पुत्र श्री प्रेम गिरी , – वाहन स0 यू0के0–12पीए– 0052 मिनी बस ।

इन वाहन स्वामियो के द्वारा अपने वाहनो पर अस्थाई परमिट के स्थान पर स्थाई परमिट जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–22– तेलपुरा डाण्डा वाया बुग्गावाला–बन्दरजूड– मजाहिदपुर– पिरान कलियर– रूडकी मार्ग पर अतिरिक्त परमिट स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।**

अध्यक्ष मिनी बस मालिक/चालक एशोसियेशन कल्याण समिति पिरान कलियर रोड गंग नहर रूडकी जिला हरिद्वार द्वारा निवेदन किया गया है कि '' सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनाक 17.12.2016 के संकल्प सं0 –20 मे पारित आदेशो के अनुपालन मे उक्त मार्ग पर 12 मिनी बसो को अस्थाई परमिटो की स्वीकृति आपके द्वारा दी गई थी। जिनमे से मात्र 08 वाहन स्वामियों द्वारा ही उपरोक्त मार्ग पर अपने वाहनों के अस्थाई परमिट लेकर समिति के रोटेशन पर संचालित हो रहे है। लेकिन यह 08 वाहन सम्पूर्ण मार्ग पर संचालित नही हो रहे है, क्योंकि इस मार्ग की लम्बाई 38 से 40 कि0मी0 है, जिस पर अभी एक पुल का कार्य चल रहा है, और कुछ किलोमीटर रास्ता खराब होने के कारण व साथ ही 40 कि0मी0 मे 08 गाडियों से सम्पूर्ण मार्ग पर व्यवस्थित तरीके से संचालन न होने के कारण इस वाहनो का संचालन सुचारू रूप में नही हो पा रहा है और धीरे–धीरे रास्ता व पुल का कार्य प्रगति पर है, जो कुछ समय मे पूर्ण हो जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है, कि उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण कराया जाना इसलिये आवश्यक है, कि इस सम्पूर्ण मार्ग पर करीब कुल 25 वाहनो की आवश्यकता है, क्योकि इस मार्ग पर गांवो की संख्या अधिक होने के कारण और क्षेत्रीय जनता अधिक होने के कारण कम से कम 17 और वाहनो को परमिट दिये जाने की आवश्यकता है। ''

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र स0 4368/आरटीए/ नौ–151/2017 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा उक्त मार्ग के सर्वेक्षण हेतु परिवहन कर अधिकारी –प्रथम, रूडकी को निर्देशित किया गया था, जिस पर उन्होने माग का सर्वेक्षण कर अपने पत्र स0 510/सा0प्रशा0/मार्ग सर्वेक्षण/2017 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा आख्या प्रेषित की गई है, जो निम्नवत हैः–

"अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.12.2017 को रूड़की नगर निगम से मेहवड़कलॉ–पिरान कलियर–मूजाहिदपुर–बुग्गावाला से तेलपुरा ड़ाडा तक मार्ग का सर्वेक्षण किया गया जिसकी आख्या निम्न प्रकार है, नगर निगम रूडकी से तेलपुरा डाडा वाया बुग्गावाला मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 37.50 कि0मी0 है, उक्त मार्ग पर नगर निगम रूडकी से गंगनहर की दाई पटरी से कलियर होते हुये जाता है, वर्तमान में मार्ग पर 08 मिनी बसो के अस्थाई परमिट जारी किये गये है, उक्त मार्ग पर कलियर सहित कुल 22 ग्रामीण क्षेत्र पड़ते है, जिसकी कुल आबादी लगभग 70 हजार के आस–पास है, एवं मार्ग पर कई महत्वपूर्ण स्कूल एवं कालेज भी है । मुजाहिदपुर से आगे लगभग 05 कि0मी0 मार्ग वर्तमान मे क्षतिग्रस्त है, जिस पर 0.5 कि0मी0 नदी क्षेत्र पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, एवं रास्ता नदी से होकर जा रहा है, जोकि असुरक्षित है, उसके आगे 4.50 कि0मी0 मार्ग उबड़–खाबड़ है, जिस पर निमार्ण कार्य चल रहा है। अतः महोदय् मार्ग की वर्तमान स्थिति को देखते हुये एवं उपरोक्त आपत्तियो के साथ मार्ग पर 15–21 सीटो तक की लगभग 12 और बसो के संचालन की अनुमति दी जा सकती है। "

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि उपरोक्त मार्ग पर प्राप्त प्रार्थना का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

**प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि स0स0प0अ0(प्रर्वतन) हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर इस मार्ग पर चार–चार माह के लिये 12 अस्थाई सवारी गाडी परमिट छोटी मिनी बसो के लिये (15 से 21 सीट तक) स्वीकृत किये जाते है। चूंकि मार्ग ग्रामीण क्षेत्र का है, इसलिये 05 वर्ष तक पुरानी वाहनो के अस्थाई परमिट प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार जारी किये जाये। स्थाई सवारी गाडी परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को अस्वीकृत किया जाता है ।"**

उपरोक्त आदेशो के अनुपालन मे वर्तमान में 08 वाहन स्वामियों के द्वारा इस मार्ग पर वाहनो के संचालन हेतु अस्थाई परमिट प्राप्त किये गये है, इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर पूर्व से इस मार्ग पर 06 स्थाई परमिट जारी है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

**मद सं0–23 07/08 सीटर, 04 पहिया वाहनों को पूर्व में जारी अस्थाई परमिटों का पुनः अस्थाई अथवा स्थाई ठेका गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

श्री उमा नरेश तिवारी, अध्यक्ष करनपुर नगर मण्डल, राजपुर रोड, विधान सभा, देहरादून ने अपने पत्र सं0 30.01.2018 के द्वारा के द्वारा अवगत कराया है कि संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा वर्ष 2011 में 03 टाटा मैजिक को अस्थाई परमिट जारी किये गये थे, परन्तु 2014 के उपरान्त इन तीनों के अस्थाई परमिट नवीनीकरण नहीं किया गया है। जिस कारण तीनो टाटा मैजिक को अपने स्वामियों द्वारा घर पर खडा करना पड गया। श्री तिवारी के द्वारा वाहनों का संचालन न होने के कारण वाहनों की किस्त न जमा होने एंव अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने का उल्लेख कर किसी भी मार्ग पर स्थाई परमिट जारी करने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत हैः–

1. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.2011 मे आई0एस0बी0टी0–चन्द्रबनी–मेहूंवाला–परेडग्राउन्ड मार्ग हेतु चार पहिया 07/08 सीटर वाहन हेतु ठेका गाडी परमिट 15 सामान्य श्रेणी, 04 परमिट अनु0जाति एवंम 01 परमिट अनु0जनजाति के अम्यर्थी के लिये निर्धारित शर्तो के साथ स्वीकृत किये थे। अनु–जन जाति श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त न होने के सापेक्ष रिक्ति के अन्तर्गत श्री उमा नरेश तिवारी के आवेदन पर उनकी वाहन सं0 यूके 07टीए 5570 को दिनांक 29.12.11 को 4 माह का अस्थाई परमिट क्त मार्ग पर जारी किया गया था। तद्पश्चात दिनांक 09.05.2014 तक अस्थाई परमिट किये जाते रहे थे।
2. इसी प्रकार अनु0 जाति की रिक्ति के सापेक्ष श्री छोटे लाल पुत्र श्री बिल्लू सोनकर 81 चुक्खूवाला, देहरादून को उनके आवेदन पर वाहन सं0 यूके07टीए 5579 को दिनांक 29.12.11 को 04 माह का अस्थाई परमिट जारी किया गया था। तद्पश्चात प्रार्थी के आवेदन पर दिनांक 20.03.2014 तक अस्थाई परमिट किये जाते रहे थे।
3. श्री विपिन कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, 32 कांवली रोड, देहरादून को सैन्य कालोनी–नीलकंठ विहार–कालीदास चौक (पथरिया पीर)–कालीदास रोड– दिलाराम चौक–सहारनपुर चौक– मातावाला बाग– गुरू राम राय डिग्री कॉलेज– कारगी–विद्याविहार–बाईपास रोड– आईएसबीटी एंव दून विश्वविद्यालय मार्ग हेतु उनकी वाहन यूके07टीए 6708 को दिनांक 22.11.2012 को 04 माह का अस्थाई परमिट जारी किया गया था। तद्पश्चात प्रार्थी के आवेदन पर दिनांक 01.01.2014 तक अस्थाई परमिट किये जाते रहे थे।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मद सं0 26 एंव 28 में अन्तर्गत क्रमशः प्रश्नगत मार्गों पर स्थाई ठेका गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने उपरोक्त मामलों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि "*07/08 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को ठेका गाडी परमिट जारी करने पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। अतः इस मार्ग पर ठेका गाडी हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को जिनका विवरण परिशिष्ट–ट में दिया गया है, पर विचार करना स्थगित किया जाता*

*है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में इस मार्ग को स्टैज कैरिज मार्ग के रूप में वर्गीकृत कर मार्ग निर्मित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में शासन से पुनः अनुरोध किया जाये।'*

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में उपरोक्त मार्गों को वर्गीकृत करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। जो विचाराधीन है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

**मद सं0 24 – माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–93 में यह प्राविधान है कि सार्वजनिक सेवायानों को यात्रीयों के टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में तथा माल वाहनों के द्वारा वहन किये जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रेषित या वितरित करने के कारोबार में अभिकर्ता के रूप में अपने को तभी लगायेगा जब उसने प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है।

मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–93 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मालवाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारोबार में लगे अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं। जिनका उल्लेख उत्तराखण्ड़ मोटरयान नियमावली–2011 के नियम 112 से 120 तक दिया गया है। नियम 113 में यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह ऐसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है, जो उसे अभिकर्ता के कारोबार को ऐसे स्थान पर या स्थानों पर जिन्हे अनुज्ञप्ति में विनिविष्ट किया गया हो, चलाने के लिये प्राधिकृत करती हो, अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। नियमावली के नियम–114(6) में यह प्राविधान है कि अनुज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

पूर्व में उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार 53 अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी की गई हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में **"सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम–2007"** बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा–2 निम्न प्रकार हैः–

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सामान्य वाहक" से किसी माल की रसीद के अधीन माल वाहकों द्वारा वहन किय जाने वाले माल का संग्रहण, भंडारण, प्रेषण और वितरण करने तथा बिना किसी विभेद के सभी व्यक्तियों के लिये सड़क पर मोटरीकृत परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का भाड़े के लिए परिवहन करने के कारबार में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत माल बुकिंग कंपनी, ठेकेदार, अभिकर्ता दलाल और ऐसा कुरियर अभिकरण भी है, जो दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार–द्वार तक परिवहन में, ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं की वहन करने या साथ ले जाने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करके, लगा हुआ है किन्तु इसके अंतर्गत सरकार नहीं है;

(ञ) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अधीन गठित कोई राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा–3 निम्न प्रकार हैः–

3. (1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात सामान्य वाहक के कारबार में तब तक नहीं लगेगा, जब तक उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त न किया गया हो।

(2) कोई व्यक्ति, जो चाहे पूर्णतः या भागतः सामान्य वाहन के कारबार में लगा है, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व,–

(क) ऐसे प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा;

(ख) जब तक उसने रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन न किया हो और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं कर दिया गया हो, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर उस कारबार में नहीं लगेगा।अधिनियम की धारा–4 (6) में यह प्राविधान है कि अनुगत या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दस वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा।

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम–2007 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने सड़क मार्ग वहन नियम–2011 बनाये हैं। इस नियमावली के नियम –3 में यह प्राविधान है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान किये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के लिये आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रारूप–1 में किया जायेगा।

निम्नलिखित प्रार्थियों के द्वारा अभिकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं–

| क्र०सं० | प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि | प्रार्थी का नाम व पता |
|---|---|---|
| 1. | 15.04.2017 | मैसर्स शॉति ट्रासर्पोट कम्पनी द्वारा श्री शांन्ति स्वरूप मेहर, 61 आदर्श ग्राम, ऋषिकेश । |
| 2. | 15.04.2017 | मैसर्स संगम ट्रासर्पोट कम्पनी, द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह कैन्तुरा 242, गली न0– 3 सोमेश्वर गंगानगर, ऋषिकेश |
| 3. | 15.04.2017 | मैसस शशि ट्रासर्पोट क0 द्वारा श्रीमती शशि मेहर 59 आर्दश ग्राम, ऋषिकेश । |
| 4. | 18.04.2017 | फोर्स पोलियरन प्रा0 लि0 , 10 किमी0 स्टोन दिल्ली हरिद्वार रोड बहादराबाद, हरिद्वार |
| 5. | 06.05.2017 | मैसर्स वंगियाल ट्रासंर्पोट क0, द्वारा श्री शूरवीर सिंह वंगियाल, ढालवाला ऋषिकेश। |
| 6. | 04.07.2017 | मैसर्स करण कैरियर, शॉप न0–31 परिषद मार्केट आपोजिट रेलवे गुडस् शीट रेलवे रोड हरिद्वार |
| 7. | 04.07.2017 | मेसर्स नहारिया ट्रासर्पोट क0 म0न0–172, सुनेहरा रोड रूड़की हरिद्वार । |
| 8. | 13.07.2017 | मेसर्स सलमान कैरियर, इण्डियन आयॅल कार्पोरेशन, ग्राम खेमपुर लण्डोरा, हरिद्वार |
| 9. | 11.10.2017 | मेसर्स खडूंजा फ्राईट कैरियर, एफ–15 ट्रासर्पोट नगर, देहरादून । |
| 10. | 11.10.2017 | मेसर्स विष्ट रोड लाईन, कारगी चौक देहरादून । |
| 11. | 15.12.2017 | मेसर्स भगवती प्रसाद डोभाल, 17 टी0एस0डी0सी0 कालोनी, देहरादून । |
| 12. | 14.12.2017 | मेसर्स बन्दना ट्रासर्पोट कम्पनी, द्वारा विनोद कुमार 141 आशुतोषनगर, ऋषिकेश । |
| 13. | 19.12.2017 | मेसर्स तिवाडी ट्रासंर्पोट कम्पनी, देहरादून रोड ऋषिकेश । |
| 14. | 16.01.2018 | मेसर्स पंतजली परिवहन प्रा0लि0 ग्राम पदार्था, लक्सर, हरिद्वार । |
| 15. | 06.2.2018 | मेसर्स केवल जीत सिंह बत्रा , 44/2 मालवीय रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून । |
| 16. | 06.02.2018 | श्रीमती डोली सचदेवा पत्नी स्व0 श्री राकेश कुमार सचदेवा, 323/6सोनालीपुरम, रूडकी |
| 17. | 12.02.2018 | श्री रमेश चन्द्र बधानी पुत्र श्री गोविन्द सिल्यारा बालेश्वर, टिहरी गढवाल |
| 18. | 12.02.2018 | मै0 कत्यूर इनफ्राटेक, 242 सोमेश्वर मन्दिर मार्ग गंगा नगर, ऋषिकेश। |
| 19. | 18.02.2018 | श्री जे0एस0 चौहान ट्रासर्पोट एजेंसी, आराकोट देहरादून । |

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद सं0– 25 ऋषिकेश केन्द्र से स्वीकृत आटोरिक्शा परमिट जारी करने हेतु समय बढाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

श्री अमित गिरी पुत्र श्री नरेश गिरी एवं अन्य 66 आवेदको के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित अपने प्रार्थना पत्र दिनांक में यह निवेदन किया है, कि परिवहन विभाग द्वारा अक्टूबर, 2014 मे ऑटो रिक्शा के ऋषिकेश केन्द्र के स्वीकृति पत्र दिये गये थे, जिसमे (5+1) ऑटो की स्वीकृति प्रदान किये गये थे। परन्तु अक्त समयावधि में (5+1) ऑटो परिवहन विभाग द्वारा वाहन को अप्रुवल न करने के कारण वाहन बाजार मे उपलब्ध नही था, जिस कारण (5+1) परमिट स्वीकृत पत्र धारक वाहन क्रय नही कर पाये। स्वीकृति पत्र का समय निकलने के बाद उक्त वाहन का विभाग द्वारा अप्रुवल कर दिया गया है। महोदय् कुछ समय पूर्व की सरकार के मानीनय् मुख्यमंत्री द्वारा कुछ व्यक्तियों को स्वीकृती पत्र का प्रार्थीगणो के अनुरोध पर समय बढा दिया गया और उन्होने वाहन क्रय कर रजिस्ट्रेशन करवा कर परमिट भी प्राप्त कर दिया। परम आदरणीय मा0 मुख्यमंत्री जी आपको अनुरोध है, कि शेष बचे 60 के लगभग परमिट स्वीकृति पत्र धारको (5+1) का समय भी कमिशनर गढवाल मण्डल महोदय् को आदेश देकर जनहित मे समय बढवाने की कृपा करें। जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिये गये है, कि ''क'' अनुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चत करें।''

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है, कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.14 के संकल्प सं0 30(ब) द्वारा ऋषिकेश, हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्रो से ऑटो रिक्शा वाहनों के परमिटों हेतु यह निर्णय लिया था कि ***हरिद्वार, ऋषिकेश एंव रूडकी केन्द्रो के लिये 3+1, 4+1 एंव 5+1 वाहनों के ऑटो रिक्शा परमिट निर्धारित शर्तों के साथ आगामी 05 वर्षों हेतु नई ऑटो रिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.2014 तक जारी किये जायेंगे, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। हरिद्वार एंव ऋषिकेश (पहाडी मार्गो को छोडकर) के परमिट 25 किमी0 अर्द्धव्यास एंव रूडकी केन्द्र के परमिट 16 किमी0 अर्द्धव्यास के लिये स्वीकृत किये जाते हैं।***

इस सम्बन्ध में अवगत करना है, कि उपरोक्त प्रार्थियो के अतिरिक्त श्री अमित गिरी व अन्य 66 आवेदको का मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित प्रत्यावेदन आयुक्त गढवाल मण्डल के पत्र स0 783 दिनांक 01.10.2016 द्वारा प्राप्त हुआ है। इन आवेदन कर्ताओ द्वारा स्वीकृति पत्र का समय बढाने तथा ऋषिकेश केन्द्र से (5+1) सीटो वाले आटो रिक्शा परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।

उत्तराखण्ड प्रदेश विक्रम टेम्पो महासंघ इन्द्रिरा मार्केट देहरादून ने मा0 मुख्यमंत्री को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 29.7.2016 द्वारा निवेदन किया है, कि भविष्य में ऋषिकेश केन्द्र के लिये किसी प्रकार के आटो/ विक्रम के परमिट जारी न किये जायें, और निवेदन किया है, कि ऋषिकेश के परमिट ग्रामीण क्षेत्र के मार्गो हेतु जारी किये जाये।

ऋषिकेश केन्द्र से आटो रिक्शा एवं विक्रम टेम्पो परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे अध्यक्ष विक्रम मालिक चालक एसोसिएशन मुनि की रेती, अध्यक्ष विक्रम एवं चालक एसोसिएशन लक्ष्मणझूला, अध्यक्ष देवभूमि आटोरिक्शा एसोसिएशन ऋषिकेश, उपाध्यक्ष, आटो रिक्शा एसोसिएशन त्रिवेणी घाट

ऋषिकेश की आपत्ति  दिनांक 30.9.2016, 20.9.2016, 07.9.2016 में प्राप्त हुयी है। आपत्ति मे कहा गया है, कि ऋषिकेश शहर में आटो रिक्शा के और परमिट जारी किये जाने की आवश्यकता नही है, क्योकि ऋषिकेश बहुत छोटा शहर है, यहॉ पर पहले से ही अधिक संख्या में आटो रिक्शा, विक्रम टेम्पो वाहने संचालित हो रही है।''

उपरोक्त मद के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त संकल्प स0–22 दि0 17.12.2016 में निम्न निर्णय पारित किये गये है कि–

*इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 के सकलप स0 30(ब) के द्वारा ऋषिकेश केन्द्र से स्वीकृत आटो रिक्शा परमिट जारी करने हेतु जारी की गई स्वीकृति पत्र का  समय बढाने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत  किया गया है । वर्तमान मे ऋषिकेश केन्द्र से 662  आटो रिक्शा परमिट तथा 434 विक्रम टेम्पो परमिट जारी किये गये है। प्राधिकरण के समक्ष विक्रम यूनियन तथा ऑटो रिक्शा यूनियन द्वारा परमिट जारी करने के विरूद्व आपत्ति करते हुये कहा कि ऋषिकेश बहुत छोटा शहर है, और यहॉ पर आवश्यकता से अधिक ऑटो रिक्शा तथा विक्रम टेम्पो वाहने संचालित हो रही है । इन वाहनो के कारण शहर मे यातायात जाम की स्थिति हो जाती है । उन्होने कहा कि ऋषिकेश केन्द्र से और ऑटो रिक्शा परमिट जारी नही किये जाये। प्राधिकरण के समक्ष बैठक मे कोई कुछ आवेदक उपस्थिंत हुये तथा उन्होने उनको जारी स्वीकृत पत्र की तिथि बढाने तथा परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया।  परन्तु किसी आवेदक ने यह अवगत नही कराया कि उनके द्वारा वाहन क्रय कर ली गई है, और परमिट जारी नही किया गया है।*

*प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि ऋषिकेश केन्द्र से काफी मात्रा में ऑटो रिक्शा/विक्रम वाहने संचालित हो रही है, तथा वहॉ पर और आटो रिक्शा वाहनो की आवश्यकता नही है । अतः आवेदको की प्रार्थना को अस्वीकृत किया जाता है ।*

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अध्यक्ष विक्रम मालिक एंव चालक एसो0 मुनि की रेती, रामझूला, उत्तरांचल विक्रम मालिक एंव चालक एसो0 तपोवन लक्ष्मणझूला, अध्यक्ष गढवाल विक्रम टैम्पो वैलफेयर एसो0 ऋषिकेश, अध्यक्ष देवभूमि ऑटो रिक्शा एसो0 ऋषिकेश एंव ऑटो रिक्शा एसो0 त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश ने अपने संयुक्त हस्ताक्षरित 14.12.18 के द्वारा ऋषिकेश केन्द्र से आटो रिक्शा एवं विक्रम टेम्पो परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे आपत्ति ब्यक्त करते हुये ऋषिकेश शहर में आटो रिक्शा के और परमिट जारी किये जाने की आवश्यकता नही है, क्योंकि ऋषिकेश बहुत छोटा शहर है, यहॉ पर पहले से ही अधिक संख्या में आटो रिक्शा, विक्रम टेम्पो वाहने संचालित हो रही है।''

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–26** **<u>हरिद्वार केन्द्र से जारी कलस्टर परमिटो के स्थान पर 25 कि0मी0 रेडियस का परमिट जारी करने की अवधि बढाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।</u>**

श्री हरिओम झा को–ऑर्डीनेटर/महासचिव् पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ, हरिद्वार ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 19.9.2017 के द्वारा यह निवेदन किया है, कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 में ऑटो परमिटो को हरिद्वार केन्द्र 25 कि0मी0 रेडियस कर दिया गया था, उपरोक्त निर्णय के अनुसार कुछ आवेदको ने तो अपने क्लस्टर परमिट हरिद्वार केन्द्र 25 कि0मी0 रेडियस मे परिवर्तित करा लिया था, और कुछ आवेदको को उपरोक्त निर्णय की समग्र जानकारी न होने के कारण कुछ आवेदक अपने क्लस्टर परमिट को हरिद्वार केन्द्र 25 कि0मी0 रेडियस मे परिवर्तित नहीं करा पाये है । जिसके कारण उन्हे अपने वाहन संचालन करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय् से निवेदन है, कि संगठन के इस पत्र को न्यायहित के दृष्टि से समानता के आधार पर कलस्टर परमिट धारकों को अपने क्लस्टर परमिट को हरिद्वार केन्द्र 25 कि0मी0 रेडियस मे परिवर्तित कराने का एक अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध मे आख्या निम्न प्रकार हैः–

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 के मद सं0 30(ब) के द्वारा ऋषिकेश, हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामले को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि ***हरिद्वार, ऋषिकेश एंव रूडकी केन्द्रो के लिये 3+1, 4+1 एंव 5+1 वाहनों के ऑटो रिक्शा परमिट निम्नलिखित शर्तों के साथ आगामी 05 वर्षों हेतु नई ऑटो रिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.2014 तक जारी किये जायेंगे, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। हरिद्वार एंव ऋषिकेश केन्द्र (पहाडी मार्गो को छोडकर) के परमिट 25 किमी0 अर्द्धव्यास एंव रूडकी केन्द्र के परमिट 16 किमी0 अर्द्धव्यास के लिये स्वीकृत किये गये थे –***

1– हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्र हेतु आवेदक हरिद्वार जनपद का स्थाई निवासी हो तथा ऋषिकेश केन्द्र हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय,ऋषिकेश के अधिसूचित कार्यक्षेत्र का स्थाई निवासी हो। इस हेतु मतदाता परिचय पत्र/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2– आवेदक बेरोज़गार हो।

**3– आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।**

**4– आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।**

**5– परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।**

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में अपीलकर्ता एंव अन्य आवेदकों को उपरोक्त शर्तों के अधीन ऑटो रिक्शा परमिट प्राप्त करने हेतु स्वीकृत पत्र जारी किये गये थे।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक दिनांक 17.12.2016 में निम्न आदेश पारित किये गये है–

*" प्राधिकरण ने उपरोक्त समस्त तथ्यो पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि जिन प्रार्थियो को स्वीकृति पत्र हरिद्वार केन्द्र के लिये जारी किये गये थे, तथा उनके द्वारा वाहन क्रय कर पंजीयन करा लिया गया है, उनको हरिद्वार केन्द्र से 25 कि0मी0 अर्ध्यव्यास का ऑटो रिक्शा परमिट वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.5.2017 तक जारी कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया जाता है, कि अन्य वाहन स्वामी जिनके द्वारा क्लस्टर मार्गो के परमिट प्राप्त किया गये है, यदि वे 25 कि0मी0 अर्ध्यव्यास का परमिट लेना चाहते है, तो ऐसे वाहन स्वामियो को पुराना परमिट जमा करने के उपरांत नया परमिट निर्धारित शुल्क के साथ 25 कि0मी0 अर्ध्यव्यास के लिये जारी कर दिया जाये । "*

प्राधिकरण के उक्त आदेशो के अनुपालन मे अधिकतर परमिट धारको के द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपने पूर्व जारी क्लस्टर परमिट जमा कर हरिद्वार केन्द्र के रेडियस परमिट प्राप्त कर लिये गये है, लेकिन अभी कुछ परमिट धारक ऐसे हे, जिनके द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपने परमिट परवर्तित नही करा पाये है ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–27 श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री आशाराम के परमिट सं0 पीएसटीपी–2104 के नवीनीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।**

(1) श्री दिनेश सिंह ने प्रार्थना पत्र दि0 25.10.2017 द्वारा निवेदन किया है, कि उनको परमिट सं0 पीएसटीपी–2104 नगर बस सेवा देहरादून–डोईवाला एवं सम्बद्व मार्ग हेतु जारी था। जिसकी वैधता दिनांक 11.11.2015 मे समाप्त है। परमिट धारक द्वारा दिनांक 23.4.2014 मे इस परमिट पर संचालित वाहन स0 यू0के0–07पीए–0447 मॉडल–2009 के स्थान पर नई वाहन प्रतिस्थापन हेतु आवेदन किया गया था, लेकिन उसके उपरांत परमिट धारक इस परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन नही करा पाये है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प सं0 9 एवं 12 में मंजिली गाड़ी परमिट के नवीनीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित की गई हैः–

**नवीनीकरण के सम्बन्ध में–**

(अ) नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 15 दिन तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। 15 दिन से अधिक से छः माह तकके विलम्ब के लिये 12+1 सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये रू0 500 एंव 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनोंके लिये रू0 1000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये 12+1सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये रू0 1000 एंव 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनों लिये रू0 2000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। एक वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

**प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में।**

(ब) पूर्व में निर्धारित नीति में संशोधन करते हुये निम्न प्रकार प्रशमन शुल्क जमा करने पर केवल ऊॅचे माडॅल की वाहन को प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की जाती हैः–

1. छः माह तक निशुल्क।
2. छः माह से अधिक एंव एक वर्ष तक के लिये रू0 2000/– प्रशमन शुल्क।
3. एक वर्ष से अधिक होने पर प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीति निर्धारित होने के उपरांत कई परमिट धारको द्वारा जिनक परमिट नवीनीकरण या वाहन प्रतिस्थापन का समय एक वर्ष से अधिक हो चुका था, उनके द्वारा अपने परमिट नवीनीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन हेतु आवेदन किया था, उन्हे प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 के मद स0–14 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण ने निम्न आदेश पारित किये थेः–

'' प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट धारक द्वारा रू0 15000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर दिनांक 31.05.2016 तक परमिट का नवीनीकरण तथा परमिट पर ऊच्चे माडॅल की वाहन प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ''

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0 28 – विक्रम टेम्पो वाहनो को स्टेज कैरिज परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश –**

विक्रम टेम्पो वाहनो का संचालन स्टेज कैरिज के रूप मे करने तथा इन वाहनो के संचालन हेतु मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 में मद स0–9 द्वारा मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि 07+1 सीटर विक्रम टैम्पो वाहनों /मैक्सी कैब वाहनों को स्टैज कैरिज के रूप में संचालित करने हेतु निम्नलिखित 18 मार्गों को वर्गीकृत किया जाता है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मंजिली गाडी के लिये मार्ग निर्धारित करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

1– सब्जी मंडी–लालपुल तिराहा (सहारनपुर रोड़) से महन्त इंद्रेश हॉस्पिटल–कारगी चौक–सरस्वती विहार–अजबपुरकला– धर्मपुर–पुलिस लाईन–रेलवे स्टेशन मार्ग (कुल दूरी– 9.0 किमी0)।

2– आईएसबीटी से मोथरोवाला–दूधली मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 16 किमी0)।

3– परेडग्राउण्ड–लाडपुर–जोगीवाला–रिस्पना–आईएसबीटी मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 15.5 किमी0)।

4– जोगीवाला–बद्रीपुर–नवादा–डिफेन्स कॉलोनी–रिस्पना–आराघर–सीएमआई हॉस्पिटल–प्रिंस चौक– तहसील– दर्शनलाल चौक–परेडग्राउण्ड (मार्ग की लम्बाई – 13.0 किमी0)।

5– एस्लेहॉल–दिलाराम चौक–हाथीबड़कला–विजय कॉलोनी–सर्किट हाउस–बीजापुर गेस्ट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–डाकरा–गढ़ीकैन्ट–टपकेश्वर मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।

6– ग्रेट वैल्यू होटल चौराहे से दिलाराम बाजार–मयूर ऑटो–सालावाला–हाथीबड़कला–सर्किट हाउस–सप्लाई डिपो–अनारवाला–जोहड़ीगांव–भगवन्तपुर मोड़–मसूरी रोड़–मालसी–डायवर्जन मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 15.5 किमी0)।

7– परेडग्राउण्ड–मालदेवता मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 11.5 किमी0)।

8– परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–ई0सी0 रोड़–नैनी बैकरी–यूकेलिप्टिस मोड़–दिलाराम–ग्रेट वैल्यू होटल चौराहा–साकेत विहार–कण्डोली–बाला सुन्दरी मन्दिर कैनाल रोड़–धोरण मोड़–राजपुर रोड़ एन्कलेव–आई0टी0 पार्क–राजेश्वर नगर–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास–परिवहन आयुक्त कार्यालय– कुल्हान मार्ग(मार्ग की लम्बाई – 11.0 किमी0)।

9– परेडग्राउण्ड से दून हॉस्पिटल–एमकेपी–सीएमआई अस्पताल–आराघर–धर्मपुर–माता मंदिर–सरस्वती विहार चौक–बाईपास–बंगाली कोठी–पुलिस चौकी बाईपास–नवीन सचिवालय कॉलोनी–दून विश्वविद्यालय–इन्द्रेश हॉस्पिटल–मोथरोवाला चौक मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 9.8 किमी0)।

10– कुठालगेट–एस्लेहॉल मार्ग वाया मालसी–डियर पार्क (मार्ग की लम्बाई – 11.5 किमी0)।

11– घण्टाघर–सीमाद्वार–मेहूवाला–तेलपुर चौक मार्ग। (मार्ग की लम्बाई – 10.5 किमी0)।

12– प्रेमनगर–ठाकुरपुर मोड़–महेन्द्र चौक–उम्मेदपुर–परवल–शिमला बाईपास मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 9.0 किमी0)।

13– प्रेमनगर–चन्द्रबनी चौक मार्ग वाया पंडितवाड़ी, बल्लीवाला चौक, सब्जीमंडी–आईटीआई–शिमला बाईपास चौक–आईएसबीटी(मार्ग की लम्बाई – 12.0 किमी0)।

14– प्रेमनगर–रेलवे स्टेशन मार्ग वाया बल्लीवाला चौक–सहारनपुर चौक (मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।

15– प्रेमनगर–घण्टाघर वाया बल्लूपुर–किशननगर चौक–कनाट प्लेस(मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।

16– परेडग्राउण्ड–क्लेमनटाउन मार्ग –वाया सहारनपुर चौक–निरंजनपुर–माजरा– आईएसबीटी–सुभाषनगर(मार्ग की लम्बाई – 11.0 किमी0)।

17– आईएसबीटी–पेलियो–नयागांव मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 18.0 किमी0)।

18– बाजावाला–मसन्दावाला–कौलागढ़–ओएनजीसी–राजेन्द्रनगर–किशननगर चौक–बिन्दाल पुल–कनाट प्लेस– घण्टाघर–परेडग्राउण्ड मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 8.5 किमी0)।

शासन की अधिसूचना स0 972/ ix-1/50 (2015)/2016 द्वारा उक्त 18 मार्गो को मंजिली गाड़ी चलाने के लिये निर्मित किया गया है।

उपरोक्त मार्ग निर्मित होने की सूचना एवं विक्रम वाहनो को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद स0 25 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

''प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विक्रम टैम्पो परमिट धारको से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गो पर स्टेज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर लिये जाय तथा आगमी बैठक मे विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाये।''

देहरादून केन्द्र से वर्तमान में 25 कि0मी0 रेडियस हेतु लगभग 797 परमिट जारी है। विक्रम यूनियन देहरादून द्वारा वर्तमान मे देहरादून केन्द्र से संचालित विक्रम परमिट धारको को स्टेज कैरिज परमिट जारी किये जाने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो का विवरण निम्नवत हैः–

| क्र0 सं0 | मार्ग का नाम | आवेदनों की सं0 |
|---|---|---|
| 1 | सब्जी मंडी–लालपुल तिराहा (सहारनपुर रोड़) से महन्त इंद्रेश हॉस्पिटल–कारगी चौक–सरस्वती विहार–अजबपुरकला– धर्मपुर–पुलिस लाईन–रेलवे स्टेशन माग | – |
| 2 | आईएसबीटी से मोथरोवाला–दूधली मार्ग (मार्ग की लम्बाई – 16 किमी0)। | – |
| 3 | परेडग्राउण्ड–लाडपुर–जोगीवाला–रिस्पना–आईएसबीटी मार्ग | 15 |
| 4 | जोगीवाला–बद्रीपुर–नवादा–डिफेन्स कॉलोनी–रिस्पना–आराघर–सीएमआई हॉस्पिटल–प्रिंस चौक– तहसील–दर्शनलाल चौक–परेडग्राउण्ड | 19 |
| 5 | –एस्लेहॉल–दिलाराम चौक–हाथीबड़कला–विजय कॉलोनी–सर्किट हाउस–बीजापुर गेस्ट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–डाकरा–गढ़ीकैन्ट–टपकेश्वर | – |
| 6 | ग्रेट वैल्यू होटल चौराहे से दिलाराम बाजार–मयूर ऑटो–सालावाला–हाथीबड़कला–सर्किट हाउस–सप्लाई डिपो–अनारवाला–जोहड़ीगांव–भगवन्तपुर मोड़–मसूरी रोड़–मालसी–डायवर्जन | – |
| 7 | परेडग्राउण्ड–मालदेवता मार्ग | 23 |
| 8 | परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–ई0सी0 रोड़–नैनी बैकरी–यूकेलिप्टिस मोड़–दिलाराम–ग्रेट वैल्यू होटल चौराहा–साकेत | – |

| | | |
|---|---|---|
| | विहार–कण्डोली–बाला सुन्दरी मन्दिर कैनाल रोड़–धोरण मोड़–राजपुर रोड़ एन्कलेव–आई0टी0 पार्क–राजेश्वर नगर–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास–परिवहन आयुक्त कार्यालय– कुल्हान मार्ग | |
| 9 | परेडग्राउण्ड से दून हॉस्पिटल–एमकेपी–सीएमआई अस्पताल–आराघर–धर्मपुर–माता मंदिर–सरस्वती विहार चौक–बाईपास–बंगाली कोठी–पुलिस चौकी बाईपास–नवीन सचिवालय कॉलोनी–दून विश्वविद्यालय–इन्द्रेश हॉस्पिटल–मोथरोवाला चौक मार्ग | – |
| 10 | कुठालगेट–एस्लेहॉल मार्ग वाया मालसी–डियर पार्क | 25 |
| 11 | घण्टाघर–सीमाद्वार–मेहूवाला–तेलपुर चौक मार्ग। | 22 |
| 12 | प्रेमनगर–ठाकुरपुर मोड़–महेन्द्र चौक–उम्मेदपुर–परवल–शिमला बाईपास मार्ग | – |
| 13 | प्रेमनगर–चन्द्रबनी चौक मार्ग वाया पंडितवाड़ी, बल्लीवाला चौक, सब्जीमंडी–आईटीआई–शिमला बाईपास चौक–आईएसबीटी | 12 |
| 14 | प्रेमनगर–रेलवे स्टेशन मार्ग वाया बल्लीवाला चौक–सहारनपुर चौक | 01 |
| 15 | प्रेमनगर–घण्टाघर वाया बल्लूपुर–किशननगर चौक–कनाट प्लेस | 54 |
| 16 | परेडग्राउण्ड–क्लेमनटाउन मार्ग | 142 |
| 17 | आईएसबीटी–पेलियो–नयागांव मार्ग | – |
| 18 | बाजावाला–मसन्दावाला–कौलागढ़–ओएनजीसी–राजेन्द्रनगर–किशननगर चौक–बिन्दाल पुल–कनाट प्लेस–घण्टाघर– परेडग्राउण्ड | 11 |
| | **कुल योग** | **324** |

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0– 29– ऋषिकेश केन्द्र से जारी (6+1) सीटर टेम्पो ठेका परमिट को (7+1) सीटर स्टेज कैरिज में परवर्तित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।**

ऋषिकेश विक्रम मालिक चालक एसोसियेशन शिवानन्द झूला, मुनि की रेती ऋषिकेश के द्वारा एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि '' ऋषिकेश में विक्रम काफी समय से सेवा दे रहे है, निवेदन है, कि हमारी गाडी को (6+1) ठेका परमिट को (7+1) स्टेज कैरिज मे परिवर्तित करने की कृपा करे, ताकि वाहन स्वामियों को हो रही परेशानियों से बचा जा सके, तथा स्थानीय सवारियो को भी सुविधा मिल सके। महोदय् एक सवारी बढने से राजस्व मे भी वृद्वि होगी।

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है, कि देहरादून केन्द्र से संचालित विक्रम वाहनो को 25 कि0मी0 रेडियस के परमिट जारी है। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे देहरादून केन्द्र से संचालित अधिकतर परमिट धारको ने अपनी वाहन को (6+1) के स्थान पर (7+1) में परवर्तित कराया गया है। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान मे इन वाहनो को टेम्पो ठेका परमिट के स्थान पर मैक्सी कैब ठेका परमिट मे परवर्तित कर परमिट जारी किये गये है। वर्तमान मे शासन द्वारा देहरादून नगर में निर्मित किये गये हल्की मोटर वाहनो के 18 मार्गो पर स्टेज कैरिज परमिट जारी किये जाने का मामला गतिमान है ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद स0–30 (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत जारी मैक्सी ठेका मार्ग परमिट स0 3279 को सामान्य श्रेणी के व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।**

जिलाधिकारी, देहरादून ने अपने कार्यालय पत्र स0 1149/पेशकार/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिह पुत्र श्री स्व0 जसराम का मा0 विधायक विकानगर विधान सभा क्षेत्र को सम्बोधित पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करते हुये यथोचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस संबध मे आख्या निम्न प्रकार है–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.3.2011 के मद स0– (मार्ग स0–3 व 4) के द्वारा श्री राजेन्द्र सिह पुत्र श्री जयराम नि0 ग्राम नम्बरपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून को अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्ग परमिट स0 मैक्सी 3279 वाहन स0 यू0के0–07टीए–4752 पर आई0एस0बी0टी0 से सेवलाकंला–गोतमकुण्ड –हरभजवाला–तुन्तोवाला–चोयला मार्ग हेतु जारी कियाा गया है, जिसकी वर्तमान मे वैधता 29.4.2021 तक है । प्राधिकरण ने उक्त परमिट जारी करते समय निम्न शर्त आरोपित की गई है–

***परमिट 03 वर्ष से पूर्व हस्तान्तरित नही किया जाएगा, तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जायेगा ।***

श्री राजेन्द्र सिह ने मा0 विधायक श्री मुन्नासिंह चौहान विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके द्वारा यह निवेदन किया गया है, कि '' प्रार्थी को अेपनी पुत्री के विवाह हेतु धनराशि की आवश्यकता आन पड़ी है, जिस कारण प्रार्थी अपना उक्त वाहन विक्रय करना चाहता है, लेकिन अनुसूचित श्रेणी मे कोई खरीददार नही मिल रहा है, जिस हेतु प्रार्थी अपने वाहन को सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को बेचना चाहता है, जिससे की वाहन विक्रय हो जाये व प्रार्थी को अपनी पुत्री का विवाह करने हेतु धनराशि प्राप्त हो सके ।''

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

**मद स0–30 (ख) (1) <u>श्री मदन सोनकर के द्वारा परमिट स0 मैक्सी–3216 टाटा मैजिक के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार व आदेश</u> ।**

श्री मदन सोनकर पुत्र श्री बिल्लू सोनकर नि0 81 चक्खुवाला देहरादून के नाम पर ठेका परमिट स0 मैक्सी 3216 सैन्य कॉलोनी– नीलकंठ बिहार– कालीदास चौक– सर्वेचौक– मातावाला बाग– कारगी आई0एस0बी0टी मार्ग हेतु जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 07.4.2016 को

समाप्त हो गई है। परमिट धारक द्वारा दिनांक 06.4.2016 में परमिट नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन परमिट नवीनीकरण हेतु अन्य औपचारिकताये पूर्ण नही की गई तथा निर्धारित शुल्क जमा नही कराया गया है। जिस कारण से परमिट नवीनीकरण की कार्यवाली पूर्ण नही की जा सकी है। इस सम्बन्ध में श्री मदन सोनकर के द्वारा दिनांक 27.8.2017 मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, कि पिता जी की बीमारी के कारण परिवार में आर्थिक संकट आ जाने के कारण वह अपने परमिट का नवीनीकरण नही करा पाये है। अब उनके परमिट का नवीनीकरण कर दिया जायैं

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें।

**(2) श्री किशोर कुमार के द्वारा परमिट स0 मैक्सी–3232 टाटा मैजिक के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवदेन पर विचार व आदेश।**

श्री किशोर कुमार पुत्र श्री विचित्र सिह नि0 फतेहपुर हर्वटपुर देहरादून के नाम पर ठेका गाडी परमिट स0 मैक्सी–3234 (आई0एस0बी0टी0–शिमला बाईपास–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चोयला– परेडग्राउन्ड), वाहन स0 यू0के0–07टीए–4648 टाटा मैजिक वाहन पर जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 14.4.2016 मे समाप्त हो चुकी है । प्राधिकरण की नीति अनुसार 01 वर्ष तक परमिट नवीनीकरण न होने पर परमिट स्वतः समाप्त माना जायेगा। श्री किशोर कुमार ने दिनांक 16.10.2017 मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदेन किया है, कि वह अपनी बीमारी, तथा परिवारिक परिस्थितियो के कारण वाहन का संचालन नही कर पायैं, इसलिये परमिट का नवीनीकरण नही करा पाये थे, उनके ,द्वारा पुनः परमिट नवीनीकरण हेतु प्रार्थना की है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**(3) श्री सुशील कुमार यादव के परमिट स0 टेम्पो–4438 पर नई वाहन प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तुत आवदेन पर विचार व आदेश**

श्री सुशील कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र यादव निवासी माजरी ग्रान्ट डोईवाला, देहरादून के नाम पर परमिट स0 टेम्पो–4438 जारी है, जिसकी वैधता दिनांक 02.7.2017 तक थी। परमिट धारक द्वारा वाहन स0 यू0ए0–07एल–9741 के स्थान पर नई वाहन प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय में दिनांक 04.3.2016 में आवेदन किया गया था। प्रतिस्थापन की स्वीकृति जारी हुये 01 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, प्राधिकरण की नीति अनुसार 01 वर्ष तक वाहन का प्रतिस्थापन न कराने पर परमिट समाप्त माना जायेगा। इस सम्बन्ध में श्री सुशील कुमार के द्वारा निवेदन किया गया है, नया वाहन न मिलने के कारण एवं अस्वस्थ रहने के कारण वह समय से नई वाहन का प्रतिस्थापन नही करा पाये है । उनके द्वारा नई वाहन लगाने हेतु और समय प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारिंत करने की कृपा करें ।

(4) **<u>परमिट स0 टेम्पो–4985 रूड़की केन्द्र के परमिट धारक के गुमशुदा हो जाने के कारण परिवार के आश्रितो द्वारा परमिट के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश</u>** –

परमिट स0 टेम्पो–4985 रूड़की केन्द्र श्री मन बहादूर पुत्र श्री लाल बहादुर नि0 715 खंजनपुर रूड़की हरिद्वार के नाम पर जारी है, जिस पर वाहन स0 यू0के0–08टीए–3067 टैम्पो विक्रम संचालित है। परमिट की वैधता दिनांक 23.1.2017 को समाप्त है। परमिट धारक के भाई सर्वश्री धनबहादुर, श्री गंगा बहादुर, श्री पद्म बहादुर पुत्रगण स्व0 श्री लाल बहादुर निवासी खंजरपुर रूड़की जिला हरिद्वार ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये यह निवेदन किया है,कि परमिट धारक उनके भाई श्री मन बहादुर उर्फ गप्पू दिनांक 22.5.2015 से लापता है, जिसके गुम हो जाने की पुलिस रिर्पोट थाना गंगनहर रूड़की मे दिनांक 13.8.2015 में दर्ज कराई गई है । परमिट धारक श्री मनबहादुर गुमशदा के समय अविवाहित रहा है। परमिट धारक के गुम हो जाने के उपरांत वाहन की देखभाल उनका छोटा भाई पद्म बहादुर कर रहा है। परमिट धारक के उपस्थित न होने के कारण परमिट का नवीनीकरण नही हो पा रहा है। श्री मन बहादुर के गुमशुदा हो जाने के कारण प्रार्थीगण सगे भाई कानूनी व जायज वारिस है, इसी कारण प्रार्थीगण उपरोक्त टैम्पो के परमिट का रिनिवल कराना चाह रहे है, न्यायहित में उपरोक्त टैम्पो के परमिट का रिनिवल किया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–81 मे परमिट नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र परमिट धारक के द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

(5) परमिट स0 ऑटो–6752 के धारक की मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित श्रीमती भगवान देवी के परमिट हस्तान्तरण एवं नवीनीकरण संबध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।

श्री रेखा देवी पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द 140 सर्वहारा नगर, काली की ढाल, ऋषिकेश ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2018 के द्वारा निवेदन किया है कि वाहन सं0 यूके07टीसी 0870 का परमिट ऑटो 6752 दिनांक 01.01.2015 को समाप्त हो गया था। उक्त वाहन व परमिट उनके पति श्री सुभाष चन्द के नाम पंजीकृत है। जिनकी मृत्यु दिनांक 03.04.2013 को हो चुकी है। प्रार्थीनी वाहन को समय में हस्तान्तरण एंव नवीनीकरण नही करा सकी। प्रार्थीनी के द्वारा उक्त परमिट को अपने नाम हस्तान्तरण एंव नवीनीकरण करने का अनुरोध किया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**(6) परमिट स0 ऑटो–5602 के धारक की मृत्यू हो जाने पर मृतक आश्रित श्रीमती भगवान देवी के परमिट हस्तान्तरण एवं नवीनीकरण संबध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।**

परमिट स0 ऑटो 5602 हरिद्वार केन्द्र श्री राम बाबू पुत्र श्री मंगल सिंह पहाडी बाजार, कनखल, हरिद्वार के नाम पर जारी था, जिस पर वाहन स0 यू0के0–08टीए–0596 ऑटो संचालित है। परमिट की वैधता दिनांक 01.08.2014 को समाप्त है। परमिट धारक की पत्नी श्रीमती भगवान देवी निवासी चौक बाजार कनखल, हरिद्वार ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये यह निवेदन किया है, कि प्रार्थिनी के पति गंभीर बीमारी से पीडित होने के कारण परमिट का नवीनीकरण नही करा पाये थे, उसके बाद प्रार्थिनी के पति की मृत्यु को जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं हो पाया। प्रार्थिनी के द्वारा उक्त परमिट अपने नाम करने तथा परमिट नवीनीकरण करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**(7) परमिट स0 ऑटो–7264 के धारक की मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित मोहसीन के नाम परमिट हस्तान्तरण एवं नवीनीकरण के संबध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।**

परमिट स0 ऑटो 7264 हरिद्वार केन्द्र से रेशमा पुत्री श्री मोबिन अहमद मौ0 चौहानाना, कस्सावान, ज्वालापुर, हरिद्वार के नाम पर जारी था, जिस पर वाहन स0 यू0के0–08टीए–1187 ऑटो संचालित है। परमिट की वैधता दिनांक 10.03.2015 को समाप्त है। परमिट धारक के भाई मोहसीन पुत्र श्री मोबिन अहमद, कस्सावान, सोनिया बस्ती, ज्वालापुर, हरिद्वार ने परमिटधारक का मृत्यु प्रमाण–पत्र, जिलाधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक सदस्यों के सत्यापन का प्रमाण के साथ सदस्यों के शपथ पत्र संलग्न कर अनुरोध किया है कि उनकी बहन की आकसमिक मृत्यु हो जाने के कारण वे परमिट का नवीनीकरण एंव हस्तान्तरण नहीं करा पाये। उनके द्वारा उक्त परमिट अपने नाम करने तथा परमिट नवीनीकरण करने का अनुरोध किया गया है।

**(8) परमिट स0 टैम्पो –2850 पर संचालित वाहन सं0 यूपी 10बी 1479 के स्थान पर ऊचे मॉडल की वाहन का प्रतिस्थापन करने हेतु समय सीमा बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।**

परमिट स0 टैम्पो 2850 जो हरिद्वार केन्द्र से श्री करन पुत्र श्री राजपाल 572 सराय, ज्वालापुर, हरिद्वार के नाम जारी है। जिस पर वाहन स0 यूपी 10बी– 1479 टैम्पो संचालित है। परमिट धारक के आवेदन पर दिनांक 17.06.2016 को ऊचे मॉडल की वाहन का प्रतिस्थापन की वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु 02 माह का समय प्रदान किया गया था। परन्तु परमिट धारक ने अपने पत्र दिनांक 16.02.18 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी पैरालाइज बीमारी से ग्रसित होने के कारण अपनी रिपलेसमेंट पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नही करा पाया था। जिस कारण अब वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु रिपेलसमेंट पर समय बढाने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**(9) श्री धीरज कुमार पुत्र श्री राम किशोर के द्वारा परमिट स0 मैक्सी–4127 टाटा मैजिक के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार व आदेश।**

श्री धीरज कुमार पुत्र श्री राम किशोर, 149 पहाडी पीर, देहरादून के नाम पर ठेका गाडी परमिट सं0 मैक्सी–4127 (बिष्ट गॉव–गाजियावाला– सप्लाई– सैनिक– अस्पताल– थाना कैन्ट– बल्लुपुर रोड– बल्लीवाला– से शिमला बाईपास– आई0एस0बी0टी0) वाहन स0 यू0के0–07टीए–5488 टाटा मैजिक वाहन पर जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 07.12.2016 मे समाप्त हो चुकी है। प्राधिकरण की नीति अनुसार 01 वर्ष तक परमिट नवीनीकरण न होने पर परमिट स्वतः समाप्त माना जायेगा। श्री धीरज कुमार ने दिनांक 17.02.2018 मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है, कि वह अज्ञान्ता और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वाहन का संचालन नही कर पाये इसलिये परमिट का नवीनीकरण नही करा पाये थे, उनके ,द्वारा पुनः परमिट नवीनीकरण हेतु प्रार्थना की है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**(10) संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक 10.09.2014 में स्वीकृति ऑटो रिक्शा परमिट प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन पर विचार व आदेश।**

श्री भगतराम पुत्र श्री विशनलाल हरिपुर कला, मोतीचूर रायवाला, देहरादून ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2018 द्वारा सूचित किया है कि अक्टूबर, 2014 में उनको ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो परमिट की स्वीकृति जारी किया गया था। प्रार्थी ने स्वीकृति पत्र के आधार पर ऑटो रिक्शा वाहन सं0 यूके 14टीए 0298 ऋषिकेश कार्यालय में पंजीकृत करा ली थी। परन्तु लम्बी बीमारी के कारण वाहन का परमिट प्राप्त नहीं कर सका। उन्होंने निवेदन किया है कि प्रार्थी को ऑटो का परमिट जारी कर दिया जाये।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 को ऋषिकेश/हरिद्वार केन्द्र के ऑटो रिक्शा परमिट स्वीकृत किये गये थे। प्रार्थी श्री भगत राम को कार्यालय के पत्र सं0 157/आरटीए/ऑटो स्वीकृति/14 दिनांक 13.10.2014 द्वारा हरिद्वार केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्वब्यास के ऑटो रिक्शा परमिट के लिये स्वीकृति पत्र जारी किया गया था।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद सं0 31 <u>स्थायी विक्रम टेम्पो /ऑटो रिक्शा परमिटो के नवीनीकरण हेतु विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार व आदेश।</u>**

निम्नलिखित विक्रम/आटो रिक्शा के परमिटो के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र 01 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्राप्त हुये है, प्रार्थियो द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये परमिटो का नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्रो का विवरण निम्न प्रकार है –

| क्र0 सं0 | प्रार्थना पत्र प्राप्त की तिथि | परमिट धारक का नाम | वाहन संख्या | परमिट सख्यां | परमिट की वैधता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.9.2017 | श्री गुलशन सिंह | यू0के0–07टीए–3309 | आटो–4194 | 08.3.2015 |
| 2 | 10.10.2017 | श्री विवेक पंवार | यू0के0–07टीए–8256 | ऑटो–5656 | 30.6.2016 |
| 3 | 10.10.2017 | श्री लक्ष्मण सिंह | यू0के0–07टीए–8037 | ऑटो–4553 | 05.12.2015 |
| 4 | 13.10.2017 | श्री शमीम | यू0के0–08टीए–2150 | ऑटो–8073 | 30.8.2016 |
| 5 | 16.10.2017 | श्री जमशेद अली | यू0के0–08टीए–2711 | ऑटो– 4997 | 17.6.2016 |
| 6 | 16.10.2017 | श्री चन्दन सिंह | यू0के0–07टीए–1222 | ऑटो– 5922 | 28.1.2014 |
| 7 | 16.10.2017 | श्री इस्लामुद्दीन | यू0के0–08टीए–2196 | ऑटो– 8019 | 30.8.2015 |
| 8 | 13.10.2017 | श्री शमीम | यू0के0–08टीए–2150 | ऑटो–8073 | 30.8.2015 |
| 9 | 29.8.2017 | श्री शब्बीर अहमद | यू0ए0–07टीए–8556 | टेम्पो–2813 | 01.8.2016 |
| 10 | 14.12.2017 | श्री अनिल कुमार | यू0ए0–07–3533 | टेम्पो–4123 | 22.1.2016 |
| 11 | 14.12.2017 | श्री संदीप कुमार | यू0के0–08टीए–4180 | ऑटो– 1481 | 24.5.2016 |
| 12 | 18.12.2017 | श्रीमती सविता देवी | यू0के0–08टीए–1761 | ऑटो–7658 | 18.12.2015 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21.12.2017 | श्रीमती आयशा | यू0के0–08टीए–0632 | ऑटो–5534 | 09.5.2014 |
| 14 | 27.12.2017 | श्री सन्तोष कुमार | यू0के0–07टीए–1323 | ऑटो–5975 | 02.2.2014 |
| 15 | 07.02.2018 | श्री याकील | यू0के0–08टीए–3106 | टैम्पो 4972 | 23.01.2017 |
| 16. | 07.02.2018 | श्रीमती सुबलेश | यू0के0–08टीए–2932 | टैम्पो 4829 | 05.01.2017 |
| 17. | 14.02.2018 | श्रीमती रेखा चौहान | यू0के0– 08टीए 1671 | आटो– 7607 | 11.08.2015 |
| 18. | 16.02.2018 | श्री अख्तर हुसैन | यू0के0–07 2917 | ऑटो 7123 | 03.03.2015 |
| 19. | 16.02.2018 | श्रीमती इमराना | यू0के0–08टीए 3036 | टैम्पो– 5143 | 30.01.2017 |
| 20. | 16.02.2018 | श्री जावेद अन्सारी | यू0के0–08टीए 2858 | टैम्पो– 4810 | 03.01.2017 |
| 21. | 16.2.2018 | श्री अतीक | यू0के0–08टीए 2919 | टैम्पो– 4828 | 04.01.2017 |
| 22. | 16.2.2018 | श्री सन्दीप कुमार | यू0के0–08टीए 3196 | टैम्पो– 5062 | 26.01.2017 |
| 23. | 16.2.2018 | श्री बिमल देवी | यू0के0–08टीए 2808 | टैम्पो– 2583 | 01.07.2016 |
| 24 | 16.2.2018 | श्री मौबीन | यू0के0–08टीए 1792 | ऑटो 7714 | 24.08.2015 |
| 25 | 16.2.2018 | श्री प्रदीप कुमार | यू0के0–08टीए 3135 | टैम्पो– 5073 | 30.01.2017 |
| 26. | 16.2.2018 | श्री अमजद | यू0के0–08टीए 3097 | टैम्पो– 4995 | 23.01.2017 |
| 27. | 16.2.2018 | श्री जमशेद हसन | यू0के0–08टीए 2893 | टैम्पो– 4851 | 09.01.2017 |
| 28. | 16.2.2018 | श्री मित्रपाल | यू0के0–08टीए 2067 | ऑटो 8000 | 30.08.2015 |
| 29. | 16.2.2018 | श्री इमरान | यू0के0–08टीए 3104 | टैम्पो– 4977 | 23.01.2017 |
| 30. | 16.2.2018 | श्री मोहसीन | यू0के0–08टीए | टैम्पो– 4828 | 04.01.2017 |
| 31 | 16.2.2018 | श्री पूनम रानी | यू0के0–08टीए 1315 | ऑटो 7520 | 19.03.2015 |
| 32. | 16.2.2018 | श्री नौशाद | यू0के0–08टीए 3004 | टैम्पो– 4892 | 16.01.2017 |
| 33. | 16.2.2018 | श्री सन्दीप | यू0के0–08टीए 8890 | ऑटो 7294 | 07.01.2015 |
| 34 | 16.2.2018 | श्री महेश शर्मा | यू0ए0–08जे0–2883 | ऑटो–3839 | 20.9.2013 |
| 35 | 16.2.2018 | श्री अमरीश कुमार | यू0के0–08टीए–3294 | टेम्पो–5117 | 30.1.2017 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17.2.2018 | श्री अशोक कुमार | यू0के0–08टीए–4111 | टैम्पो–2419 | 10.1.2016 |
| 37 | 16.02.2018 | श्री दिलशाद | यू0के0 –08टीए–2378 | ऑटो– 4901 | 24.04.2016 |
| 38. | 16.02.2018 | श्री सत्तार | यू0के0–08टीए– 2863 | टैम्पो– 4838 | 08.01.2017 |
| 39 | 17.02.2018 | श्री इमराना | यू0के0– 08टीए–3036 | टैम्पो– 5143 | 30.01.2017 |
| 40 | 17.02.2018 | मुस्तकिम | यू0के0– 08टीए– 3193 | टैम्पो –5059 | 26.01.2017 |
| 41 | 17.2.2016 | श्री अनूप पाल | यू0के0–08टीए–1777 | ऑटो–7640 | 13.8.2015 |

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प सं0 9 द्वारा ऑटो/टैम्पो परमिट के नवीनीकरण के हेतु नीति निर्धारित की गई है, जो निम्न प्रकार हैः–

(1) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) विगत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया जायेगा। दूसरी बार के विलम्ब को रू0 100/– शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

(3) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनें फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) उत्तराखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली– 2011 के नियम 82(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र को एक माह तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। एक माह से छः माह तक के विलम्ब के लिये रू0 200/प्रशमन शुल्क प्रति माह। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये रू0 500/– प्रशमन शुल्क प्रति माह।

01 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है, कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 में विलम्ब से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध मे प्राधिकरण ने गम्भीरता से विचारोपरान्त रू0 7500/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर परमिटो का नवीनीकरण स्वीकृत किया था। जिसके लिये परमिट धारको को दिनांक 31.5.2017 तक समय प्रदान किया था।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0 32–(क) श्री सन्दीप कुमार बक्शी पुत्र श्री परसराम के द्वारा परमिट सं0 टैम्पो 5149 का हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।**

श्री सन्दीप कुमार बक्शी पुत्र श्री परसराम निवासी– गॉव दिनारपुर पो0 सुभाषगढ, जिला– हरिद्वार ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2018 के द्वारा सूचित किया है कि वाहन सं0 यू0के0 टीए 3273 व परमिट सं0 5149 द्वितीय पक्ष संजीव कुमार पुत्र श्री के0डी0 सिंह निवासी– पुरानी ऋषिकेश रोड शेखपुरा, कनखल हरिद्वार से खरीदा था मगर द्वितीय पक्ष संजीव कुमार का वाहन फाईनेन्स था जिसका फाईनेन्सर से लेन दने पर विवाद था जिस कारण वाहन द्वितीय पक्ष के नाम ट्रांसफर नही हो पाया उस समय वाहन ट्रासंफर के सम्पूर्ण कागजात स्टाम पेपर तैयार कर लिये थे मगर फाईनेसर से विवाद होने के कारण एनओसी प्राप्त नही हो सकी थी जिससे यह वाहन उस समय ट्रासफर नही हो सका अब फाईनेन्सर से एनओसी प्राप्त हो चुकी है तथा हरिद्वार कार्यालय में यह वाहन ऋण मुक्त हो चुका है। इसी बीच द्वितीय पक्ष अपना निवास स्थान छोडकर कही अन्य जगह जा चुका है। काफी खोज करने के बाद भी द्वितीय पक्ष से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है इस वाहन का परमिट का नवीनीकरण भी होना है तथा वाहन ट्रांसफर भी होना है। प्रार्थी के वाहन का संचालन नहीं हो पा रहा है जिस कारण प्रार्थी बेरोजगार हो चुका है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि टैम्पो परमिट सं0 5149 वाहन सं0 यूके 07टीए 3273 के लिये दिनांक 31.01.2012 को श्री संजीव पुत्र श्री के0डी0 सिंह निवासी– पुरनी ऋषिकेश रोड, शेखूरा कनखल, हरिद्वार के नाम जारी है। उक्त परमिट की वैधता दिनांक 30.01.2017 को समाप्त हो चुकी है।

(ख) **श्री सलमान पुत्र श्री शरीफ अहमद के द्वारा परमिट सं0 ऑटो– 7212 का हस्तान्तरण /नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।**

श्री सलमान पुत्र श्री शरीफ अहमद के द्वारा प्रार्थना पत्र पस्तुत किया है, कि वाहन स0 यू0के0–08टीए–1178 जो परमिट स0 ऑटो–7212 श्री शिवकुमार पुत्र श्री सीया सिंह पहाडी बाजार कनखल हरिद्वार से दिनांक 01.10.2016 में क्रये किया गया था । लेकिन फाईनेसर से विवाद होने के कारण उनकी वाहन एवं परमिट हस्तान्तरण नही हो पाया है । वर्तमान मे परमिट धारक श्री शिवकुमार अपने निवास पर उपलब्ध नही हो पा रहे है,

जिस कारण से वाहन /परमिट हस्तान्तरण एवं परमिट नवीनीकरण की कार्यवाही नही हो पा रही है, जबकि परमिट की वैधता दिनांक 07.3.2015 मे समाप्त हो चुकी है, जबकि वाहन उनके घर पर खड़ा है । उनके द्वारा निवेदन किया गया है, कि उनकी आर्थिक स्थिती को देखते हुये, उनके परमिट हस्तान्तरण एवं नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाये ।

**(ग) श्री अतीक पुत्र श्री शरीफ अहमद के द्वारा परमिट स0 ऑटो 7509 का हस्तान्तरण/नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे विचार व आदेश –**

श्री अतीक अहमद पुत्र श्री शरीफ अहमद के द्वारा प्रार्थना पत्र पस्तुत किया है, कि वाहन स0 यू0के0–08टीए–1243 जो परमिट स0 ऑटो–7509 श्री राजपाल पुत्र श्री बुल्लन सिह 749 भूपतवाला, हरिद्वार से क्रये किया गया था । लेकिन फाईनेसर से विवाद होने के कारण उनकी वाहन एवं परमिट हस्तान्तरण नही हो पाया है, जबकि वाहन के ट्रासफर के कागजान पूर्व मे तैयार किये जा चुके थे । वर्तमान मे परमिट धारक राजपाल का पता नही है, काफी खोजबीन भी कर चुके है, वाहन स्वामी हरिद्वार छोड़कर जा चुके है,। , जबकि परमिट की वैधता दिनांक 19.3.2015 में समाप्त हो चुकी है, । उनके द्वारा निवेदन किया गया है, कि उनकी आर्थिक स्थिती को देखते हुये, उनके परमिट हस्तान्तरण एवं नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाये ।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामलों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–33– श्री बलराम पुत्र श्री गया सिंह के द्वारा टेम्पो–3027 पर नई वाहन के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विचार व आदेश**

श्री बलराम पुत्र श्री गया सिहं के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2017 के द्वारा निम्न निवेदन किया गया है ''प्रार्थी के नाम पर परमिट स0 टेम्पो–3027 रूडकी केन्द्र के लिये जारी है। परमिट की वैधता दिनांक 17.5.2011 में समाप्त हो गई थी। परमिट के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 में अनुमति प्राप्त होने के उपरांत परमिट के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया था, तथा इस परमिट पर संचालित वाहन स0 यू0पी0–07सी–3151 के स्थान पर नई वाहन के प्रतिस्थापन हेतु अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध मे मेरे द्वारा परमिट के नवीनीकरण के साथ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये शास्ति रू0 7500–00 दिनांक 16.5.2016 मे जमा करा दिये गये थे। कार्यालय द्वारा परमिट स0 टेम्पो–3027 पर नई वाहन के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 16.5.2016 में 02 माह का समय प्रदान किया गया था। महोदय् परन्तुं पैसे का इंतजाम नही होने के कारण वाहन क्रय नही कर पाया था, इसके पश्चात यूरो–3 वाहन का पंजीयन बन्द हो गया, और विक्रम वाहन यूरो–4

मार्केट मे न आने के कारण मै वाहन क्रय नही कर पाया हूँ। वर्तमान में प्रतिस्थापन प्राप्त किये हुये 01 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, जिस कारण से मेरा कार्य नही हो पा रहा है। अतः महोदय् से प्रार्थना है, कि मेरे परमिट पर नई वाहन लगाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध मे आख्या निम्न प्रकार है, श्री बलराम पुत्र श्री गया सिंह नि0 हनुमान मन्दिर, वीरभद्र ऋषिकेश के नाम पर परमिट स0 टैम्पो–3027 रूडकी केन्द्र हेतु जारी है, जिसकी वैधता दिनांक 17.5.2011 मे समाप्त थी। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 के मद स0 18 में अन्य आवेदको के साथ श्री बलराम के परमिट स0 टैम्पो–3027 के नवीनीकरण का मामला प्रस्तुंत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण ने निम्न आदेश पारित किये थे–

***रू0 7500/– प्रश्मन शुल्क जमा करने पर परमिट का नवीनीकरण स्वीकार किया जाता है, प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि जिन परमिटों की वैधता /प्रतिस्थापन दिनांक 30.9.2015 तक समाप्त हुये 05 वर्ष पूर्ण नही हुये है, यदि उनके नवीनीकरण/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन किया जाता है, तो उन प्रार्थना पत्रो का निस्तारण सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर दिनांक 31.5.2016 तक किया जायेगा।***

प्राधिकरण के उक्त आदेशो के अनुपालन मे श्री बलराम ने अपने परमिट नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्धारित प्रश्मन शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क रू0 8400.00 कार्यालय रसीद स0 614798 से दिनांक 16.5.2016 मे जमा कराया गया है, तथा परमिट स0 टेम्पो–3027 पर नई वाहन के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन किया गया था, जिस पर कार्यालय पत्र स0 270/आरटीए/टैम्पो–3027/2016 दिनांक 16.5.2016 के द्वारा नई वाहन प्रस्तुत करने हेतु 02 माह का समय प्रदान किया गया था। इसके उपरांत श्री बलराम के द्वारा अपने परमिट पर नई वाहन प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तुत न किये जाने के कारण परमिट के नवीनीकरण का मामला लम्बित् चल रहा है, जबकि प्रतिस्थापन की स्वीकृति प्राप्त किये हुये 01 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। प्राधिकरण की निति अनुसार 01 वर्ष पश्चात परमिट समाप्त हो गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–34 – श्री अकबर पुत्र श्री रहमत के ऑटो परमिट स0 4067 के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।**

परमिट स0 ऑटो–4067 देहरादून केन्द्र श्री अकवर पुत्र श्री रहमत नि0 43 गॉधी रोड देहरादून के नाम पर जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 21.5.2004 को समाप्त हो चुकी है । श्री रहमत द्वारा आवेदन किया गया है, कि '' मेरी दुर्घटना होने के कारण मेरे पैर मे चोट लग गयी थी, और मै चलने फिरने के लायक नही रहा था, इसी वजह से परमिट का नवीनीकरण नही करा सका था, कृपया मेरे ऑटो रिक्शा परमिट का नवीनीकरण करने की कृपा करें ।''

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है, कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प सं0 9 द्वारा ऑटो परमिट के नवीनीकरण के हेतु नीति निर्धारित की गई है, जो उसके अनुसार 01 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। इसके उपरांत 01 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हुये परमिट के नवीनीकरण का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 एवं दिनांक 17.12.2016 में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 17.12.2016 में यह निर्णय लिया था किः–

*"रू0 7500/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर परमिट का नवीनीकरण स्वीकार किया जाता है, प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि जिन परमिट को वैधता/प्रतिस्थापन दिनांक 30.9.2015 तक समाप्त हुये 05 वर्ष पूर्ण नही हुये है, यदि उनके नवीनीकरण/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन किया जाता है, तो उन प्रार्थना पत्रो का निस्तारण सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर दिनांक 31.5.2016 तक किया जायेगा / '*

अर्थात प्राधिकरण द्वारा केवल उन परमिटो के नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी, जिनको समाप्त हुये 05 वर्ष से अधिक का समय नही हुआ है। लेकिन परमिट स0 ऑटो–4067 की वैधता दिनांक 21.5.2004 में समाप्त है, जिसे समाप्त हुये लगभग 13 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0 –35** **Battery Operated Three Wheeler passanger Carrier-L5M, 03+1, 04+1 Seats के वाहन पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

भारत सरकार के राजपत्र स0 2125 30 अगस्त, 2016 के द्वारा निम्न आदेश किये गये है " केन्द्रीय सरकार, मोटर या अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–66 की उप धारा–(3) के खड(ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश देती है, कि उक्त अधिनियम की धारा–66 की उपधारा(1) के उपबंध, उपरोक्त अधिनियम की धारा 2क मे यथा परिभाषित ई–कार्ट और ई–रिक्शा वाहन जो क्रमशः मालों और वैयक्तिक सामान के साथ यात्रियों के वहन योजना के लिये उपयोग किए जाते या किए जाने है, के प्रवर्ग के परिवहन यानों को लागू नही होगे।" परंतु राज्य सरकार इन यानों को विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विनिर्दिष्ट सड़को पर चलाने पर समुचित यातायात विधियों के अधीन निबंधन अधिरोपित कर सकती है।

अर्थात वर्तमान में ई–रिक्शा वाहन पर परमिट की आवश्यकता नही है । लेकिन **VIDHUT-P1 Battery Operated Three Wheeler passanger** वाहन जिसकी नेट पांवर 2200 W तथा 33 km/h है । परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा इस वाहन का निरीक्षण कर पंजीयन हेतु अनुमोदन पत्र स0 2964/टी0आर0/सत्रह–तीन/पंजी0–अनुमोदन/2017 दिनांक 03 जून, 2017 जारी किया गया है, जिसमें यह शर्त आरोपित की

गई है, कि उक्त वाहन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–66 की उपधारा(1) में दी गई है व्यवस्थानुसार परमिट के आच्छॉदित होगी । इसी तरह **ET Uvraj 3w BEV-L5M,Categary-L5M,Passanger Vehicle,04+1** Seats वाहन का अनुमोदन मुख्यालय द्वारा अपने पत्र स0 1459/टी0आर0/सत्रह–तीन/पंजी0–अनुमोदन/2016–17 दिनांक 01.4.2017 के द्वारा किया गया है, इसमें भी यह शर्त आरोपित की गई है, कि उक्त वाहन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–66 की उपधारा(1) में दी गई है व्यवस्थानुसार परमिट के आच्छॉदित होगी ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि वर्तमान में देहरादून संभाग में थ्रीव्हीलर (3+1) डीजल/पेट्रोल हेतु विभिन्न केन्द्रो से 25 कि0मी0 रेडियस के परमिट जारी है–

| क0स0 | केन्द्र का नाम | परमिटों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | देहरादून | 2342 |
| 2. | ऋषिकेश | 632+40 |
| 3. | हरिद्वार | 1835+680 |
| 4. | रूड़की | 57+1 |

वर्तमान में ई–रिक्शा वाहनो का पंजीयन विभिन्न कार्यालयो में फ्री पॉलिसी के अन्तर्गत किया जा रहा है, जो विभिन्न मार्गो पर संचालित है। उपरोक्त मॉडल ई–ऑटो वाहनो के संचालन के लिये परमिट जारी किये जाने हेतु आवेदको के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण **परिशिष्ट–छ** में दिया गया है ।

अतः प्राधिकरण बैटरी चालित थ्रीव्हीलर वाहनो को संभाग के विभिन्न मार्गो पर संचालन हेतु परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद स0–36** **ऑटो रिक्शा वाहनो का मार्ग रेडियस 25 कि0मी0 से 40 कि0मी0 किये जाने तथा ऑटो रिक्शा वाहनो में किराये का मीटर लगाने के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।**

(1) दून ऑटो रिक्शा यूनियन देहरादून के प्रत्यावेदन मे अन्य मॉगो के साथ आटो रिक्शा वाहनो का मार्ग रेडियस 25कि0मी0 से 40 कि0मी0 किये जाने का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.12.2016 के अनुपुरक मद स0–4 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है।

**''इस मद के अन्तर्गत दून आटो रिक्शा यूनियन देहरादून के प्रतिवेदन दि0 30.8.2016 के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया । इस सम्बन्ध मे प्राधिकरण के समक्ष श्री जे0पी0कम्पानी, श्री पंकज अरोड़ा अध्यक्ष, दून ऑटो रिक्शा यूनियन उपस्थित हुये, और उनके द्वारा नये ऑटो रिक्शा परमिट जारी किये जाने की मॉग की गई । इसके साथ ही उनके द्वारा देहरादून केन्द्र से जारी ऑटो रिक्शा परमिट का रेडियस 25 कि0मी0 के स्थान पर 40 कि0मी0 किये जाने तथा ऑटो रिक्शा वाहनो की आयु सीमा बढाये जाने का भी अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण के समक्ष देहरादून केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट बढाये जाने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण आख्या या संस्तुति प्राप्त नही है, और न ही प्राधिकरण द्वारा इस बैठक मे परमिट जारी किये जाने सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र मॉगे गये है । ऑटो रिक्शा वाहनो के रेडियस मे बढोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में भी जॉच की आवश्यकता है। जबकि ऑटो रिक्शा वाहनो की आयु सीमा निर्धारित करने का मामला राज्य परिवहन प्राधिकरण से सम्बन्धित है।**

**अतः प्राधिकरण द्वारा जॉच उपरांत यह निर्णय लिया कि देहरादून केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी किये जाने एवं मार्ग रेडियस 25 कि0मी0 के स्थान पर 40 कि0मी0 किये जाने के सम्बन्ध मे सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून से आख्या प्राप्त कर आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जाये । ''**

उपरोक्त आदेशो के अनुपालन मे कार्यालय पत्र स0 1725/आरटीए/दस–07(एडी)/2017 दिनांक 13.4.2017 के द्वारा सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून को आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून ने अपने पत्र स0 8195/प्रर्वतन/मार्ग सर्वेक्षण/2017 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है, जो इस प्रकार हैः–

'' इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि वर्तमान मे देहरादून शहर मे निकटवर्ती शहरी क्षेत्र डोईवाला, सेलाकुई क्लेमनटाउन, रायपुर आदि ऑटो रिक्शा हेतु निर्धारित रेडियस क्षेत्र 25 कि0मी0 की परिधी में आते है। उक्त स्थानों के लिए ही अधिकांश यात्री अवागमन करते है। वाहन का संचालन क्षेत्र बढाये जाने से इन वाहनों के अनाधिकृत संचालन तथा अन्य वाहनों से पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण वाहन दुर्घटना की संभावना भी बनी रहेगी। अतः ऑटो रिक्शा का संचालन क्षेत्र 40 कि0मी0 रेडियस किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है । ''

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

(2) ऑटो रिक्शा वाहनो पर किराया मीटर लगाने का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनाक 11.11.2011 में मद स0–22 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये थे,

**'' प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, राज्य परिवहन प्राधिकरण को स्थिति से अवगत कराते हुऐ निवेदन किया जाय, कि ऑटोरिक्शा वाहनो के किराये में बृद्वि के सम्बन्ध में यदि विचार किया जाता है, तो इन वाहनो के किराये मे वृद्वि इस शर्त के साथ की जाय कि वाहनों में किराये का मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा । वाहनों के किराया दर मे बृद्वि के प्रकरण का राज्य परिवहन प्राधिकरण के द्वारा निस्तारण के पश्चात फेयर मीटर की अनिवार्यता की शर्त आरोपित करने हेतु मामले को पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय' ।''**

प्राधिकरण के उक्त आदेशो के संदर्भ में सचिव् राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड को इस कार्यालय के पत्र स0 5945/आरटीए/फेयर मीटर/11 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 को अवगत कराते हुये यह अनुरोध किया गया था, कि यदि ऑटोरिक्शा वाहनो के किराये मे वृद्वि के सम्बन्ध मे विचार किया जाता है, तो इन वाहनों के किराये में वृद्वि इस शर्त के साथ किये जाने पर विचार करना चाहे, कि वाहनो के किराये में बृद्वि इस शर्त के साथ किये जाने पर विचार करना चाहे कि वाहनो मे किराये का मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा ।

राज्य परिवहन प्राधिकरण ने अपने आदेश स0 4448/ एसटीए/दस–1/ 2013 दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा किराये की दरे निर्धारित की है, लेकिन प्राधिकरण द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनो पर फेयर मीटर की शर्त निर्धारित नही की गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0 –37 <u>ऋषिकेश क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित ऑटो रिक्शा वाहनो के रंग निर्धारण के सम्बन्ध में</u> –**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने अध्यक्ष, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 14.6.2017 के द्वारा यह अवगत कराया गया है, कि ऋषिकेश क्षेत्र में कुछ ऐसे ऑटो संचालित किये जाने प्रस्तावित है, जिनमें ऑटो चालक का पुलिस सत्यापन कर लिया गया हो, इसके अतिरिक्त ऑटो की निरन्तर लोकेशन मिलती रहे, उसके लिये ऑटो मे जीपीएस की व्यवस्था एवंम ऑटो के अन्दर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये सीसीटीवी कैमरा भी लगाये जाने की व्यवस्था इन ऑटो में की जायेगी । इन ऑटो का रंग भी अन्य ऑटो से भिन्न **'लाल'** रंग रहेगा । प्रथम चरण में निम्न ऑटो वाहनो का चयन किया गया है–

1– यू0के0–07टीसी–1997, 2– यू0के0–07टीसी–2274, 3– यू0के0–07टीसी–0866
4– यू0के0–07टीसी–2163, 5– यू0के0–07टीसी–1981

वरि0पुलिस अधीक्षक, ने अपने पत्र मे इन वाहनो का रंग **'लाल'** रंग में किये जाने की अनुमति प्रदान करने का महोदय् से अनुरोध किया गया है ।

इस सम्बन्ध मे निवेदन करना है, कि वाहन के लाल रंग के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम–111(1) मे यह प्राविधान दिया गया है–

*''कोई परिवहन यान जब वह भारतीय डाक विभाग के द्वारा या उसके किसी संविदा के अधीन नियमित रूप में प्रयोग किया जाता हो, पोस्टल लाल रंग में 'पेंट' किया जायेगा ।''*

इसके अतिरिक्त परिवहन वाहनो के रंगो के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–163 (2) में प्राविधान किया गया है, कि प्रत्येक मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटरकार इस रंग संयोजन मे नही रंगी जायेगी ।

यह भी अवगत कराना है, कि देहरादून संभाग के विभिन्न केन्द्रो से संचालित विक्रम टेम्पो वाहनो के अलग–अलग रंग निर्धारित करने का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 के मद स0–10 में प्रस्तत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं:–

**'' प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त सभी केन्द्रो से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों में वाहन की बॉडी में चारो ओर 04 इंच चौडी सफेद पट्टी होगी। जिस पर वाहन का संचालन केन्द्र, परमिट धारक का नाम, परमिट सं0, वैधता एंव परमिट धारक का दूरभाष अंकित होगा।''**

पत्र में उल्लेखित वाहन ऑटोरिक्शा के परमिट सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के द्वारा जारी है, इसलिये इन वाहनो के रंग परिवर्तन का मामला प्राधिकरण के समक्ष आवश्यक आदेशो हेतु प्रस्तुत है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**<u>मद स0 –38– टाटा कम्पनी द्वारा निर्मित मॉडल टाटा मैजिक एक्सपेस वाहन (मैक्सी कैब) पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश–</u>**

श्री राकेश ओबराय, डाईरेक्टर ओबराय मोर्टस लि0, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 19.12.2017 के द्वारा निम्न निवेदन किया गया हैः–

Our Principal M/S TaTa Motors Ltd have introduced a new product TATA MAGIC EXPRESS for meeting the transporation needs of passengers. We are enclosing herewith a product Pamphlet within for your reference. The vehicles has been approved for operating in the State of Uttarakhand by the State Transport Authority . However we have been informed by our customers that the vehicle is not being issued permits for operating within the State. We wish to bring to your kind notice that manufactured by Mahindra&Mahindra Ltd and Maruti Udyog Limited are being issued permits for Mahindra&Mahindra Ltd, and Maruti Udyog Ltd are being issued permits for operation on various routes and within the region. We are enclosing herewith a comparison for TaTa Magic Express with Maruti Omni . The TaTa vehicle is better equipped for the safe and comfortable Transport of passengers in Uttarakhand both for plain as well as,hilly area . We will be thankful if you kindly order the issue of permit to TaTa Magic Express vehicles at par with Maruti Omni and Mahindra&Mahindra Supro.

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि सभी प्रकार के टैक्सी, मैक्सी वाहनो को ठेका परमिट जारी किये जाने के अधिकार सचिव् को प्रदत्त किये गये है, इसलिये कार्यालय स्तर पर टैक्सी, मैक्सी वाहनो को खुली नीति के अन्तर्गत परमिट जारी किये जा रहे है। लेकिन टाटा कम्पनी, के मॉडल टाटा मैजिक, तथा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के मॉडल मैक्सिमो की वाहनो के ठेका परमिट पर स्टैज कैरिज में संचालन की शिकायते प्राप्त होने के कारण परमिट जारी नही किये जा रहे है। टाटा कम्पनी ने अपने टाटा मैजिक वाहन का नया मॉडल मैजिक एक्सपेस लॉच किया है, इस वाहन का पंजीयन अनुमोदन परिवहन मुख्यालय द्वारा अपने पत्र स0 5789/टी0आर0/सत्रह–तीन/पंजी0–अनुमोदन/2017 दिनांक 21 सिसम्बर, 2017 के द्वारा किया गया है। यह वाहन बन्द बॉडी वाहन है, जबकि पूर्व टाटा मैजिक वाहन सॉफट बाडी वाहन थी । उपरोक्त वाहन 02 सलेण्डर वाहन है, जिसे पहाडी मार्गो हेतु उपयुक्त नही माना जा सकता है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद सं0– 39 – निजी संचालको द्वारा संचालित स्कूल वैन वाहनो के रंग निर्धारण के सम्बन्ध में विचार व आदेश ।**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 04.12.2013 के संकल्प सं0–25 में स्कूल वैन वाहनो को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किये गये है–

*इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि वर्तमान में स्कूल वैन वाहनों को टैक्सी/मैक्सी के परमिट इस शर्त के साथ जारी किये जा रहे हैं कि वाहनों को केवल स्कूल के बच्चों को लाने व ले जाने के उपयोग में लाया जायेगा। उत्तराखण्ड़ स्कूल वैन एशोशिएशन(रजि0), देहरादून ने निवेदन किया है कि स्कूल वैनों की माडॅल सीमा 17 निर्धारित की जाये।*

*प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि स्कूल वैनो को टैक्सी/मैक्सी कैब परमिट जारी करने के सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के आदेशों का अनुमोदन किया जाता है। इन वाहनों के संचालन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 12 वर्ष तक तथा मैदानी क्षेत्रों में 15 वर्ष की माडॅल सीमा निर्धारित की जाती है एंव निम्नलिखित मानक निर्धारित किये जाते हैं:–*

1– *वाहन बन्द बॉड़ी का होगा।*
2– *वाहन का रंग सफेद होगा तथा वाहन के चारों ओर मध्य में 150 एमएम चौड़ी पीले रंग की क्षैतिज पट्टी (**Horizontal Strip**) होगी।*
3– *वाहन में लॉग बुक अनिवार्य रूप से रखी जायेगी।*
4– *वाहन में फर्स्ट एड बाक्स उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।*
5– *वाहन में अग्निशमक संयत्र लगा होना चाहिए।*
6– *स्कूल के बस्ते एंव पानी की बोतलों को रखने के लिये वाहन में कैरियर होना चाहिये। वर्षा से बचाने के लिये स्कूल बैग को ढक कर रखने की व्यवस्था की जायेगी।*

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2016 के नियम–163(5) में यह प्राविधान किया गया है, कि" **शिक्षण संस्था और स्कूल कैब को पीला रंग मे रंगा जायेगा।**

अतः प्राधिकरण स्कूल कैब परमिट हेतु पूर्व निर्धारित शर्त के बिन्दू–2 के सम्बन्ध मे विचार कर आदेश पारित करना चाहे ।

**मद स0 –40– <u>शिक्षण संस्थानो /स्कूल बस परमिट से आच्छादित वाहनों पर शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>**

अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड ने अपने कार्यालय पत्र स0 6598/प्रर्वतन/स0सु0/एक–8(55)/2017 दिनांक 16 नबम्बर, 2017 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूल वाहनो के सम्बन्ध मे सुरक्षा नियमों का अनुपालन करने एवं उत्तराखण्ड

बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के क्रियान्वयन  कराये जाने के निर्देश दिये गये है । मा0 अध्यक्ष उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्कूल वाहनो के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये गये है–

1. वाहन के चालक को कम से कम 05 वर्ष का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना आवश्यक है, साथ ही चालक का पुलिस वैरीफिकेशन कराया जाना भी आवश्यक है।
2. यदि वाहन चालक का वर्ष में 02 बार परिवहन नियमों के उल्लंघन में चालान किया गया जा चुका है, तो वह स्कूल वाहन चलाने के लिए आयोग्य होगा।
3. यदि वाहन चालक का एक बार ओवर स्पीड, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने एवं शराब का सेवन कर वाहन चलाने के अपराध में चालान हुआ है तो ऐसा चालक स्कूल बस के संचालन हेतु प्रतिबन्धित होगा।
4. कोई भी स्कूल वाहन बिना योग्य कण्डक्टर के नहीं चलाया जायेगा। कण्डक्टर की योग्यता केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार होनी आवश्यक है।
5. जिन स्कूल वाहनों का प्रयोग छात्राओं को लाने ले जाने के लिए किया जाता है, उनमें एक महिला सहायक होना आवश्यक है।
6. स्कूल वाहन को परिवहन विभाग के निर्धारित निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना  के अनुसार ही चलाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वाहन पर स्पीड गर्वनर लगा होना चाहिए।
7. स्कूल वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों के बैठने पर प्रतिबन्ध हो एवं स्कूल बैग रखने हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था हो।
8. प्रत्येक स्कूल वाहन में सुरक्षा की दृष्टि से बन्द दरवाजा लगा होना आवश्यक है, खुले दरवाजे वाले स्कूल वाहन पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो।
9. चालक जिन बच्चों को ले जा रहा है, उनको नाम, कक्षा, घर का पता, ब्लड ग्रुप, रूट प्लान एवं रूकने के प्वाईंट की सारी सूचना चालक के पास उपलब्ध हो।
10. जो बच्चा ''किन्डर गार्डन'' का है और यदि उसको लेने के लिए निर्धारित व्यक्ति/अभिभावक नहीं आता है तो बच्चे को वापस स्कूल ले जाकर उसके अभिभावक को बुलाया जाय।
11. स्कूल वाहन को ड्राईवर द्वारा सुरक्षित चलाने के सन्दर्भ में अभिभावक के देख–देख को भी स्कूल प्रबन्धन सुनिश्चित करें ताकि अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि परिवहन व्यवस्था नियमों व सुरक्षा के अनुकूल है।
12. प्रत्येक स्कूल वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि शिक्षण सस्थनों/स्कूल बसो को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–76 के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2012 के नियम–66(1)(चार) के अधीन प्राईवेट सेवायान परमिट निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है।

1– यान का उपयोग केवल परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग या मार्गो पर किया जायेगा ।

2– यान मे ले जाये जा रहे किसी व्यक्ति से कोई किराया वसूल नही किया जायेगा और न ही यान के प्रचालन और अनुरक्षण पर उपगत या उपगत किये जाने के लिये सम्भाव्य व्यय या उसके किसी भाग को ऐसे भाग को ऐसे व्यक्ति से किसी भी रीति से वसूल नही किया जाएगा।

3– परमिट धारक यान के सामने छत के स्तर पर लगाए गए पट्टे या प्लेट पर सफेद आधार पर काले अक्षरो मे कम से कम 10 सेन्टीमीटर की उचॉई के शब्द '' प्राईवेट सेवायान'' सुपाठ्य रूप में प्रदर्शित करेगा ।

4– परमिट से आच्छॉदित यान मे ऐसे व्यक्तियों की जिन्हे यान म`ले जाया जा सकता है, अधिकतम संख्या से अधिक नही होगी और सामान जो ले जाया जा सकता है, अधिकतम भार से अधिक नही होगा ।

5– यान की सुख–सुविधा, स्वच्छता और अनुरक्षण का मानक जैसा कि मोटरयान अधिनियम 1988 या तद्धीन बनाये गये नियमों में सार्वजनिक सेवा यान के लिए विनिर्दिष्ट है, यान में बनाए रखा जाएगा ।

6– यान मे किसी विषय में सम्बन्धित कोई विज्ञापन साधारणतया प्रदर्शित नही किया जायेगा। फिर भी परमिट धारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा अनुज्ञा–पत्र जारी किया गया हो, लिखित अनुज्ञा से और उसके ,द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से येान पर ऐसे विषयो से सम्बन्धित विज्ञापन प्रदर्शित कर सकता है, जो उसके कारबार से, जिसके लिये परमिट प्राप्त किया गया है। सीधे सम्बन्धित हो।

7– कोई टेलीविजन सेट या वीडियो या रेडिया या टेपरिकार्डर के प्रकार को इ यंत्र यान के डैश बोर्ड पर नही लगाया जाएगा और न उस पर या उसके निकट रखा जाएगा, और न ड्राईवर की ऑखो के सामने रखा जायेगा ।

8– परमिट धारक परमिट को किसी चमकदार शीशे क फ्रेम म`ले जाएगा या यान के मध्य में ले जाए जा रहे या लगाए एक अन्य उपयुक्त आधान(कन्टेनर) में ऐसे ढ़ग से ले जायेगा, जिससे कि वह स्वच्छ और पठनीय दशा में बना रहे और किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिये शीघ्र उपलब्ध हो सके ।

9– परमिट धारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया है, ऐसी नियतकालिक, विवरणियां, सास्यिकीय और अन्य सूचना जैसा राज्य सरकार समय–2 पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा ।

10– परमिट धारक निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा–

(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–84 के अधीन विहित शर्ते और अधिनियम के अन्य उपबन्ध, जहॉ तक वे परमिट धारक पर लागू होते, हों,

(दो) ऐसी अन्य कोइ शर्त या शर्ते जिसे या जिन्हे राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

11– ऐसा परविहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया हे, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात परमिट शर्तो में परिवर्तन कर सकता है या उसमें कोई अग्रतर शर्ते बढा सकता है ।

<u>अन्य शर्ते</u>–

1– ऐसे परमिट से आच्छॉदित यान का प्रयोग किसी भी दशा मे किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नही किया जायेगा, जिसमे उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धो के अनुसार अम्यर्पित किया जाए या अम्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।

2– ऐसे परमिट से आच्छॉदित यान का प्रयोग किसी भी दशा मे किसी सार्वजनिक स्थान में नही किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध मे देय करों का सम्यक भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्त्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 मे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे करो का सम्यक् भुगतान नही किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी,कि परमटि के धारक ने आशय एसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है ।

3– धारा–82 की उपरधारा–(2) मे किए गये उपबन्धो को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट दिया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नही किया जाऐगा ।

4– यान का प्रयोग परमिट मे विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गो पर किया जायेगा ।

5– व्यक्तियों की अधिकतम संख्याया समान का अधिकतम भार जो परमिट की ऑच्छॉदित यान म`ले जाया जायेगा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मे दी गई संख्या या भार से अधिक नही होगा ।

6– केवल ऐसे विषय के विज्ञापन जो सीधे परमिट धारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने मे परमिट प्राप्त किया जाए और किसी भ्ज्ञी प्रकार यान की पहचाान जो परविर्तत नही करता, बोनट, फ्रन्ट स्क्रीन विण्ड स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय गाडी पर प्रदर्शित किया जा सकता है । परन्तु विज्ञापन का कोइ्र विषय या के उपर रंगे हुए, खुदे हुए या लगाए गए किसी सारवान विवरण को न हो ढकेगा और न उससे 20 सेन्टीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

7– परमिट धारक द्वारा परमिट ऐसी रीति से ले जाया जायेगा, कि वह किसी भी समय प्राधिकृत वयक्ति के निरीक्षण के लिये तुतन्त उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त स्कूल बसो मे स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगोण परिवहन आयुक्त उ0प्र0 के कार्यालय पत्र स0 1029 सा0प्रशा0/98–112टीआर/98 दिनांक 29.6.1998 के द्वारा निमन प्राविधान लागू किये गये हैः–

1– सीट्स की व्यवस्था–

(1) वाहन मे आरमदेय सीटें होनी चाहिए तथा आर्मरेस्ट एक साईड होना चाहिए ।

(2) सेफटीबेल्ट, आर्मरेस्ट व बाडीके बीच मे साधारण हुक द्वारा लगायी जा सकती है ।

(3) सीट के नीचे स्कूल बैग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा सीट के पीछे वाटर बोटल टांगने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(4) नेकरेस्ट/हेडरेस्ट स्पंजी या साफट होना चाहिए।

(5) बस में चढने के लिये फुटबोर्ड के अतिरिक्त दरवाजे मे कोलेपसबिल फुट स्टेप की व्यवस्था होनी चाहिए। दरवाजा खुलने पर फुटस्टैप्स बाडी से बाहर निकल कर जमीन से कम उॅचाई पर पावदान बना दे, तथा दरवाला बन्द होने पर पायदान वापस बॉडी के अन्दर चला जाये।

2– गेट खोलने, पर स्कूल या स्टॉप का चिन्ह गेट के पास तथा पीछे दाहिनी ओर प्रदर्शित होना चाहिए, जिससे बस रूकने पर बच्चो को उतारते समय पीछे से आने वाले यातायात, बच्चो की सुरक्षा के लिये सचेत हो सके । इसी प्रकार गेट खोलने पर ध्वनि एंव लाइट के माध्यम से ब्लिंकर कार्य करने की व्यवस्था हो और ओडिबिल सायरन लगा हो, जिससे बच्चों की सुरक्षा के लिए सड़क पर चलते यातायात को सचेत कर सके

3– सीट्स की खिड़की के शीशे और चैनल इस प्रकार के लगे हो, कि बच्चा अपनी गर्दन या सिर खिड़की से बाहर न निकाल सके, किन्तु हवा से वंचित न रहे ।

4– बस में आपदा की स्थिति में दो एमरजेन्सी गेट की व्यवस्था रहे । आराम से बैठने के दृष्टि कोण से बच्चो के बैठने की सीट की उंचाई सामान्य सीट से थोड़ी नीची होनी चाहिए ।

5– एक दूसरे के सामने की दिशा मे लगाई गयी सीटें गेट के पास स्थापित की जानी चाहिए ।

6– चालक की सीट के पास स्पीड–एलार्म की व्यवस्था होनी चाहिए जिसे बस की गति अधिकक होने पर दीचर्स/बस इन्यार्ज द्वारा गति नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में चालक को निर्देश दिये जा सके ।

7– स्कूल बस का रंग, गोल्डेन यलो विथ ब्राउन/ब्लू लाईनिंग होना चाहिए।

माा0 सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका स0 13029/198 में स्कूल बसो पर निम्न सुरक्षा नियमो के अनुपालन करने के आदेश पारित किये गये है–

1- The licenses of the Drivers] depending upon the irregularties shall either be suspended/revoke deterrerntly.

2- Regional Transport officers and Regional Transport Authority should take suitable for provision of Speed Brakers and Sign Boards near the premises of the Schools and colleges.

3- The correspondents of schoola and colleges and their drivers have to be issued with the instructions that wherever and whenever plying with over speed and whenever negligency of driving is noticed a very deterrent action shall be taken according to law against the erring drivers.

4- All the vehicles belonging to Educational Institutions shall be prominently written with on the back and front as **EDUCATIONAL INSTITUTION VEHICLE** and this shall be enforced by the checking officials of the Transport Department.

5- If the **EDUCATIONAL INSTITUTION** hires vehicles they Shall be displayed prominently with ON SCHOOL DUTY and shall be enforced by the checking officials of the Transport Department, at the time of vehicles cheaking and at the time of reewal of fitness certificate of such vehicles.

6- FIRST AID BOX should be provided in all the Educational Institution Vehicle and shall be ensured by the field officers of the Transport Department.

7- Windows of Educational institution Vehicles shall be fitted with the Horizontal Grills.

8- Fire Extinguishers shall be provided in all Educational Institution Vehicles and this should be watched by the fifeld officers of the Transport Department.

9- All Vehicles shall be written with the School name and telephone number and this shall be ensured by the Taransport Officials.

10- Doors of the Educational Institution Vehicle shall be fitted with reliable loching facilities.

अतः प्राधिकरण बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिये सुझावो के क्रियान्वयन हेतु उक्त शर्तो को स्कूल बसो को जारी निजी सेवायान परमिट की शर्तो मे सम्मलित किये जाने हेतु विचार कर आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–41** **स्थाई सवारी गाडी परमिटों का नवीनीकरण करने तथा परमिटों पर वाहन प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में विचार एवं आदेशः–**

(1) श्री पंकज कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार निवासी– लक्सर, हरिद्वार के नाम पर परमिट स0 पीएसटीपी–905 कुर्ली–लक्सर–रूड़की एंव सम्बद्व मार्गो हेतु वाहन स0 यू0के0–08पीए–0717 पर जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 08.10.2015 को समाप्त है। श्री पंकज कुमार ने प्रार्थना की है, कि उनकी वाहन की निर्धारित 20 वर्ष की आयु सीमा दिनांक 21.12.2015 में समाप्त हो गई थी, तथा परमिट पर नई वाहन की व्यवस्था न कर पाने के कारण वह अपने परमिट का नवीनीकरण नही करा पाये है। अब उनके द्वारा एक वाहन यू0के0–17पीए–0145 माडल 2006 क्रय कर अपने नाम पर पंजीकृत करा ली गई है, अतः उनके परमिट स0 पीएसटीपी–905 पर नई वाहन के प्रतिस्थापन की अनुमति के साथ परमिट का नवीनीकरण कर दिया जाये।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, कि कुर्ली–लक्सर– रूड़की एवं सम्बद्व मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा 35 परमिट जारी किये गये है, जिन पर वर्तमान में केवल 22 परमिट संचालित है। मार्ग पर आवश्यकता को देखते हुये श्री पंकज कुमार की नई वाहन स0 यू0के0–17पीए–0145 पर इस मार्ग का अस्थाई परमिट कार्यालय द्वारा जारी किया गया है ।

(2) श्री कलीम अहमद पुत्र श्री अब्दुल अहमद नि0 ग्राम पठानपुर, मंगलोर हरिद्वार के नाम पर परमिट स0 पीएसटीपी–1776 कुर्ली–लक्सर–रूड़की एवं सम्बद्व मार्गो हेतु वाहन स0 यू0ए0–08ए–9286 पर जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 22.4.2015 है। श्री कलीम अहमद ने अपने उक्त परमिट के नवीनीकरण हेतु दिनांक 24.8.2016 मे आवेदन प्रस्तुत किया है ।

(3) श्री विवेक पुत्र श्री राजेन्द्र के नाम पर परमिट स0 पी0एस0टी0पी–2135 वाहन स0 यू0के0–07पीए–1144 पर नगर बस सेवा परमिट परेडग्राउन्ड– प्रेमनगर– परवल मार्ग हेतु जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 29.12.2015 तक वैध थी । परमिट धारक द्वारा दिनांक 22.5.2015 में परमिट पर नये वाहन प्रतिस्थापन हेतु अनुमति प्राप्त की गई थी । वाहन के नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन की अवधि 01 वर्ष से अधिक हो चुकी है। परमिट धारक द्वारा दिनांक 16.11.2016 में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये परमिट स0 पीएसटीपी–2135 के नवीनीकरण करने एवं परमिट पर नई वाहन प्रतिस्थापन हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की है ।

(4) श्री दीपक पुत्र श्री जब्बर सिंह के नाम पर स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–1837 बंजारावाला– गुलरघाटी नगर बस हेतु जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 16.07.2016 में समाप्त है। परमिट धारक द्वारा परमिट पर उॅचे मॉडल की वाहन लगाने हेतु कार्यालय से दिनांक 28.7.2016 में समय प्राप्त किया गया था। वाहन के नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन की अवधि 01 वर्ष से अधिक हो चुकी है। परमिट धारक द्वारा दिनांक 11.12.2016 में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये परमिट स0 पीएसटीपी–1837 के नवीनीकरण करने एवं परमिट पर नई वाहन प्रतिस्थापन हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की है ।

(5) श्री महावीर सिंह विष्ट पुत्र श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट के नाम पर देहरादून–माजरा–धर्मावाला–विकासनगर मार्ग का स्थाई परमिट स0 पीएसटीपी–1720 जारी है, जो दिनांक 06.1.2018 तक वैध है। परमिट धारक द्वारा अपने इस परमिट पर संचालित वाहन स0 यू0के0–07पीए–178 मॉडल–2013 पर उॅचे माडल की वाहन प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 8.11.2016 मे अनुमति प्राप्त की गई थी । श्री महावीर सिह के द्वारा नई वाहन स0 यू0के0–16पीए–1782 मॉडल–2017 को परमिट पर प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय मे दिनांक 15.12.2017 मे आवेदन किया गया है, लेकिन प्रतिस्थान की अनुमति को 01 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, प्राधिकरण की नीति अनुसार वाहन प्रतिस्थापन 01 वर्ष तक न कराये जाने पर परमिट स्वतः समाप्त माना जायेगा। श्री महावीर सिह के द्वारा अपनी नई वाहन स0 यू0के0–16पीए–1782 को परमिट पर प्रतिस्थापन हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

इस सम्बन्ध मे यह भी अवगत कराना है, कि श्री महावीर सिंह की समस्या को देखते हुये कार्यालय द्वारा उनकी वाहन स0 यू0के0–16पीए–1782 पर 02 माह का अस्थाई परमिट उक्त मार्ग पर जारी किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनाक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प सं0 09 एवं 12 मे सवारी गाडी परमिटो के नवीनीकरण/प्रतिस्थापन के संबध में निम्न प्रकार परिवर्तन किया गया हैः–

**नवीनीकरण के सम्बन्ध में–**

नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 15 दिन तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। 15 दिन से अधिक से छः माह तक के विलम्ब के लिये 12+1 सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये रू0 500 एंव 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनोंके लिये रू0 1000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये 12+1सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये रू0 1000 एंव 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनों लिये रू0 2000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। एक वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

**प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में–**

पूर्व में निर्धारित नीति में संशोधन करते हुये निम्न प्रकार प्रशमन शुल्क जमा करने पर केवल ऊँचे माडॅल की वाहन को प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की जाती हैः–

1. छः माह तक निशुल्क।
2. छः माह से अधिक एंव एक वर्ष तक के लिये रू0 2000/– प्रशमन शुल्क। 3. एक वर्ष से अधिक होने पर प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि कार्यहित में उपरोक्त निर्धारित नीति एंव प्रशमन शुल्क की दरों में संशय व दोहराव न रहे, इस हेतु उक्त नीति व प्रशमन शुल्क की दरें अक्टूबर, 2014 की प्रथम तिथि से प्रभावी होंगे।

उपरोक्त नीति के निर्धारित होने के उपरांत कई परमिट धारको के द्वारा अपने परमिट के नवीनीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन जिनमे 01 वर्ष से अधिक की अवधि हो गई थी, उनके नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये, जिन्हे प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

*" प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट धारक द्वारा रू0 15000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर दिनांक 31.05.2016 तक परमिट पर ऊचे माडॅल की वाहन का प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।"*

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

**मद स0– 42** **श्री अतुल कुमार के स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–2032 के नवीनीकरण एवं वाहन प्रस्थिापन हेतु समय बढाने के आवेदन पत्र पर विचार व आदेश ।**

श्री अतुल कुमार ने स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 2032, कुलड़ी–लक्सर–रूड़की मार्ग पर परमिट के नवीनीकरण एवं परमिट पर नई वाहन प्रतिस्थापन हेतु 02 माह का समय प्रदान करने हेतु प्रार्थना की गई है। इस सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है–

श्री अतुल कुमार पुत्र श्री शिव कुमार के नाम पर कुलड़ी–लक्सर– रूड़की एवं सम्बद्व मार्ग का सवारी गाडी परमिट स0 2032 प्राधिकरण द्वारा जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 08.7.2014 तक थी। श्री अतुल कुमार द्वारा दि0 05.11.2016 को परमिट का नवीनीकरण /प्रतिस्थापन करने हेतु 04 माह का समय प्रदान करने हेतु अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसको प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद स0–18 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

**" प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट का नवनीकरण करने तथा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की जाती है, परमिट धारक द्वारा रू0 5000.00 प्रश्मन शुल्क जमा करने पर परमिट पर उॅचे मॉडल की वाहन का प्रतिस्थापन एवं परमिट नवीनीकरण दिनांक 31.5.2017 तक किया जायेगा । "**

प्राधिकरण के निर्णय की सूचना आवेदक को कार्यालय के पत्र स0 1697/आरटीए/पीएसटीपी–2032/2017 दिनांक 12.04.2017 के द्वारा प्रेषित की गई थी, लेकिन प्राधिकरण के उक्त आदेशो के अनुपालन मे श्री अतुल कुमार के द्वारा अपने परमिट के नवीनकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन निर्धारित अवधि दिनांक 31.5.2017 तक नही कराया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना हे, कि श्री अतुल कुमार के अध्यक्ष सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को सम्बोधित प्रार्थना पत्र पर मा0 परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनता दर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 16.11.2017 में यह आदेश पारित किये गये है–''कृपया प्रार्थी की नियम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इनके परमिट की नवीनीकरण की समयावृद्वि बढाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे'' |

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–43(क) देहरादून– डोईवाला–जौलीग्रान्ट नगर बस सेवा का मार्ग का विस्तार भानियावाला से लालतप्पड़ तक किये जाने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश।**

श्री धीरेन्द्र सिह पॅवार, विशेष कार्याधिकारी मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड ने मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2 स0 GE/(C)/314/XXXV-2/2017(1) दिनांक 06.4.2017 के द्वारा परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड को सम्बोधित पत्र में यह उल्लेख किया गया है, कि श्रीमती सुलोचना पाल सदस्य क्षेत्र पंचायत माजरी एवं अन्य जनप्रतिधियों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र का अवलोकन करें, जो कि डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं व नागरिकों के लिये भानियावाला से लालतप्पड़ तक सिटी बस सेवा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में है । उक्त पत्र मूल रूप में संलग्न करते हुये इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है, कि कृपया भानियॉवाला से लालतप्पड़ तक सिटी बस प्रारम्भ किये जाने हेतु सम्बन्धित को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्र स0 2110/एसटीए/दस–32/2017 दिनांक 08 मई, 2017 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुया है।

इस सम्बन्ध मे आख्या निम्न प्रकार है कि देहरादून– डोईवाला– जोली ग्रान्ट मार्ग की नगर बस सेवा मे का विस्तार भानियावाला से लालतप्पड तक किये जाने का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 के मद–31 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु निम्नवत् प्रस्तुत किया गया थाः–

भानियावाला से लालतप्पड तक करने की अपेक्षा की गई है, जिस पर मा0 परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रकरण को प्रस्ताव में जोडने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त मार्ग विस्तार के सम्बन्ध में परिवहन कर अधिकारी–प्रथम, ऋषिकेश ने अपने पत्र स0 1201/सा0प्रशा0/मार्ग सर्वे/16 दिनांक 03.10.2016 द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है। उन्होने अपनी सर्वेक्षण आख्या द्वारा सूचित किया है, कि परेड ग्राउन्ड से भानियावाला चौक तक मार्ग की लम्बाई 23 कि0मी0 है, तथा भानियावाला चौक से लालतप्पड तक 7.50 कि0मी0 है । उन्होने अपनी आख्या मे कहा है, कि उक्त मार्ग राष्ट्रीकृत मार्ग है, जिस पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम एवं अन्य राज्यो की परिवहन निगम की वाहने पर्याप्त संख्या मे संचालित हो रही है, इसके अतिरिक्त डोईवाला केन्द्र से संचालित विक्रम वाहनो द्वारा भी अपनी सेवाये मार्ग पर दी जा रही है। लालतप्पड क्षेत्र एक औधोगिक क्षेत्र है, जहॉ पर कई कारखाने स्थापित होने के कारण उक्त कारखानो मे कार्यरत कार्मिको को सार्वजनित परिवहन हेतु सिटी बस सेवा का लाभ दिया जाना जनहित में होगा। किन्तु मार्ग की दूरी 30.50 कि0मी0 होने के कारण यह निर्धारित सीमा से अधिक है।

इस सम्बन्ध मे अवगत करना है, कि शासन की अधिसूचना दिनांक 05.8.1994 द्वारा देहरादून नगर से 20 कि0मी0 अर्द्वब्यास के भीतर (आपदिक परिस्थितियो में 25 कि0मी0) मे निजी क्षेत्र बसों को नगर मे परिवहन निगम की बस सेवा में संचालन करने की अनुमति दी गई है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

*''शासन की अधिसूचना 05.08.1994 द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गो पर नगर बस सेवा परमिट 20 कि0मी0 अर्द्वब्यास के भीतर तथा आपदिक परिस्थितियों 25 कि0मी0 दिये जाने का प्राविधान है, यदि उपरोक्त मार्ग का विस्तार लालतप्पड़ तक किया जाता है, तो मार्ग की लम्बाई 30.5 कि0मी0 हो जाती है, जो निर्धारित से अधिक है। अतः मार्ग विस्तार के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है ।''*

मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के उपरोक्त पत्र के अनुपालन मे इस कार्यालय के पत्र स0 2558/आरटीए/दस–307/2017दिनांक 25 मई, 2017 के द्वारा सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश,/सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) देहरादून को पुनः मार्ग सर्वेक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में

परिवहन कर अधिकारी–प्रथम, ऋषिकेश ने अपने कार्यालय पत्रस0 836/प्रर्वतन/मार्ग सर्वेक्षण/2017 दिनांक 16.6.2017 के अपनी आख्या निम्नवत् प्रस्तुत की है–

**उक्त मार्ग परेड ग्राउन्ड देहरादून से प्रारम्भ होकर भानियावाला चौक तक 23.00 कि0मी0 है तथा भानियावाला चौक से लालतप्पड़ 7.50 कि0मी0 है, मार्ग की दखा उपयुक्त है, मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है, जिस पर कतिपय स्थानों पर मार्गकी स्थिति आंशिक खराब है । महोदय् उक्त मार्ग राष्ट्रीय मार्ग है, जिस पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम एवं अन्य राज्यों के परिवहन निगमों के वाहन पर्याप्त संख्या में संचालित हो रहे है। महोदय् लाल तप्प्ड़ क्षेत्र में कई विद्यायलयएवं औद्योगिक संसथान स्थापित होने के कारण उक्त क्षेत्र के छात्र/छात्राओं एवं अन्य कार्मिको को सार्वजनिक परिवहन हेतु सिटी बस सेवा का लाभ दिया जानाजनहित में होगा। अतः उक्त मार्ग हेतु डोईवाला को संचालन केन्द्र निर्धारित करते हुये सिटी बस के परमिट दिये जाते हे, तो क्षेत्र मे आमजन को सिटी बस की उचित परिवहन सेवा उपलब्ध करायी जा सकती है।**

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0. 369 (1)/एसटीए/दस–8/2017 दिनांक 17.10.2018 जो सचिव, राज्य परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित एंव सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को पृष्ठाकित है, के द्वारा अनुरोध किया है कि ***मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–102 में दिये गये प्राविधानुसार नगर बस सेवा संचालन हेतु 20 किमी एंव अपवादित परिस्थितियों में 25 किमी अर्द्वब्यास को बढाकर 30 किमी करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार करना चॉहें।***

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें ।

(ख) **देहरादून– डोईवाला–जोलीग्रान्ट नगर बस सेवा का मार्ग का विस्तार डोईवाला चौक से ग्राम सभा–बड़कोट (विरपुर) तक किये जाने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश–**

श्री प्रेम पुण्डीर महामंत्री, भा0ज0प0 भानियावाला मण्डल, देहरादून के मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुभाग–2 के GE/(E)/1458/XXXV-2/2017(1) दिनांक 12.5.2017 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुया है, जिसमें श्री प्रेम पुण्डीर यह निवेदन किया है, कि वर्तमान मे सीटी बसों का संचालन हिमालयन चौक(जौलीग्रान्ट) तक नियमित होता है, महोदय् उससे आगे ऋषिकेश रोड पर बड़कोट (विरपुर) तक उक्त बसो की मॉग क्षेत्रीय जनता द्वारा की जाती रही है। चूंकि उक्त रूट पर रोडवेज की बसें भीड़,

ज्यादा होने के कारण रूकती नही है। जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गो को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध मे निवेदन है, कि सीटी बसो का संचालन हिमालयन चौक(जौलीग्रान्ट) से आगे ऋषिकेश पर ग्राम सभा बड़कोट क वीरपुर तक करने का निर्देक्ष सक्ष्म अधिकारी को देने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध मे सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश को कार्यालय पत्र स0 2557/आरटीए/दस–01/2017 दिनांक 25.05.2017 के माध्यम से मार्ग का सर्वेकर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस परिवहन कर अधिकारी–प्रथम, ऋषिकेश ने अपने पत्र स0 835/प्रर्वतन/मार्ग सर्वेक्षण/2017 दिनांक 16.6.2017 के माध्यम से सर्वे आख्या प्रस्तुत की गई है, जो निमन प्रकार है–

*उक्त मार्ग परेड ग्राउड़ देहरादून से प्रारम्भ होकर –भानियवाला चौक तक 23.00 कि0मी0 तथा भानियावाला चौक से वीरपुर तक 9.40 कि0मी0 है। मार्ग की दशा सिटी बस संचालन हेतु उपयुक्त है। उक्त मार्ग पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम एवं डोईवाला केन्द्र से संचालित होने वाले विक्रम वाहन पर्याप्त संख्या में संचालित हो रहे है। महोदय् उक्त मार्ग मे रानीपोखरी–घमण्डपुर–भोगपुर–बड़कोट–ड़ाडी–वीरपुर आदि ऐसे आवासीय क्षेत्र है, जहॉ कि सिटी बस की सेवा उपलब्ध नही है। अतः इस क्षेत्र मे सार्वजनिक परिवहन हेतु सिटी बस सेवा का लाभ दिया जाना जनहित में होगा । किन्तु मार्ग की कुल दूरी 31.40 कि0मी0 होने के कारण यह निर्धारित सीमा से अधिक है । अतः उक्त मार्ग हेतु डोईवाला को संचालन केन्द्र निर्धारित करते हुए सिटी बस के परमिट दिये जाते है, तो क्षेत्र में आमजन को सिटी बस की उचित परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है।*

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0. 369 (1)/एसटीए/दस–8/2017 दिनांक 17.10.2018 जो सचिव, राज्य परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित एंव सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को पृष्ठाकित है, के द्वारा अनुरोध किया है कि *मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–102 में दिये गये प्राविधानुसार नगर बस सेवा संचालन हेतु 20 किमी एंव अपवादित परिस्थितियों में 25 किमी अर्द्धव्यास को बढाकर 30 किमी करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार करना चॉहें।*

अतः प्राधिकरण मामलो पर विचार कर आदेश पाारित करने की कृपा करें ।

**मद स0–44** **स्टैज कैरिज परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन मे मॉडल सीमा में छूट प्रदान करने सम्बन्ध मे श्री अतुल कुमार के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश –**

श्री अतुल कुमार नि0 सी–30 नेहरू कॉलोनी देहरादून के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैः–

' "प्राधिकरण द्वारा स्टैज कैरिज परमिट पर नीचे मॉडल वाहन प्रतिस्थापन करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, परन्तु वाहनो को चार धाम यात्रा आदि के समय रिप्लेसमेंट देते हुए पुनः उसी परमिट पर इन्ड्रोस करने की अनुमति दी जानी न्यायहित में है।"

इसी प्रकरण में देहरादून–कालसी–कुल्हाल(पावंटा) डाकपत्थर मोटर्स आनर्स एसोसियेशन एवं पर्वतीय संयुक्त मोटर मालिक समिति द्वारा भी एक प्रत्योवदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके द्वारा यात्राकाल में संचालित होने वाली वाहनो के मूल परमिट जमा करने के स्थान पर वाहन का प्रतिस्थापन 02 माह हेतु स्वीकृति करने की प्रार्थना की है, जिससे उन्हे दोहरा टैक्स जमा न करना पडें।

इस सम्बन्ध में आख्या निम्नवत हैः–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 के संकल्प स0–12 में प्राधिकरण द्वारा ' स्टैज कैरिज परमिट पर केवल उॅचे मॉडल की वाहन को प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की गई है। इस संबधं में यंह भी अवगत कराना है, कि चारधाम यात्रा के समय अकास्मिकता की स्थिति में विभाग द्वारा नगर बस सेवा एवं विभिन्न निजी मार्गो पर संचालित वाहनो को चारधाम यात्रा के अन्तर्गत संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। चारधाम यात्रा में वाहनो के संचालन हेतु वाहन स्वामियो के द्वारा अपने मूल परमिट कार्यालय मे जमा कर उनके स्थान पर चारधाम यात्रा का अस्थाई परमिट प्राप्त किया जाता है। वाहन स्वामियों को मूल परमिट के मार्ग के परमिट के साथ अस्थाई यात्रा मार्ग का परमिट प्राप्त करने पर स्थाई परमिट के कर के साथ–2 उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान अधिनियम, 2003 के संशोधित धारा–4(क) के अन्तर्गत विशेष कर का भुगतान करना होता है। उक्त अधिनियम में निम्न व्यवस्था दी गई है–

*" विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं मे यात्रियो को वहॉ ले लाने और वहॉ से लाने और बारात, पर्यटक यात्रियो या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियो की सवारी के लिये जारी किये गये अस्थाई परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाडियों पर ड़ाईवर को छोड़कर प्रत्येक सीट के लिये रू0 08 प्रतिदिन कर की दर से विशेष कर जमा करना होगा ।*

इस सम्बन्ध में वाहन स्वामियो का कहना है, कि उनके द्वारा यात्रा हेतु 01 माह या 02 माह के अस्थाई परमिट प्राप्त किया जाता है, तथा वाहन के मूल परमिट को कार्यालय मे जमा किया जाता है इसलिये उनकी वाहन पर केवल ठेका वाहन का कर देय होना चाहिए। वाहन के स्थाई परमिट पर प्रतिस्थापन उॅचे माडल की वाहन होने के कारण वह परमिट प्रतिस्थापन हेतु जमा कर एक या दो माह हेतु वाहन को यात्रा मार्ग पर संचाचल हेतु अस्थाई ठेका परमिट प्राप्त नही कर पा रहे है, इस कारण से उन्हे आर्थिक हानि हो रही है। उनके द्वारा यह निवेदन किया जा रहा है, कि स्टैज कैरिज मार्गो पर संचालित जो वाहने यात्राकाल में यात्रा पर संचालित होती है, उन्हे वाहन प्रतिस्थापन की शर्त से छूट प्रदान की जाये,

जिससे वह यात्रा में संचालन हेतु अपने वाहन का मूल परमिट कार्यालय में जमा कर वाहन पर यात्रामार्ग का ठेका परमिट प्राप्त कर ले, तथा यात्रा के समाप्ति के पश्चात वह वाहन को अपने मूल परमिट पर पुनः प्रतिस्थापित करा ले ।

इस सम्बन्ध मे यह भी निवदेन करना है कि स्टेज कैरिज वाहन पर उॅचे मॉडल की वाहन ही प्रतिस्थापन की शर्त के विरूद्व मा0 उच्च न्यायाल नैनीताल मे रिट याचिका स0 2668/14 श्री अनिल अग्रवाल द्वारा दायर की गई थी, जो वर्तमान मे लम्बित् है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0– 45 <u>अध्यक्ष, देहरादून महानगर सिटी बस सेवा ''महासंघ'' एंव अन्य के द्वारा टैफ्रिक पुलिस व सी0पी0यू0 द्वारा सिटी बसो के ओवर लोड़िग मे किये जा रहे चलानो पर मो0गा0अ0 की धारा–86 के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध मे प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार व आदेश</u>।**

(1) श्री विजय वर्धन ड़डरियाल, अध्यक्ष, देहरादून महानगर सिटी बस सेवा द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ''ए0वी0 एक्ट, 1988 व राज्य सरकार की नियमावली मे कहीं भी पुलिस को बिना राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के इतर स्टेज कैरिज बसों में चालान काटने का अधिकार नही है, व परिवहन विभाग को बिना राज्य सरकार की नियमावली व सेन्ट्ल एम0वी0एक्ट व सुप्रीम कोर्ट रोड सेफटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन से इत्तर प्रश्मन शुल्क वसूलने का अधिकार नही है। राज्य सरकार द्वारा 15 जुलाई, 2009 को जारी गजट नोटिफिकेशन मे परिवहन विभाग को निम्न धाराओं मे चालान काटने व उनका प्रश्मन शुल्क वसूलने का अधिकार दिया है। सिटी बसो में क्षमता से अधिक सवारियां होने पर धारा–86 के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा चालान काटकर प्रश्मन शुल्क वसूला जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत टैफ्रिक पुलिस व सी0पी0यू0 पुलिस द्वारा धारा–66/192 मे सिटी बसो मे क्षमता से अधिक सवारियां होने पर चालान काटे जा रहे है। इसलिये महोदय् से निवेदन है, कि ट्रैफिक पुलिस व सी0पी0यू0 पुलिस को बिना राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन स्वीकृत किये, सिटी बसो के चालानों को काटने से रोका जाये, व पुलिस द्वारा जो वर्तमान समय तक नियम विरूद्व जिन चालानो को परिवहन विभाग मे भेजा गया है,उन्हे मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत कराया जाये।

(2) श्री गोपाल सिंह भण्डारी, देहरादून नगर बस सेवा एशोसिएशन ने अपने पत्र दिनांक 05.02.2018 के द्वारा सूचित किया है कि पुलिस विभाग द्वारा ओवरलोड के चालान करते समय एमवी एक्ट की धारा 113/114/194 का प्रयोग करते हुये अभियोग लगाया जा रहा है।

(क) एमवी एक्ट की धारा 113/114/194 के अनुसार केवल परिवहन विभाग के अधिकारी ही उक्त धाराओं के अन्तर्गत ओवरलोड के चालान करने हेतु अधिकृत है।

(ख) पुलिस विभाग के अधिकारियों को ओवरलोड के अभियोग में चालान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

(ग) एमवी एक्ट की धारा 113/114/194 केवल गुडस ट्रान्सपोर्ट व्हीकल से सम्बन्धित है। इसका पैसेन्जर व्हीकल यात्री वाहनों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः यात्री वाहनों के चालान उपरोक्त एमवी एक्ट की धारा 113/114/194 के अन्तर्गत नहीं किये जा सकते हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय कर्नाटक एआईआर 1998 पेज सं0 213 में बालकिशन ट्रांसपोर्ट कम्पनी बनाम स्टैट आफ कर्नाटक डब्लयू पी नं0 2234–2238 के अनुसार उपरोक्त स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है। उनके द्वारा उक्त आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री मनोहर सिंह गुलरघाटी, बालावाला, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 15.02.2018 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, कर्नाटक के आदेश के क्रम में सूचित किया है कि यात्री वाहनों में ओवरलोड को आरटीए/एसटीए द्वारा परमिट शर्तों का उल्लघंन मानते हुये कार्यवाही की जाती है। तथा उसी प्रकार प्रत्येक आरटीए/एसटीए द्वारा यात्री वाहनों पर ओवरलोड का अलग–अलग जुर्माना निर्धारित किया गया है, परन्तु यह केवल परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये चालान अथवा अभियोग पर ही लागू हो सकता है। पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ओवरलोड के अभियोग में किये गये चालान का कोई अस्तित्व/वजूद नहीं है। पुलिस द्वारा मेरी यात्री वाहन सं0 यूए07एम 8058 के किये गये चालान जो की मा0 प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। निरस्त करते हुये वापस पुलिस विभाग को भेजा जाना न्यायहित में उचित होगा।

इस सम्बन्ध मे आख्या निम्न प्रकार है, कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.5.2006 के संकल्प स0 –अनुपुरक–(5) में पुलिस के चालान निस्तारण हेतु निम्न आदेश पारित किये गये थे "ओवर लोड़िग के लिये 12 सीट तक की वाहन के लिए रू0 200/– प्रति सीट तथा 12 सीट से अधिक की वाहन के लिये रू0 300 प्रति सवारी प्रश्मन शुल्क लिया जाये ।"

इसके उपरांत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 में प्राधिकरण द्वारा नई नीति निर्धारित की गई है, जिसमें पुलिस विभाग के चालान निस्तारण हेतु कोई अलग से जुर्माने की धनराशि निर्धारित नही है। इसके उपरांत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.5.2015 में सवारी गाडी वाहनो के लिये ओवर लोड़िग पर निम्नवत् जुर्माने की धनराशि निर्धारित हैः–

1– 01 से 12 सीट क्षमता की वाहनो के लिये – रू0 400 प्रति सवारी ।

2– 12 से अधिक सीट क्षमता की वाहनो के लिये – रू0 800 प्रति सवारी ।

वर्तमान मे उक्त नीति के अनुसार पुलिस विभाग से प्राप्त चालानो का निस्तारण किया जा रहा है ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0 –46 (क) <u>देहरादून सिटी बस वाहनो में लगेज कैरियर लगाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश</u>–**

श्री अतुल कुमार नि0 सी–30 नेहरू कॉलोनी देहरादून के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नगर बस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो में निम्न शर्त से छूट प्रदान करने हेतु निम्न निवेदन किया गया है'' कि समय–2 पर सिटी बसो को चारधाम यात्रा के अस्थाई परमिट दिये जाते रहे है, परन्तु सिटी बसो मे लगेज कैरियर लगाने की अनुमति नही है, इस कारण यात्रा के समय कठनाई होती है। अतः सिटी बसों मे कैरियर लगाने की अनुमति देने की कृपा करे, तथा इस विषय पर आर0टी0ए0 की आगामी बैठक में विचार किया जाये।''

इसके साथ ही अध्यक्ष, देहरादून नगर बस सेवा राजपुर–क्लेमनटाउन मार्ग के द्वारा भी निम्न निवेदन किया है–'' सिटी बसो पर लग्गैज कैरियर व बोनट पर कबर पब्लिक हित मे लगाना अति आवश्यक है । इंजन के गर्म होने पर बोनट के साथ की सीट के साथ की सीट पर बैठे यात्री व स्कूल जाने वाले विद्यार्थी एवं महिलाओ के बैग, सामान इत्यादि रखने से हाथ–पांव बोनट पर लगने पर जलने की संभावना बनी रहती है। इसलिये सीटी बसों पर बोनट कबर लगाने की अनुमति देने की कृपा करें । इसी क्रम में सिटी बसो के छतों पर लग्गेज कैरियर वर्ष 2009 मे परिवहन विभाग ने चार धाम यात्रा के लिये सिटी बसो की मॉग वाहन स्वामियो से की थी, उसी दौरान सिटी बसो मे लग्गेज कैरियर लगाये गये थे, जो कि 20 से 30 हजार रूपये खर्च कर के लगाये थे। उसके बाद ही सिटी बसो को यात्रा पर भेजा गया था। सिटी बसों पर लग्गेज कैरियर लगाना इसलिये भी आवश्यक है, क्योकि प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रो की जनता शहर मे आना–जाना लगा रहता है। उनके सामान आदि रखने की व्यवस्था वाहन के अन्दर नहीं हो पाती है, जिसके लिये जनहित को ध्यान मे रखते हुए सिटी बसों मे कैरियर लगाना अति आवश्यक है। अतः आपसे उत्तराखण्ड परिवहन महासंघ का निवेदन है, कि जनहित मे इंजन के बोनट कबर एवं छत पर लग्गेज कैरियर लगाने के लिये अनुमति देने की कृपा करे, तथा लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने की कृपा करे।

इस सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है, उ0प्र0 महानगर बस सेवा माडल कार्य योजना के अन्तर्गत नगर बसो के डिजायन, बनाबट, रंग के सम्बन्ध मे जो शर्ते आरोपित की गई है, उन में यह शर्त भी सम्मलित है कि **''बस में लगेज कैरियर तथा पीछे की ओर सीढी नही लगाई जायेगी ''।**

विगत कई वर्षो से चारधाम यात्रा के समय रोटेशन में यात्री वाहनो की कमी हो जाने पर विशेष परिस्थितियो में देहरादून महानगर सिटी बस सेवा के अन्तर्गत संचालित नगर बसो को चारधाम यात्रा में अस्थाई परमिट जारी किये जाते है। इस सम्बन्ध में देहरादून नगर बस यूनियन द्वारा यह भी मॉगी की जाती है, चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने के समय ही उनकी वाहनो को रोटेशन मे सम्मलित किया जाये, लेकिन इन वाहनो की बनाबट एवं सीटो की स्थिति के कारण यात्रियो की सुविधा को देखते हुये इन वाहनो को यात्रा के प्रारम्भ में रोटेशन मे सम्मलित नही किया जाता है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**(ख) <u>नगर बस सेवा के परमिटो पर अस्थायी ठेका परमिट (यात्रा, विवाह आदि) के न दिये जाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध को समाप्त करने के संबधं मे विचार व आदेश।</u>**

श्री गोपाल सिंह भण्डारी, अध्यक्ष देहरादून नगर बस सेवा एसोसियशन राजपुर–क्लेमनटाउन देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 12.12.2017 के द्वारा निम्न निवेदन किया गया है, ''आर0टी0ओ0 द्वारा नगर बस सेवा की वाहनों को विशेष अवसरो पर अस्थाई ठेका परमिट दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया हुया है, इस सम्बन्ध में निवेदन है, कि वर्तमान समय मे देहरादून महानगर में लगभग 350 बसे नगर बस सेवा में संचालित है, जो कि देहरादून की जनता को समुचित सेवा प्रदान कर रही है। यात्राकाल एवं कुम्भ में नगर बसों को यात्रा के समय संचालन हेतु अस्थाई ठेका परमिट जारी किये गये थे, तथा नगर बस सेवा की लगभग 60 बसो द्वारा सन्तोषजनक सेवा प्रदान की गयी थी, इसमें हमारे चालकों एव वाहन स्वामियों ने आर0टी0ओ0 के आदेशो का पालन व विभागीय सहयोग से यात्रा को सफल बनाया तब से 2017 तक हमारे वाहनों द्वारा प्रत्येक वर्ष सन्तोषजनक सेवाऐ दी जा रही है, इस सम्बन्ध में हमारी मॉग है, कि विशेष अवसरो पर नगर बस की वाहनों को निम्न प्रकार अस्थाई परमिट पर चलने की आज्ञा प्रदान की जाये–

(1) मांर्ग पर 10 नगर बसों की विपरित 03 बसो को ठेका परमिट दिया जाये ।
(2) मार्ग पर 20 नगर बसों के विपरीत 06 बसो को ठेका परमिट दिया जाये ।
(3) मार्ग पर 30 नगर बसों के विपरीत 10 बसो को ठेका परमिट दिया जाये ।
(4) मार्ग पर 40 नगर बसो से अधिक के विपरीत 20 बसो को प्रथम आगत प्रथम पावत के हिसाब से अस्थाई ठेका परमिट देने की अनुमति सचिव/आर0टी0ओ0 को होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारी मॉग है, कि समय–2 पर यात्रा, शादी विवाह के परमिट अस्थाई जारी करने पर लगा प्रतिबन्ध अविलम्ब समाप्त किया जाये। जिसके समस्त नगर बस सेवा आपकी आभारी रहेगी।

इस सम्बन्ध मे आख्या निम्न प्रकार है, कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नगर बस सेवा वाहनो के परमिट पर अन्य शर्तों के साथ यह शर्त निर्धारित की गई है **''अनुज्ञप्ति से ऑच्छॉदित कोई गाडी संविदा गाडी के रूप मे प्रयोग नही की जायेगी, अर्थात नगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित वाहन को शादी–विवाह तथा टूरिस्ट पार्टी से सम्बन्धित परमिट जारी नही किया जायेगा। ''**

प्राधिकरण द्वारा उक्त शर्त आरोपित करने का मुख्य कारण यह रहा है, कि नगर बस सेवा देहरादून नगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमुख साधन है। इस बसो के अस्थाई परमिट पर अन्यंत्र संचालन होने से इनके मार्गो पर जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े ।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने की कृपा करे।

**मद स0–47 देहरादून महानगर सिटी बस सेवा '' महासंघ'' के आहवान पर बसो की हड़ंताल के सम्बन्ध जारी मोटर गाडी अंधिनियम –1988 की धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस के सम्बन्ध में विचार व आदेश –**

श्री विजय वर्धन ड़डरियाल 3, नरदेव शास्ती मार्ग (कोर्ट रोड) देहरादून अध्यक्ष देहरादून महानगर सिटी बस सेवा '' महासंघ'' देहरादून के द्वारा देहरादून में संचालित ठेका गाडी विक्रम परमिट के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के सम्बनध दिनांक 11.0'7.2017 में एक नोटिस देते हुये दिनांक 18.7.2017 को परेड ग्राउन्ड–प्रेमनगर परवल मार्ग पर चलने वाली बसो को देहरादून कार्यालय पर खड़ी करने की घोषणा की गई थी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित यूनियन के द्वारा कार्यालय से कोई वार्ता करने का प्रयास नही किया गया है। और एकतरफा रूप सें दिनांक 18.7.2017 से सभी मार्गो की नगर बसो का संचालन मार्ग पर बन्द कर दिया गया , और यूनियन के अन्तर्गत संचालित वाहनो को संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून के बाहर खड़ा कर दिया गया था। देहरादून महानगर सिटी बस यूनियन के अन्तर्गत निम्न मार्गो की बसे इस हड़ताल मे सम्मलित हुयी उनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

| कं0स0 | नगर बस सेवा मार्ग का नाम |
|---|---|
| 1. | राजपुर–क्लेमेन्टाउन |
| 2. | डी0एल0 रोड़–डिफेन्स कॉलोनी |
| 3. | प्रेमनगर–गुलरघाटी |
| 4. | आईएसबीटी–सहस्त्रधारा |
| 5. | एमडीडीए–डालनवाला–डाट मंन्दिर |
| 6. | पुरकुल गॉव–मोथरोवाला |

| | |
|---|---|
| 7. | परेड़ग्राउण्ड़–प्रेमनगर–परबल |
| 8. | बंजारावाला–कारगी–गुलरघाटी |
| 9. | थाना कैन्ट–परेड़ग्राउण्ड़ वाया आईएसबीटी–रिस्पना |
| 10 | देहरादून –डोईवाला |
| 11. | प्रेमनगर–रायपुर |
| 12. | सीमाद्वार–नालापानी |
| 13. | देहरादून–रायपुर–मालदेवता |

निम्न परमिट धारको के द्वारा अपनी वाहनो को देहरादून कार्यालय के बाहर दिनांक 18.7.2017 में खड़ा कर दिया गया, जिस कारण से कार्यालय मे आने–जाने मे बाधा उत्पन्न हुयी और कार्यालय का कार्य प्रभावित हुआ है–

| क्र0 सं0 | वाहन संख्या | परमिट संख्या | परमिट धारक का नाम व पता |
|---|---|---|---|
| 1. | यूए–07एस–2831 | पीएसटीपी– | श्री विजय वर्द्धन पुत्र श्री सत्य प्रकाश, 3–नरदेव शास्त्री मार्ग, कोर्ट रोड़, देहरादून। |
| 2. | यूके–07पीए–0442 | पीएसटीपी–2023 | श्री अंकित उपाध्याय पुत्र श्री इन्द्र दत्त उपाध्याय, 43 डीएवी कॉलेज, देहरादून। |
| 3. | यूके–07पीए–0464 | पेएसटीपी–1571 | श्रीमती श्वेता सिंघल पत्नी श्री अतुल कुमार, सी–30 नेहरू कॉलोनी, देहरादून। |
| 4. | यूके–13पीए–0041 | यूके–12/ पीएसटीपी–104 | श्री केशर सिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद, 22/2 ऑफीसर्स कॉलोनी, रेसकोर्स, देहरादून। |
| 5. | यूए–12ए–2036 | पीएसटीपी–1824 | श्री केवल पुत्र श्री आत्मा राम, 67 नथुवावाला, रायपुर, देहरादून। |
| 6. | यूए–07एफ–1755 | पीएसटीपी–1784 | श्री राजकुमार पुत्र श्री धर्मपाल, 109 बालावाला, देहरादून। |
| 7. | यूए–07एन–9510 | पीएसटीपी–1789 | श्री पंकज बिष्ट पुत्र श्री दिगम्बर सिंह बिष्ट, ग्राम–ननूरखेड़ा, तपोवन आश्रम, नालापानी, देहरादून। |
| 8. | यूके–07पीए–0598 | पीएसटीपी–1694 | श्री राम चन्द्र सिंह पुत्र श्री राय सिंह, 26–ए सुभाष रोड़, अपोजिट चिन्मया मिशन, देहरादून। |
| 9. | यूके–07पीसी–0737 | पीएसटीपी–1430 | श्रीमती प्रमिला पत्नी श्री अशोक कुमार, 194 डीएल रोड़, देहरादून। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | यूए–12–8399 | पीएसटीपी–1855 | श्री सूरत सिंह पंवार पुत्र श्री नारायण सिंह पंवार, हर्रावाला अपोजिट रेलवे स्टेशन, देहरादून। |
| 11. | यूके–07पीए–1001 | पीएसटीपी–1552 | श्री आभाष पुत्र श्री शेर मोहम्मद, नवादा, देहरादून। |
| 12. | यूके–07पीए–2732 | पीएसटीपी–1729 | श्री धर्मदास पुत्र श्री सूरज पाल सिंह, संजय कॉलोनी, अम्बीवाला, ब्रहमपुरी, देहरादून। |
| 13. | यूके–07पीए–0485 | पीएसटीपी–2028 | श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार, 3/192 विंग नं0–3 प्रेमनगर, देहरादून। |
| 14. | यूके–07पीए–0458 | पीएसटीपी–2036 | श्री विजय वर्द्धन पुत्र स्व0 श्री सत्य प्रकाश, 3–नरदेव शास्त्री मार्ग, कोर्ट रोड़, देहरादून। |
| 15. | यूके–07पीए–0418 | पीएसटीपी–1956 | श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र, 39 नागल, हटनाला, रायपुर, देहरादून। |
| 16. | यूके–07यू–3001 | पीएसटीपी–1287 | श्री मयंक चमोली पुत्र श्री एस0 सी0 चमोली, बालावाला, देहरादून |
| 17.′ | यूके–07पीए–2444 | पीएसटीपी–1291 | श्री केशर सिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत, रेसकोर्स, देहरादून। |
| 18. | यूके–08पीए–0324 | पीएसटीपी–1786 | श्री देवेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री पी0डी0 गैरोला, 230 करनपुर, देहरादून। |
| 19. | यूके–07पीए–0873 | पीएसटीपी–2134 | श्री नितिन कुमार आहूजा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, विंग–2, 12/सी, प्रेमनगर, देहरादून। |
| 20. | यूए–07ई–1415 | पीएसटीपी–1730 | श्री अनिल कुमार पुत्र श्री किशन लाल, 31 स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून। |
| 21. | यूके–07पीए–0156 | पीएसटीपी–1785 | श्रीमती सुचित्रा देवी पत्नी श्री अजीत सिंह, 26 सुभाष रोड़, डालनवाला, देहरादून। |
| 22. | यूके–07पीए–0271 | पीएसटीपी–2125 | श्रीमती सारिक पंवार पत्नी श्री कमल सिंह पंवार, तरला नागर, कुल्हान, सहस्रधारा रोड़, देहरादून। |
| 23. | यूके–07पीए–0430 | पीएसटीपी–1967 | श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री एस0 सी0 गुप्ता, 56 डी0एल0 रोड़, देहरादून। |
| 24. | यूके–07पीए–0995 | पीएसटीपी–2133 | श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री रतन लाल सोनकर, 196 चुक्खूवाला, देहरादून। |
| 25. | यूए–11–0474 | पीएसटीपी–1787 | श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री अजय सिंह, 29–2 डीएल रोड़, देहरादून। |
| 26. | यूए–07एन–9348 | पीएसटीपी–1289 | श्री अनुज चन्देल पुत्र श्री रमेश चन्देल, 5–सेवक आश्रम रोड़, देहरादून। |
| 27. | यूके–07पीए–2017 | पीएसटीपी–1638 | श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, 3/192 विंग–3, प्रेमनगर, देहरादून। |
| 28. | यूके–07पीए–1246 | पीएसटीपी–2156 | श्रीमती बबीता देवी पत्नी श्री राकेश सोनकर, 196 चुक्खूवाला, देहरादून। |
| 29. | यूके–07टी–9308 | पीएसटीपी–1833 | श्री मनमोहन सिंह बिष्ट पुत्र श्री गिरधारी, 18 ई0सी0 रोड़, करनपुर देहरादून। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30. | यूए–07ई–4890 | पीएसटीपी–1812 | श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा, अम्बीवाला, प्रेमनगर, देहरादून। |
| 31. | यूए–07सी–9905 | पीएसटीपी–2038 | श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार, 57 अम्बीवाला, प्रेमनगर, देहरादून। |
| 32. | यूके–07पीसी–0913 | पीएसटीपी– | श्री अनुज कुमार चन्देल पुत्र श्री रमेश चन्देल, 5–सेवक आश्रम रोड़, देहरादून। |
| 33. | यूके–07पीए–3478 | पीएसटीपी–1829 | श्री मनमोहन पन्त पुत्र श्री मायाराम पन्त, 25 पंडितवाड़ी, देहरादून। |
| 34. | यूके–07पीए–0632 | पीएसटीपी–1288 | श्री अरूण पाल पुत्र श्री स्वर सिंह पाल, नकरौंदा, देहरादून। |
| 35. | यूके–07पीए–2784 | पीएसटीपी–2011 | श्री जगवीर सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह, 279 मोथरोवाला, देहरादून। |

इन परमिट धारको के द्वारा अनावश्यक रूप से अपनी वाहनो को कार्यालय के बाहर कम्पाउड़ में खडी कर देने से जहॉ कार्यालय का मार्ग अवरूद्व किया गया, वही कार्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। इन वाहन स्वामियों के विरूद्व कार्यवाही हेतु कार्यालय के पत्र स0 3028/प्रर्वतन/2017 दिनांक 18.7.2017 के द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून एवं वरि0 पुलिस अधीक्षक देहरादून से अनुरोध किया गया था।

नगर बसो के समर्थन में निम्न परिवहन यूनियनो के द्वारा अपनी वाहनो का संचालन दिनांक 21.7.2017 से बन्द कर दिया गया थाः–

1– देहरादून– विकासनगर–कालसी मार्ग ।
2– देहरादून– विकासनगर मार्ग ।
3– देहरादून– धर्मावाला– माजरा–विकासनगर मोटर मार्ग ।
4– पर्वतीय संयुक्त मोटर मालिक सीमिती सेट न0–5, देहरादून केन्द्र ।
5– सेट न0–5 विकासनगर केन्द्र ।

उपरोक्त सभी परिवहन युनियन के अन्तर्गत संचालित वाहनो के परमिट धारको के मार्ग से वाहनो को हटा लेने के कारण आम जनता को परिवहन सुविधा प्राप्त न होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह सभी वाहने दिनांक 23.07.2017 तक मार्ग पर संचालित नही हुयी। प्राधिकरण द्वारा आम जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी वाहन स्वामियो को परमिट जारी किये गये है, लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार की अनावश्यक एवं गैरजिम्मदारी का प्रदर्शन कर आम जनता को परिवहन सुविधा से वंचित किया, जिस कारण से आम जनता एवं शासन प्रशासन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। परमिट धारको के इस प्रकार के आचरण के लिये उनके

परमिट के विरूद्व कार्यवाही हेतु मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–86 अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये है। जिसके अनुपालन में परमिट धारको के द्वारा अपने उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है, जो कि पत्रावलियो में संलग्न है।

अतः प्राधिकरण मामले मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद स0–48 – राजाजी राष्ट्रीय पार्क चीला रेंज मे पर्यटकों हेतु जिप्सियों को परमिट जारी करने एवं स्वीकृति परमिट को प्राप्त करने की अवधि बढाने के सम्बन्ध मे विचार व आदेशः–**

अध्यक्ष, सफारी वेलफेयर सोसायटी (रजि0) राजाजी नेशनल पार्क (चिल्ला) ने अपने पत्र स0 3/57 दिनांक 26.09.2017 के द्वारा यह प्रार्थना की है, कि '' विगत वर्ष (सीजन) मे आर0टी0ए0 की बैठक पास परमिटों की अवधि समाप्त होने तक कुछ सफारी चालकों के पास वाहन के पंजीयन चिन्ह नही थे, तथा कुछ लोगो ने अनविज्ञता के कारण आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, तत्पश्चाल परमिट समया अवधि समाप्त होने के कारण परमिट नही उठ पाये थे । महोदय् अभी कुछ लोगो के पास पाहन है,उनके पास पंजीयन चिन्ह द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तथा कुछ लोग सीजन के प्रारम्भ व परमिट दिये जाने की समय अवधि के अन्तराल में वाहन क्रय कर पंजीयन चिन्ह सहित निमयबद्व तरीके से आवेदनप्रति व्यक्ति कोर्ट फीस के साथ करेगें। उन्होंने निवेदन किया है कि पार्क प्रभावित 20–25 ग्रामीण लोगो को परमिट स्वीकृत करने की कृपा करें।

उपरोक्त पत्र को वन क्षेत्राधिकारी चीला रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व ने अपने पत्र स0 76/15 दिनांक 16 सितम्बर, 2017 के माध्यम से प्रेषित करते हुये पर्यटको को जंगल सफारी हेतु 08 से 10 जिप्सियों को टैक्सी परमिट जारी किये जाये। उक्त मार्ग पर निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं:–

| क्र० सं० | प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि | प्रार्थी का नाम व पता | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | 14.2.2018 | श्री इस्तीयाक अहमद पुत्र श्री मुन्ना अहमद नि0 चीला रेंज, पौडी गढवाल । | |
| 2. | 14.2.2018 | श्री इस्तीयाक अहमद पुत्र श्री मुन्ना अहमद नि0 चीला रेंज पौडी गढवाल । | |
| 3. | 14.2.2018 | श्री इस्तीयाक अहमद पुत्र श्री मुन्ना अहमद नि0 चीला रेंज पौडी गढवाल । | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4.** | **14.2.2018** | श्री इतंजार अमहमद पुत्र श्री मुन्ना अहमद नि0 चीला रेंज पौडी गढवाला । | |
| **5.** | **14.2.2018** | श्री इस्तकार अहमद पुत्र श्री मुन्ना अहमद नि0 चीला रेंज पौडी गढवाल । | |
| **6.** | **14.2.2018** | श्री इस्तीयाक अहमद पुत्र श्री मुन्ना अहमद नि0 चीला रेंज पौडी गढवाल । | |
| **7.** | **14.2.2018** | श्री इस्तकार अहमद पुत्र श्री मुन्ना अहमद नि0 चीला रेंज पौडी गढवाल । | |
| **8.** | **14.2.2018** | श्री शाहरूख रहमान पुत्र श्री खलील रहमान नि0 चीला कॉलोनी, यमकेश्वर पौडी। | |
| **9.** | **16.2.2018** | श्री अशोक नेगी, पुत्र श्री आनन्द नि0 290 चिला पौडी गढवाल । | |
| **10.** | **16.2.2018** | श्री आनन्द सिंह नेगी पुत्र श्री बाली सिंह नेगी, राजाजी नेशनल पार्क चीला, पौडी | |
| **11.** | **16.2.2018** | श्री अशोक नेगी, पुत्र श्री आनन्द नि0 290 चिला पौडी गढवाल । | |
| **12.** | **16.2.2018** | श्री दीपक कुमार पुत्र श्री विशम्भर दत्त नि0 98 गंगा भोगपुर मल्ला यमकेश्वर । | |
| **13.** | **16.2.2018** | श्री जगदीश सिह पुत्र श्री अमर सिंह नि0 20 कसन उदयपुरपल्ला, यमकेश्वर। | |
| **14.** | **16.2.2018** | श्री मोहनसिंह पुत्र श्री बचन सिह नि0 भोगपुर यमकेश्वर । | |
| **15.** | **16.2.2018** | श्री जयलाल पुत्र श्री गोपी चन्द, नि0 बी–4 गंगा भोगपुर यमकेश्वर । | |
| **16.** | **17.02.2018** | श्री सुनील कुमार पुत्र श्री दर्शन लाल, गंगा भोगपुर, मल्ला, पौडी गढवाल | |
| **17.** | **17.02.2018** | श्री सुरज सिंह रावत पुत्र विरेन्द्र सिंह रावत 82 गंगा भोगपुर, मल्ला, पौडी गढवाल | |
| **18.** | **17.02.2018** | श्री शिव चरन पुत्र श्री मंगतराम 14 गंगा भोगपुर, मल्ला, यमकेश्वर पौडी गढवाल | |
| **19.** | **17.02.2018** | श्री सतीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री सदानन्द गंगा भोगपुर, मल्ला, यमकेश्वर पौडी गढवाल | |
| **20.** | **17.02.2018** | श्री सागर शाह पुत्र श्री इकबाल अहमद 155 प्रोजेक्ट कॉलोनी चीला, पौडी गढवाल | |

प्राधिकरण की बैठक दि0 17.12.2016 में प्राधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है–

**"इस मद के अन्तर्गत राजाजी राष्ट्रीय पार्क चीला रेंज मे पर्यटकों हेतु जिप्सियों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व मे 15 वाहनो को स्थाई टैक्सी/मैक्सी कैब परमिट जारी किये गये थे। वन क्षेत्राधिकारी राजा जी राष्ट्रीय पार्क ने 25 और वाहनो को परमिट जारी किये जाने की संस्तुति के आधार पर प्राप्त 08 आवेदन पत्रो को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.**

216 मे स्वीकृति प्रदान की गई थी । लेकिन आवेदको के द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि तक अपने परमिट प्राप्त नही किये गये थे । वर्तमान में 08 आवेदन पत्रो के साथ निम्नलिखित कुल 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है–

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रार्थियो को एक–एक स्थाई टैक्सी/मैक्सी कैब परमिट मोतीचूर केन्द्र से 40 कि0मी0 अर्द्वव्यास के लिये निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है–

1. प्रत्येक सीजन के प्रारम्भ मे वाहनो की स्वस्थता की जॉच करायी जायेगी । परमिट पर किसी भी दशा में 17 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन संचालित नही की जायेगी।
2. वाहन टैक्सी रंग संयोजन मे होगी ।
3. पार्क मे संचालित करने वाले चालक का लाईसेंन्स कम से कम 05 वर्ष पुराना होना अनिवार्य होगा।
4. वाहन बस स्टेशन अथवा सार्वजनिक स्थान पर खड़ी नही की जायेगी । केवल पार्किग मे खड़ी की जायेगी।
5. वाहन मे निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियॉ नहीं बैठाई जायेगी ।
6. वाहन का प्रयोग किसी भी दशा मे स्टैज कैरिज के रूप में नही किया जायेगा।
7. वाहन स्वामी को निर्देश दिये जाते है, कि वे परमिट की वैधता समाप्त होने से 15 दिन पूर्व अपने परमिट का नवीनीकरण अवश्य करा लें।
8. परमिट प्राप्त करते समय आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. वाहन को नदी नालों एवं जल स्रोतो के आसपास नही धोया जायेगा"

अतः प्राधिकरण मामले मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

**मद सं0–49** **परेड ग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर संचालित नगर बसों को झाझरा (बंशीवाला पुल) तक के मार्ग वृद्वि के सम्बन्ध में विचार व आदेश** ।

श्री विजय वर्धन, डंडरियाल, अध्यक्ष, परेड ग्राउण्ड, प्रेमनगर– परवल, सिटी बस यूनियन ने अपने पत्र दिनांक 15.02.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि विभाग के द्वारा बालाजी मन्दिर, आर0टी0डी0आरद्ध इस्टीट्यूट झाझरा तक उक्त मार्ग पर चलने वाली सिटी बसों को चार वापसी सेवायें दे रखी हैं व उक्त मार्ग से (बंशीवाला पुल) तक मार्ग वृद्वि के सम्बन्ध में पिछली आर0टी0ए0 की बैठक में संज्ञान नहीं लिया गया है।

उक्त मार्ग पर स्कूलों, इन्स्टीट्यूट, विश्वविद्यालय लॉ कालेज व ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुये हमारी बस सेवाओं की वृद्वि कर सिटी बसों के माध्यम से जनता को सस्ती सुविधा का लाभ आपके माध्यम से दिलाया जा सके।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 को मस मद सं0 30 के अन्तर्गत अन्तर्गत परेड ग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर संचालित बसो को झाझरा बसींवाला पुल तक संचालन की अनुमति प्रदान करने तथा मार्ग पर चल रही सेवाओ की संख्या मे बद्वि करने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण के समक्ष श्री राम कुमार सैनी, अध्यक्ष देहरादून–विकासनगर– डाकपत्थर यूनियन, एवं श्री एस0के0 श्रीवास्तव के द्वारा विरोध किया गया, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि झाझरा से देहरादून घण्टाघर तक सीधी सेवा की आवश्यकता है, तो उनके मार्ग की वाहनो को बल्लूपुर चौक से घण्टाघर आने की अनुमति प्रदान की जाये। प्राधिकरण के समक्ष अध्यक्ष, प्रेमनगर–रायपुर नगर बस सेवा एसोसिएशन के द्वारा भी विरोध किया गया, उनके द्वारा कहा गया कि परेडग्राउन्ड–परवल–प्रेमनगर मार्ग की बसो के द्वारा अपने पूरे मार्ग पर वाहनो का संचालन नही किया जाता है, और यदि झाझरा से और सेवाओं की आवश्यकता है, तो उनके मार्ग की बसो के परमिट जो सुद्वोवाला तक बैध है, उन्हें झाझरा तक जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रर्वतन) देहरादून सभी पक्षों से वार्ता कर मार्ग पर आवश्यकता को देखते हुये अपनी आख्या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगे, तद्उपरांत यह मामला आगामी प्राधिकरण की बैठक मे प्रस्तुत किया जाये।

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं0 1711/आरटीए/दस–273/2017 दिनांक 13 अप्रैल, 2017 को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित पक्षों से वार्ता कर मामले के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आख्या आतिथि तक उपलब्ध नहीं है।

अतः प्राधिकरण मामले मे विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद सं0–50 लालतप्पतड– भानियावाला– झबरावाला– डोईवाला वाया दूधली–मथूरावाला मार्ग– आईएसबीटी मार्ग का विस्तार परेड ग्राउण्ड तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

प्राधिकरण ने हल्की चार पहिया 7 व 8 सीटर वाहनो को ठेका गाडी के रूप में संचालित करने हेतु बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भानियावाला–लालतप्पड मार्ग निर्मित किया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 मे यह निर्णय लिया गया था,

कि मार्ग पर 20 परमिट प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर जारी किये जायेंगे, जिसमें से 15 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को, 04 परमिट अनुसूचित जाति के आवेदको तथा 01 परमिट अनुसूचित जनजाति के आवेदक को जारी किया जायेगा। वर्तमान मे इस मार्ग पर 09 परमिट जारी है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.03.2016 के संकल्प सं0 30 द्वारा प्रश्नगत मार्ग का विस्तार बुल्लावाला से हंसोवाला तिराहा–मारखम ग्रान्ट– दूधली– मोथरोवाला होते हुये आईएसबीटी तक किया गया है।

उपरोक्त वाहनों की मार्ग यूनियन द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 16.02.2018 द्वारा निवेदन किया है कि दूधली व आसपास के ग्रामीणों को तथा छात्र–छात्राओं को अपने दैनिक कार्यों हेतु दून अस्पताल, डीएवी कॉलेज आदि स्थानों के लिये देहरादून शहर में प्रति दिन आना जाना होता है। क्षेत्र से देहरादून शहर के लिये सीधी सेवा न होने के कारण लोगो परेशानी का सामना करना पडता है। उनकी वाहनों का मार्ग परेड ग्राउण्ड तक नहीं होने के कारण उनकी वाहनों में सवारियॉ नहीं बैठती है। जिस कारण से उनको आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके वाहनों का मार्ग डोईवाला से परेड ग्राउण्ड वाया दूधली, मौथरोवाला करने कृपा करें।

इस सम्बन्ध में उन्होंने ग्राम पंचायत नागल बुन्दवाला, सिमलास ग्रान्ट, दूधली, नागल ज्वालापुर का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र संलग्न किया है। उक्त पत्र में वाहनों को घन्टाघर, परेड ग्राउण्ड तक करने का अनुरोध किया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करना चॉहें।

**मद सं0–51** **मेहूॅवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–वाईल्ड लाइफ इन्स्टीटयूट –चन्द्रबनी –सुभाष नगर चौक–ट्रॉन्सपोर्ट नगर–सेवलाकलां–गौतम कुंड होते हुए आई0एस0बी0टी0–हरिद्वार बाईपास–पुलिस चौकी– सरस्वती विहार– माता मंदिर–धर्मपुर–आराघर होते हुए परेडग्राउण्ड मार्ग का विस्तार शिमला बाईपास से कैलाशपुर शिव मन्दिर तक के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

प्रश्नगत मार्ग का विस्तार प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में संकल्प सं0 29 में आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास–पुलिस चौकी– सरस्वती विहार– माता मंदिर–धर्मपुर–आराघर होते हुए परेडग्राउण्ड तक किया गया है। उपरोक्त मार्ग पर वर्तमान में 17 चार पहिया 07/08 सीटर वाहनें संचालित हो रही है। क्षेत्रीय जनता के द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सम्बोधित पत्र जो जिलाधिकारी, महोदय के कार्यालय से दिनांक 06.12.2017 को प्राप्त हुआ था। इस पत्र में यह मॉग की गई थी कि कैलाशपुर से लगते हुये गॉवों मे यातायात का कोई साधन उपलब्ध नहीं है इस

पत्र में निवेदन किया गया है कि शिमला बाईपास– मेहॅूवाला– बन विहार– कैलाशपुर शिव मन्दिर तक यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में पत्र सं0 7805/आरटीए/दस–152/2017 दिनांक 16.12.2017 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून को सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उनके द्वारा प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण कर अपने पत्र 1696/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2018 दिनांक 16.02.2018 के द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गई है। जो निम्नवतः–

1. पित्थूवाला शिमला बाईपास मुख्य मार्ग से कैलाशपुर की दूरी लगभग 2.4 कि0मी0 है तथा शिमला बाईपास से कैलाश पुर की दूरी लगभग 4.0 कि0मी0 है।
2. उक्त मार्ग बीच में लगभग 300 मीटर भाग संकरा है जिसमें एक बार में एक ही छोटा वाहन जा सकता है।
3. उक्त मार्ग संकरा है, जिस पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों का संचालन किया जा सकता है।
4. पूर्व में भी उक्त मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था। जिसमें ई–रिक्शा वाहनों के संचालन हेतु संस्तुति की गयी थी।
5. सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त क्षेत्र में 05 ई–रिक्शा वाहनें कभी–कभी संचालित होते है। मार्ग पर नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है।
6. स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु चन्द्रबनी–गौतमकुण्ड मार्ग पर संचालित टाटा मैजिक वाहनों का मार्ग विस्तार कैलाशपुर तक किये जाने की संस्तुति की जाती है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करना चॉहें।

**मद स0–52 – दिनांक 19.04.2017 को गुम्मा में दुर्घटनाग्रस्त वाहन स0 यू0के0–07पीए–0054 पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–4729 के विरूद्व धारा–86 की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेश –**

स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–4729 सेट न0–5, वाहन स0 यू0के0–07पीए–0045 बस श्री बृजमोहन जैन पुत्र स्व0 श्रीपाल जैन वार्ड न0–09 इन्द्ररा उद्यान मार्ग विकासनगर जिला देहरादून के नाम पर जारी है, इस परमिट की वैधता दिनांक 17.6.2015 से दिनांक 16.6.2020 तंक है। पुलिस थाना नेरावा जिला शिमला में दर्ज मुकद्दमा स0 20/2017 के अनुसार यह वाहन दिनांक 19.4.2017 को विकासनगर –मीनस–त्यूणी मार्ग पर मीनस से 10कि0मी0 दूर गुम्बा जिला शिमला में दुर्घटना ग्रस्त हुयी है, जिसमें 45 व्यक्तियों की मृत्यू हो गई थी। वाहन कुल 37 इन आल में पजीकृत थी। परमिट धारक श्री बृजमोहन जैन को कार्यालय द्वारा दिनांक 26.4.2014 मे नोटिस जारी करते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत

करने हेतु निर्देशित किया गया है, लेकिन परमिट धारक का कोई उत्तर प्राप्त नही है । वाहन का परमिट स0 पीएसटीपी–4729 कार्यालय मे जमा है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद स0 53– नवनिर्मित मार्गो को यातायात के लिये खोलने के सम्बन्ध मे विचार व आदेश ।**

(1) **ओ0डी0आर0 06 (मोरी) से नानई (6.630 किमी) मार्ग के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में** –

सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी ने अपने पत्र स0 403/प्रशा0–याता0–परमिट/17 दिनांक 05.9.2017 के द्वारा निम्नवत् आख्या प्रेषित की गई है, ''श्री मुकेश सैनी प0क0अ0–2 द्वारा दिनांक 01.9.2017 को श्री सुभाष दोरियाल सहा0अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0पुरोला, श्री अब्बल दास आर्य नायब तहसीलदार मोरी उत्तरकाशी के साथ संयुक्त रूप मे उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया है, सर्वेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार मार्ग की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है,

1– मार्ग पर कहीं–2 पर मलवा पड़ा है, हटाये जाने की आवश्यकता है ।

उक्त मार्ग पर पाई गई उक्त आपत्ति के सम्बन्ध मे सर्वेक्षण दल द्वारा मौके पर उपस्थित सहा0 अभियन्ता को अवगत करा दिया गया है,उक्त के द्वारा शीघ्र आपत्तियों के निराकरण हेतु आश्वासन दिया गया है।

अतः उक्त मार्ग पर वाहनो के अवागमन की कतिमय आपत्तियो के साथ यातायात संचालन की संस्तुति की जाती है ।

(2) इन्द्रा–टिपरी मोटर मार्ग (लम्बाई 6.50 कि0मी0) के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में –

सहा0सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाशी ने अपने पत्र स0 694/सा0प्रशा0/मार्ग निरीक्षण/17 दिनांक 18.12.2017 के द्वारा उक्त मार्ग की संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रेषित की गई है, अधोस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18.12.2017 को श्री अमित चौहान, क0अभियन्ता लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड, श्री सौरभ असवाल उप जिलाधिकारी डुण्डा के साथ उक्त मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया, तथा निरीक्षण में प्राप्त आपत्तियो को क0अभियन्ता का अवगत कराया गयया ,जिसे उनके द्वारा शीघ निराकरण का आश्वासन दिया गया है। उक्त मार्ग पर वहनो के अवागमन की कतिमय आपित्तयो के साथ भारी वाहनो के दोतरफा संचालन हेतु संस्तुति की जाती है ।

(2) हिडोलाखाल– दुरोगी मोटर मार्ग (3.50कि0मी0)

सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी टिहरी ने अपने कार्यालय पत्र स0 653/सा0प्रश0/मार्गसर्वे/2017 दिनांक 11.10.2017 के द्वारा निम्नवत् आख्या प्रेषित की गई है, ''दिनांक 05.10.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री एस0के0 कौशिक स0अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 कीर्तिनगर व श्री रविन्द्र डिमरी, क0सहा0 पी0एम0जी0एस0वाई कीर्तिनगर के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जोकि वाहनो के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया । अतः हिडोलाखाल–दुरोगी मोटर मार्ग को मोटर मार्ग के रूप में स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

(3) चंबा–रानीचौरी मोटर मार्ग (05कि0मी0)

सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी टिहरी ने अपने कार्यालय पत्र स0 646/सा0प्रश0/मार्गसर्वे/2017 दिनांक 11.10.2017 के द्वारा निम्नवत् आख्या प्रेषित की गई है,'' मार्ग का पुनः सर्वेक्षण श्री दिनेश मोहन गुप्ता सहा0 अभियन्ता के साथ दिनांक 28.9.2017 को किया गया, वर्तमान मे मार्ग मोटर वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः चम्बा–रानीचौरी मोटर मार्ग के मौंण गॉव तक के भाग को मोटर मार्ग के रूप में स्वीकृति प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद स0 54 – मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

(1) श्री विपुल अग्रवाल ने अपने पत्र दिनांक 26.2.2016 के द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.'03.2016 के द्वारा यह शिकायत की गई थी, कि दिनांक 26.2.2016 को वह ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से सायं 5.30 वजे भण्डारी बाग अपने घर आ रहे थे, तो वाहन स0 यू0के0–07टीए–7129 टेम्पो के चालक द्वारा निर्धारित किराये से अधिक की मॉग की,एवं मना करने पर मेरे साथ अभ्रदता की। इस सम्बन्ध में वाहन स0 यू0के0–07टीए– 7129 के परमिट स0 टेम्पो–3705 के धारक श्री समीर खान अन्सारी पुत्र श्री इकबाल अन्सारी नि0 185 मेहॅवाला माफी देहरादून को कार्यालय पत्र स0 886/आरटीए/टेम्पो–3705/2016 दिनांक 03.3.2016 प्रेषित कर वाहन चालक के लाईसेस सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्दैशित किया गया था । इस सम्बन्ध में परमिट धारक ने दिनांक 28.9.2017 में अपना लिखित पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि '' मेरे ड्राईवर ने अधिक किराया

लिया गया, जो कि मेरी जानकारी मे नही है, पुरानी 2016 की घटना है, मैने ड्राईवर हटा दिया था, मेरे को ड्राईवर के डी0एल0 के बारे मे पता नही है,मै आपसे गलती की माफी मॉगता हूॅ, अतः आपसे निवेदन है,कि माफ करने की कृपा करें ।''

(2) श्री मान सिंह पुत्र श्री बदलेराम नि0 काठ बंगला भाग–2, सहस्त्रधारा रोड देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 08.4.2017 के द्वारा यह शिकायत की गई है, कि '' दिनांक 06.32017 समय 9.30ए0एम0 को बल्लूपुर चौक से प्रेमनगर जाने के लिये जैसे ही गाडी स0 यू0ए0–07ई–5695 में चढ़ा, वैसे ही उक्त ड्राईवर ने गाडी तेजी से भगा दी, जिससे मै प्रार्थी टायर के नीचे आने से बाल–2 बचा, प्रार्थी अगर सचेत न होता तो प्रार्थी की बस द्वारा जान भी जा सकती थी, और मै चौराहा पर कर के प्रार्थी ने ड्राईवर और कड़क्टर को समझाने की बात की तो डाईवर और कड़क्टर आग बबूला हो गये और दोनो लोगो ने प्रार्थी का कालर पकड़कर मारने लगे और वहन की गन्दी–2 गांलियां देकर अपमानित किया और झगडें मे मेरी जेब फाड के पर्स में रखे पैसे पर्स सहित कड़क्टर लेकर भाग गया । अतः महोदय् से निवेदन है, कि उक्त बस के ड्राईवर व कड़क्टर के खिलाफ उक्त प्रकरण की जॉच कराकर कड़ी से कडी कार्यवाही कर तत्काल प्रभाव से उक्त बस का परमिट (निरस्त) करने की कार्यवाही करे ।''

इस सम्बन्ध मे वाहन स0 यू0ए0–07ई–5695 के परमिट स0 पी0एस0टी0पी– 1858 के स्वामी श्री विजय वर्धन ड़डरियाल को कार्यालय पत्र सं0 2627/आरटीए/दस–1/पीएसटीपी–1858/2017 दिनांक 30.5.2017 प्रेषित किया गया, जिसमे उनके द्वारा उक्त शिकायत को झूठ एवं बेबुनियाद बताया गया, तथा इस सम्बन्ध में अपने तथ्य प्रस्तुत किये है, जो पत्रावली में संलग्न है । उनके द्वारा शिकायतकर्ता श्री मान सिंह के स्थायी पते की प्रति उपलब्ध कराने की मॉग की गई है । इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री मान सिंह पुत्र श्री बदलेराम को कार्यालय पत्र स0 2886/आरटीए/दस–1/2017 दि0 09.6.2017 प्रेषित करते हुये उनके पते के प्रमाण पत्र हेतु बोटर कार्ड /आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था, लेकिन श्री मान सिंह का कोई उत्तर प्राप्त नही हुया है।

(3) अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड ने अपने कार्यालय पत्र स0 115/एसटीए/दस–34/2017 दिनांक 10 जनवरी, 2017 के द्वारा विक्रम चालको का पत्र दिनांक 18.10.2016 क प्रति संलंग्न कर आवश्यक कार्यवही के निर्देश दिये गये है। विक्रम चालको के उपरोक्त पत्र में यह शिकायत की गई है, कि 'बस चालक, दर्शनलाल चौक से आकर रायपुर विक्रम स्टैण्ड पर बस खड़ी करके सवारी भरते है। दि0 12.10.2016 को सिटी बस यू0के0–07पीए–0359 सायं 6.30 वजे सवारी भर रही थी, विरोध करने पर विक्रम चालको से गाली गलोच किया तथा दिनांक 13.10.2016 को शायं 7.00 वजे यू0ए0–09–5910 ने भी सवारियो के साथ गाली गलौच किया । प्रतिदिन इनकी वाहनो का संचालन दर्शनलाल चौक से होता हे, जबकि इनका रोड आई0एस0बी0टी0 है, ।

इस सम्बन्ध मे वाहन स0 यू0ए0–09–5910 के परमिट स0 पीएसटीपी–1993 के धारक श्रीमती सीमा पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह को कार्यालय पत्र स0 155/आरटीए/2017 दिनांक 18.1.2017 प्रेषित कर स्पष्टीकर प्राप्त किया गया है, जिसका उत्तर दिनांक 27.4.2017 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमे उनके द्वारा विक्रम चालको के द्वारा लगाये गये आरोपो को नकारा गया है।

(4) श्री यज्ञ सकलानी ने ई–मेल पर दिनांक 09.3.2017 में यह शिकायत की गई है, कि दि0 17.3.2017 को उनके द्वारा रायपुर–प्रेमनगर मार्ग की बस से यात्रा करने के समय वाहन के अत्यधिक संख्या में सवारी होने पर भी और सवारी के लिये वाहन को 20 मिनट तक रोक कर रखा गया। बस को चलाने के लिये कहने पर बस परिचालक के द्वारा सवारियो के साथ अभ्रदता की गई, तथा सवारियो से बस से रिस्पना(छोटे मार्ग) की सवारियो को ले जाने से मना किया गया, शिकायत के साथ बस की फोटो भी उपलब्ध कराई गई है। इस शिकायत के आधार वाहन स0 यू0के0–07पीए0–0551 के परमिट धारक श्रीमती उषा चौहान पत्नी श्री अनिल चौहान को कार्यालय पत्र स0 1378/आरटीए/2017 दिनांक 24 मार्च, 2017 प्रेषित कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन परमिट धारक का कोई उत्तर प्राप्त नही हुया है।

(5) श्री जसवीर सिंह सचिव् सुखमनी साहिब सेवा सोसायटी प्रेमनगर देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 22.5.2017 के द्वारा शिकायत की गई है, कि संस्था के किसी कार्यक्रम मे सम्मलित होने के लिये पंजाब से 20.5.2017 को कुछ मेहमान आये थे, आई0एस0बी0टी0 पर जब उन्हे प्रेमनगर के लिये पूछा तो ऑटो स0 यू0के0–07टीए–6412 के चालक ने रू0 200.00 मॉगे, जब उसे शिकायत करने की चेतावनी दी तो साफ कह दिया कि मेरी गाडी सीज करा देना, आसपास के ऑटो से पूछा तो एक ही आवाज थी रू0 200.00 जनता को इस भार से बचाने हेतु विचार करें।

इस सम्बन्ध में ऑटो स0 यू0के0–07टीए–6412 के परमिट स0 ऑटो–4111 के धारक श्री अमित मारवाह पुत्र श्री राम किशन मारवाह को कार्यालय पत्रस0 2528/आरटीए/ऑटो–4111/2017 दिनांक 30.5.2017 को धारा–86 का नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके संदर्भ में परमिट धाारक ने दिनांक 15.6.2017 मे अपना पक्ष प्रस्तुत कर सूचित किया है, कि उसका सूचना मिलने पर उनके द्वारा ड्राईवर को गाडी से हटा दिया है, भविष्य में मेरे किसी भी ड्राईवर से पुनः ऐसी गलती नही होगी।

(6) श्री पूर्ण सिंह कोठाल निवासी– विष्ट गॉव पो0 घंघोड़ा जिला देहरादून के द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.4.2017 के माध्यम से यह शिकायत प्रेषित की गई है, कि उनके द्वारा दि0 20.4.2017 को अपनी वाहन स0 यू0के0–07टीए–5502 मे आई0एस0बी0टी0 से विष्ट गांव के लिये बैठा था, लेकिन आपके द्वारा उन्हे सांय 6.30 वजे गढी चौक पर उतार दिया ,और गाली गालोच की गई । उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है, कि यह वाहन का संचालन प्रतिदिन विष्ट गांव तक नही किया जाता है, इससे गांव की मातायें, बहने बुजुर्ग, बच्चे सब परेशान है ।

इस सम्बन्ध में वाहन स0 यू0के0–07टीए–5502 के परमिट स0 मैक्सी 4149 के धारक श्री अजब सिंह पुत्र श्री खलीराम को कार्यालय पत्र स0 2242/आरटीए/मैक्सी–4149/2017 दिनांक 04 मई, 2017 प्रेषित करते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में परमिट धारक ने अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय मे दिनांक 12.5.2017 मे प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया है,कि दिनांक 11.5.2017 को उसकी वाहन खराब(ओवर हिटिंग) हो गई थी, इसलिये उसके द्वारा सवारी को दूसरी वाहन में बैठने हेतु बोला गया था।

(7) श्रीमती सरिता बहुगुणा, संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून ने अवगत कराया है, कि ''मेरे द्वारा दिनांक 28.12.2016 को एस्ले हॉल से आरटीओ आफिस तक ऑटो स0 यू0के0–07टीए–6512 का चलने के लिये कहा, परन्तु चालक द्वारा मुझसे रू0 100/– मॉगे गय, जो कि बहुत ज्यादा है, एवं रू0 100/– से कम मे ले जाने से मना किया गया।

इस सम्बन्ध मे वाहन स0 यू0के0–7टीए–6512 के परमिट स0 ऑटो 4657 के धारक श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री गंगा राम को पत्र स0 6140/आरटीए/2017 दिनांक 28.'12.2017 प्रेषित करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका परमिट धारक द्वारा दिनांक 10.01.2017 में अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसमे यह उल्लेख किया है, कि मेरी गाडी के चालक ने दिनांक 28.12.2017 की घटना के बारे मुझे कुछ नही बताया और मेरे घर पर गाडी छोड़कर चला गया, उसके बाद वापिश नही आया है, उनके द्वारा इस घटना के लिये खेद व्यक्त किया गया है, और भविष्य मे इसकी पुनःवृति न होने का आश्वासन दिया गया है।

(8) श्रीमती रीना थापा निवासी–टपकेश्वर मार्ग गढी कैण्ट देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 14.6.2017 के द्वारा यह शिकायत की गई है, कि '' मै रोजाना टाटा मैजिक मे रोज सफर करती हूँ, पिछले कुछ दिनो से गढी कैण्ट रूट पर चलने वाली टाटा मैजिक यू0के0–07टीए–5493 में ड्राईवर एवं साथ मे एक शराबी व्यक्ति बैठा रहता है, जो कि किराया ज्यादा काटता है, और बतमीजी करता है, इस सम्बन्ध में जब मैजिक के ड्राईवर को कहा जो उसने कहा कि मेरे मेजिक म`मत बैठना और ड्राईवर भी नशे में था । तथा चलती गाडी मे नशीला धूम्रपान करने लग जाते है ।

इस सम्बन्ध में वाहन स0 यू0के0–07टीए–5493 के परमिट स0 मैक्सी–4135 के धारक श्री मनोज जोशी पुत्र श्री बाबू लाल जोशी नि0 73 बिष्ट गांव गाजियावाला देहरादून को कार्यालय पत्र स0 2679/आरटीए/दस–1/मैक्सी–4135/2017 दिनांक 21 जून, 2017 के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस पर परमिट धारक ने के द्वारा दिनांक 03.7.2017में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमे यह उल्लेख किया गया है, कि प्रार्थी टाटा मैजिक स0 यू0के0–07टीए– 5493 का पंजीकृत स्वामी है, तथा वाहन का स्वंम संचालन करता है, आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त पत्र के अनुसार श्रीमती रीना थापा निवासी टपकेश्वर मार्ग गढीकैण्ट देहरादून को न तो प्राथ्र्ज्ञी जानता है,तथा प्रार्थी की वाहन के प्रति दिन एक ही समय पर गढीकैण्ट या देहरादून से गढीकैण्ट सवारी को चढाना होता है, क्योकि वाहन मार्ग पर चलने वाले अन्य वाहनो के साथ

रोटेशन से संचालित होते है, शिकायतकर्ता श्रीमती रीना थापा प्रतिदिन मेरे वाहन से सफर करना दर्शाया है, जो कि गलत है, आपके द्वारा दिये नोटिस मे मेरे साथ अन्य किसी शराबी व्यक्ति का जिसका मेरा परिचालक समबोधित कियागया है, ऐसा परिचालक प्रार्थी की वाहन मे न तो कभी रहता है, न ही प्रार्थी के द्वारा किसी दिन ऐसे किसी व्यक्ति को अपना परिचालक या चालक बनाकर वाहन का संचालन कराया गया है, यदि जिस व्यक्ति के सम्बन्ध मे शिकायतकर्ता के द्वारा शराब पीकर बतमीजी करना बताया गया है, हो सकता है, कभी कोई श्रीमती रीना थाना का ही जानकार वाहन मे बैठा हो और उनमे वाहन से उतरने के बाद आपस मे कोई कहासुनी हुयी हो, जिससे प्रार्थी को कोई लेना–देना नही है,। उपरोक्त शिकायत पत्र प्रार्थी के विरूद्व किसी षड़यन्त्र के तहत दिया गया है, जो कि खारित होने योग्य है, सत्यता से आपको अवगत कराया जा रहा है, इस प्रकार का प्रकरण मेरे वाहन मे कभी नही हुया है, और न कोई किराया आदि के सम्बन्ध मे कहासुनी हुयी है।

(9) श्री नौशाद अख्तर पुत्र श्री मो0 अख्तर निवासी– मिनी एमआईजी फलैट एमडीडीए कॉलोनी चन्दर रोड डालनवाला देहरादून दिनांक 04.10.2017 में शिकायत की गई हे, कि दि0 21.8.2017 को बस स0 यू0ए0–07एन– बुद्वा चौक पर तेज गति व लापरवाही से बस चलाते हुये जोरदार टक्कर मा दी, जिसमें वह स्वंम तथा उनका कैमरामेन शाहबाज को गंभीर चोट आई है, तथा सिटी बस चालक टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसकी उनके द्वारा थाना कोतवाली मे रिर्पोट दर्ज कराई गई है । श्री नौशाद ने अपने पत्र मे बस चालक के लाईसेंस व बस के परमिट के विरूद्व कार्यवही की मॉग की गई है ।

इस सबंध मे वाहन स0 यू0ए0–07एन–8510 बस के परमिट स0 पीएसटीपी–1789 के धारक श्री पंकज विष्ट पुत्र श्री दिंगबर सिंह विष्ट नि0 23 ग्राम नानूखेड़ा पो0 तपोवन देहरादून को पत्र प्रेषित कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसका वर्तमान मे कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है।

(10) श्री भगतराम डोवरियाल 137 सोमेश्वर नगर ऋषिकेश ने यह शिकायत की है कि '' दि0 20.3.2017 को मेरे बच्चे (वेटी–वहू) देहरादून से साढे चार बजे के करीब कमाण्डर स्टैण्ड रिस्पना पुल से गाडी न0 यू0के0–07टीए–8772 मे ऋषिकेश के लिये बैठे। मेरे बच्चो का कहना है, कि उपरोक्त गाडी का चालक जिसका काल्पनिक नाम अवधेश कुमार यादव है, हमारे साथ सारे रास्ते भर बदतमीजी करता रहा, जोकि हम शर्म के मारे कुछ न कह सके, मेने इस चालक की शिकायत यूनियन पदाधिकारी से की पर मेरे को संन्तोषजनक उत्तर नही मिला, इससे साबित होता है, कि ऐसे चालको को यूनियन पदाधिकारियो का संरक्षण प्राप्त है। मेरे विचार से ऐसे व्यवहार वाले चालको का लाईसेंस निरस्तीकरण होना चाहिये ।

इस सम्बन्ध मे वाहन स0 यू0के0–07टीए–8772 के परमिट स0 मैक्सी–6884 के धारक श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री प्रसन्ना नि0 171 मेहॅूवाला माफी, बसन्त विहार देहरादून को पत्र प्रेषित कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस पर परमिट धारक ने दिनांक 18.4.2017 मे

अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, कि उपरोक्त वाहन स0 यू0के0–07टीए–8772 रिस्पनापुल मैक्सी समिती से संचालित होती है। महोदय् प्रार्थी की उपरोक्त वाहन संख्या मासिक किराये पर देहरादून से केन्द्रीय विद्यालय रायवाला मे लगी हुयी है । मै परमिट धारक के साथ–2 स्वंम अपनी गाडी का संचालन चालक के रूप में करता हूॅ। दिनांक 20.3.217 को शिकायतकर्ता श्री भगतराम डोबरियाल के बच्चे(बेटी–बहु) ने मेरी वाहन स0 यू0के0–07टीए–8772 मे देहरादून– ऋषिकेश के लिये सफर नही किया है, क्योंकि शिकायतकर्ता के बच्चे, बेटे बहु समिति से वाहन स0 0360 टाटा सुमो में गये थे, जोकि समिती की रोटेशन बुक मे दर्ज है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित यूनियन दून गढवाल ट्रेकर जीप कमान्डर मालिक कल्याण संचालन समिति रिस्पना पुल ड़ाडा धर्मपुर देहरादून को कार्यालय पत्र स0 5001/आरटीए/दस–1/2017 दिनांक 28.10.2017 प्रेषित कर आख्या मॉगी गई है, जिसका अभी उत्तर प्राप्त नही है ।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामलों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद संख्या 55– मोटर वाहन अधिनियम–1988 की धारा 86 के अन्तर्गत ओवर लोडिंग के अभियोग के चालान पर विचार एवं आदेश–**

**(क) 03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये प्रथम चालान के मामलेः–**

| dz0 सं0 | स्वामी का नाम | परमिट संख्या व वाहन संख्या | चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक | अभियोग का विवरण एंव चालान की स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सोनू पुत्र श्री यासीन | ऑटो–8615 यूके08टीए–4635 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–07.03.2017 | 10 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | श्री सुशील कुमार पुत्र श्री सीमरू | टैम्पो–1841 यूके08टीए–1423 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–20.01.2017 | **04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| 3 | श्री रवि कुमार पुत्र श्री इन्द्र राज | टैम्पों–4647 यूके08टीए–5268 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–21.02.2017 | **07 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| 4 | श्री महेश थापा पुत्र श्री प्रेम सिंह | सीसी–1439 यूके07पीए–1889 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–06.03.2017 | **10 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| 5 | श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह | यूके/7/सीसी/मोटर /2016/106 यूके10टीए–0084 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–18.04.2017 | **07 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| 6 | श्री जयप्रकाश पुण्डिर पुत्र श्री प्रताप सिंह | ऑटो–5149 यूके07टीबी–0526 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–20.06.2017 | **09 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| 7 | श्री अब्बदुल गफार पुत्र श्री जाहिद | ऑटो–7403 यूके07टीए–3062 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–16.06.2017 | **04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| 8. | श्री रविन्द्र कश्यप पुत्र श्री ओमप्रकाश कश्यप | ऑटो–4381 यूके07टीए–5182 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–10.06.2017 | **4 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| 9. | श्री मौ0 अली पुत्र श्री रिजवान | यूके/7/सीसी/मैक्स ी कैब/2017/689 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, | **07 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | यूके08जे–8484 | दिनांक–22.07.2017 | | अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **10.** | श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह | यूके/7/सीसी/मैक्सी/2017/42 यूके07टीए–5620 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–28.07.2017 | **06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **11.** | श्री विक्रम सिंह असवाल पुत्र श्री प्रेम सिंह | यूके/7/एससी/हिल/2017/52 यूके07पीसी–0477 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–03.05.2017 | 19 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **12.** | श्री असलम पुत्र श्री सुलेमान | यूके/7/सीसी/टैम्पों/2016/178 यूके07टीबी–1107 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–22.07.2017 | 5 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **13.** | श्री जनेशवर प्रसाद पुत्र श्री धर्मपाल सिंह | मैक्सी–5930 यूके07टीए–7514 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–17.04.2017 | 7 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **14.** | श्रीमती रजनी नौटियाल पत्नी श्री सतीश | टैम्पो–4310 यूके07टीए–7292 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–24.06.2017 | **05 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **15.** | श्री अजय सिंह पुत्र श्री हेमराज सिंह | ऑटो–5572 यूके8टीए–5218 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–18.01.2017 | **06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **16.** | श्री योगेन्द्र सिंह पाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र पाल | टैम्पो–4032 यूके07टीए–7605 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–02.05.2017 | **05 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **17.** | श्री शेर सिंह पुत्र श्री | टैम्पो–4779 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) | **05 सवारी ओवरलोड–** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | सुलखा सिंह | यूके08टीए–2841 | अधिकारी,<br>दिनांक–30.06.2017 | **अनिस्तारित** | करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **18.** | श्री पुनित त्यागी पुत्र श्री योगेन्द्र त्यागी | टैम्पो–2365<br>यूके08टीए–0435 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–22.03.2017 | **18 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **19.** | श्री आसिक अली पुत्र श्री सरीफ अली | टैम्पो–4301<br>यूए07एम–8224 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–01.09.2017 | **04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **20.** | श्री गुलफाम पुत्र श्री राशिद | टैम्पो–2561<br>यूके08टीए–0854 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–06.03.2017 | 07 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **21.** | श्री किशन लाल पुत्र श्री शंकर लाल | ऑटो–3937<br>यूके07टीए–6521 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–07.09.2017 | 05 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **22.** | श्री असलम खान पुत्र श्री नूरहसन | यूके/7/सीसी/टैम्पों/2017/73<br>यूके07टीए–9018 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–14.09.2017 | **04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **23.** | श्री फरीक अहमद पुत्र श्री नूर मौहम्मद | ऑटो–4851<br>यूके07टीए–4526 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–22.06.2017 | **04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **24.** | श्री सतीश पुत्र श्री भरत सिंह | मैक्सी–3213<br>यूके07टीए–4621 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–27.02.2017 | **04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.** | श्री राजेश कुमार पुत्र श्री साधु राम | ऑटो–4780 यूके07टीए–3703 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–02.05.2017 | **05 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **26.** | श्री नलिन दत्त पुत्र श्री देव दत्त | मैक्सी–3280 यूके07टीए–4748 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–08.09.2017 | 06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित। | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **27.** | श्री जगत सिंह पुत्र श्री गुरू देव | टैम्पो–1508 यूके07टीए–4125 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–08.09.2017 | 04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **28.** | श्री शमशाद अली पुत्र श्री अहमद अली | टैम्पो–4215 यूके07क्यू–7230 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–26.07.2017 | **04 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **29.** | श्री केशर पुत्र श्री कमरूदीन | यूके/7/सीसी/एआरसीपी/2017/295 यूके08टीए–4844 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–13.09.2017 | **06 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **30.** | श्री बिशम्बर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह | यूके/7/सीसी/मैक्सी/2016/507 यूके07टीबी–0757 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–04.09.2017 | 08 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **31.** | श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री गंगा राम | ऑटो–5047 यूके07टीए–0959 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–07.09.2017 | 07 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **32.** | श्री अमरदीप सिंह पुत्र | मैक्सी–6586 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) | **05 सवारी ओवरलोड–** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | श्री शूरवीर सिंह | यूए07आर–8890 | अधिकारी,<br>दिनांक–28.10.2017 | **अनिस्तारित** | करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **33.** | श्री सुनील पुत्र श्री दौलत राम | मैक्सी–6795<br>यूके07टीए–8594 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–15.07.2017 | 05 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **34.** | श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री अब्बाल सिंह | यूके/7/सीसी/मैक्सी/2016/<br>645<br>यूके08टीए–2681 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–29.08.2017 | 04 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **35.** | श्री मौ0 रफी पुत्र श्री रफीक अहमद | ऑटो–7083<br>यूके08टीए–1090 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–11.08.2017 | 06 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **36.** | श्री कौशर अली पुत्र श्री फकीरा | टैम्पो–4138<br>यूके07टीए–7838 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–04.10.2017 | 04 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **37.** | श्री अबरार पुत्र श्री अनवार | यूके/7/सीसी/एआरसीपी/2015/23<br>यूके08टीए–5111 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–30.10.2017 | 06 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **38.** | श्री नन्हें लाल पुत्र श्री लीलाधर | ऑटो–7976<br>यूके08टीए–1949 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–08.04.2017 | 06 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **39.** | श्री इसरार अली पुत्र श्री अख्तर अली | टैम्पो–3065<br>यूके08टीए–5277 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी, | 05 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | दिनांक–11.05.2017 | | अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **40.** | श्री इसरार पुत्र<br>श्री अख्तर अली | टैम्पो–3167<br>यूके08टीए–4206 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–28.10.2017 | 05 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **41.** | श्री दिलशाद अली<br>पुत्र श्री अख्तर अली | टैम्पो–3219<br>यूके14टीए'0612 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–28.10.2017 | 05 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **42.** | श्री सतीश कुमार पुत्र<br>श्री तारा सिंह | यूके/7/सीसी/एआरसीपी/2017/91<br>यूके08टीए–4966 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–10.10.2017 | 07 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **43.** | श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र<br>श्री नरेन्द्र कुमार | टैम्पो–430<br>यूके07टीए–4434 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन)<br>अधिकारी,<br>दिनांक–15.03.2017 | 04 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **44** | श्री अनिल कुमार पुत्र<br>श्री अरिया लाल | यूपीकोप–2184 | स0स0स0प0(प्रर्वतन)<br>उत्तरकाशी<br>17.8.2017 | 06 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। |
| **45** | विधादत्त मैथानी पुत्र<br>श्री प्रभु लाल मैथानी | टेम्पो–1817<br>यूके 14टीए 0124 | स0स0प0अ0 दे0दून<br>24.10.2017 | 04 सवारी<br>ओवरलोड–अनिस्तारित | तदैव |
| **46** | गंभीर सिंह राणा पुत्र<br>श्री उत्तम सिंह | मैक्सी/2016<br>982 | तदैव | 04 सवारी<br>ओवरलोड–अनिस्तारित | तदैव |
| **47** | श्री नरेश कुमार पुत्र<br>श्री राहिताश | सीसी–2016/टीए–11<br>12 | प0क0अ0–प्रथम,<br>ऋषिकेश | 12 सवारी ओवरलोड–<br>अनिस्तारित | तदैव । |
| **48** | श्री सीमा देवी पत्नी | सीसी–2016/469 | स0स0प0अ0, नई | 06 सवारी | तदैव । |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | श्री नन्द किशोर | | टिहरी | ओवरलोड–अनिस्तारित | |
| 49 | श्री मुख्तार अहमद पुत्र श्री मेहबूब अहमद | मैक्सी–6557 | प0क0अ0–प्रथम, टिहरी | 05 सवारी ओवर लोड–अनिस्तारित | तदैव । |
| 50 | श्रीमती मंजू विष्ट पत्नी श्री विजयपाल सिंह | पीएसटीपी–4493 | स0स0प0अ0 टनकपुर | 22 सवारी ओवर लोड–अनिस्तारित | तदैव । |
| 51 | श्री मनोज प्रसाद गौड पुत्र श्री सत्यनारायण | यूपीकोप–0973 | स0स0प0अ0, उधमसिंहनगर यात्रा) | 15 सवारी ओवर लोड–अनिस्तारित | तदैव । |
| 52 | श्री आदेश कुमार पुत्र श्री विक्रम सिंह | मैक्सी–3154 | प0क0अ0–प्रथम विकासनगर | 05 सवारी ओवर लोड–अनिस्तारित | तदैव । |
| 53 | श्री दिलशाद अहमद पुत्र श्री घसीटा | मैक्सी–6760 | स0स0प0अ0 टिहरी | 07 सवारी ओवर लोड–अनिस्तारित। | तदैव । |
| 54 | श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री कृपाल सिह | मैक्सी–5392 | स0स0प0अ0, उत्तरकाशी | 04 सवारी ओवरलोड है–अनिस्तारित | तदैव । |
| 55 | श्री सईद अली पुत्र श्री नबाब अली | टेम्पो/2018/39 | स0स0प0अ0 देहरादून । | 04 सवारी ओवरलोड है–अनिस्तारित | |
| 56 | श्रीमती शाजमानी पत्नी श्री मो0 जाहिद | ऑटो–4949 | पुलिस विभाग, देहरादून | 04 सवारी ओवरलोड है–अनिस्तारित | तदैव । |
| 57 | श्री सुरजीत रावत पुत्र श्री कलम सिंह | पीएसटीपी–1718 | पुलिस विभाग देहरादून | 20 सवारी ओवरलोड–अनिस्तारित । | तदैव । परमिट की वैधता दिनांक 01.01.18 को समाप्त हो गयी है। |
| 58 | श्री सुनील कुमार | मैक्सी–3182 | पुलिस विभाग, | 05 सवारी ओवरलोड | तदैव । |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | पुत्र श्री पूर्ण सिंहं | | देहरादून । | –अनिस्तारित | |
| 59 | श्रीमती रश्मी मनोडी पत्नी श्री गिरीश | मैक्सी–3815 | पुलिस विभाग देहरादून | 05 सवारी ओवरलोड –अनिस्तारित | तदैव । |
| 60 | श्री दीप चन्द रावत पुत्र श्री पदम सिंह | मैक्सी–3144 | पुलिस विभाग, देहरादून। | 07 सवारी ओवरलोड है। अनिस्तारित । | तदैव । |
| 61 | श्री कुम्पाल सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह | सीसी/यूवैन/2016/148 | स0स0प0अ0 दे0दून 30.04.2017 | 07 सवारी ओवरलोड अनिस्तारित | तदैव |

(ख) 03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये द्वितीय चालान के मामलेः–

| d z 0 सं0 | स्वामी का नाम | परमिट संख्या व वाहन संख्या | चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक | अभियोग का विवरण एंव चालान की स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती गीता सूरी पत्नी श्री नन्द गोपाल सूरी | मैक्सी–4520 यूके07टीए–5928 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–03.03.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–14.01.2017 | 09 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **08 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। **नोटः–** उक्त परमिट की वैधता दिनांक 30. 03.2017 को समाप्त हो गयी है। परमिट धारक के द्वारा परमिट नवीनीकरण हेतु भी |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आवेदन किया गया। आरटीए द्वारा दिनांक 17.12.2016 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है। |
| **2** | श्री रामकुमारी सिंह पत्नी श्री जी0पी0 सिंह | टैम्पों–1887<br>यूके07टीए–7071 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–23.04.2017<br>स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–02.06.2017 | 03 सवारी ओवरलोड–निस्तारित<br>**04 सवारी ओवरलोड–निस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 17.12.2016 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है। |
| **3.** | श्री इन्द्रपाल आनन्द पुत्र श्री मलिक चदं आनन्द | टैम्पों–4468<br>यूके07टीए–3850 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–04.06.2016<br>स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–03.08.2017 | 01 सवारी ओवरलोड–निस्तारित<br>**04 सवारी ओवरलोड–निस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 17.12.2016 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है। |
| **4.** | श्री सुखविन्द्रर सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह | मैक्सी–3155<br>यूके07टीए–4543 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–07.09.2016<br>स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–09.9.2017 | 10 सवारी ओवरलोड–निस्तारित<br>**05 सवारी ओवरलोड–निस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 17.12.2016 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | श्री विनोद पुत्र श्री बहादुर सिंह | पीएसटीपी–1881 यूके07पीए–0251 | यातायात पुलिस, दिनांक–22.08.2016 यातायात पुलिस दिनांक–03.08.2017 | 18 सवारी ओवरलोड–निस्तारित **22 सवारी ओवरलोड–निस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 17.12.2016 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है। |
| **6.** | श्रीमती अरूणा सकलानी पत्नी स्व0 श्री मनोज सकलानी | यूके/7/सीसी/टैम्पों/2016/179 यूके07टीबी–1106 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–15.07.2017 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–15.10.2017 | 03 सवारी ओवरलोड–निस्तारित **06 सवारी ओवरलोड–निस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। आरटीए द्वारा दिनांक 17.12.2016 को वाहन के ,द्वितीय चालान हेतु रू0 800/प्रति सवारी प्रशमन शुल्क अथवा 02 माह का निलम्बन निर्धारित किया गया है। |
| **7** | श्री विकास कुमार पुत्र श्री दयानन्द शर्मा | यूके/7/सीसी/मैक्सी/2017/653 | स0स0स0प0अ0 नई टिहरी | 04 सवारी ओवर लोड निस्तारित 06 सवारी ओवर लोड अनिस्तारित | तदैव |
| **8** | श्री कुलवीर सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह | यूके/7/सीसी/मैक्सी/2017/52 | स0स0स0प0अ0 देहरादून। | 03 सवारी ओवर लोड निस्तारित 05 सवारी ओवर लोड अनिस्तारित | तदैव |

(ग) **<u>03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये तृतीय चालान के मामले</u>:–**

| **Dz0 सं0** | स्वामी का नाम | परमिट संख्या व वाहन संख्या | चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक | अभियोग का विवरण एंव चालान की स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती शकुन्तला देवी | यूपीसीओपी–1787 यूके07सीए–6939 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–01.06.2016 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–16.01.2017 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–21.04.2017 | 05 सवारी ओवरलोड– निस्तारित 03 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **07 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। (आरटीए द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 17.12.2016 में वाहन के तृतीय चालान हेतु रू0 12,000/– प्रशमन शुल्क अथवा 2 माह 15 दिन का निलम्बन निर्धारित किया है। ) |
| 2 | श्री गौतम मुजंम्दारु पुत्र श्री एन सी मुजंम्दार | टैम्पो–3680 यूके07टीए–8558 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–04.08.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–08.12.2015 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–14.06.2017 | 02 सवारी ओवरलोड– निस्तारित 03 सवारी ओवरलोड– निस्तारित **04 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण चालान को आरटीए की बैठक मे प्रस्तुत किया जाये। (आरटीए द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 17.12.2016 में वाहन के तृतीय चालान हेतु रू0 12,000/– प्रशमन शुल्क अथवा 2 माह 15 दिन का निलम्बन निर्धारित किया है। ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | श्रीमती लक्ष्मी चौहान, पत्नी श्री राजीव चौहान | टैम्पो–3869<br>यूके07टीए–8659 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी,<br>दिनांक–29.09.2015<br>स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी,<br>दिनांक–26.02.2017<br>स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी,<br>दिनांक–15.03.2017 | 01 सवारी ओवरलोड– निस्तारित<br>01 सवारी ओवरलोड– निस्तारित<br>**04 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण चालान को आरटीए की बैठक मे प्रस्तुत किया जाये। (आरटीए द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 17.12.2016 में वाहन के तृतीय चालान हेतु रू0 12,000/– प्रशमन शुल्क अथवा 2 माह 15 दिन का निलम्बन निर्धारित किया है। ) |
| **4.** | श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र | मैक्सी–3176<br>यूके07टीए 4586 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी,<br>दिनांक–29.05.2016<br>स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी,<br>दिनांक–29.07.2016<br>स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी,<br>दिनांक–26.09.2017 | 03 सवारी ओवरलोड– निस्तारित<br>04 सवारी ओवरलोड– निस्तारित<br>**06 सवारी ओवरलोड– अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं।<br>(आरटीए द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 17.12.2016 में वाहन के तृतीय चालान हेतु रू0 12,000/– प्रशमन शुल्क अथवा 2 माह 15 दिन का निलम्बन निर्धारित किया है। ) |
| **5** | श्री मनोज कुमार | टैम्पो–3838<br>यू0के0–07टीए–8123 | ए0आर0टी0ओ0 देहरादून, दि0 13.4.15<br>एआरटीओ देहरादून<br>15.1.2016<br>एआरटीओ देहरादून | 01 सवारी ओवर लोड,निस्तारित<br>03 सवारी ओवर लोड निस्तारित<br>**05 सवारी ओवर लोड अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने सभी अपराध स्वीकार किये गये है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12.5.2017 | | |

(घ) 03 सवारी से अधिक एंव 50 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड सवारी ढोने में हुये चतुर्थ चालान के मामलेः–

| Dz0 सं0 | स्वामी का नाम | परमिट संख्या व वाहन संख्या | चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक | अभियोग का विवरण एंव चालान की स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अशरफ अली | टैम्पो–424 यूके07टीए–3829 | स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–29.05.2016 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–23.08.2016 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–26.08.2016 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) अधिकारी, दिनांक–18.08.2017 | 01 सवारी ओवरलोड व फुटकर–निस्तारित 02 सवारी ओवरलोड व फुटकर–निस्तारित **02 सवारी ओवरलोड व फुटकर–निस्तारित** **04 सवारी ओवरलोड व फुटकर–अनिस्तारित** | परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये चालान में लगाये गये अभियोग स्वीकार किये गये हैं। (आरटीए द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 17.12.2016 में वाहन के चतुर्थ चालान हेतु रू0 15,000/– प्रशमन शुल्क अथवा 3 माह का निलम्बन निर्धारित किया है। ) |

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करना चॉहें।

**मद स0– 56–श्री रविन्द्र कुमार के परमिट स0 टेम्पो–3609 पर संचालित वाहन सं0 यू0के0–07टीए–8831 के चालान निस्तारण के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

श्री रविन्द्र कुमार के द्वारा निवेदन किया गया है, कि उनकी वाहन स0 यू0के0–07टीए–8831 का चालन दिनांक 14.9.2017 को किया गया है। उस दिन मेरी वाहन परिवारिक धार्मिक कार्य से देवी के दर्शन के लिये जा रहे थे, इसी बीच परिवहन अधिकारी द्वारा सीमाद्वार के पास मेरी गाडी को चेक किया गया। उस दिन मेरी गाडी मे परिवार के ही लोग थे, परिवार के लोगो मे छोट–बडे बच्चे भी गाडी मे बैठे थे । इसलिये भूलवश गाडी में कुछ सवारियां अधिक बैठ पाई गई थी । उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि ओवरलोड़िग मे उनकी वाहन के जुर्माने के रूप मे पूर्व मे भी रू0 18100.00 का दिनांक 19.4.2017 मे जमा कराये गये थे । अब जबकि उनकी वाहन का चालान उनके परिवारिक कारणो से हुया है, इसलिये उन्हे इस चालान से जुर्माने मे छुट प्रदान की जाये।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्रार्थी की वाहन का पूर्व में ओवरलोड़िग के तीसरे चालान का निस्तारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 मे दिये गये आदेशो के अनुपालन में निर्धारित शुल्क रू0 18,100.00 प्रश्मन शुल्क के साथ किया गया था। परमिट धारक का ओवरलोडिग मे यह चौथा चालान है। जिसे प्राधिकरण के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जाना है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

**मद सं0 57–** अन्य मद, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।

**सचिव,**
**संभागीय परिवहन प्राधिकरण,**
**देहरादून।**

**सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 की अनुपूरक कार्य सूची।**

**मद सं0– 1 (अनुपूरक) श्री राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राम नारायण, 173 वीरभद्र रोड, ऋषिकेश के विक्रम टैम्पो परमिट सं0 3473 का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।**

श्री राकेश कुमार अग्रवाल नाम पर हरिद्वार केन्द्र का विक्रम टैम्पो परमिट सं0 3473 जारी है। जो दिनांक 17.12.2012 तक वैध था तथा इस पर वाहन सं0 यूए 07सी– 8179 मॉडल 2004 संचालित हो रही थी। उक्त परमिट के नवीनीकरण के सम्बन्ध में मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 में मद सं0 7 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले पर निम्नलिखित आदेश पारित किये थेः–

*प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि रू0 दस हजार प्रश्मन शुल्क के साथ परमिट का नवीनीकरण स्वीकृत किया जाता है ।*

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में श्री राकेश कुमार को कार्यालय के पत्र सं0 1691/आरटीए/टैम्पो–3473/2017 दिनांक 12.04.2017 द्वारा स्वीकृत नवीनीकरण प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.05.2017 तक का समय दिया गया था। परमिट धारक ने दिनांक 01.05.2017 को परमिट पर संचालित वाहन का प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्राप्त की गई थी। उनके उनके द्वारा आतिथि तक परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन नहीं किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2017 द्वारा निवेदन किया है कि वाहन सं0 यूए07सी 8179 मॉडल कन्डीशन में आ गया था। प्रार्थी को 02 माह के अन्दर यूरो–4 वाहन परमिट पर प्रतिस्थापन करने हेतु कहा गया था। परन्तु प्रार्थी यूरो–4 वाहन नहीं क्रय नहीं कर पाया है।

प्रार्थी ने निवेदन किया है कि परमिट का नवीनीकरण कराने तथा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु उनको दो माह का समय प्रदान करने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें ।

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

# सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 की कार्यवाही।

**उपस्थित :–**

1. श्री दिलीप जावलकर — अध्यक्ष
   आई0ए0एस0
   आयुक्त, गढ़वाल मंडल।

2. श्री राजपाल सिंह — सदस्य
   468 आवास विकास कॉलोनी,
   रूडकी, हरिद्वार।

3. श्री अनिल डबराल, — सदस्य
   141 किशननगर, देहरादून।

4. श्री सुधॉशु गर्ग — पदेन सचिव
   संभागीय परिवहन अधिकारी,
   देहरादून।

**संकल्प सं0–1** सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 17.12.2016 की कार्यवाही का पुष्टिकरण किया जाता है।

**संकल्प सं0–2** सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

**संकल्प सं0–3** सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

**संकल्प सं0– 4**– इस मद के अन्तर्गत श्री विजयवर्धन द्वारा दायर याचिका सं0 2265/14 में पारित मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 24.10.2017 को अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों को अवलोकन किया गयज्ञं

**संकल्प सं0 5** इस मद के अन्तर्गत श्री सचिन भाटिया पुत्र श्री एन0के0 भाटिया द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे दायर याचिका स0 177/12 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के अनुपालन में मामला प्रस्तुत किया गया है। उक्त याचिका प्राधिकरण के आदेश दिनांक 11.11.2011 के विरूद्व दायर की गई थी। इन आदेशों द्वारा देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जे0एन0ओ0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त 05 बसों को स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये थे। मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका का निस्तारण करते हुये प्राधिकरण के आदेश दिनांक 11.11.11 को निरस्त कर दिया है तथा आदेश पारित किये हैं कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण, द्वारा याचिकाकर्ता यूनियन (श्री शैलेन्द्र शर्मा) द्वारा दी गई आपत्ति दिनांक 09.03.2011 का निस्तारण करते हुये नये आदेश पारित किये जाये। प्राधिकरण के आदेश निरस्त कर देने के कारण परिवहन निगम को जारी 05 परमिटों का अस्तिव भी समाप्त हो गया हैं।

प्राधिकरण की बैठक में मामले की सुनवाई के द्वौरान बुलाये जाने पर श्री सचिन भाटिया एंव श्री शैलेन्द्र शर्मा उपस्थित नहीं हुये। उक्त दोनों याचिका कर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में श्री अमर शुक्ला, अधिवक्ता ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रश्नगत मार्ग शासन द्वारा वर्गीकृत नहीं है, जिससे प्रश्नगत मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी नहीं किये जा सकते हैं। श्री राम कुमार सैनी अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर– डाकपत्थर बस यूनियन ने भी अवगत कराया कि चूंकि प्रश्नगत मार्ग शासन के द्वारा वर्गीकृत नहीं है, जिससे परिवहन निगम को जारी परमिट नियम संगत नहीं है। उनके द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने पर आपत्ति ब्यक्त की गई है।

उक्त मार्ग के वर्गीकरण के सम्बन्ध में की गई आपत्ति के सन्दर्भ में मार्ग का पुनः वर्गीकरण करने के सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0 729/ix/324/2005 दिनांक 09.08.2005 द्वारा सूचित किया गया है, कि देहरादून–कालसी मार्ग का वर्गीकरण दिनांक 18.05.1973 में हो चुका है। अतः उक्त मार्ग को पुनः वर्गीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रश्नगत मार्ग के वर्गीकरण से सम्बन्ध मे की गई आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में याचिका के संलग्न सं0 9 में प्रस्तुत (श्री शैलेन्द्र कुमार) आपत्ति दिनांक 09.03.2011 पर विचार करने के मामले में पुनः नये आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया गया है। प्राधिकरण ने मद में उल्लेखित श्री शैलेन्द्र कुमार की आपत्ति दिनांक 09.03.2011 का अवलोकन किया। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में इसी प्रकार की एक आपत्ति पर भी विचार किया गया था। इस आपत्ति में 29 बिन्दु उठाये गये हैं। आपत्ति के बिन्दु 01 से 05 में मोटर गाडी अधिनियम के सम्बन्ध में उल्लेख है।

बिन्दु 06, 07 तथा 08 में संभागीय परिवहन प्राधिकरण के गठन के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि उप परिवहन आयुक्त को सदस्य नहीं बनाये जाने के कारण संभागीय परिवहन प्राधिकरण का गठन अवैधानिक है। इस सम्बन्ध में आपत्ति कर्ता का कथन मान्य नहीं है। यद्यपि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात पूर्व में संभागीय परिवहन प्राधिकरण के गठन हेतु जारी विज्ञप्ति में उप परिवहन आयुक्त को प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत किया गया था। परन्तु वर्तमान में शासन द्वारा प्राधिकरण के लिये दो गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया गया है। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68 (2) में यह प्राविधान है संभागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में 02 से अनाधिक ऐसे ब्यक्तियों से चाहे वे शासकीय हो या न हों जिन्हें राज्य सरकार नियुक्ति करना ठीक समझे, मिलकर बनेगा।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 के नियम–56 (8)(2) में यह प्राविधान है कि राज्य सरकार धारा 68 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्राधिकरण की संरचना में परिवर्तन कर सकती है और परिणाम स्वरूप सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या घटा या बढा सकती है। वर्तमान में शासन द्वारा आयुक्त, गढवाल मण्डल को प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा 02 गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया गया है तथा संभागीय परिवहन अधिकारी प्राधिकरण के पदे्न सचिव हैं।

बिन्दु 09, 10, 11 तथा 12 में उल्लेख किया है कि भारत सरकार की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत संचालन हेतु कुछ बसें उत्तराखण्ड में संचालन हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम को दी गई हैं। इन बसों का संचालन नगर क्षेत्र में किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है, कि परिवहन निगम को नगर बस सेवा मार्ग राजपुर–क्लेमेन्टाउन एंव आईएसबीटी–सहस्त्रधारा मार्ग पर 04–04 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये थे। परन्तु किन्हीं कारणों से संभागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेशों को राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

बिन्दु सं0 13 में की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा– 71 (3)(घ) में यह प्राविधान है कि परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम को अधिमान दिया जायेगा।

बिन्दु सं0 14 में की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि परिवहन निगम द्वारा देहरादून– डोईवाला मार्ग पर उनको स्वीकृत 12 परमिट प्राप्त किये थे। जिस पर उनके द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा था। परन्तु मार्ग के कुछ आपरेटरों द्वारा इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस मार्ग पर प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिट जो निगम के साथ–साथ नीजि आपरेटरों को स्वीकृत किया गया था, को निरस्त कर दिया था। जिससे इन वाहनों का संचालन बन्द हो गया था।

बिन्दु सं0 15 में की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के लिये सदस्य मनोनीत नहीं है।

बिन्दु सं0 16 एंव 17 में की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि भारत सरकार की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के डीपीआर में केवल मार्गों को प्रस्तावित किया गया था तथा इन्हीं मार्गों पर संचालन किया जाना है। बाध्यकारी नहीं है।

बिन्दु सं0 18 से 24 में की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के संचालन हेतु प्रबन्धन/नियन्त्रण के लिये उत्तराखण्ड शहरी परिवहन निगम तथा तीनों शहरों देहरादून, हरिद्वार एंव नैनीताल

के लिये पृथक–पृथक सलाहाकार बोर्ड गठन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव की प्रतिलिपि आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है। परन्तु कार्यालय में इस प्रकार बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं है।

बिन्दु सं0 25 एंव 26 में की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों का संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम से कराने को कहा है तथा परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन यात्रियों की मॉग के अनुसार विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है।

बिन्दु सं0 27 एंव 28 में की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि इन बिन्दुओ में प्राधिकरण के गठन के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की गई है। जिसका उत्तर उपरोक्त बिन्दु सं0 6, 7 एंव 8 में दे दिया गया है।

बिन्दु सं0 29 में की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.11 में पारित आदेशों के अनुपालन में श्री शमशाद अली की आपत्तियों के सम्बन्ध प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में विचार कर निस्तारण कर दिया था।

उपरोक्त प्रकार आपत्ति में उठाये गये बिन्दु मान्य नहीं है तथा आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

मामले की सुनवाई के द्वौरान उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधि मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन), देहरादून उपस्थित हुये, उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया है कि मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 71 3(घ) में यह प्राविधान है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण परमिट स्वीकृत करते समय अन्य के साथ–साथ राज्य परिवहन उपक्रम को अधिमान दिया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा मोटरगाडी अधिनियम में इस प्राविधान को ध्यान में रखते हुये उत्तराखण्ड परिवहन निगम को प्रश्नगत मार्ग पर 05 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये थे। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत मार्ग पर परिवहन निगम को जारी 05 परमिटों को सचिव, के कार्यालय मे जमा करा दिया है। उन्होंने निवेदन किया है कि परिवहन निगम को जनहित में पुनः उक्त मार्ग पर परमिट जारी किये जायें। परिवहन निगम के द्वारा अपने कथन में यह भी कहा गया कि श्री अमर शुक्ला, एवं श्री रामकुमार सैनी अध्यक्ष देहरादून–विकासनगर –डाकपत्थर का यह कथन कि देहरादून –कालसी

मार्ग का वर्गीकरण न होने के कारण निगम को परमिट जारी नही किये जा सकते है, सही नही है, क्योंकि उक्त मार्ग पर अन्य निजी आपरेटरो को भी 30 परमिट जारी किये गये है, जिनके द्वारा वाहनो का संचालन किया जा रहा है।

याचिका कर्ता श्री सचिन भाटिया देहरादून–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग का आपरेटर था, जिस पर याचिकाकर्ता के नाम पर परमिट स0 1085/एसटीए/एससी/यूके/06 जारी था। इस पर वाहन स0 यू0के0–07पीए–0797 संचालित थी।

यह मार्ग देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग से भिन्न मार्ग है। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र स0 5946/एसटीए/नौ–10/2017 दिनांक 27.9.2017 द्वारा सूचित किया है, कि श्री संचिन भाटिया का परमिट स0 1085/एसटीए/एससी/यूके/06 दिनांक 19.3.2016 को श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह नि0 भीमावाला, देहरादून के नाम हस्तान्तरण हो चुका है, जिस पर वाहन संख्या यू0के0–07पीए–0112 संचालित है, अर्थात याचिकाकर्ता/श्री सचिन भाटिया वर्तमान में इस मार्ग के परमिट धारक नही हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण द्वारा आपत्ति के सम्बन्ध में किसी अन्य ब्यक्ति/ब्यक्तियों को आपत्ति हो के सम्बन्ध बुलाया गया कि वे प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, परन्तु उपरोक्त याचिका कर्ता के अधिवक्ता/आवेदकों के अतिरिक्त कोई अन्य आवेदक/आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं हुये हैं।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को देहरादून–कालसी मार्ग पर 05 स्थाई सवारी गाडी परमिट पुनः स्वीकृत किये जाते हैं।

**संकल्प सं0–6–** इस मद के अन्तर्गत श्री विजय वर्धन ड़डरियाल अध्यक्ष, देहरादून महानगर सिटी बस सेवा ''महासंघ'' तथा श्री राजेन्द्र कुमार महासचिव, विक्रम जनकल्याण समिति देहरादून के द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों को विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन कर्ताओं ने अपने प्रतिवेदन के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका स0 534/2015 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 की प्रति प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया है कि राज्य सरकार को किसी भी वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। जैसा कि मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है। उन्होनें यह भी निवेदन किया है कि संभागीय

परिवहन प्राधिकरण द्वारा नगर बस सेवा की वाहनों तथा विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये माडॅल सीमा कां समाप्त कर वाहनों को सचांलन की अनुमति प्रदान करें।

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03.11.2008 के अन्य मद 7(1) मे पारित आदेश द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनों की मॉडल सीमा निर्धारित की गई थी। इन आदेशों के विरूद्व मा0 उच्च न्यायलय में याचिका स0 170/2009 दायर की गई थी। इस याचिका को स्वीकृत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किये थे, कि राज्य परिवहन प्राधिकरण को मॉडल सीमा निर्धारित करने का अधिकार नही है। इन आदेशो के विरूद्व राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा याचिका स0 534/15 दायर की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2017 को इस याचिका को खारिज करते हुये निम्नलिखित आदेश पारित किये हैंः–

"The Contention of the appellant for attracting sub Section-4 of Section 68 is not an adependent provision, it is subject to the provision, of sub Section 68, Which provides the modalition in which the direction issued under Section 67 by the Regional Transport Authority, has to be complied with by the State Transport Authority.Yet again, this preposition will not fulfill, under Section 59 of the Act Since, the legislature in its wisdom is quite clear that the power of fixing the age of the vehicles, since under the statues has been vested with the Central Government, the judgment under challenge in appeal for the aforesaid reason do not suffer from any apparent legal error, thus the appeal fails and is dismissed with cost ."

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर बस योजना में नगर बसों के लिये 09 वर्ष की मॉडल सीमा निर्धारित की गई थी। इसके पश्चात नगर बस सेवा एसोशिएशन के प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.09.2001 में नगर बसों के लिये निर्धारित 09 बर्ष की माडॅल सीमा बढाते हुये 15 वर्ष की माडॅल सीमा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में नगर बसों के लिये 15 वर्ष की माडॅल सीमा निर्धारित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट **पिटीसन सं0–8209 व 8821 वर्ष 1983** रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्टायटलमेंट केन्द्र, देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के क्रम में देहरादून शहर में विक्रम वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी का गठन किया गया।

- सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 13–10–1997 में विक्रम वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, देहरादून द्वारा यह अवगत कराते हुए " कि देहरादून शहर में मुख्य रूप से प्रदूषण विक्रम वाहनों से

फैलाया जा रहा है और इन वाहनों के कारण समय–समय पर ट्रैफिक जाम भी लग जाता है, जिससे ईंधन व समय की बरबादी होती है। अपने पत्र में विक्रम वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में सुझाव दिये थे। उनमें से प्रमुख यह था कि :–

◊ भविष्य में विक्रमों के परमिट जारी न किये जांय।

◊ यदि इस सम्बन्ध में जल्दी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो इससे काफी खतरा होने की संभावना होगी और शहर में प्रदूषण बढ़ेगा। ट्रैफिक जाम में अमूल्य समय नष्ट होगा, ईंधन की बरबादी होगी तथा प्रदूषण होने से बीमारियां बढेंगी और शहर वासियों की आयु घटेगी।"

- माननीय सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी के आदेशों के क्रम में उक्त सुझावों को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 08–05–98 में विचार हेतु रखा गया। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिये गये– :
  1. विक्रम वाहनों की आयु सीमा 07 वर्ष निर्धारित की गयी।
  2. विक्रम वाहनों को नये परमिट जारी करने के सम्बन्ध में बताया गया कि वर्ष 1997 से विक्रम वाहनों के नये परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं।

  देहरादून शहर में हो रहे वायु प्रदूषण, अतिक्रमण आदि समस्याओं के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में **जनहित याचिका संख्या–283/2004** योजित हुयी, जिसमें समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेश दिये गये हैं :–

  दिनांक 16–04–04 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशः–

  '' The Director Gen. of Police, the Home Sec. and the Transport Sec. of the state of Uttaranchal shall also hold meeting with the taxi-tempo Unions and will finalise the scheme to change the Vikram vehicles into C.N.G. to check the pollution increase in the city. ''

  दिनांक 05–07–04 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश :–

^^ Court passed orders to solve the problems of the people faced by then on account of traffic hazard as well as pollution because of vikram being plied by diesel and other vehicles plying in the city.''

दिनांक 16–07–04 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशः–

" It was reported by the learned amicus curiae that more than 1000 vikram vehicles are being plied by diesel which have raised the pollution in the city to a great extent. Learned amicus curiae drew attention of the court towards eradication of traffic hazard in the city and the court has directed the authorities to change vikram into CNG/LPG/Battery operated vehiles for which the authorities have sought six month time which was granted by the court. ''

प्राधिकरण को अवगत कराया गया है कि स्कूटर इण्डिया द्वारा एलपीजी चालित विक्रम टैम्पो वाहनों का उत्पादन दिनांक 08.05.2010 से बन्द कर दिया गया है। इसके पश्चात प्राधिकरण द्वारा वाहन स्वामियों को डीजल चालित वाहनों से नई वाहन प्रतिस्थापन करने की अनुमति प्रदान की गई थी। यदि भविष्य में एलपीजी चालित वाहन उपलब्ध हो जाते हैं, तो इन वाहनों को एलपीजी चालित वाहनों से प्रतिस्थापन करना होगा।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका सं0 534/15 में दिनांक 04.07.2017 को आदेश पारित किये हैं कि मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 59 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। राज्य सरकार द्वारा वाहनों की आयु सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इन आदेशों का सन्दर्भ लेते हुये प्रतिवेदनकर्ताओं द्वारा निवेदन किया है कि माडॅल सीमा समाप्त की जाये।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा देहरादून शहर में संचालित नगर बसों तथा विक्रम टैम्पो वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण को देखते हुये तथा विक्रम टैम्पो वाहनों के सम्बन्ध में मा0 सुप्रीम कोर्ट मानिटरिंग कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार नगर बसों के लिये 15 वर्ष की माडॅल सीमा तथा विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये 07 वर्ष की माडॅल सीमा निर्धारित की गई है। वाहनों के लिये माडॅल सीमा निर्धारित करने का मुख्य उददे्श्य जनता को सुविधाजनक व प्रदूषण रहित यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है, क्योंकि वाहन अधिक पुरानी होने पर उसकी बॉडी तथा अन्य अवयव खराब होने लगते हैं तथा वाहन में यात्रा करना सुविधाजनक नहीं होता है और दुर्घटना की संभावना होती है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मामले में शासन से परिवहन आयुक्त कार्यालय के माध्यम से दिशा– निर्देश प्राप्त किये जायें।

**संकल्प सं0–7** **(क)** इस मद के अन्तर्गत राजपुर–क्लेमनटाउन नगर सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार की अपील स0 1/12 मे पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 27.07.12 के अनुपालन मे मामले को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.2010 में इस मार्ग हेतु चार स्थाई सवारी गाडी परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किये गये थे, तथा शेष प्रार्थना पत्रो को अस्वीकृत किया गया था। प्राधिकरण के उक्त आदेशो के विरूद्व एक प्रार्थी श्री अशोक कुमार ने अपील स0 1/12 दायर की गई थी। मा0 न्यायााधिकरण के आदेश दिनांक 27.7.2012 द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनाक 08.10.10 को निरस्त करते हुये सभी प्रार्थना पत्रो पर पुनः विचार करने के आदेश पारित किये गये है। उपरोक्त मामले को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.5.15 मद सं0 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने निर्णय लिया था,कि परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध मे नीति निर्धारण हेतु गठित समिती से प्रस्ताव प्राप्त होने तक आवेदन पत्रो पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है। नीति निर्धारित हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिती की आख्या के साथ पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 में प्रस्तुत की गई थी। प्राधिकरण ने मद सं0–9 के अन्तर्गत विचार कर निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैः–'

*"प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि स्टेज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारित कर दी गई है। अतः सभी प्रार्थियो से जो इस नीति के अन्तर्गत आते है, इस सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किये जाय, कि वे इसके अन्तर्गत आते है, और परमिट स्वीकृति के पात्र है। इसके पश्चात प्रार्थना पत्रों को आगामी प्राधिकरण की बैठक में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाये "।*

प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में देहरादून नगर बस सेवा एसोशिऐशन के अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह भण्डारी ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर मार्ग पर परमिट जारी करने सम्बन्ध में आपत्ति ब्यक्त की गई है। उन्होंने अवगत कराया है कि है कि **शहर में अन्य वाहनों के साथ–साथ बैटरी चालित रिक्शा, नीजी कार एंव दो पहिया वाहनों की दिन प्रतिदिन बढ रही**

**संख्या व सडकों का अनुपात वही है, ऐसी परिसिथितियों में राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग पर स्थायी परमिट जारी करने पर एसोसियेशन को आपत्ति है। क्योंकि इस मार्ग पर पहले से ही ज्यादा संख्या में वाहनों का संचालन हो रहा है।**

श्री राम कुमार सैनी द्वारा याचिका सं0 382/2015 प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट प्राप्त करने हेतु दायर की गई है जिसका विवरण मद सं0 7(ख) में दिया गया है ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण के द्वारा बुलाये जाने पर श्री अशोक कुमार उपस्थित नहीं हुये।

वर्तमान में राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग पर 30 नगर बस सेवा परमिट जारी किये गये हैं। जिन पर वाहनों का संचालन हो रहा है। मार्ग की लम्बाई 24.5 किमी0 है। इस मार्ग का वर्ष 2010 में संयुक्त सर्वेक्षण किया गया गया था, जिसमें 04 स्थाई सवारी परमिट जारी करने की संस्तुति प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात वर्ष 2014 में पुनः इस मार्ग का सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण समिति के द्वारा पूर्व में की गई 04 रिक्तियों के साथ 02 अतिरिक्त रिक्तियों की संस्तुति की थी। इस प्रकार मार्ग पर कुल 06 परमिट जारी करने की संस्तुति की गई है। वर्ष 2014 से अब तक लगभग 3 वर्ष समय ब्यतीत हो गया है। अतः प्राप्त आपत्तियों एंव विचार कर यह निर्णय लिया कि मार्ग पर चल रही वाहनों के साथ–साथ अन्य नगर बस सेवा मार्ग की बसों की संख्या एंव अन्य संचालित वाहनों की संख्या, दिन में अलग– समय पर संचालित होने वाले सभी प्रकार के वाहनों में सफर करने वाली सवारियों का आंकलन/ओवरलोडिग की स्थिति, वर्तमान में मार्ग की दशा एंव शहर में लगातार जाम की स्थिति आदि का सर्वेक्षण कर मार्ग पर नये परमिट जारी करने के सम्बन्ध में संयुक्त समिति की सर्वेक्षण आख्या प्राप्त कर निर्धारित नीति के अनुसार परमिट जारी किये जायेंगे।

प्राधिकरण के उक्त निर्णय के सम्बन्ध में मार्ग पर परमिट जारी करने के विरोध में आपत्तिकर्ता श्री गोपाल भण्डारी एंव परमिट प्राप्त करने हेतु उपस्थित श्री राम कुमार सैनी ने भी मार्ग का सर्वेक्षण करने की पश्चात परमिट जारी करने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर प्राधिकरण के समक्ष अपनी सहमति दी है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त मामले को संयुक्त समिति की आख्या प्राप्त होने तक स्थगित किया जाता है।

**संकल्प सं0–7 (ख)** इस मद के अन्तर्गत राजपुर–क्लेमनटाउन नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार सैनी, एवं श्री एस0के0 श्रीवास्तव के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2018 जिसके साथ उन्हांने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका स0 382/2015 मे पारित आदेश दिनांक 12.01.2018 की प्रति संलग्न कर मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने का अनुरोध किया है, के मामले को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बुलाये जाने पर केवल एक याचिकाकर्ता श्री राम कुमार सैनी उपस्थित हुये। श्री सैनी के द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त याचिका याचिकाकर्ता श्री सैनी एंव श्री श्रीवास्तव ने सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के आदेश दिनांक 10.11.2014 के विरूद्व, जिसमें राजपुर–क्लेमनटाउन नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रो को अस्वीकृत किया गया था, के विरूद्व दायर की थी।

प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 10.11.14 में प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि इस मार्ग पर 04 रिक्तियॉ राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ द्वारा परमिट जारी करने के संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के आदेशों को निरस्त करने से तथा 02 अतिरिक्त रिक्तियॉ संयुक्त सर्वेक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्पन्न हुई है। पूर्व में जारी 04 परमिटों पर वाहन का संचालन कभी नही हुआ है। इसी प्रकार 02 अतिरिक्त रिक्ति पर कभी भी वाहन का संचालन नहीं हुआ है। अतः यह मानना कि उक्त रिक्तियों के कारण वर्तमान परिवहन सेवा ***(Existing Service)*** में कमी आयी है अथवा वर्तमान परिवहन सुविधायें जनता की परिवहन हेतु अपर्याप्त है, तर्क संगत नहीं है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उक्त मार्ग में परिवहन की समस्या है, न ही ऐसी कोई मॉग किसी संगठन, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय जनता द्वारा की गई है।

अतः प्राधिकरण की राय में उक्त मार्ग पर विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता विद्यमान होना पुष्ट नहीं होता है।

उपरोक्त निष्कर्ष को निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों के आधार पर पुष्ट किया जा सकता हैः–

2- **"It is true that in view of the decision of the Supreme Court in M.P. State Road Transport Corporation v. R.T.A. Raipur, AIR 1966 SC 156 a temporary permit can be granted under Section 62(c) even when there is a permanent need. But from this it does not follow that whenever there is a permanent need then it must be taken that a perticular temporary need also exists. See Raipur Transport Co. v. R.T.A. Jabalpur, AIR 1967 Madh Pra 141. The Regional Transport Authority has to decide for itself whether in the facts and circumstances of a case there exists a particular temporary need before it can issue a permit under Section 62(c)."**
(Madhya Pradesh State Road Corporation vs Regional Transport Authority, AIR 1968 MP 148a)

2. ***"In AIR 1966 SC 166 (Supra) The Supreme Court has not laid down that wherever there is a permanent need, then, without more, it must be presumed that a particular temporary need also exists"***
(Raipur Transport Co. Private Ltd. vs Regional Transport Authority, AIR 1967 M.P. 141)

3. "***A permanent need cannot become a temporary one merely becasue an order granting a permit has been set aside or its operation stayed in other proceedings."***
(G.B. Transports, Guruvayur vs R.T.A. Trichur, AIR 1960 Ker 239)

4. "***Merely because a temporary need may co-exist with a permanent need, it could not lead to the conclusion that whenever there is a permanent need a temporary need should always be presumed to exist as well. There can be no such presumption in law, but facts must be ascertained by the R.T.A and reasons must be given by that Authority, if it came to the conclusion that a particular temporary need did also exist along with the permanent need. Merely because filling of permanent vacancies, which were caused not on account of cancellation of existing permits or the discontinuance of existing services, but on account of the increase in the limit of permits on the route, was likely to take some time, it cannot be the basis for holding that a particular temporary need existed."***
(Gafoor vs Regional Transport Authority, AIR 1976 Raj 166).

5. "***No doubt the existence of a permanent vacancy may not necessarily mean that there is a particular temporary need within the meaning of Section 62(1)(c) of the Act."***
(Bherulal vs The S.T.A.T. , Rajasthan, AIR 1977 Raj 29).

उपरोक्त तथ्यों एंव विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता स्थापित न होने के कारण प्रश्नगत मार्ग पर धारा 87 के अन्तर्गत अस्थाई परमिट स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रश्नगत मार्ग हेतु अस्थाई परमिटों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।''

प्राधिकरण के द्वारा उपरोक्त मद सं0 7(क) में राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग स्थाई सवारी जारी करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि "*मार्ग पर चल रही वाहनों के साथ–साथ अन्य नगर बस सेवा मार्ग की बसों की संख्या एंव अन्य संचालित वाहनों की संख्या, दिन में अलग– समय पर संचालित होने वाले सभी प्रकार के वाहनों में सफर करने वाली सवारियों का आंकलन/ओवरलोडिग की स्थिति, वर्तमान में मार्ग की दशा एंव जाम इत्यादि का सर्वेक्षण कर मार्ग पर नये परमिट जारी करने के सम्बन्ध में संयुक्त समिति की सर्वेक्षण आख्या प्राप्त कर निर्धारित नीति के अनुसार परमिट जारी किये जायेंगे।*"

प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने के विरूद्व श्री गोपाल सिंह भण्डारी के द्वारा अनुरोध किया गया है कि वर्तमान में इस मार्ग पर अतिरिक्त नगर बस सेवा संचालन किये जाने के सम्बन्ध में किसी भी स्तर से प्राधिकरण के समक्ष कोई मॉग नहीं है तथा प्राधिकरण द्वारा मार्ग की स्थिति आदि मामले पर संयुक्त सर्वेक्षण का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अस्थाई परमिटों जारी किया जाना उचित नहीं है।

याचिकाकर्ता श्री राम कुमार सैनी ने भी मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर अपनी सहमति दी गई है।

अतः अस्थाई परमिटो हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रो को अस्वीकृत किया जाता है ।

**संकल्प सं0 –8** इस मद के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा आईएसबीटी– सहस्त्रधारा मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये जाने एंव मार्ग पर रिक्ति न होने के कारण शेष प्रार्थना पत्रों का अस्वीकृत किये जाने के आदेशों के विरूद्व मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के द्वारा अपील सं0 15/11 दायर की थी। उक्त अपील में मा0 न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 12.12.11 द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08.10.10 को निरस्त करते हुये सभी प्रार्थना पत्रों पर पुनः विचार करने के आदेश पारित करते हुये सचिव को वैज्ञानिक, पारदर्शी एंव युक्तियुक्त एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे।

इस मामले की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण द्वारा बुलाये जाने पर याचिकाकर्ता श्री अशोक कुमार उपस्थित नहीं हुये। इसके अतिरिक्त श्री अरूण कुमार शर्मा एंव श्री अनिल अग्रवाल प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये एंव उनके द्वारा अनुरोध किया है कि उनके प्रार्थना पत्र पर विचार कर उनको इस मार्ग के स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये जायें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 20.05.2015 की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, नगर बस सेवा कार्ययोजना में रिक्ति के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा मे अंतिम चयन हेतु कोई प्राथमिकताऐं/अधिमान/नीति न होने के कारण राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों में सुझाये आधारों पर एक स्पष्ट नीति हेतु निम्न प्रकार एक कमेटी का गठन किया जाता है।

1. उपजिलाधिकारी(सदर), देहरादून।
2. संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।
4. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), देहरादून।

उक्त कमेटी राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेश एवम् अन्य महत्वपूर्ण/उचित/उपयोगी पहलुओ का अध्ययन का सुस्पष्ट, वैज्ञानिक, तार्किक, पारदर्शी नीति हेतु प्रस्ताव दिनांक 30.06.20015 तक सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगी।

स्थाई परमिट हेतु नीति के निर्धारण एंव संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्राप्त होने तक प्रश्नगत मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना स्थगित किया गया था।

स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु नीति निर्धारण हेतु गठित समिति के आख्या प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.12.2016 में प्रस्तुत की गई थी। जिसके द्वारा प्राधिकरण ने स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण कर दिया है।

प्राधिकरण ने श्रीमती कुसुमलता वर्मा पत्नी श्री बी0एस0 वर्मा, के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर याचिका सं0 305/2018 पारित आदेश दिनांक 06.02.18 पर विचार किया गया है।

प्राधिकरण ने उपरोक्त मामले के समस्त पहलूओं पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि वर्तमान में आईएसबीटी–परेड ग्राउण्ड–सहस्त्रधारा मार्ग पर 20 नगर बस सेवा परमिट जारी किये गये हैं। जिन पर वाहनों का संचालन हो रहा है। मार्ग की लम्बाई 30 किमी0 है। इस मार्ग का वर्ष 2008 में संयुक्त सर्वेक्षण किया गया गया था, जिसमें 04 स्थाई सवारी परमिट जारी करने की संस्तुति प्राप्त हुई थी। वर्ष 2008 से अब तक लगभग 10 वर्ष समय ब्यतीत हो गया है। अतः मार्ग पर चल रही वाहनों के साथ–साथ अन्य नगर बस सेवा मार्ग की बसों की संख्या एंव अन्य संचालित वाहनों की संख्या, दिन में अलग– समय पर संचालित होने वाले सभी प्रकार के वाहनों में सफर करने वाली सवारियों का आंकलन/ओवरलोडिग की स्थिति, वर्तमान में मार्ग की दशा एंव शहर में लगातार जाम की स्थिति आदि का सर्वेक्षण कर मार्ग पर नये परमिट जारी करने के सम्बन्ध में संयुक्त समिति की सर्वेक्षण आख्या प्राप्त कर निर्धारित नीति के अनुसार परमिट जारी किये जायेंगे।

अतः प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त मामले को संयुक्त समिति की सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने तक स्थगित किया जाता है।

**<u>संकल्प सं0</u> 9–** इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.2010 मे देहरादून–डोईवाला एवं सम्बद्व मार्गो पर जारी किये गये परमिटो के विरूद्व द्वायर याचिका सं0 एस0एल0ए0 सं0–26018–26019/2013 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 का अवलोकन एवं मार्ग पर आरक्षित श्रेणी की रिक्तयों के सापेक्ष परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है।

उक्त याचिका सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.10.2010 मे देहरादून–डोईवाला एवं सम्बद्व मार्गो पर जारी किये गये परमिटो के विरूद्व श्री ओमप्रकाश के द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे उक्त याचिका दायर की गई थी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देहरादून–डोईवाला एवं सम्बद्व मार्गो पर स्थाई सवारी जारी करने के आदेशों को सही माना एंव उक्त याचिका को निरस्त कर दिया है।

प्रश्नगत मार्ग पर 02 स्थाई सवारी गाडी परमिट जो आरक्षित वर्ग श्रेणी के प्रार्थियों के द्वारा प्राप्त नहीं की गई हैं, के सम्बन्ध में श्री हुकुम चन्द्र एवं श्री हरवंश लाल प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उन्होंने निवेदन किया है कि प्राधिकरण उनको अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत इस मार्ग के लिये स्थाई सवारी गाडी परमिट उनकी पुरानी वाहन जिसका विवरण मद में दिया गया है के लिये जारी कर दिये जायें।

मद में उल्लेखित प्रार्थना पत्रों के क्रमॉक 1 पर श्री कमल कुमार मा0 प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया है कि वे अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदक हैं, उनके द्वारा एमडीडीए– डाट मन्दिर नगर बस सेवा पर विगत 6–7 वर्षों से अपनी वाहन का सफल संचालन किया जा रहा है। उनके द्वारा देहरादून– डोईवाला नगर बस सेवा मार्ग पर परमिट प्राप्त करने हेतु वर्ष 2011 से आवेदन किया है। उन्होंने निवेदन किया है कि वे नई बस के साथ परमिट प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत मार्ग पर स्थाई रिक्ति के सापेक्ष 01 परमिट स्वीकृत करने की कृपा करें।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.2010 में सामान्य श्रेणी के सभी स्वीकृत परमिट धारको द्वारा अपने परमिट प्राप्त कर लिये गये थे, तथा आरक्षित श्रेणी के स्वीकृत 06 परमिटो में से 04 प्रार्थियों द्वारा परमिट प्राप्त कर लिये गये थे। परन्तु 02 प्रार्थियों के द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किये गये थे।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.16 के संकल्प सं0 8 द्वारा स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई है। नीति के बिन्दु सं0 9 मे उल्लेख है कि देहरादून नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले मार्गों के परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या–117/09/एमएस तथा 140/09/एमएस श्री विजय गोयल तथा अन्य में दिनांक 22–05–09 को अपने निर्णय में परमिटों पर नई वाहन लगाने की शर्त को सही ठहराया है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री हरवशं लाल पुत्र श्री काल्लू राम, गॉव– बद्रीपुर, तिलवाड़ी, देहरादून एंव श्री हुक्म चन्द 1/177 चुक्खूवाला देहरादून को देहरादून–डोईवाला एंव सम्बन्धित मार्ग हेतु एक–एक स्थायी सवारी गाडी परमिट सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाते है। स्वीकृत परमिट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.16 में निर्धारित नीति के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण कर नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर सचिव द्वारा दिनांक 15.05.2018 तक परमिट जारी किये जायेगे।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि उपरोक्त दोनों आवेदकों के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परमिट प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो मद में उल्लेखित अनुसूचित जाति के दो अन्य आवेदक श्री कमल कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, ओखला सुन्दरवाला, रायपुर, देहरादून एंव श्री अजय सोनकर पुत्र श्री सोहन लाल सोनकर, 4/1 ड़गवाल मार्ग देहरादून को प्रश्नगत मार्ग का एक–एक स्थायी सवारी गाडी परमिट सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाता है। स्वीकृत परमिट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.16 में निर्धारित नीति के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण कर नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर सचिव द्वारा दो माह का समय प्रदान कर परमिट जारी किये जायेगे।

प्राधिकरण के द्वारा मद में उल्लेखित सामान्य जाति श्रेणी के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मार्ग पर सामान्य श्रेणी की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया गया है।

**<u>संकल्प सं0</u> – 10** इस मद के अन्तर्गत याचिका स0 1854/15 में पारित मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का अवलोकन तथा आदेशो के अनुपालन के सम्बन्ध में मामला विचार एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प सं0 44 में मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत प्रस्तुत अन्य वाहनों के साथ–साथ याचिकाकर्ता श्री रोहिताश सैनी के वाहन सं0 यू0के0–07टीए– 3642 को जारी परमिट सं0 टैम्पो– 4051 को निलम्बित किया गया था। इन आदेशों के विरूद्व श्री सैनी के द्वारा राज्य परिवहन अपीलीय

न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील दायर की गई थी। जो मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा निरस्त कर दी थी।

मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध श्री रोहिताश सैनी ने 1854/15 दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय ने इस याचिका का निस्तारण करते हुये सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के निर्णय दिनांक 10.9.2014 को निरस्त कर दिया है।

परमिट धारक ने अनुरोध किया है कि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जुर्माना देने मे असमर्थ है। अतः महोदय से प्रार्थना है, कि प्रार्थी को क्षमा किया जाए।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट धारक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट है। अतः इनके विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

**संकल्प सं0–11** इस मद के अन्तर्गत श्री छोटेलाल द्वारा दायर अपील सं0 8/2016 में मा0 अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.6.2017 के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

श्री छोटेलाल पुत्र श्री रामलाल 26/2 भण्डारी बाग, देहरादून की वाहन स0 यू0एम0एस0–8359 के लिये देहरादून केन्द्र से 16 कि0मी0 अर्ध्यव्यास क्षेत्र के लिये ऑटो रिक्शा परमिट स0 2765 दिनांक 02.07.1993 से 01.07.1998 तक जारी किया गया था। इस परमिट के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र को पूर्व में कई बार अस्वीकृत किया गया है।

प्राधिकरण के आदेशो के विरूद्व श्री छोटे लाल ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील सं0 8/2016 दायर की गई थी। मा0 न्यायाधिकरण उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 28.06.2017 को कर दिया है।

प्राधिकरण की बैठक में उक्त मामले की सुनवाई के दौरान श्री छोटेलाल ने उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि उनकी आजीवीका हेतु ऑटो परमिट स्वीकृत करने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री छोटेलाल को औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक नई बैटरी चालित ऑटो रिक्शा वाहन के प्रपत्र प्रस्तुत करने पर सचिव के द्वारा ऑटो रिक्शा परमिट 05 वर्ष की अवधि हेतु जारी किया जायेगा।

**संकल्प सं0 –12** इस मद के अन्तर्गत देहरादून –रायपुर– मालदेवता तथा सम्बन्धित मार्ग पर चालक को छोडकर 06 से अधिक सवारी ढोने वाली चार पहिया वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है।

देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग नगर बस सेवा मार्ग के रूप में सृजित है। मार्ग पर अवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उदेृश्य से मार्ग पर 08 सीटर चार पहिया हल्की, 11 वाहनो को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये है। इनके अतिरिक्त माार्ग पर 03 बडी बसो का संचालन हो रहा है।

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 5749/एसटीए/दस–32/2017 दिनांक 19.09.2017 द्वारा अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 11.09.2017 तथा अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 01.09.2017 के साथ सुश्री बीना बहुगुणा, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, रायपुर का पत्र दिनांक 27.08.2017 तथा मा0 विधायक, रायपुर विधान सभा क्षेत्र का पत्र दिनांक 26.08.2017 प्राप्त हुआ है। इन पत्रों के द्वारा निवेदन किया गया है कि राजकीय महाविद्यालय रायपुर, देहरादून में अध्यनरत छात्र– छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण असुविधा का सामना करना पड रहा है। उन्होंने निवेदन किया है कि महाविद्यालय में अध्यनरत छात्र– छात्राओं के लिये आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

प्रश्नगत मार्ग पर संचालित वाहनों की यूनियन ने अपने पत्र दिनांक 28.07.2017 के द्वारा मार्ग पर 05 अतिरिक्त टाटा मैजिक के परमिट जारी करने का निवेदन किया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपनी आख्या में 10 चार पहिया 07/08 सीटर वाहनों को परमिट दिये जाने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि मद के क्रमॉक 1 से 4 तक उल्लेखित निम्नलिखित आवेदकों को पूर्व में विभिन्न मार्गों पर अस्थाई ठेका गाडी परमिट जारी किये गये थे परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 2265/14 में ठेका वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध रोक लगाई गई थी। जिसके अनुपालन में इन आवेदको को अस्थाई ठेका गाडी परमिट जारी नहीं किये गये है। अतः उक्त आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन करने पर उनकी पंजीकृत वाहनों के लिये इस मार्ग पर 04–04 माह हेतु अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने हेतु सचिव को अधिकृत किया जाता है। स्थाई परमिटों के प्रार्थना पत्रों को आगामी बैठक के लिये स्थगित किया जाता है तथा प्रश्नगत मार्ग पर 07/08 सीटर चार पहिया वाहनों के स्थाई सवारी गाडी परमिटों के आवेदन प्राप्त कर मामला प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

6. श्री उमा नरेश तिवारी पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी निवासी 104ए डी0एल0 रोड, देहरादून।
7. श्री छोटेलाल पुत्र श्री बिल्लू सोनकर, 81 चुक्खूवाला, देहरादून।
8. श्री विपिन कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, 31/32 कांवली रोड, बल्लीवाला, देहरादून।
9. श्रीमती रश्मि मनोडी पत्नी श्री गिरिश चन्द मनोडी, गढ निवास, मोहक्कमपुर खुर्द, देहर

**संकल्प सं0 –13** इस मद के अन्तगर्त देहरादून –रायपुर –थानो मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। देहरादून–रायपुर–थानो बस सेवा मार्ग देहरादून जनपद का ग्रामीण क्षेत्रों का मार्ग है। प्रश्नगत मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु नये आवेदन प्राप्त नही हो रहे है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया, कि इस मार्ग हेतु स्थाई सवारी गाडी परमिट हेतु श्रीमती श्वेता सिंघल का आवेदन स्वीकार करते हुये, उन्हें उनकी वाहन स0 यू0के0– 07पीए– 0464 बस पर 05 वर्ष हेतु एक स्थाई सवारी गाडी परमिट सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर उक्त परमिट दिनांक 30.04.2018 तक जारी किया जायेगा।

**संकल्प सं0–14 –** इस मद के अन्तर्गत सेट न0 –5 के विकासनगर केन्द्र के स्थान पर देहरादून केन्द्र निर्धारित किये जाने के संबध में मामला प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में मार्ग सूची स0–5 की कुछ वाहनो का संचालन विकासनगर से तथा कुछ वाहनो

का संचालन देहरादून केन्द्र से किया जा रहा था, परि0कर0 अधिकारी–प्रथम, विकासनगर ने सूचित किया है, कि मार्ग सूची सं0 5 के पदाधिकारियो एवं वाहन स्वामियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, बैठक मे यह सहमति बनी है, कि विकासनगर केन्द्र एवं देहरादून केन्द्र से संचालित वाहन स्वामियो के लिये एक ही संयुक्त रोटेशन बना लिया जाये। जौनसार बाबर जनजाति रंवाई जौनपुर बस एसोसियशन विकासनगर ने भी निवेदन किया है, कि विकासनगर से संचालित बसों को देहरादून से संचालित बसो के साथ सम्मलित करते हुये एक ही समय–सारणी निर्धारित की जाये।

उपरोक्त के संबध मे प्राधिकरण द्वारा बुलाये जाने पर मार्ग सूची–5 के पदाधिकारी अथवा बस ऑपरेटर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नही हुये । प्राधिकरण के समक्ष श्री रामकुमार सैनी अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर एवं देहरादून –कालसी बस यूनियन उपस्थित हुये, और उनके द्वारा यह आपत्ति की गई, कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व मे विकासनगर केन्द्र निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राधिकरण अपने आदेशो पर पुनः विचार नही कर सकती है। इस सम्बन्ध में सचिव् द्वारा अवगत कराया गया कि देहरादून तथा विकासनगर से संचलित बसो को जो परमिट जारी किये गये है, वह एक ही मार्ग (मार्ग सूची–5) के लिये जारी किये गये है, तथा मार्गो में कोई विभिन्नता नही है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया देहरादून तथा विकासनगर से संचालित बसो के लिये एक ही समय सारणी निर्धारित की जाये। सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया जाये, कि वह मार्ग सूची–5 पर देहरादून/विकासनगर से संचालित वाहनो के लिये संयुक्त समय–सारणी उपलब्ध कराये। समय–सारणी उपलब्ध हो जाने पर उसे प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

**संकल्प सं0–15** इस मद के अन्तर्गत 07 मार्गो पर 7/8 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनो को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त मार्गवार निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:–

**(1) परेड ग्राउन्ड–सचिवालय चौक –दिलाराम बाजार–ग्रेट वैल्यू होटल–पुलिस कालोनी–आई0टी0पार्क–सहस्त्रधारा रोड–मंसूरी बाईपास–नागल हटनाला मार्ग।**

**(2) सांई मन्दिर–कैनाल रोड–किशनपुर–साकेत कालोनी–ग्रेटवैल्यू होटल सचिवालय–ई0सी0रोड–आराघर–रिस्पना–केदारपुर–दून विश्वविधालय–मोथरोवाला मार्ग।**

उपरोक्त मार्गो पर परमिट जारी करने के विरूद्व श्री गोपाल सिह भण्डारी अध्यक्ष, राजपुर–क्लेमनटाउन नगर बस यूनियन ने आपत्ति करते हुये कहा कि उपरोक्त मार्ग होटल ग्रेट वैल्यू से परेड ग्रउड तक उनके मार्ग को ओवरलेप करते है, तथा इन मार्गो पर परमिट जारी न किये जाये। इसके अतिरिक्त सचिव् विक्रम यूनियन देहरादून ने आपत्ति करते हुये कहा कि विक्रम वाहनो को स्टेज केरिज के रूप मे चलाने हेतु मार्ग निर्धारित किये गये है, जिनमें उपरोक्त मार्ग भी सम्मलित है, अतः चार पहिया वाहनो को इन मार्गो के परमिट जारी न किये जाये ।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त दोनों मार्गों पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामले को स्थगित किया जाता है।

**(3) इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्रचौक–उमेदपुर–देवीपुर–परवल–सिहनीवाला–शिमला बाईपास मार्ग वाया परवल, महेन्द्रचौक होते हुए प्रेमनगर मार्ग पर हल्की चार पहिया, 07/08 सीटर वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है।**

इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरूद्व श्री विजयवर्धन ड़डरियाल द्वारा आपत्ति करते हुये कहा कि यह मार्ग परेडग्राडन्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग का कुछ भाग ओवरलेप करता है, इसलिये इस मार्ग पर परमिट जारी न किये जाये, तथा उनके द्वारा यह भी कहा गया कि नियमानुसार छोटी वहनो को स्टेज कैरिज परमिट जारी नही किये जा सकते है। इस संबध में प्राधिकरण ने द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया है, कि 7/8 सीटर चार पहिया हल्की वाहनो को स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जा सकते है।

जहॉ तक परेडग्राउन्ड– प्रेमनगर–परवल मार्ग की वाहनो का मार्ग पर संचालन होने का संबध है। यह वाहने मार्ग के कुछ भाग पर ही संचालित होती है, परन्तु स्थानीय जनता को पूरे मार्ग पर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नये

वाहनो के परमिट जारी किये जाना आवश्यक है। मार्ग का अधिकतर भाग ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जहॉ पर वर्तमान मे यातायात की अन्य साधन उपलब्ध नही है।

इस मार्ग पर परमिटो हेतु 57 आवेदन पत्र प्राप्त है। पूर्व में इस मार्ग हेतु 04 अस्थाई परमिट जारी किये गये थे।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मार्ग पर 10 स्थाई सवारी गाडी परमिटो की संख्या (07 से 12 सीटर, चालक को छोड़कर, चार पहिया वाहनों) निर्धारित की जाती है, जिसमें से 08 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को तथा 02 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रार्थियो को जारी किये जायेगे। मार्ग पर पूर्व मे संचालित वाहनो के स्वामियो को जिनके विवरण निम्न प्रकार है, को उनकी पंजीकृत वाहन हेतु एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है।

| क्र0सं0 | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन संख्या |
|---|---|---|
| 1 | श्री हर्षवीर सिंह पुत्र स्व0श्री सहदेव सिंह विंग न0–6/17/8 प्रेमनगर, देहरादून | यू0के0–07टीए–7028 |
| 2 | श्री इमरान खान पुत्र श्री सौकत अली ग्राम –परवल, सहसपुर, देहरादून । | यू0के0–07टीए– 6872 |
| 3 | श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री शशि कुमार 40/4 पार्क रोड देहरादून । | यू0के0–07टीए– 6841 |

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के समक्ष बैठक मे श्रीमती राजरानी आहूजा पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द्र आहूजा विंग न0–1 बैरक न0 18/9 प्रेमनगर, देहरादून उपस्थित हुयी, उन्होने प्राधिकरण को अवगत कराया कि उनके पति श्री रमेश चन्द आहुजा द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट पर वाहन का संचालन किया गया था, परन्तु उनके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वाहन का संचालन नही हो पाया। उन्होने निवेदन किया कि उपरोक्त मार्ग पर एक परमिट उनके नाम से जारी करने की कृपा करे।

अतः प्राधिकरण ने मानवीय आधार पर निर्णय लिया कि श्रीमती राजरानी आहूजा पत्नी श्री रमेश चन्द्र आहूजा को एक स्थायी सवारी गाडी परमिट उक्त मार्ग हेतु स्वीकृति किया जाता है।

उक्त प्रकार 04 परमिट स्वीकृत हो जाने के पश्चात मार्ग पर परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रो में से 04 परमिट सामान्य श्रेणी तथा 02 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रार्थियो को निम्न शर्तो के साथ प्रथम आगत प्रथम निर्गत के सिद्वांत पर जारी किये जायेगे।

(1) आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी हो। वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(2) आवेदक का चरित्र उत्तम प्रकृति का हो, इस हेतु पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
(3) आवेदक कम से कम कक्षा–8 उर्त्तीण हो।
(4) आवेदक बार–बार परमिट प्राप्त कर वाहन का विक्रय करने का आदी न हो। अर्थात आवेदक द्वारा विगत 03 वर्षो में कोई परमिट हस्तान्तरित न कराया हो, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(5) आवेदक के पास पूर्व में कोई परमिट न हो ।
(6) परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेगे ।
(7) , परमिट जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं होगा ।
(8) आरक्षित श्रेणी के लिये जारी परमिट भविष्य में आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के नाम पर ही हस्तान्तरित होगा ।
(9) आवेदक से सभी प्रपत्रो एवं सूचनाओ की सत्यता के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(10) शपथ पत्र मे दी गई सूचना के भविष्य मे कोई तथ्य सही नही पाये गये, तो प्राधिकरण को परमिट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

**(4) <u>प्रेमनगर–श्यामपुर–ठाकुरपुर–महेन्द्र चौक–गुसांई चौक–अम्बीवाला–शुक्लापुर वापस महेन्द्र चौक होते हुये प्रेमनगर मार्ग।</u>**

उपरोक्त मार्ग ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जहॉ पर वर्तमान मे कई शिक्षण संस्थायें, आवासीय क्षेत्र विकसित हो गये है, परन्तु यहॉ पर यातायात हेतु कोई साधन उपलब्ध नही है। इस क्षेत्र के मार्ग अत्यन्त सकरे है, जहॉ बसो का संचालन नही हो सकता है। इस मार्ग पर परमिटो हेतु 36 आवेदन पत्र प्राप्त है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मार्ग पर (07 से 12 सीटर, चालक को छोड़कर ) चार पहिया वाहनो हेतु 10 स्थाई सवारी गाडी परमिटो की संख्या निर्धारित की जाती है, जिसमें से 08 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को तथा 02

परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रार्थियो को निम्न शर्तो के अधीन प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्वांत पर दिनांक 30.04.2018 तक जारी किये जायेगें।

(1) आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी हो। वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(2) आवेदक का चरित्र उत्तम प्रकृति का हो, इस हेतु पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
(3) आवेदक कम से कम कक्षा–8 उर्त्तीण हो।
(4) आवेदक बार–बार परमिट प्राप्त कर वाहन का विक्रय करने का आदी न हो । अर्थात आवेदक द्वारा विगत 03 वर्षो में कोई परमिट हस्तान्तरित न कराया हो, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(5) आवेदक के पास पूर्व में कोई परमिट न हो ।
(6) परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेगे ।
(7) , परमिट जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं होगा।
(8) आरक्षित श्रेणी के लिये जारी परमिट भविष्य में आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के नाम पर ही हस्तान्तरित होगा ।
(9) आवेदक से सभी प्रपत्रो एवं सूचनाओ की सत्यता के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(10) शपथ पत्र मे दी गई सूचना के भविष्य मे कोई तथ्य सही नही पाये गये, तो प्राधिकरण को परमिट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

**(5) <u>प्रेमनगर–आरकेडिया टी स्टेट–मिठ्ठी बेरी–बनियावाला–गोरखपुर–शिमला बाईपास –आई0एस0बी0टी0 वाया बड़ोवाला–आरकेडिया होते हुये प्रेमनगर मार्ग।</u>**

उपरोक्त मार्ग का अधिकतर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, इस क्षेत्र में कई आवासीय क्षेत्र विकसीत हो गये है, जहॉ पर काफी बडी संख्या में आबादी निवास कर रही है। वर्तमान में प्रेमनगर से इस क्षेत्र से होते हुये आई0एस0बी0टी0 के लिये कोई परिवहन की सेवा उपलब्ध नही है। इस क्षेत्र के मार्ग अत्यन्त संकरे है, जहॉ बसो का संचालन नही हो सकता है,। इस मार्ग पर परमिटो हेतु 159 आवेदन पत्र प्राप्त है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मार्ग पर (07 से 12 सीटर, चालक को छोड़कर ) चार पहिया वाहनो हेतु 20 स्थाई सवारी गाडी परमिटो की संख्या निर्धारित की जाती है, जिसमें से 16 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को तथा

04 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रार्थियो को निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्वांत पर दिनांक 30.04.2018 तक जारी किये जायेगे।

(1) आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी हो। वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(2) आवेदक का चरित्र उत्तम प्रकृति का हो, इस हेतु पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
(3) आवेदक कम से कम कक्षा–8 उर्त्तीण हो।
(4) आवेदक बार–बार परमिट प्राप्त कर वाहन का विक्रय करने का आदी न हो । अर्थात आवेदक द्वारा विगत 03 वर्षो में कोई परमिट हस्तान्तरित न कराया हो, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(5) आवेदक के पास पूर्व में कोई परमिट न हो ।
(6) परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेगे ।
(7) , परमिट जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं होगा ।
(8) आरक्षित श्रेणी के लिये जारी परमिट भविष्य में आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के नाम पर ही हस्तान्तरित होगा ।
(9) आवेदक से सभी प्रपत्रो एवं सूचनाओ की सत्यता के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(10) शपथ पत्र मे दी गई सूचना के भविष्य मे कोई तथ्य सही नही पाये गये, तो प्राधिकरण को परमिट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

**(6) <u>प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग।</u>**

प्रेमनगर –चौकी–धौलास मार्ग पर पूर्व में 04 हल्की वाहनो को अस्थाई परमिट जारी किये गये है। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्र का मार्ग है, जहॉ पर नये आवासीय क्षेत्र विकसित हो रहे है, तथा क्षेत्र में कई शिक्षण संस्थाये संचालित है। इस मार्ग पर परमिटो हेतु 42 आवेदन पत्र प्राप्त है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मार्ग पर 10 (07 से 12 सीटर चालक को छोड़कर) चार पहिया स्थाई सवारी गाडी परमिटो की संख्या निर्धारित की जाती है, जिसमें से 08 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को तथा 02 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रार्थियो को जारी किये जायेगे। मार्ग पर पूर्व मे संचालित वाहनो के स्वामियो को जिनके विवरण निम्न प्रकार है, को उनकी पंजीकृत वाहनो पर एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है।

| क्र0सं0 | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन संख्या |
|---|---|---|
| 1 | श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0श्री डी0एस0 राना ग्राम व पो0– सोड़ा सरोली, देहरादून | यू0के0–07टीए–6257 |
| 2 | श्री सुनील कुमार पुत्र श्री राम सिंह नेगी ग्राम–तिलवाडी, सहसपुर, देहरादून । | यू0के0–07टीए–6764 |
| 3 | श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री एस0एल0 चौहान 92 विजयपार्क, देहरादून । | यू0के0–07टीए–6768 |
| 4 | श्री दिनेश सिह नेगी पुत्र श्री भीम सिंह नेगी ग्राम–सुद्दोवाला, झाझरा, देहरादून । | यू0के0–07टीए–6766 |

उपरोक्त 04 वाहन स्वामियों को परमिट स्वीकृत हो जाने के पश्चात मार्ग पर परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रो में से 04 सामान्य श्रेणी तथा 02 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रार्थियो को निम्न शर्तो के साथ प्रथम आगत प्रथम निर्गत के सिद्वांत पर जारी किये जायेगे। स्वीकृत परमिट वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.04.2018 तक जारी किये जायेंगे।

(1) आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी हो। वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(2) आवेदक का चरित्र उत्तम प्रकृति का हो, इस हेतु पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
(3) आवेदक कम से कम कक्षा–8 उर्त्तीण हो।
(4) आवेदक बार–बार परमिट प्राप्त कर वाहन का विक्रय करने का आदी न हो । अर्थात आवेदक द्वारा विगत 03 वर्षो में कोई परमिट हस्तान्तरित न कराया हो, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(5) आवेदक के पास पूर्व में कोई परमिट न हो ।
(6) परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेगे ।
(7) , परमिट जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं होगा ।
(8) आरक्षित श्रेणी के लिये जारी परमिट भविष्य में आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के नाम पर ही हस्तान्तरित होगा ।
(9) आवेदक से सभी प्रपत्रो एवं सूचनाओ की सत्यता के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(10) शपथ पत्र मे दी गई सूचना के भविष्य मे कोई तथ्य सही नही पाये गये, तो प्राधिकरण को परमिट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(7) **अनारवाला–नया गॉव–हाथीबड़कला–दिलाराम चौक– ई0सी0 रोड–सर्वेचौक –परेड ग्राउण्ड–सुभाष रोड होते हुये–ई0सी0 रोड–आराघर–धर्मपुर चौक– माता मन्दिर मार्ग–हरिद्वार बाईपास पुलिस चौकी– आई0एस0बी0टी0 मार्ग।**

उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरूद्व श्री विजयवर्धन ड़डरियाल के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त विक्रम जनकल्याण सेवा समिति देहरादून तथा व0पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा भी शहर में नये परमिट जारी करने के संबध में आपत्ति की गई है। इन आपत्तियो में कहा गया है, कि देहरादून शहर में पहले से ही अधिक मात्रा में वाहने संचालित हो रही है, नये परमिट जारी करने से यातायात के साधनो मे बृद्वि तो होगी, परन्तु जाम की स्थिति भी हो सकती है। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि इस मार्ग को मुख्य रूप से अनारवाला, नया गॉव क्षेंत्र से परेडग्राउन्ड, आई0एस0बी0टी0 क्षेत्र के लिये सीधी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है, वर्तमान में अनारवाला, से नया गॉव होते हुये क्षेत्र मे कोई भी परिवहन सेवा उपलब्ध नही है। अनारवाला, नया गॉव क्षेत्र की सड़के एवं मार्ग इस प्रकार है, कि इस मार्ग पर बसे या तीन पहिया वाहनो का संचालन नही हो सकता है। प्राधिकरण के समक्ष नया गॉव क्षेत्र की प्रधान श्रीमती ज्योति कोटिया एंव क्षेत्रवासियो ने उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया है कि शहर से उनके क्षेत्र के लिये अवागमन की कोई सुविधा उपलब्ध नही है, जिस कारण गॉववासियो एंव स्कूल के बच्चों को आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि मार्ग पर यात्रायात की सुविधा उपलब्ध कराई जायें। इस मार्ग पर परमिटो हेतु 201 आवेदन पत्र प्राप्त है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मार्ग पर (07 से 12 सीटर, चालक को छोड़कर) चार पहिया वाहनो हेतु 20 स्थाई सवारी गाडी परमिटो की संख्या निर्धारित की जाती है, जिसमें से 16 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को तथा 04 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रार्थियो को निम्न शर्तो के अधीन प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्वांत पर दिनांक 30.04.2018 तक जारी किये जायेगे।

(1) आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी हो। वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(2) आवेदक का चरित्र उत्तम प्रकृति का हो, इस हेतु पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
(3) आवेदक कम से कम कक्षा–8 उर्त्तीण हो।
(4) आवेदक बार–बार परमिट प्राप्त कर वाहन का विक्रय करने का आदी न हो। अर्थात आवेदक द्वारा विगत 03 वर्षो में कोई परमिट हस्तान्तरित न कराया हो, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(5) आवेदक के पास पूर्व में कोई परमिट न हो ।

(6) परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेगे ।
(7) परमिट जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं होगा ।
(8) आरक्षित श्रेणी के लिये जारी परमिट भविष्य में आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के नाम पर ही हस्तान्तरित होगा ।
(9) आवेदक से सभी प्रपत्रो एवं सूचनाओ की सत्यता के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(10) शपथ पत्र मे दी गई सूचना के भविष्य मे कोई तथ्य सही नही पाये गये, तो प्राधिकरण को परमिट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

**संकल्प सं0 16**– इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर– नन्दा की चौकी – पौधा– विधौली – डुंगा– भाऊवाला – सुद्वोवाला–प्रेमनगर– सहसपुर–सेलाकुंई–भाउवाला–डूंगा– कोटडा एवं सम्बद्व मार्गो (निम्नलिखित सूची में उल्लेखित) पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने का मामला प्रस्तुत किया गया है।

| क0सं0 | मार्ग का नाम | मार्ग की लम्बाई |
|---|---|---|
| 1 | प्रेमनगर– नन्दा की चौकी – पौधा– विधौली – डुंगा– भाऊवाला – सुघोवाला–प्रेमनगर– | 30 कि0मी0 |
| 2 | प्रेमनगर–सहसपुर | 18 कि0मी0 |
| 3 | प्रेमनगर–सेलाकुई–भाऊवाला–डुंगा। | 25 कि0मी0 |
| 4 | सहसपुर–कोटडा– | 18 कि0मी0 |
| 5 | सहसपुर–शंकरपुर–कैंचीवाला–रामसावाला–जूनो–भाऊवाला | 12 कि0मी0 |

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 मे उपरोक्त मार्गो मे कुछ नये मार्गो का पृष्ठांकन किया गया था, जिस पर परिवहन कर अधिकारी–प्रथम विकासनगर द्वारा उक्त मार्ग पर 15 नये परमिट जारी करने की संस्तुति की गई है।

वर्तमान मे मार्ग पर 7/8 सीटर 51 हल्की वाहनो को स्टैज कैरिज परमिट जारी किये गये है। प्राधिकरण की विभिन्न बैठको में उपरोक्त मार्ग पर निम्नलिखित मार्गो का पृष्ठाकंन किया गया हैः–

1– डोबरी– सोरना– रूद्रपुर – 03 कि0मी0 (प्राधिकरण की बैठक दि0 11.11.2011) ।
2– डूँगा से माण्डूवाला–वाया मोटरी– 04 कि0मी0 (प्राधिकरण की बैठक दि0 17.3.2016) ।

3– सहसपुर से सभावाला – 03कि0मी0 (प्राधिकरण की बैठक दि0 17.3.2016) ।
4– होरावाला से तिलवाडी –03 कि0मी0 (प्राधिकरण की बैठक दि0 17.12.2016) ।
5– रेड़ापुर से ब्रहमदत्त चौक–किदारवाला–रूद्रपुर–लांधा – 12 कि0मी0 (प्राधिकरण की बैठक दि0 17.12.2016)।
6– रेडापुर से ब्रहमदत्त चौक–अम्बाड़ी (पृथ्वीपुर–बरोटीवाला) मार्ग–10 कि0मी0 (प्राधिकरण की बैठक दि0 17.12.2016) ।
7– ग्राम पंचायत कण्डोली से पालावली–कांसवली–विशनपुर मार्ग– 11 कि0मी0 (प्राधिकरण की बैठक दि0 17.12.2016) ।

उपरोक्त मार्ग की यूनियन के पदाधिकारी, प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, और उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उनके वाहनो के परमिटो पर समय–समय पर उपरोक्तानुसार ग्रामीण क्षेत्रो के मार्गो का पृष्ठांकन किया गया, जिस पर उनके द्वारा नियमित सेवाये प्रदान की जा रही है, लेकिन उक्त क्षेत्रों में नये–नये आवासीय क्षेत्र बन गये, और कई शिक्षण संस्थान संचालित है, जिस कारण आम जनता का अवागमन बढ रहा है, इसलिये परमिटो के मार्गो पर समुचित सेवा प्रदान करने हेतु और वाहनो की आवश्यकता है, उनके द्वारा मार्ग पर कम से कम 20 और परमिट जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इन मार्गो पर परमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार सैनी, अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर बस यूनियन के द्वारा आपत्ति कि गई है कि प्रेमनगर–सहसपुर मार्ग उनके परमिट का भाग है, जिस पर इनकी वाहनें ओवरलेप करती है, और यूनियन की वाहने निर्धारित संख्या से अधिक उनके मार्ग पर संचालित हो रही है।

प्रश्नगत मार्ग की यूनियन के प्रतिनिधियों के द्वारा प्राधिकरण को अवगतं कराया गया कि उनकी वाहने मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों मे सेवा प्रदान कर रही है, इन ग्रामीण क्षेत्रो को जाने के लिये मार्ग प्रेमनगर से सहसपुर के मध्य से ही अन्दर गॉवों की ओर जाते है, और उनकी वाहने प्रेमनगर से संचालित होती है, जबकि देहरादून– विकासनगर मार्ग की वाहनो का संचालन देहरादून आई0एस0बी0टी0 से किया जाता है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रेमनगर– नन्दा की चौकी – पौधा– विधौली – डुंगा– भाऊवाला – सुद्वोवाला–प्रेमनगर– सहसपुर–सेलाकुंई–भाऊवाला–डूंगा– कोटडा एवं सम्बद्व मार्ग पर संचालित होने वाली वाहनें ग्रामीण क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं तथा जिन ग्रामीण मार्गो पर बसों का संचालन नहीं हो रहा, उन क्षेत्रों/मार्गो पर इन वाहनों का संचालन किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त मार्ग पर (07 से 12 सीटर, चालक को छोड़कर) चार पहिया वाहनो को 20 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये जाते है, जिसमें से 16 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को तथा 04 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रार्थियो को निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रथम आगत प्रथम निर्गत के सिद्वान्त पर दिनांक 30.04.2018 तक जारी किये जायेगे।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में उपरोक्त मार्गों के क्लस्टर में मार्ग सूची मार्ग सं0 2 (प्रेमनगर–सहसपुर मार्ग) पर पूर्व निर्धारित फेरों के अनुसार ही वाहनों का संचालन किया जायेगा ।

(1) आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी हो। वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(2) आवेदक का चरित्र उत्तम प्रकृति का हो, इस हेतु पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
(3) आवेदक कम से कम कक्षा–8 उर्त्तीण हो।
(4) आवेदक बार–बार परमिट प्राप्त कर वाहन का विक्रय करने का आदी न हो । अर्थात आवेदक द्वारा विगत 03 वर्षो में कोई परमिट हस्तान्तरित न कराया हो, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(5) आवेदक के पास पूर्व में कोई परमिट न हो ।
(6) परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेगे ।
(7) परमिट जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं होगा ।
(8) आरक्षित श्रेणी के लिये जारी परमिट भविष्य में आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के नाम पर ही हस्तान्तरित होगा ।
(9) आवेदक से सभी प्रपत्रो एवं सूचनाओ की सत्यता के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(10) शपथ पत्र मे दी गई सूचना के भविष्य मे कोई तथ्य सही नही पाये गये, तो प्राधिकरण को परमिट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

**संकल्प सं0–17** इस मद के अन्तर्गत बाजावाला–मंसदावाला–कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग पर संचालित नगर बस सेवा वाहन (बस) के स्थान पर 7/ 8 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों को परमिट जारी करने का मामला प्रस्तुत किया गया है। इस मार्ग पर बाजावाला, मंसदावाला ग्रामीण क्षेत्रो के निवासियो के लिये भी वर्तमान मे कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नही है, स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियो द्वारा निरंतर क्षेत्र मे परिवहन सुविधा की मॉग की जा रही है। कौलागढ से बाजावाला, मंसदावाला की ओर जाने वाला मार्ग सकरा एवं ग्रामीण क्षेत्र का मार्ग है, जहॉ पर किसी भी प्रकार की बस का संचालन किया जाना संभव नही है।

श्री हंरबश कपूर जी मा0 विधायक देहरादून कैण्ट द्वारा भी जनहित में उपरोक्त मार्ग पर सार्वजनिक यातायात के लिये 7–8 सीटर छोटे वाहन की आवाजाही/रूट निर्धारण सुनिश्चत कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उपमहालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ने अपने कार्यालय एवं अवासीय परिसर से शहर के प्रमुख स्थानो जैसे रेलवे स्टेशन, घण्टाघर, बस अड्डा, आई0एस0बी0टी0 से कौलागढ कार्यालय भवन तक सार्वजनिक की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

कौलागढ–विधानसभा मार्ग पर पूर्व में जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट धारको मे से निम्नलिखित परमिट धारकों के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैः–

| क्र0 स0 | कोर्ट फीस क्रमांक | प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि | प्रार्थी का नाम व पता | पूर्व में जारी परमिट संख्या एवं दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1648 | 01.10.2016 | श्रीमती **स्वेता** जायसवाल पत्नी श्री आदेश जायसवाल, नि0 कौलागढ कैनाल रोड, देहरादून | पीएसटीपी–1939 वैधता 12.3.14 |
| 2 | 1652 | 01.10.2016 | श्री **राजेश** कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार शर्मा, नि0 चन्द्रबनी, देहरादून । | पीएसटीपी–2014 वैधता 30.3.2019 |
| 3 | 1654 | 01.10.2016 | श्रीमती **बबीता** भोज पत्नी श्री राजेन्द्र भोज, नि0 प्रेमपुर माफी, कौलागढ, देहरादून | पीएसीटी–1938 वैधता, 11.3.14 |
| 4 | 1656 | 01.10.2016 | श्रीमती **आरती** वर्मा पुत्री, स्व0 नाथी सिंह नि0 79 लोअर नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून । | पीएसटीपी–1940 वैधता, 12.3.14 |

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मार्ग पर 15 स्थाई सवारी गाडी परमिटो (07 से 12 सीटर, चालक को छोड़कर, चार पहिया वाहनों हेतु) की संख्या निर्धारित की जाती है, जिसमें से 12 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को तथा 03 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रार्थियो को जारी किये जायेगे। पूर्व नगर बस परमिट धारको में से उक्त 04 के द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, उन्हे एक–एक परमिट इस शर्त के साथ 05 वर्ष हेतु जारी किया जाता है, कि यह परमिट नई वाहन पर जारी होगा, तथा 03 वर्ष तक हस्तान्तरित नही होगा। अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट अनूसूचित जाति श्रेणी के आवेदक को ही हस्तान्तरित होगी। इस मार्ग पर परमिट प्राप्त करने हेतु 90 अन्य प्रार्थना पत्र प्राप्त है ।

इस तरह इस मार्ग हेतु 08 सामान्य श्रेणी एवं 03 अनु0जाति श्रेणी हेतु रिक्ति शेष है, जिन पर अन्य प्रार्थना पत्रो के आवेदको को निम्न शर्तो के अधीन प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्वान्त पर दिनांक 30.04.2018 तक जारी किये जायेगे।

(1) आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी हो। वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(2) आवेदक का चरित्र उत्तम प्रकृति का हो, इस हेतु पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
(3) आवेदक कम से कम कक्षा–8 उर्त्तीण हो।
(4) आवेदक बार–बार परमिट प्राप्त कर वाहन का विक्रय करने का आदी न हो। अर्थात आवेदक द्वारा विगत 03 वर्षो में कोई परमिट हस्तान्तरित न कराया हो, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(5) आवेदक के पास पूर्व में कोई परमिट न हो।
(6) परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेगे।
(7) परमिट जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं होगा ।
(8) आरक्षित श्रेणी के लिये जारी परमिट भविष्य में आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के नाम पर ही हस्तान्तरित होगा।
(9) आवेदक से सभी प्रपत्रो एवं सूचनाओ की सत्यता के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(10) शपथ पत्र मे दी गई सूचना के भविष्य मे कोई तथ्य सही नही पाये गये, तो प्राधिकरण को परमिट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
(11) इस मार्ग पर संचालित 50 प्रतिशत वाहनें वाया किशननगर चौक होते हुये घन्टाघर एवं 50 प्रतिशत वाहने वाया जी0एम0एस0रोड, महन्त अस्तपताल, आई0एस0बी0टी0 होते हुये संचालित होगी ।

**संकल्प सं0–18** इस मद के अन्तर्गत अनारवाला–थाना कैण्ट– परेड ग्राउन्ड वाया बल्लूपुर चौक, जी0एम0एस0रोड आईएस0बी0टी0 हरिद्वार बाईपास रिस्पना पुल मार्ग पर संचालित नगर बसो के स्थान पर 7/8 सीटर, चार पहिया वाहनो को परमिट जारी करने का मामला प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत मार्ग के परमिट धारको द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर यह प्रार्थना की गई, कि वर्तमान में उनके द्वारा अपनी बसो के संचालन में आर्थिक हानि हो रही है, और वह अपनी वाहनो का रख–रखाव नही कर पा रहे है। इसलिये उन्हे उनके परमिट पर बस वाहन के स्थान पर छोटी हल्की वाहन संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाये। प्राधिकरण के समक्ष श्री

विजयवर्धन ड़डरियाल के द्वारा नगर बस के स्थान पर छोटी हल्की वाहन की स्वीकृति प्रदान करने पर आपत्ति व्यक्त की गई, जिसका प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित इस मार्ग के वाहन स्वामियो द्वारा विरोध किया गया, कि वह वर्तमान में मार्ग पर संचालन करने मे असमर्थ है, यदि प्राधिकरण द्वारा उन्हे राहत प्रदान की जा रही है, तो इस पर किसी अन्य को कोई आपत्ति नही होनी चाहिये।

वर्तमान में इस मार्ग पर संचालित वाहनो की स्थिति एवं यातायात को देखते हुये, बसो का संचालन किया जाना वाहन स्वामियो के लिये लाभप्रद नही रहा है, इसलिये इस मार्ग के परमिट धारको के समक्ष आ रहे आर्थिक संकट को देखते हुये उनकी मॉग पर प्राधिकरण द्वारा विचरोपरान्त यह निर्णय लिया कि निम्नलिखित परमिट धारको को वर्तमान वाहन के स्थान पर हल्की छोटी चार पहिया वाहन ( 07 से 12 सीटर, चालक को छोड़कर ) लगाने की अनुमति या पूर्व परमिट जमा कर नये वाहन पर नया स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके साथ ही मार्ग पर अनारवाला से महालेखाकार कार्यालय मार्ग का विस्तार करते हुये, यहॉ से नियमित सेवा संचालित किये जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है ।

| क्र0 सं0 | परमिट सं0 | प्रार्थी का नाम व पता |
|---|---|---|
| 1 | पीएसटीपी–1861 | श्री सुनील कुमार पुत्र श्री गुणानन्द 63 जाग्रति विहार नत्थनपुर देहरादून। |
| 2 | पीएसटीपी–2046 | श्री भीम सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह 79 लोअर नत्थनपुर, देहरादून। |
| 3 | पीएसटीपी–1857 | श्री आदेश जायसवाल पुत्र श्री रतन सिंह जायसवाल कैनाल रोड़ कौलागढ़ देहरादून। |
| 4 | पीएसटीपी–2039 | श्रीमती बबीता सोनकर पत्नी श्री राकेश सोनकर चक्खूवाला आंशिक, देहरादून। |
| 5 | पीएसटीपी–2047 | श्री अनूप कुमार पंत पुत्र श्री नन्द किशोर पंत डांडा लोखड गुजराडा, देहरादून। |
| 6 | पीएसटीपी–2048 | श्री विनोद चन्दोला पुत्र श्री रमेश चन्द्र चन्दोला डांडा लोखंड गुजराड़ा, देहरादून। |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | पीएसटीपी–1923 | श्रीमती बलजीत कौर पत्नी श्री सतनाम सिंह 91 कश्मीरी कालोनी, देहरादून। |
| 8 | पीएसटीपी–1922 | श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार, अमर भारती चन्द्रबनी, देहरादून। |
| 9 | पीएसटीपी–2034 | श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री रतन सिंह 9 खत्री मौहल्ला देहरादून। |
| 10 | पीएसटीपी–1831 | श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह 72/1 भण्डारी बाग, देहरादून। |
| 11 | पीएसटीपी–1830 | श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री रतन सिंह 9 खत्री मौहल्ला, देहरादून। |
| 12 | पीएसटीपी–2033 | श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री रतन सिंह 9 खत्री मौहल्ला देहरादून। |
| 13 | पीएसटीपी–2102 | श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री नाथी सिंह 79 लोवर नत्थनपुर, देहरादून। |

प्रश्नगत मार्ग हेतु प्राप्त अन्य सभी प्रार्थना पत्रो को रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को यह भी निर्देशित किया जाता है, कि वह उक्त मार्ग पर नई रिक्तियो के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराकर आख्या आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

**संकल्प सं0–19** इस मद के अन्तर्गत देवपुरा अग्रसेन चौक –ऋषिकुल– शंकराचार्य चौक– चण्डीपुल–श्यामपुर कांगडी–रसियावढ–गैडीखाता–लालढाग मार्ग पर चार पहिया हल्की वाहन (07 से 12 सीटर, चालक को छोड़कर) को सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे मामला प्रस्तुत किया गया है।

उक्त मार्ग जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रो को नगर से जोड़ने हेतु निर्मित किया गया है, इस क्षेत्र की जनता के लिये हरिद्वार नगर मे आने के लिये वर्तमान मे कोई नियमित साधन उपलब्ध नही है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मार्ग पर (07 से 12 सीटर, चालक को छोड़कर, चार पहिया वाहनों) 20 स्थाई सवारी गाडी परमिटो की संख्या निर्धारित की जाती है, जिसमें से 16 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को तथा 04 परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रार्थियो को निम्न शर्तो के अधीन प्रथम आगत प्रथम निर्गत के सिद्वांत पर दिनांक 30.04.2018 तक जारी किये जायेगे। इस मार्ग पर परमिटों हेतु 52 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि मार्ग पर संचालित वाहनों के द्वारा राष्ट्रीयकृत भाग पर कोई सवारी चढाई एंव उतारी नहीं जायेगी।

(1) आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी हो। वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(2) आवेदक का चरित्र उत्तम प्रकृति का हो, इस हेतु पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
(3) आवेदक कम से कम कक्षा–8 उर्त्तीण हो।
(4) आवेदक बार–बार परमिट प्राप्त कर वाहन का विक्रय करने का आदी न हो। अर्थात आवेदक द्वारा विगत 03 वर्षो में कोई परमिट हस्तान्तरित न कराया हो, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(5) आवेदक के पास पूर्व में कोई परमिट न हो ।
(6) परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायेगे ।

(7) ,परमिट जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं होगा ।
(8) आरक्षित श्रेणी के लिये जारी परमिट भविष्य में आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के नाम पर ही हस्तान्तरित होगा ।
(9) आवेदक से सभी प्रपत्रो एवं सूचनाओ की सत्यता के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(10) शपथ पत्र मे दी गई सूचना के भविष्य मे कोई तथ्य सही नही पाये गये, तो प्राधिकरण को परमिट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

**संकल्प सं0–20** इस मद के अन्तर्गत पुरोहित सेवा आश्रम–रोशनाबाद–लक्सर मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध मे मामला प्रस्तुत किया गया है। इस मार्ग हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो के संबध में प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया, कि मद में उल्लेखित सभी 12 प्रार्थियो को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट पॉच वर्ष की अवधि के लिये सामान्य शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है। सम्बन्धित आवेदक दिनांक 30.0.4.2018 तक वाहन के वैध प्रपत्र एवं अन्य औपचारिकताये पूर्ण कर परमिट प्राप्त कर सकते है।

**संकल्प सं0–21** इस मद के अन्तर्गत बहादराबाद–पिरान कलियर–रूड़की– बहादराबाद–रोशनाबाद मार्ग पर अस्थाई परमिट पर संचालित वाहनो को स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक 17.12.2016 में उपरोक्त मार्ग पर 36 अस्थाई परमिट धारको को स्थाई सवारी गाडी परमिट की स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत परमिटों मे से 31 आवेदको के द्वारा अपने परमिट प्राप्त कर लिये गये है। निम्नलिखित शेष वाहन संचालको के द्वारा स्थाई सवारी गाडी परमिट उल्लेखित कारणो से प्राप्त नही किये गये हैः–

| क0 सं0 | वाहन स0 | वर्तमान में वाहन स्वामी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | यू0के0–08 पीए–0150 | श्री अनुज गोस्वामी पुत्र श्री प्रेम गिरी गोस्वामी | यह वाहन पूर्व में श्री प्रेम गिरी गोस्वामी के नाम पर पंजीकृत थी, तथा अस्थाई परमिट पर संचालित थी, श्री प्रेम गिरी की मृत्यू दिनांक 4.10.16 में हो गई, वाहन का हस्तान्तरण मृतक आश्रित के रूप में श्री अनुज गोस्वामी के नाम पर हुया है, तथा वाहन पर उक्त मार्ग का अस्थाई परमिट जारी किया जा रहा है। |
| 2 | यू0ए0–08 | श्रीमती कविता पत्नी | यह वाहन पूर्व में श्री नरेश चन्द पुत्र श्री कैन्हया लाल के नाम पर पंजीकृत थी, तथा अस्थाई |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | के–0078 | श्री करण बन । | परमिट पर संचालित थी। स्थानान्तरण के पश्चात इस मार्ग का कोई अस्थाई परमिट प्राप्त नही किया गया है। |
| 3 | यू0के0–08 पीए–0528 | श्री राजेश कुमार पुत्र श्री आत्माराम | यह वाहन पूर्व में श्री अजीम पुत्र श्री अययूब के नाम पर पंजीकृत एवं अस्थाई परमिट से आच्छॉदित थी, तथा अस्थाई परमिट दिनांक 27.4.2017 में कार्यालय में सम्पर्ण किया गया है । वाहन विक्रय हो गई है। तथा श्री राजेश कुमार के नाम पर उक्त मार्ग का अस्थाई परमिट जारी किया गया है। |
| 4 | यू0ए0–08 सी–9960 | श्री कुलदीप पुत्र श्री कालू | यह वाहन श्री आदेश कुमार जायसवाल के नाम पर पंजीकृत एवं अस्थाई परमिट से आच्छॉदित थी, वाहन श्री कुलदीप के नाम पर विक्रय हो गई । वर्तमान स्वामी द्वारा दि0 03.10.2016 में 02 माह का अस्थाई परमटि प्राप्त किया गया था, इसके पश्चात कोई अस्थाई परमिट प्राप्त नही किया । प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि तक स्थाई परमिट हेतु कोई आवेदेन प्रस्तुत नही किया गया है । |
| 5 | यू0पी0–07 सी–6538 | श्री बालिग हुसैन पुत्र श्री जी0 हुसैन | वर्ष 2011 के पश्चात अस्थाई परमिट प्राप्त नही किया और न ही स्थाई प्राप्त किया गया है। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि तक स्थाई परमिट हेतु कोई आवेदेन प्रस्तुत नही किया गया है । |

वर्तमान में क्र0सं0 1, 2, 3 पर अंकित वाहन स्वामियो को अस्थाई परमिट जारी किये गये है, जिन पर वाहनो का संचालन हो रहा है। जबकि उपरोक्त तालिका के क्रमॉक 4 व 5 में उल्लेखित वाहन स्वामियों के द्वारा अपनी वाहनों के परमिट प्राप्त करने का कोई आवेदन नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन मे सचिव् प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित आवेदको को उनके वाहनो पर अस्थाई परमिट जारी किये गये है–

1– श्री तेजपाल पुरी पुत्र श्री विनोद पुरी – वाहन स0 यू0ए0–08ई–9922 मिनी बस।
2– श्री मनोज गिरी पुत्र श्री प्रेम गिरी – वाहन स0 यू0के0–12पीए– 0052 मिनी बस।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि यह मार्ग हरिद्वार जनपद का ग्रामीण क्षेत्र का मार्ग है, तथा काफी समय से वाहन स्वामियो द्वारा अस्थाई परमिट पर वाहनो का संचालन किया जा रहा है, मार्ग पर वर्तमान में 05 रिक्तियां स्थाई परमिट हेतु शेष है, प्राधिकरण के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही है, इसलिये क्र0स0 1, 2, 3 के वर्तमान वाहन

स्वामियो को उल्लेखित वाहनो पर तथा 02 अन्य अस्थाई परमिट धारको को उनके वर्तमान संचालित वाहनो पर स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया जाता है। सम्बन्धित आवेदक दिनांक 30.04.2018 तक निर्धारित औपचारिकताये पूर्ण कर परमिट प्राप्त कर सकते है।

**संकल्प स0–22–** इस मद के अन्तर्गत तेलपुरा डाण्डा वाया बुग्गावाला–बन्दरजूड– मजाहिदपुर– पिरान कलियर– रूडकी मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने का मामला प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में मार्ग पर 08 मिनी बसों तथा 06 बडी बसों के परमिट जारी हैं।

प्राधिकरण ने प्रश्नगत मार्ग पर परिवहन कर अधिकारी–प्रथम, रूड़की द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर विचारोपरान्त इस मार्ग हेतु 25 अस्थाई सवारी गाडी परमिट मिनी बसों हेतु स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि मार्ग ग्रामीण क्षेत्र का है, इसलिये 05 वर्ष तक पुरानी वाहनो के अस्थाई परमिट प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर जारी किये जायेगें। स्थाई सवारी गाडी परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को स्थगित किया जाता है।

**संकल्प सं0–23** इस मद के अन्तर्गत 07/08 सीटर, 04 पहिया वाहनों को पूर्व में विभिन्न मार्गों पर जारी अस्थाई ठेका गाडी परमिटों का पुनः अस्थाई अथवा स्थाई ठेका गाडी परमिट जारी के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि 07/08 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को ठेका गाडी परमिट जारी करने पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कुछ मार्गों को स्टैज कैरिज मार्ग के रूप में वर्गीकृत कर मार्ग निर्मित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। परन्तु अभी तक शासन द्वारा मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है। अतः मद में उल्लेखित प्रार्थियो श्री उमा नरेश तिवारी, श्री छोटेलाल एंव श्री विपिन कुमार को संकल्प सं0 12 के अन्तर्गत देहरादून– रायपुर– मालदेवता मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये है। अतः उनके इस मद के अन्तर्गत स्थाई/अस्थाई ठेका गाडी हेतु प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

**संकल्प सं0 24–** इस मद अन्तर्गत माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मामले की सुनवाई के द्वौरान प्राधिकरण के समक्ष कुछ आवेदक उपस्थित हुये, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किये हुये, लगभग 01 वर्ष से अधिक समय हो

गया है, लेकिन प्राधिकरण की बैठक न होने के कारण उनका मामला लम्बित् चल रहा हैं, जबकि उन्हें अपने व्यवसाय के संचालन हेतु अनुज्ञप्ति की निरंतर आवश्यकता होती है। अनुज्ञप्ति समय पर न मिलने कारण उनको सरकारी ठेका प्राप्त करने में कठिनाईयॉ आ रही हैं।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि इस मद के अन्तर्गत प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत किया जाता है तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणो के निस्तारण हेतु सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को अधिकार प्रदत्त किये जाते है, कि वे प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आवेदकों से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अनुज्ञप्ति जारी कर आगामी प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करा लें।

**सकंल्प सं0–25** इस मद के अन्तर्गत ऋषिकेश केन्द्र से स्वीकृत आटोरिक्शा परमिट जारी करने हेतु समय बढाने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मामले की सुनवाई के द्वौरान ऋषिकेश ऑटो, विक्रम यूनियन के प्रतिनिधिनों ने उपस्थित होकर आपत्ति व्यक्त करते हुये निवेदन किया है कि वर्तमान में ऋषिकेश क्षेत्र में काफी संख्या में ऑटो एंव विक्रम संचालित हो रहें जिससे और परमिटो की आवश्यकता नही है।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया कि वर्ष, 2014 में जारी स्वीकृत पत्रो को 04 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी इनकी अवधि बढ़ाने को अस्वीकार किया जा चुका है। इसलिये वर्तमान परिस्थितियो में इन आवेदको को और समय प्रदान करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो /विक्रम वाहनो की आवश्यकता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराकर आख्या प्राधिकरण की बैठक मे प्रस्तुत की जायेगी।

**संकल्प सं0–26** इस मद के अन्तर्गत हरिद्वार केन्द्र से जारी कलस्टर परमिटो के स्थान पर 25 कि0मी0 अर्द्वब्यास का परमिट जारी करने की अवधि बढाने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.14 में हरिद्वार के क्लटस्टर के ऑटो रिक्शा परमिट जारी किये गये थे। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 मे आवेदकों को क्लस्टर के स्थान पर हरिद्वार केन्द्र से 25 किमी0 अ़र्द्वब्यास के परमिट प्राप्त करने हेतु 02 माह का और समय प्रदान किया किया गया था। परन्तु कुछ आवेदकों के द्वारा

निर्धारित अवधि में अपने वाहन को जारी कलस्टर परमिट कार्यालय में जमा कर हरिद्वार केन्द्र से 25 कि0मी0 अर्द्वब्यास हेतु परमिट प्राप्त नही किया गया है।

अतः प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि हरिद्वार क्षेत्र के क्लस्टर के परमिट जमा कर हरिद्वार केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्वब्यास के परमिट प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने पर दिनांक 30.04.2018 तक परमिट जारी किये जायेगे।

**संकल्प सं0–27** इस मद के अन्तर्गत देहरादून–डोईवाला नगर बस सेवा मार्ग हेतु जारी परमिट सं0 पीएसटीपी–2104 के नवीनीकरण एंव परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु का मामला प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट सं0 पीएसटीपी–2104 का नवीनीकरण एंव परमिट पर उॅचे मॉडल की वाहन का प्रतिस्थापन करने हेतु निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर, रू0 10000/–प्रशमन शुल्क जमा करने पर दिनांक 30.04.2018 तक का समय प्रदान किया जाता है।

**संकल्प सं0–28** इस मद के अन्तर्गत देहरादून शहर में संचालित विक्रम टेम्पो वाहनो को स्टेज कैरिज परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। देहरादून विक्रम यूनियन के महासचिव एंव अन्य पदाधिकारी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा विक्रम वाहनो को स्टेज कैरिज के रूप मे संचालन हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत कर दिये गये है, जिन पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने की कृपा करें।

श्री विजयवर्धन ड़डरियाल, अध्यक्ष महानगर बस सेवा द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुये यह कहा गया कि विक्रम वाहनो को स्टैज सवारी गाडी परमिट जारी करना नियमों के विरूद्व है, इसलिये इन वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी नही किये जाये।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने पर संज्ञान मे आया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि विक्रम टैम्पो वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जायेंगे। देहरादून केन्द्र से 797 विक्रम वाहनों को परमिट जारी है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 में शासन द्वारा निर्मित 18 मार्गो पर इन वाहनो के संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके संदर्भ में मात्र 324 विक्रम टेम्पो परमिट धारको के द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किये गये है। यह आवेदन मात्र 10 मार्गो पर आये है, जिसमे भी किसी मार्ग पर आवेदनो की संख्या अत्यधिक है, तो किसी मार्ग पर बहुत कम है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है, कि शासन द्वारा निर्मित सभी 18 मार्गो पर परमिटो की संख्या निर्धारित करने हेतु संयुक्त सर्वेक्षण समिति से आख्या प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

**संकल्प सं0– 29** इस मद के अन्तर्गत ऋषिकेश केन्द्र से जारी (6+1) सीटर टैम्पो ठेका परमिट को (7+1) सीटर स्टेज कैरिज में परवर्तित करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान में ऋषिकेश केन्द्र से 25 कि0मी0 अर्द्वब्यास के लिये 434 विक्रम टैम्पो वाहनों का संचालन हो रहा है। मामले के सुनवाई के दौरान सम्बन्धित क्षेत्र के विक्रम टैम्पो वाहन यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित हुये, उनके द्वारा देहरादून शहर की तरह ऋषिकेश केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये स्टैज कैरिज मार्ग निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि ऋषिकेश शहर के विभिन्न मार्गों का संयुक्त सर्वेक्षण कराकर आख्या प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये कि विक्रम टैम्पो वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में किन–किन मार्गो पर किया जा सकता है।

**संकल्प सं0–30 (क)** इस मद में अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत जारी मैक्सी ठेका गाडी परमिट स0 3279 को सामान्य श्रेणी के व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया।

उक्त परमिट के धारक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व0 जसराम ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि वे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, जिसके लिये वे वाहन को उक्त परमिट सहित सामान्य श्रेणी के ब्यक्ति के नाम विक्रय करना चाहते हैं।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.3.2011 में श्री राजेन्द्र सिह पुत्र श्री जयराम नि0 ग्राम नम्बरपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून को अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत परमिट स0 मैक्सी 3279 वाहन स0 यू0के0–07टीए–4752 के लिये आई0एस0बी0टी0 से सेवलाकंला–गौतमकुण्ड –हरभजवाला–तुन्तोवाला–चोयला एंव सम्बन्धित मार्गो हेतु जारी कियाा गया है,

जिसकी वैधता 29.04.2021 तक है। प्राधिकरण ने उक्त परमिट जारी करते समय अन्य शर्तो के साथ निम्नलिखित शर्त आरोपित की गई है:–

*परमिट 03 वर्ष से पूर्व हस्तान्तरित नही किया जाएगा, तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जायेगा ।*

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि परमिट हस्तान्तरण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी यदि वाहन को सामान्य श्रेणी के ब्यक्ति को विक्रय करना चाहते हैं तो वाहन का परमिट निरस्त करने हेतु कार्यालय में जमा करने के पश्चात वाहन विक्रय कर सकते हैं।

**संकल्प सं0–30** (ख) (1) इस मद के अन्तर्गत मैक्सी परमिट सं0–3216 के नवीनीकरण हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। यह परमिट श्री मदन सोनकर के नाम पर सैन्य कॉलोनी– नीलकंठ बिहार– कालीदास चौक– सर्वेचौक– मातावाला बाग– कारगी आई0एस0बी0टी मार्ग हेतु जारी किया गया है। जिसकी वैधता दिनांक 07.04.2016 तक थी। परमिट धारक ने दिनांक 06.04.2016 को परमिट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिया था। परन्तु अन्य औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई थी।

प्रार्थी ने अपने पत्र दिनांक 27.08.2017 के द्वारा सूचित किया है कि उनके पिता जी की बीमारी के कारण परिवार में आर्थिक संकट आ जाने के कारण वह अपने परमिट का नवीनीकरण नही करा पाये है। अब उनके परमिट का नवीनीकरण कर दिया जाये।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि रू0 5000/– प्रशमन शुल्क के साथ परमिट के नवीनीकरण की स्वीकृती प्रदान की जाती है। स्वीकृत नवीनीकरण समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक प्राप्त किया जा सकता है।

(2) इस मद के अन्तर्गत मैक्सी कैब परमिट सं0 3232 के नवीनीकरण का मामला प्रस्तुत किया गया है। यह परमिट आई0एस0बी0टी0– शिमला बाईपास–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चोयला– परेडग्राउन्ड मार्ग हेतु वाहन स0 यू0के0–07टीए–4648 पर जारी किया गया था। जिसकी वैधता दिनांक 14.04.2016 थी। परमिट धारक ने दिनांक 16.10.17 को परमिट के नवीनीकरण हेतु

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये सूचित किया है कि वे अपनी बीमारी एंव अन्य परिवारिक परिस्थितियो के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं करा पाये हैं। उन्होंने ने परमिट के नवीनीकरण करने का अनुरोध किया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि रू0 5000/– प्रशमन शुल्क के साथ परमिट के नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत नवीनीकरण समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक प्राप्त किया जा सकता है।

(3) इस मद के अन्तर्गत सुशील कुमार यादव के परमिट स0 टैम्पो–4438 का नवीनीकरण करने एंव परमिट पर नई वाहन प्रतिस्थापन हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। परमिट स0 टैम्पो–4438 डोईवाला केन्द्र के लिये दिनांक 02.07.2017 तक जारी किया गया था। परमिट धारक द्वारा परमिट पर नई वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु दिनांक 04.03.2016 को आवेदन किया गया था। प्रार्थी ने सूचित किया है कि प्रार्थी को नया वाहन न मिलने एवं अस्वस्थ रहने के कारण, वे परमिट पर नई वाहन का प्रतिस्थापन नही करा पाये है। उन्होनें परमिट का नवीनीकरण एंव वाहन पर नई वाहन लगाने हेतु और समय प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि परमिट स0 टैम्पो–4438 का नवीनीकरण करने एंव परमिट नई वाहन प्रतिस्थापन करने हेतु रू0 5000/– प्रशमन शुल्क के साथ परमिट के नवीनीकरण की स्वीकृती प्रदान की जाती है। स्वीकृति नवीनीकरण/प्रतिस्थापन समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक किया जा सकता है।

(4) इस मद के अन्तर्गत श्री मन बहादुर को जारी रूड़की केन्द्र के टैम्पो परमिट सं0 4985 के नवीनीकरण का मामला प्रस्तुत किया गया है। परमिट धारक के भाई सर्वश्री धनबहादुर, श्री गंगा बहादुर, श्री पद्म बहादुर पुत्रगण स्व0 श्री लाल बहादुर निवासी खंजरपुर रूड़की जिला हरिद्वार के द्वारा सूचित किया गया है कि मन बहादुर उर्फ गप्पू दिनांक 22.05.2015 से लापता है। भाई के लापता होने के समय वह अविवाहित था। परमिट धारक के गुम हो जाने के उपरान्त वाहन की देखभाल उनका छोटा भाई श्री पदम बहादुर कर रहा है। परमिट धारक के गुम हो जाने के कारण प्रार्थी गण जो कि श्री मन बहादुर के सगे भाई है। कानूनी जायज वारिस हैं। उन्होने उपरोक्त टैम्पो परमिट के नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रार्थी गण सम्बन्धित विभाग से परमिट धारक के वारिसान के सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात के पंजीयन अधिकारी से वाहन का हस्तान्तरण कराने के उपरान्त परमिट के हस्तान्तरण/नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

(5) इस मद के अन्तर्गत परमिट स0 ऑटो–6752 के हस्तान्तरण एवं नवीनीकरण के मामले को प्रस्तुत किया गया है। यह परमिट श्री सुभाष चन्द के नाम से ऋषिकेश केन्द्र के लिये जारी किया गया था। जो दिनांक 01.01.2015 तक वैध था तथा इसके अन्तर्गत वाहन सं0 यूके07पीसी 0870 संचालित हो रही थी। परमिट धारक की पत्नी श्रीमती रेखा देवी ने सूचित किया है कि उनके पति की दिनांक 03.04.2013 को मृत्यु हो गयी थी। उन्होंने उक्त परमिट का हस्तान्तण अपने नाम करने तथा परमिट का नवीनीकरण करने की प्रार्थना की है। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश के पत्र दिनांक 10.07.2015 के अंनुसार श्री सुभाष चन्द की मृत्यु दिनांक 03.04.2013 को हो चुकी है। उनके उत्तर जीवी निम्नवत हैः–

1. श्रीमती रेखा देवी – पत्नी
2. कु0 पूजा – 15 पुत्री
3. कु0 शिल्पा – 8 पुत्री
4. अंश – 3 पुत्री

श्रीमती रेखा देवी ने इस आशय का शपथ पत्र दिया है कि यदि भविष्य में परमिट हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होता है। उसकी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि ऋषिकेश के केन्द्र के परमिट स0 ऑटो–6752 का नवीनीकरण करने एंव तथा परमिट का हस्तान्तरण श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व0 सुभाष चन्द, सर्वहारा नगर, ऋषिकेश के नाम रू0 5000/– प्रशमन शुल्क जमा कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक किया जा सकता है।

(6) इस मद के अन्तर्गत हरिद्वार केन्द्र के ऑटो रिक्शा–5602 के नवीनीकरण एंव हस्तान्तरण का मामला प्रस्तुत किया गया है। यह परमिट वाहन सं0 यू0के0–08टीए–0596 के लिये श्री राम बाबू पुत्र श्री मंगल सिंह पहाडी बाजार, कनखल, हरिद्वार के नाम पर

जारी था, जो दिनांक 01.08.2014 को समाप्त है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण के अनुसार श्री राम बाबू की मृत्यु दिनांक 08.11.2016 को हो गयी थीं परमिट धारक की पत्नी श्रीमती भगवान देवी ने सूचित किया है कि उनके पति की मृत्यु गम्भीर बीमारी से पीडित होने के कारण हो गयी है। जिस कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त परमिट को नवीनीकरण कर परमिट उनके नाम हस्तान्तरण करने की कृपा की जाये।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि रू0 5000/– प्रशमन शुल्क के साथ परमिट के नवीनीकरण/हस्तान्तरण की स्वीकृती प्रदान की जाती है। स्वीकृति नवीनीकरण/हस्तान्तरण की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक किया जा सकता है।

(7) इस मद के अन्दर्गत हरिद्वार केन्द्र के परमिट सं0 ऑटो–7264 का हस्तान्तरण एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया है। उक्त परमिट रेशमा पुत्री श्री मोबिन अहमद मौ0 चौहानाना, कस्सावान, ज्वालापुर, हरिद्वार के नाम पर जारी था, जिस पर वाहन स0 यू0के0–08टीए–1187 ऑटो संचालित थी। परमिट की वैधता दिनांक 10.03.2015 को समाप्त हो गयी थी। परमिट धारक के भाई मोहसीन पुत्र श्री मोबिन अहमद, सूचित किया है कि उनकी बहन की आकसमिक मृत्यु हो जाने के कारण वे परमिट का नवीनीकरण एंव हस्तान्तरण नहीं करा पाये। उन्होनें जिलाधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक सदस्यों के सत्यापन का प्रमाण संलग्न कर अनुरोध किया है कि परमिट का नवीनीकरण करने तथा परमिट उनके नाम हस्तान्तरण करने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है परमिट का नवीनीकरण तथा परमिट का हस्तान्तरण श्री मोहसीन पुत्र श्री मोबिन अहमद के नाम रू0 5000/– प्रशमन शुल्क जमा कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक किया जा सकता है।

(8) इस मद के अन्तर्गत हरिद्वार केन्द्र के टैम्पो परमिट सं0 2850 पर ऊचे मॉडल की वाहन का प्रतिस्थापन करने हेतु समय सीमा बढाये जाने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। यह परमिट श्री करन पुत्र श्री राजपाल 572 सराय, ज्वालापुर, हरिद्वार के नाम जारी किया गया था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.03.2016 में अन्य प्रार्थना के पत्रों के साथ प्रार्थी के परमिट के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर रू0 7500/– प्रशमन शुल्क के रूप जमा कराने पर परमिट का नवीनीकरण करने के आदेश दिये गये थे। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 15.06.2016 को परमिट के नवीनीकरण एंव प्रशमन शुल्क जमा कराया गया था। साथ ही उनके द्वारा परमिट पर नई वाहन का प्रतिस्थापन करने हेतु 02 माह का समय लिया गया था।

परन्तु परमिट धारक ने अपने पत्र दिनांक 16.02.18 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी पैरालाइज बीमारी से ग्रसित होने के कारण वे वाहन का प्रतिस्थापन नहीं करा पाये हैं। उनके द्वारा नई वाहन लगाये जाने हेतु समय बढाने का अनुरोध किया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि प्रार्थी द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक नई वाहन का प्रतिस्थापन किया जा सकता है।

(9) इस मद के अन्तर्गत श्री धीरज कुमार के मैक्सी परमिट सं0–4127 के नवीनीकरण का मामला प्रस्तुत किया गया है। उक्त परमिट बिष्ट गॉव–गाजियावाला– सप्लाई– सैनिक अस्पताल– थाना कैन्ट– बल्लुपुर रोड– बल्लीवाला– से शिमला बाईपास– आई0एस0बी0टी0 मार्ग हेतु वाहन सं0 यू0के0–07टीए–5488 पर जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 07.12..2016 मे समाप्त हो गयी है। परमिट धारक ने सूचित किया है कि अज्ञानता के कारण परमिट का नवीनीकरण नही करा पाये थे, उनके ,द्वारा पुनः परमिट नवीनीकरण हेतु प्रार्थना की है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि रू0 5000/– प्रशमन शुल्क के साथ परमिट के नवीनीकरण की स्वीकृती प्रदान की जाती है। स्वीकृति नवीनीकरण समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक किया जा सकता है।

(10) इस मद के अन्तर्गत श्री भगतराम पुत्र श्री विशनलाल हरिपुर कला, मोतीचूर रायवाला, देहरादून को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक 10.09.2014 में स्वीकृत हरिद्वार केन्द्र के ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने सूचित किया है कि स्वीकृति पत्र के आधार पर उन्होंने ऑटो रिक्शा वाहन सं0 यूके 14टीए 0298 पंजीकृत करा ली थी। परन्तु लम्बी बीमारी के कारण परमिट प्राप्त नहीं करा सके।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि रू0 5000/– के साथ श्री भगत राम को हरिद्वार केन्द्र का ऑटो रिक्शा परमिट प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत परमिट समस्त औपचारिकताये ंपूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक प्राप्त किया जा सकता है।

**संकल्प सं0 31**– इस मद के अन्तर्गत स्थायी विक्रम टैम्पो/ऑटो रिक्शा परमिटो के नवीनीकरण का मामला प्रस्तुत किया गया है। मद में उल्लेखित सभी परमिटों के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र 01 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्राप्त हुये है, प्रार्थियो द्वारा नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अपने परमिटो का नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान कुछ परमिट धारक अथवा उनके प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये उनके द्वारा अवगत कराया कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि परमिट को 05 वर्ष में नवीनीकरण कराना है। अज्ञानतावश उनसे भूल हुई है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके परमिटों का नवीनीकरण कर दिया जाये।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के समक्ष के समक्ष अन्य परमिट धारकों ने उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि उन्होंने भी उपरोक्तानुसार अपने परमिटों के नवीनीकरण के आवेदन किया था। परन्तु मद में उनका नाम उल्लेखित नहीं है। उनके द्वारा भी अपने परमिटों के नवीनीकरण करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राधिकरण ने मामले में विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद में उल्लेखित समस्त परमिट धारको एंव अन्य ऐसे मामले जिनका नवीनीकरण समाप्त हुये 01 वर्ष से अधिक हो गया है एंव प्राधिकरण की इस बैठक से पूर्व 05 वर्ष नहीं हुये हैं। उन सभी परमिटों का नवीनीकरण रू0 5000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर स्वीकृत किया जाता है। समस्त औपचारिकताये पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक परमिटों का नवीनीकरण किया जायेगा।

**संकल्प सं0 32–(क)** इस मद के अन्तर्गत परमिट सं0 टैम्पो 5149 का हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। उक्त परमिट वाहन सं0 यूके 07टीए 3273 के लिये दिनांक 31.01.2012 को श्री संजीव पुत्र श्री के0डी0 सिंह निवासी– पुरनी ऋषिकेश रोड, शेखूपूरा कनखल, हरिद्वार के नाम जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 30.01.2017 को समाप्त हो चुकी है। श्री सन्दीप कुमार बक्शी पुत्र श्री परसराम निवासी– गॉव दिनारपुर पो0 सुभाषगढ, जिला– हरिद्वार ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2018 के द्वारा सूचित किया है कि वाहन सं0 यू0के0 टीए 3273 व परमिट सं0 5149 द्वितीय पक्ष संजीव कुमार पुत्र श्री के0डी0 सिंह निवासी– पुरानी ऋषिकेश रोड शेखपुरा, कनखल हरिद्वार से खरीदा था मगर द्वितीय पक्ष संजीव कुमार का वाहन फाईनेन्स था जिसका फाईनेन्सर से लेन दने पर विवाद था जिस कारण वाहन द्वितीय पक्ष के नाम ट्रांसफर नही हो पाया उस समय वाहन ट्रासंफर के

सम्पूर्ण कागजात स्टाम पेपर तैयार कर लिये थे मगर फाईनेसर से विवाद होने के कारण एनओसी प्राप्त नही हो सकी थी जिससे यह वाहन पहले ट्रांसफर नही हो सका अब फाईनेन्सर से एनओसी प्राप्त हो चुकी है तथा हरिद्वार कार्यालय में यह वाहन ऋण मुक्त हो चुका है। इसी बीच द्वितीय पक्ष अपना निवास स्थान छोडकर कही अन्य जगह जा चुका है। काफी खोज करने के बाद भी द्वितीय पक्ष से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है इस वाहन का परमिट का नवीनीकरण भी होना है तथा परमिट ट्रांसफर भी होना है। प्रार्थी के वाहन का संचालन नहीं हो पा रहा है जिस कारण प्रार्थी बेरोजगार हो चुका है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि परमिट धारक की उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु श्री सन्दीप कुमार बक्शी के आवेदन पर दो स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि उक्त परमिट हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति है तो सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को सूचित करें, इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा परमिट धारक के पते पर पंजीकृत डाक से पावती सहित आपत्ति के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया जायेगा। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो रू0 5000.00 शास्ति के साथ सचिव के द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर परमिट नवीनीकरण/हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

**संकल्प सं0 32–(ख)** इस मद में परमिट सं0 ऑटो– 7212 का हस्तान्तरण /नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। उक्त परमिट वाहन सं0 यू0के0–08टीए–1178 के लिये श्री शिवकुमार पुत्र श्री सीया सिंह, पहाडी बाजार कनखल हरिद्वार के नाम जारी किया गया है। जिसकी वैधता दिनांक 0703.2015 को समाप्त हो गयी है।

श्री सलमान पुत्र श्री शरीफ अहमद ने निवेदन किया है उन्होंने वाहन स0 यू0के0–08टीए–1178 जो परमिट स0 ऑटो–7212 पर संचालित थी को श्री शिवकुमार पुत्र श्री सीया सिंह पहाडी बाजार कनखल हरिद्वार से दिनांक 01.10.2016 में क्रय किया गया था। लेकिन फाईनेसर से विवाद होने के कारण वाहन एवं परमिट हस्तान्तरण नही हो पाया। वर्तमान मे परमिट धारक श्री शिवकुमार अपने निवास पर उपलब्ध नही हो पा रहे है, जिस कारण से वाहन /परमिट हस्तान्तरण एवं परमिट नवीनीकरण की कार्यवाही नही हो पा रही है। परमिट की वैधता दिनांक 07.03.2015 मे समाप्त हो चुकी है, जबकि वाहन उनके घर पर खड़ा है । उनके द्वारा निवेदन किया गया है, कि उनकी आर्थिक स्थिती को देखते हुये, परमिट को उनके नाम पर हस्तान्तरण एवं नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाये ।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि परमिट धारक की उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु श्री सलमान के आवेदन पर दो स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि उक्त परमिट हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सचिव द्वारा परमिट धारक के पते पर पंजीकृत डाक से पावती सहित आपत्ति दर्ज करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो रू0 5000.00 शास्ति के साथ सचिव के द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर परमिट नवीनीकरण/हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

**संकल्प सं0 32–(ग)** इस मद के अन्तर्गत ऑटो परमिट सं0 7509 का हस्तान्तरण/नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। उक्त परमिट वाहन स0 यू0के0–08टीए–1243 के लिये श्री राजपाल पुत्र श्री बुल्लन सिह 749 भूपतवाला, हरिद्वार को जारी किया गया है।

श्री अतीक अहमद पुत्र श्री शरीफ अहमद ने निवेदन किया है कि वाहन स0 यू0के0–08टीए–1243 जो परमिट स0 ऑटो–7509 पर संचालित है, उनके द्वारा श्री राजपाल पुत्र श्री बुल्लन सिह 749 भूपतवाला, हरिद्वार से क्रय की गई थी। लेकिन फाईनेसर से विवाद होने के कारण उनकी वाहन एवं परमिट हस्तान्तरण नही हो पायी। जबकि वाहन के ट्रासफर के कागजात पूर्व मे तैयार किये जा चुके थे। वर्तमान मे परमिट धारक राजपाल का पता नही है, काफी खोजबीन भी कर चुके है, वाहन स्वामी हरिद्वार छोड़कर जा चुके है। जबकि परमिट की वैधता दिनांक 19.3.2015 में समाप्त हो चुकी है। उन्होंने निवेदन किया गया है कि उनकी आर्थिक स्थिती को देखते हुये, उनके परमिट हस्तान्तरण एवं नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाये।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि परमिट धारक की उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु श्री अतीक अहमद के आवेदन पर दो स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि उक्त परमिट हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सचिव द्वारा परमिट धारक के पते पर पंजीकृत डाक से पावती सहित आपत्ति दर्ज करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। यदि आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो रू0 5000.00 शास्ति के साथ सचिव के द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर परमिट नवीनीकरण/हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

**संकल्प सं0–33** इस मद के अन्तर्गत टैम्पो परमिट सं0 3027 पर नई वाहन के प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। श्री बलराम पुत्र श्री गया सिहं के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2017 के द्वारा निम्न निवेदन किया गया है ''प्रार्थी के नाम पर परमिट सं0 टैम्पो–3027 रूडकी केन्द्र के लिये जारी है। परमिट की वैधता दिनांक 17.05.2011 में समाप्त हो गई थी। परमिट के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.3.2016 में अनुमति प्राप्त होने के उपरांत परमिट के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया था, तथा इस परमिट पर संचालित वाहन स0 यू0पी0–07सी–3151 के स्थान पर नई वाहन के प्रतिस्थापन हेतु अनुरोध किया गया था।

श्री बलराम के द्वारा परमिट के नवीनीकरण के साथ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये शास्ति रू0 7500/– दिनांक 16.05.2016 मे जमा करा दिये गये थे। कार्यालय द्वारा परमिट स0 टैम्पो–3027 पर नई वाहन के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 16.05.2016 में 02 माह का समय प्रदान किया गया था। परन्तु प्रार्थी के द्वारा वाहन का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध मे उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि कि पैसों का इंतजाम नही होने के कारण वे वाहन क्रय नही कर पाया था, इसके पश्चात यूरो–3 वाहन का पंजीयन बन्द हो गया, और विक्रम वाहन यूरो–4 मार्केट मे न आने के कारण मै वाहन क्रय नही कर पाये। वर्तमान में प्रतिस्थापन प्राप्त किये हुये 01 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। जिस कारण से उनके परमिट पर नई वाहन का प्रतिस्थापन नही हो पा रहा है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री बलराम को उनके परमिट सं0 टैम्पो 3027 पर नई वाहन लगाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत परमिट समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक नई वाहन पर प्राप्त किया जा सकेगा।

**संकल्प सं0–34** इस मद के अन्तर्गत ऑटो परमिट स0 4067 के नवीनीकरण हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। श्री अकबर पुत्र श्री रहमत निवासी 43 गॉधी रोड देहरादून के नाम पर परमिट सं0 ऑटो–4067 देहरादून केन्द्र जारी था, जिसकी वैधता दिनांक 21.05.2004 को समाप्त हो चुकी थी। श्री रहमत द्वारा आवेदन किया गया है, कि '' मेरी दुर्घटना होने के कारण मेरे पैर मे चोट लग गयी थी, और मै चलने फिरने के लायक नही रहा था, इसी वजह से परमिट का नवीनीकरण नही करा सका था, कृपया मेरे ऑटो रिक्शा परमिट का नवीनीकरण करने की कृपा करें ।''

प्राधिकरण ने उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त परमिट की वैधता समाप्त हुये लगभग 13 वर्ष से अधिक का समय ब्यतीत हो गया है। अतः अब परमिट का नवीनीकरण किया जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः श्री अकबर के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

**संकल्प सं0– 35–** इस मद के अन्तर्गत Battery Operated Three Wheeler passanger Carrier (1- **VIDHUT-P1 Battery Operated Three Wheeler passanger 2- ET Uvraj 3w BEV-L5M,Categary-L5M,Passanger Vehicle**) -L5M, 03+1, 04+1 Seats को ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा वाहन का निरीक्षण कर पंजीयन हेतु अनुमोदन किया गया है तथा यह शर्त आरोपित की गई है कि यह वाहन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–66 की उपधारा(1) में दी गई है व्यवस्थानुसार परमिट के आच्छॉदित होगी।

उपरोक्त प्रकार के बैटरी चालित ऑटो रिक्शा वाहनों के परमिटों हेतु प्राप्त 33 आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट–छ में दिया गया है। बैटरी चालित वाहनें वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण रहित हैं। बैठक में प्राधिकरण को अवगत कराया गया है कि इन वाहनों को संचालन ह्वेतु प्राथमिकता दी जाये। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि चूकिः बैटरी चालित वाहनों से ध्वनि प्रदूषण अथवा वायु प्रदूषण नहीं होता है। उक्त प्रकार की वाहनों को बढावा दिया जाना चाहिये। अतः मद में उल्लेखित सभी प्रार्थियों को एक–एक ऑटो रिक्शा परमिट सामान्य शर्तों के साथ 05 वर्ष की अवधि के लिये देहरादून केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्वब्यास के लिये (पहाडी मार्गों को छोडकर) स्वीकृत जाते हैं। स्वीकृति परमिट वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.04.2018 तक जारी किये जायेंगे।

प्राधिकरण ने देहरादून नगर मे बढते प्रदूषण की समस्या को ध्यान मे रखते हुये, देहरादून केन्द्र से संचालित सभी ऑटो रिक्शा वाहनो के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है कि दिनांक 01.05.2018 के पश्चात डीजल/पेट्रोल से संचालित सभी ऑटो रिक्शा वाहनो का प्रतिस्थापन केवल बैटरी चालित वाहन से ही अनुमन्य किया जायेगा।

**संकल्प सं0–36** (1) इस मद के अन्तर्गत देहरादून केन्द्र से संचालित ऑटो रिक्शा वाहनो में किराये का मीटर लगाने तथा इन वाहनों का मार्ग 25 किमी0 से 40 कि0मी0 किये जाने का मामला प्रस्तुत किया गया है। ऑटो रिक्शा वाहनों का संचालन 40 किमी0 करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.16 पारित आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून को आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उन्होंने सूचित किया है कि देहरादून शहर में निकटवर्ती शहरी क्षेत्र डोईवाला, सेलाकुई, क्लेमेन्टाउन, रायपुर आदि ऑटो रिक्शा हेतु निर्धारित 25 किमी0 की परिधि में आते हैं। उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इन वाहनों का संचालन क्षेत्र बढाने से अन्य वाहनों के साथ पारिस्पिरिक प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि ऑटो रिक्शा वाहनों के संचालन क्षेत्र को 40 किमी0 अर्द्वव्यास बढाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः ऑटो रिक्शा वाहनों के सचांलन क्षेत्र बढाये जाने के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

(2) ऑटो रिक्शा वाहनो में किराये का मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में आदेश पारित किये गये थे कि राज्य परिवहन प्राधिकरण को स्थिति से अवगत कराते हुये निवेदन किया जाये कि आटो रिक्शा वाहनों के किराये में वृद्वि इस शर्त के साथ की जाये कि वाहनों में किराये का मीटर लगाना अनिवार्य होगा। प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड को कार्यालय के पत्र सं0 16.12.11 के द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के आदेशों से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया था। राज्य परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 23.09.13 द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनों की किराये की दरें निर्धारित की गई है। परन्तु इन वाहनों पर किराये के मीटर लगाये जाने की शर्त अधिरोपित नहीं की गई है।

अतः विभिन्न माध्यमो से ऑटो रिक्शा वाहनो के द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया लेने की प्राप्त शिकायतो पर विचार करते हुये प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि दिनांक 01.05.2018 से सभी केन्द्रो से संचालित ऑटो रिक्शा वाहन पर किराया मीटर लगाया जाना अनिवार्य किया जाता है। इन वाहनो का स्वस्थता एवं परमिट सम्बन्धी कोई भी कार्य करने से पूर्व वाहन मे किराया मीटर लगा होना अनिवार्य होगा ।

**संकल्प सं0 –37** इस मद के अन्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित ऑटो रिक्शा वाहनो के रंग निर्धारण के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया है कि ऋषिकेश क्षेत्र में 05 ऑटो रिक्शा वाहनों को का चयन किया गया है जिनमें ऑटो चालक का सत्यापन कर, इन वाहनों मे जीपीएस लगाये जाने की व्यवस्था एंव ऑटो रिक्शा की गतिविधियो पर नजर रखने के लिये सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने इन वाहनों का रंग लाल किये जाने का अनुरोध किया है।

ऑटो रिक्शा वाहन टैक्सी कैब श्रेणी की वाहन है। मोटरगाडी अधिनियम में इन वाहनों के रंग का निर्धारण पूर्व से ही किया गया है। उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली में प्राविधान है कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा संचालित वाहनों में लाल रंग प्रयोग किया जायेगा।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद में उल्लेखित 05 वाहनों को वर्तमान रंग संयोजन के साथ ही वाहन की बाडी में चारो ओर 04 इंच की लाल पटटी लगाई जायेगी।

**संकल्प सं0 38–** इस मद के अन्तर्गत टाटा कम्पनी द्वारा निर्मित मॉडल टाटा मैजिक एक्सप्रेस वाहन को मैक्सी कैब परमिट जारी/स्वीकृत करने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। टाटा मैजिक एक्सप्रेस वाहन चालक सहित 08 सीटर, बन्द बॉडी वाहन है तथा वाहन में 02 सिलेन्डर है। इस वाहन का संचालन पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। यह वाहन केवल मैदानी मार्गों पर ही संचालन हेतु उपयुक्त है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि टाटा मैजिक एक्सप्रेस वाहनों को उदार नीति के अन्तर्गत ठेका गाडी परमिट जारी किये जाते हैं तो इन वाहनों का अनाधिकृत रूप से संचालन होने की संभावना बनी रहेगी। इन वाहनों को परमिट केवल मैदानी मार्गो पर ठेका गाडी परमिट पर संचालन की अनुमति प्राधिकरण द्वारा बैठक में प्रदान की जायेगी। प्राधिकरण की बैठक से पूर्व यदि किसी आवेदक द्वारा ठेका परमिट हेतु आवेदन किया है, तो उस पर परमिट की स्वीकृति प्रदान की जाती है । यदि किसी आवेदक द्वारा मैदानी मार्गो पर नई स्थाई सवारी गाडी परमिट/पीपीआरएस परमिट स्वीकृति पर या स्थाई सवारी गाडी/ठेका गाडी परमिट/पीपीआरएस परमिटों पर संचालित वाहनों के स्थान पर उक्त प्रकार की वाहनों से प्रतिस्थापन हेतु आवेदन किया जाता है तो उनको सचिव द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

**संकल्प सं0– 39** –इस मद के अन्तर्गत निजी संचालको द्वारा संचालित स्कूल वैन वाहनो के रंग निर्धारण के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 04.12.2013 में इन वाहनों के लिये सफेद रंग तथा चारों ओर मध्य में 150 एमएम चौडी पीले रंग की पटटी निर्धारित की गई थी। परन्तु उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली में शिक्षण संस्था एंव स्कूल कैब के लिये पीला रंग का प्राविधान है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मोटरयान नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शिक्षण संस्था और स्कूल कैब को पीला रंग मे रंगा जायेगा।

**संकल्प सं0 40–** इस मद के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों/स्कूल बस परमिट से आच्छादित वाहनों पर शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मद में उल्लेखित तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात प्राधिकरण ने शिक्षण संस्थानों में संचालित स्कूल बसों के परमिटों पर निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित करने के आदेश पारित किये हैं।

1– यान का उपयोग केवल परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग या मार्गो पर किया जायेगा ।

2– यान मे ले जाये जा रहे किसी व्यक्ति से कोई किराया वसूल नही किया जायेगा और न ही यान के प्रचालन और अनुरक्षण पर उपगत या उपगत किये जाने के लिये सम्भाव्य व्यय या उसके किसी भाग को ऐसे भाग को ऐसे व्यक्ति से किसी भी रीति से वसूल नही किया जाएगा।

3– परमिट धारक यान के सामने छत के स्तर पर लगाए गए पट्टे या प्लेट पर सफेद आधार पर काले अक्षरो मे कम से कम 10 सेन्टीमीटर की उचॉई के शब्द '' प्राईवेट सेवायान'' सुपाठ्य रूप में प्रदर्शित करेगा ।

4– परमिट से आच्छॉदित यान मे ऐसे व्यक्तियों की जिन्हे यान में ले जाया जा सकता है, अधिकतम संख्या से अधिक नही होगी और सामान जो ले जाया जा सकता है, अधिकतम भार से अधिक नही होगा ।

5– यान की सुख–सुविधा, स्वच्छता और अनुरक्षण का मानक जैसा कि मोटरयान अधिनियम 1988 या तद्धीन बनाये गये नियमों में सार्वजनिक सेवा यान के लिए विनिर्दिष्ट है, यान में बनाए रखा जाएगा ।

6– यान मे किसी विषय में सम्बन्धित कोई विज्ञापन साधारणतया प्रदर्शित नही किया जायेगा। फिर भी परमिट धारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा अनुज्ञा–पत्र जारी किया गया हो, लिखित अनुज्ञा से और उसके ,द्वारा विनिर्दिष्ट

रीति से येान पर ऐसे विषयो से सम्बन्धित विज्ञापन प्रदर्शित कर सकता है, जो उसके कारबार से, जिसके लिये परमिट प्राप्त किया गया है। सीधे सम्बन्धित हो।

7– कोई टेलीविजन सेट या वीडियो या रेडिया या टेपरिकार्डर के प्रकार को इ यंत्र यान के डैश बोर्ड पर नही लगाया जाएगा और न उस पर या उसके निकट रखा जाएगा, और न ड्राईवर की ऑखो के सामने रखा जायेगा ।

8– परमिट धारक परमिट को किसी चमकदार शीशे क फ्रेम में ले जाएगा या यान के मध्य में ले जाए जा रहे या लगाए एक अन्य उपयुक्त आधान(कन्टेनर) में ऐसे ढ़ग से ले जायेगा, जिससे कि वह स्वच्छ और पठनीय दशा में बना रहे और किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिये शीघ्र उपलब्ध हो सके ।

9– परमिट धारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया है, ऐसी नियतकालिक, विवरणियां, सास्यिकीय और अन्य सूचना जैसा राज्य सरकार समय–2 पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा ।

10– परमिट धारक निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा–

(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–84 के अधीन विहित शर्ते और अधिनियम के अन्य उपबन्ध, जहॉ तक वे परमिट धारक पर लागू होते, हों,

(दो) ऐसी अन्य कोइ शर्त या शर्ते जिसे या जिन्हे राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

11– ऐसा परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया हे, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात परमिट शर्तो में परिवर्तन कर सकता है या उसमें कोई अग्रतर शर्ते बढा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड बाल संरक्षण आयोग द्वारा सुझाये गये निम्नलिखित सुझावों को शिक्षण संस्थानों में संचालित होने वाली वाहनों पर अधिरोपित किया जाता हैः–

1– वाहन के चालक को कम से कम 05 वर्ष का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना आवश्यक है, साथ ही चालक का पुलिस वैरीफिकेशन कराया जाना भी आवश्यक है।

2– यदि वाहन चालक का एक बार ओवर स्पीड, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने एवं शराब का सेवन कर वाहन चलाने के अपराध में चालान हुआ है तो ऐसा चालक स्कूल बस के संचालन हेतु प्रतिबन्धित होगा।

3– कोई भी स्कूल बस बिना योग्य कण्डक्टर के नहीं चलाया जायेगा। कण्डक्टर की योग्यता केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार हो।

4– स्कूल वाहन को परिवहन विभाग के द्वारा निर्धारित गति सीमा के अनुसार चलाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वाहन पर स्पीड गर्वनर लगाना होगा।

5– प्रत्येक स्कूल वाहन में सुरक्षा की दृष्टि से बन्द दरवाजा लगा होना आवश्यक है, खुले दरवाजे वाले स्कूल वाहन पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

**संकल्प सं–41** इस मद के अन्तर्गत स्थाई सवारी गाडी परमिटों का नवीनीकरण करने तथा परमिटों पर वाहन प्रतिस्थापन करने का मामला प्रस्तुत किया गया है।

(1) इस मद में श्री पंकज कुमार के कुर्ली–लक्सर– रूड़की एंव सम्बद्व मार्ग के स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 पीएसटीपी–905 के नवीनीकरण करने तथा परमिट पर वाहन सं0 यू0के0–17पीए– 0145 माडॅल 2006 प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। यह परमिट दिनांक 08.10.2015 को समाप्त हो गया था। परमिट धारक ने सूचित किया है कि वह वाहन की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं करा पाये हैं। परमिट धारक ने निवेदन किया है कि अब उनके द्वारा वाहन क्रय कर वाहन अपने नाम पर पंजीकृत करा ली गई है। अतः परमिट के नवीनीकरण करने तथा वाहन प्रतिस्थापन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि रू0 5000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर परमिट का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत नवीनीकरण/प्रतिस्थापन औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक की जायेगी।

(2) इस मद के अन्तर्गत श्री कलीम अहमद के कुर्ली–लक्सर–रूड़की एवं सम्बद्व मार्गो के परमिट सं0 पीएसटीपी–1776 के नवीनीकरण का मामला प्रस्तुत किया गया है। यह परमिट दिनांक 22.04.2015 है तथा इस पर वाहन सं0 यूए08ए 9286 संचालित थी।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि रू0 5000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर परमिट का नवीनीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति नवीनीकरण औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक प्राप्त किया जायेगा।

(3) इस मद के अन्तर्गत परेडग्राउन्ड– प्रेमनगर– परवल मार्ग हेतु जारी परमिट सं0 पी0एस0टी0पी–2135 का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर नई वाहन प्रतिस्थापन करने का मामला प्रस्तुत किया था। उक्त परमिट दिनांक 29.12.2015 तक वैध था तथा परमिट धारक द्वारा दिनांक 22.5.2015 को वाहन वाहन प्रतिस्थापन हेतु अनुमति प्राप्त की गई थी। परमिट धारक ने परमिट का नवीनीकरण करने तथा ऊच्चे मॉडल की वाहन लगाने का अनुरोध किया है।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि रू0 2000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर परमिट का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर ऊच्चे माडल की वाहन प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत नवीनीकरण औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक प्राप्त किया जायेगा।

(4) इस मद के अन्तर्गत बंजारावाला– गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग के परमिट सं0 पीएसटीपी–1837 का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर ऊच्चे माडॅल की वाहन लगाने हेतु मामला प्रस्तुत किया है। यह परमिट दिनांक 16.07.16 तक वैध था तथा परमिट धारक ने परमिट पर ऊच्चे माडॅल की वाहन लगाने हेतु दिनांक 28.07.2016 को प्रतिस्थापन की आज्ञा प्राप्त की थी। परमिट धारक ने परमिट का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर ऊच्चे माडॅल की वाहन लगाये जाने का अनुरोध किया है।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि रू0 2000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर परमिट का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर ऊच्चे माडल की वाहन प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत नवीनीकरण औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक प्राप्त किया जायेगा।

(5) इस मद के अन्तर्गत देहरादून–माजरा–धर्मावाला–विकासनगर मार्ग के स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 पीएसटीपी–1720 के नवीनीकरण करने तथा परमिट पर वाहन सं0 यूके 16 पीए 1782 माडॅल 2017 लगाने हेतु मामला प्रस्तुत किया है। यह परमिट दिनांक 06.01.2018 तक वैध था। परमिट पर उॅचे माडल की वाहन प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 08.11.2016 को अनुमति प्राप्त की गई

थी। परमिट धारक ने दिनांक 15.12.2017 को ऊच्चे माडॅल की वाहन लगाने का आवेदन किया गया था परन्तु वाहन का प्रतिस्थान लिये हुये 01 वर्ष से अधिक समय हो जाने के कारण प्रार्थी की वाहन को 02 माह का अस्थाई परमिट जारी किया गया है।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि रू0 5000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर परमिट का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर ऊच्चे माडल की वाहन प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत नवीनीकरण औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक प्राप्त किया जायेगा।

**संकल्प सं0 42** इस मद के अन्तर्गत कुलड़ी–लक्सर– रूड़की हेतु श्री अतुल कुमार को जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–2032 के नवीनीकरण एवं वाहन प्रस्थिापन हेतु समय बढाने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। उक्त परमिट की वैधता दिनांक 08.07.2014 तक थी। रू0 5000.00 प्रश्मन शुल्क जमा करने पर परमिट पर उॅचे मॉडल की वाहन का प्रतिस्थापन एवं परमिट नवीनीकरण दिनांक 31.05.2017 तक करने की स्वीकृति दी गयी थी।

प्राधिकरण के इन आदेशों के अनुपालन मे श्री अतुल कुमार के द्वारा अपने परमिट के नवीनकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन निर्धारित अवधि दिनांक 31.05.2017 तक नही कराया गया है।

श्री अतुल कुमार ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि वे वर्तमान में उक्त परमिट का नवीनीकरण कर परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन करना चाहते है। उनके परमिट को नवीनीकरण कर वाहन का प्रतिस्थापन करने की कृपा करें।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि रू0 5000/– प्रशमन शुल्क जमा करने पर परमिट का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर ऊच्चे माडल की वाहन प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत नवीनीकरण/प्रतिस्थापन औपचारिकतायें पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक की जायेगी।

**संकल्प स0–43 (क)** इस मद के अन्तर्गत देहरादून– डोईवाला–जौलीग्रान्ट नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार भानियावाला से लालतप्पड़ तक किये जाने का मामला प्रस्तुत किया गया है।

देहरादून– डोईवाला– जौली ग्रान्ट मार्ग की नगर बस सेवा का विस्तार भानियावाला से लालतप्पड तक किये जाने का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 में प्रस्तुत किया गया था। 'शासन की अधिसूचना 05.08.1994 द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गो पर नगर बस सेवा परमिट 20 कि0मी0 अर्द्वब्यास के भीतर तथा आपदिक परिस्थितियों 25 कि0मी0 दिये जाने का प्राविधान है। प्रश्नगत मार्ग का विस्तार लालतप्पड़ तक किये जाने से मार्ग की लम्बाई 30.5 कि0मी0 हो जातीै, जो निर्धारित से अधिक है। अतः प्राधिकरण ने मार्ग विस्तार के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर दिया था।

प्रश्नगत मार्ग के विस्तार के सम्बन्ध में सचिव ने अपने पत्र सं0 4283/आरटीए/दस–273/2015 दिनांक 10.10.2017 के द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड से मार्ग का विस्तार लालतप्पड (विरला याहमा) तक तथा देहरादून से डांडी (वीरपुर) तक नगर बस सेवा का विस्तार किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार, परिवहन विभाग–2 की अधिसूचना सं0 2134/30.2.94–2402/93 दिनांक 05.08.1994 में नगर बस योजना के मार्ग की दूरी अधिकत्तम 25 किमी0 रेडियस में संशोधन करने हेतु शासन से अनुरोध किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त पत्र के क्रम में अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0. 369 (1)/एसटीए/दस–8/2017 दिनांक 17.10.2018 जो सचिव, राज्य परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित एंव सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को पृष्ठाकित है, के द्वारा अनुरोध किया है कि ***मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–102 में दिये गये प्राविधानुसार नगर बस सेवा संचालन हेतु 20 किमी एंव अपवादित परिस्थितियों में 25 किमी अर्द्वब्यास को बढाकर 30 किमी करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार करना चॉहें।***

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि चूकि नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार 25 किमी अर्द्वब्यास को बढाकर 30 किमी करने के सम्बन्ध में मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शासन के निर्णय तक उक्त मामले को स्थगित किया जाता है।

(ख) इस मद के अन्तर्गत देहरादून– डोईवाला–जोलीग्रान्ट नगर बस सेवा मार्ग की वाहनों को डोईवाला चौक से ग्राम सभा–बड़कोट (विरपुर) तक संचालित किये जाने का मामला प्रस्तुत किया गया है।

चूकिः 'शासन की अधिसूचना 05.08.1994 द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गो पर नगर बस सेवा परमिट 20 कि0मी0 अर्द्वब्यास के भीतर तथा आपदिक परिस्थितियों 25 कि0मी0 दिये जाने का प्राविधान है। प्रश्नगत मार्ग का विस्तार डांडी (वीरपुर) तक किये जाने से मार्ग की लम्बाई निर्धारित 25 किमी से अधिक है।

प्रश्नगत मार्ग के विस्तार के सम्बन्ध में सचिव ने अपने पत्र सं0 4283/आरटीए/दस–273/2015 दिनांक 10.10.2017 के द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड से मार्ग का विस्तार लालतप्पड (विरला याहमा) तक तथा देहरादून से डांडी (वीरपुर) तक नगर बस सेवा का विस्तार किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार, परिवहन विभाग–2 की अधिसूचना सं0 2134/30.2.94–2402/93 दिनांक 05.08.1994 में नगर बस योजना के मार्ग की दूरी अधिकत्तम 25 किमी0 रेडियस में संशोधन करने हेतु शासन से अनुरोध किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त पत्र के क्रम में अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0. 369 (1)/एसटीए/दस–8/2017 दिनांक 17.10.2018 जो सचिव, राज्य परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित एंव सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को पृष्ठाकित है, के द्वारा अनुरोध किया है कि ***मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–102 में दिये गये प्राविधानुसार नगर बस सेवा संचालन हेतु 20 किमी एंव अपवादित परिस्थितियों में 25 किमी अर्द्वब्यास को बढाकर 30 किमी करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार करना चॉहें।***

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि चूकि नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार 25 किमी अर्द्वब्यास को बढाकर 30 किमी करने के सम्बन्ध में मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शासन के निर्णय तक उक्त मामले को स्थगित किया जाता है।

**संकल्प सं0–44**

इस मद के अन्तर्गत स्टैज कैरिज परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन मे मॉडल सीमा में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध मामला प्रस्तुत किया है। मामले की सुनवाई के दौरान श्री अतुल कुमार एंव टीजीएमओ लि0 के प्रतिनिधि एंव अन्य उपस्थित प्रतिनिधियों के द्वारा अनुरोध किया गया है। पूर्व में भी लोअर माडॅल की वाहनों का संयुक्त निरीक्षण समिती के द्वारा निरीक्षण कर वाहन उपयुक्त पाये जाने पर वाहन को प्रतिस्थापन करने की अनुमति प्रदान की जाती थी। परन्तु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.9.2014 में प्राधिकरण द्वारा ' स्टैज कैरिज परमिट पर केवल उॅचे मॉडल की वाहन को प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की गई है।

बैठक में उपस्थित परिवहन कम्पनियों के प्रतिनिधियों के द्वारा यह भी अवगत कराया कि चारधाम यात्रा के समय आकस्मिकता की स्थिति में विभाग द्वारा नगर बस सेवा एवं विभिन्न निजी मार्गो पर संचालित वाहनो को चारधाम यात्रा के अन्तर्गत संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। चारधाम यात्रा में वाहनो के संचालन हेतु वाहन स्वामियो के द्वारा अपने मूल परमिट कार्यालय मे जमा कर उनके स्थान पर चारधाम यात्रा का अस्थाई परमिट प्राप्त किया जाता है। वाहन स्वामियों को मूल परमिट के मार्ग के परमिट के साथ अस्थाई यात्रा मार्ग का परमिट प्राप्त करने पर स्थाई परमिट के कर के साथ–2 उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान अधिनियम, 2003 के संशोधित धारा–4(क) के अन्तर्गत विशेष कर का भुगतान करना होता है। उन्होंने निवेदन किया है कि उन्हे वाहन प्रतिस्थापन की शर्त से छूट प्रदान की जाये, जिससे वह यात्रा में संचालन हेतु अपने वाहन का मूल परमिट कार्यालय में जमा कर वाहन पर यात्रामार्ग का ठेका परमिट प्राप्त कर ले, तथा यात्रा के समाप्ति के पश्चात वह इसी वाहन को अपने मूल परमिट पर पुनः प्रतिस्थापित करा सकें।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि यदि परमिट धारकों के द्वारा अपने परमिट पर प्रतिस्थापन हेतु उसी वाहन या उसी के समान अन्य माडॅल की वाहन के लिये आवेदन किया जाता है, तो उन्हें पूर्व की भॉति संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा वाहन का निरीक्षण कराकर, वाहन उपयुक्त पाये जाने पर, वाहन का प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

**संकल्प सं0– 45** इस मद के अन्तर्गत ट्रैफिक पुलिस व सी0पी0यू0 द्वारा सिटी बसो के ओवर लोड़िग मे किये जा रहे चालानो पर मो0गा0अ0 की धारा–86 के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में अध्यक्ष, देहरादून महानगर सिटी बस सेवा ''महासंघ'' एंव अन्य के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया है।

(1) श्री विजय वर्धन ड़डरियाल, अध्यक्ष, देहरादून महानगर सिटी बस सेवा द्वारा यह निवेदन किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस विभाग को यात्री वाहनों के ओवरलोड में चालान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये इन चालानों को मो0गा0अ0 की धारा–86 के अन्तर्गत प्राधिकरण के द्वारा स्वीकार न किया जाये।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया कि पुलिस विभाग द्वारा ओवरलोडिग के चालान प्रेषित किये गये हैं। उन्हें अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं है। पुलिस विभाग यात्री वाहनों का ओवरलोड में चालान करने के लिये अधिकृत है या नही? इस सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।

(2) श्री गोपाल सिंह भण्डारी, देहरादून नगर बस सेवा एशोसिएशन एंव श्री अतुल कुमार सिघंल एंव अन्य बस आपरेटरों द्वारा भी यह निवेदन किया गया है कि उनकी वाहनों द्वारा देहरादून नगर में आम जनता को परिवहन सुविधा करायी जा रही है। और जो यात्री उनकी वाहनों में यात्री कुछ– कुछ दूरी के लिये यात्रा करते हैं। जिनका किराया रू0 5/– से लेकर अधिकत्तम रू0 15/– तक होता है। प्रत्येक दिन कुछ सयम ऐसा होता है कि जब यात्रियों की संख्या अधिक होती है। जिन्हें उनके गन्तब्य तक पहुॅचाने की जिम्मेवारी भी हमारी होती है। यदि यात्रियों को गाडी से जबरदस्ती उतारा जाये या उन्हें परिवहन सुविधा उपलब्ध न करायी जाये तो भी यह परमिट की शर्तों का उल्लघंन है।

प्राधिकरण द्वारा सभी यात्री वाहनों में एक समान रू0 800/– प्रति सवारी का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया है। जो नगर बसों पर किसी तरह न्यायोचित नहीं है। इसलिये उनके द्वारा यह प्रार्थना की गई कि आम जनता की परिवहन सुविधा एंव उनसे लिये जाने वाले किराये के आधार पर ओवरलोडिंग के लिये अलग से शास्ति निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

(3) श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री मनोहर सिंह गुलरघाटी, बालावाला, देहरादून के द्वारा सूचित किया है कि यात्री वाहनों में ओवरलोड को आरटीए/एसटीए द्वारा परमिट शर्तों का उल्लघंन मानते हुये कार्यवाही की जाती है। तथा उसी प्रकार प्रत्येक आरटीए/एसटीए द्वारा यात्री वाहनों पर ओवरलोड का अलग–अलग जुर्माना निर्धारित किया गया है, परन्तु यह केवल परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये चालान अथवा अभियोग पर ही लागू हो सकता है। पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ओवरलोड के अभियोग में किये गये चालान का कोई अस्तित्व/वजूद नहीं है। पुलिस द्वारा मेरी यात्री वाहन सं0 यूए07एम– 8058 के किये गये चालान जो की मा0 प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। इसे निरस्त करते हुये वापस पुलिस विभाग को भेजा जाना न्यायहित में उचित होगा।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि परमिट धारक ने अपने कथन में यह उल्लेख नहीं किया है कि उनके द्वारा ओवरलोडिंग नहीं की जा रही है। जिससे सिद्व होता है कि वाहन में क्षमता से अधिक सवारियॉ ढोई जा रही थी। पुलिस विभाग द्वारा ओवरलोडिग के चालान प्रेषित किये गये हैं। उन्हें अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं है। पुलिस विभाग यात्री वाहनों का ओवरलोड में चालान करने के लिये अधिकृत है या नही ? इस सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।

प्राधिकरण ने परमिट धारको के द्वारा किये गये अनुरोध पर विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया है कि दिनांक 20.5.2015 में सवारी गाडी वाहनो के लिये ओवर लोड़िग हेतु निर्धारित प्रशमन शुल्क को देहरादून शहर में संचालित नगर बसों तथा संभाग में संचालित विक्रम टैम्पो, ऑटो रिक्शा एंव ई– रिक्शा वाहनों के लिये निम्नानुसार प्रशमन शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। तथा अन्य निर्णय पूर्ववत रहेगें।

| | | |
|---|---|---|
| 1– 01 से 12 सीट क्षमता की वाहनो के लिये | – | रू0 200 प्रति सवारी । |
| 2– 12 से अधिक सीट क्षमता की वाहनो के लिये | – | रू0 400 प्रति सवारी । |

**संकल्प सं0 –46 (क)** देहरादून सिटी बस वाहनो में लगेज कैरियर लगाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। श्री अतुल कुमार ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि सिटी बसो को चारधाम यात्रा के अस्थाई परमिट दिये जाते रहे है, परन्तु सिटी बसो में लगेज कैरियर लगाने की अनुमति नही है, इस कारण यात्रा के समय कठनाई होती है। अतः सिटी बसों मे कैरियर लगाने की अनुमति प्रदान की जाये। अध्यक्ष, देहरादून नगर बस सेवा राजपुर–क्लेमनटाउन मार्ग श्री गोपाल भण्डारी ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि सिटी बसो पर लग्गैज कैरियर व बोनट पर कबर पब्लिक हित मे लगाना अति आवश्यक है। इंजन के गर्म होने पर बोनट के साथ की सीट के साथ की सीट पर बैठे यात्री व स्कूल जाने वाले विद्यार्थी एवं महिलाओ के बैग, सामान इत्यादि रखने से हाथ–पांव बोनट पर लगने पर जलने की संभावना बनी रहती है। इसलिये सीटी बसों पर बोनट कबर लगाने की अनुमति देने की कृपा करें । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि सिटी बसो के छतों पर लग्गेज कैरियर वर्ष 2009 मे परिवहन विभाग ने चार धाम यात्रा में लग्गेज कैरियर लगाये गये थे, जिस पर लगलग 20 से 30 हजार रूपये खर्चा आता है। साथ ही उन्होंने यह भी सूचित किया है कि लग्गेज कैरियर लगाये जाने हेतु बस की छत पर नट बोल्ट हेतु छेद किया जाता है। यदि कैरियर को उतारा जाता है तो नट बोल्ट हेतु छेद से पानी अन्तर आता है। उन्होंने बोनट कबर एवं छत पर लग्गेज कैरियर लगाये जाने अनुमति प्रदान करने का आवेदन किया है।

उ0प्र0 महानगर बस सेवा माडल कार्य योजना के अन्तर्गत नगर बसो के डिजायन, बनाबट, रंग के सम्बन्ध मे जो शर्ते आरोपित की गई है, उन में यह शर्त भी सम्मलित है कि **''बस में लगेज कैरियर तथा पीछे की ओर सीढी नही लगाई जायेगी।**

राज्य में चारधाम यात्रा एक मुख्य यात्रा है जिसमें देश के प्रत्येक भाग से प्रतिवर्ष लाखों श्रद्वाल चारधाम एंव हेमकुण्ड साहिब के दर्शनों हेतु आते हैं। यात्रीयों की संख्या अधिक होने के कारण चारधाम यात्रा के समय रोटेशन में यात्री वाहनो की कमी हो जाने पर विशेष परिस्थितियो में देहरादून महानगर सिटी बस सेवा के अन्तर्गत संचालित नगर बसो को चारधाम यात्रा में अस्थाई परमिट जारी किये जाते है। यात्रा में जाते समय उक्त इन वाहनें में यात्रियों के सामान इत्यादि सामाग्री ढोने के लिये छत पर लग्गेज कैरियर लगाया जाता है।

अतः प्राधिकरण ने मामले के समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि जो नगर बसें अस्थाई परमिट प्राप्त कर यात्रा में जाती है, उनको लग्गेज कैरियर लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है, यात्रा समाप्त होने पर लगेज कैरियर को उतारा नही जायेगा।

**(ख)** इस मद के अन्तर्गत नगर बस सेवा परमिट पर संचालित वाहनों को यात्रा, विवाह के लिये अस्थायी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। श्री गोपाल सिंह भण्डारी, अध्यक्ष देहरादून नगर बस सेवा एसोसियशन ने निवेदन किया है कि वर्तमान समय मे देहरादून महानगर में लगभग 350 बसे नगर बस सेवा में संचालित है, जो कि देहरादून की जनता को समुचित सेवा प्रदान कर रही है। यात्राकाल एवं कुम्भ में नगर बसों को यात्रा के समय संचालन हेतु अस्थाई ठेका परमिट जारी किये जाते रहे है। उनके द्वारा नगर बस सेवा मार्गों पर संचालित वाहनों में से कुछ वाहनों को विशेष अवसरो पर अस्थाई परमिट जारी करने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध मे आख्या निम्न प्रकार है, कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नगर बस सेवा वाहनो के परमिट पर अन्य शर्तों के साथ यह शर्त निर्धारित की गई है **''अनुज्ञप्ति से ऑच्छॉदित कोई गाडी संविदा गाडी के रूप मे प्रयोग नही की जायेगी, अर्थात नगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित वाहन को शादी–विवाह तथा टूरिस्ट पार्टी से सम्बन्धित परमिट जारी नही किया जायेगा। ''**

प्राधिकरण ने मामले के समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि सम्बन्धित नगर बस सेवा मार्ग की 10 प्रतिशत बसों को ही विशेष अवसरों शादी–विवाह, स्थानीय मेला इत्यादि हेतु अस्थाई परमिट जारी किये जायेगें।

**संकल्प सं0–47** इस मद के अन्तर्गत देहरादून महानगर सिटी बस सेवा '' महासंघ'' के आहवान पर बसो की हड़ंताल के सम्बन्ध में मोटर गाडी अंधिनियम –1988 की धारा–86 की कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। मामले की सुनवाई के समय श्री विजय वर्धन ड़डरियाल, अध्यक्ष देहरादून महानगर सिटी बस, श्री जे0के0 कम्पानी, अध्यक्ष, देहरादून–डोईवाला नगर बस सेवा, श्री विपिन शर्मा एंव श्री अतुल सिंघल आदि ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि आपसी सहमती से संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून से वार्ता/समझौता के पश्चात हडताल समाप्त कर दी गई थी। अतः उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके वाहनो को धारा–86 की कार्यवाही से मुक्त रखा जाये।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि नगर बस सेवा की वाहनों के द्वारा वाहनों का संचालन न किये जाने से जहॉ आम जन को परिवहन की असुविधा का सामना करना पडा वही जिन वाहनों के द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर, देहरादून में वाहन खडी करने से कार्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न होने के साथ–साथ कार्यालय में आने वाले आवेदकों को भी परेशानी का सामना करना पडा है। अतः मद में उल्लेखित 35 वाहनों के विरूद्व मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत प्रत्येक वाहन के परमिट का एक माह का निलम्बन अथवा निलम्बन के स्थान पर रू0 5000/– का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जाता है तथा हडताल में सम्मिलित अन्य यूनियन की वाहनों के परमिट को 15 दिन का निलम्बन अथवा निलम्बन के स्थान पर रू0 2500/– का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जाता है

**संकल्प सं0–48** – इस मद के अन्तर्गत राजाजी राष्ट्रीय पार्क चीला रेंज मे पर्यटकों हेतु जिप्सियों को परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष, सफारी वेलफेयर सोसायटी (रजि0) राजाजी नेशनल पार्क (चील्ला) ने अपने पत्र स0 3/57 दिनांक 26.09.2017 के द्वारा निवेदन किया है कि विगत वर्ष (सीजन) मे आर0टी0ए0 की बैठक पास परमिटों की अवधि समाप्त होने तक कुछ सफारी चालकों के पास वाहन के पंजीयन चिन्ह नही थे, तथा कुछ प्रार्थी अनविज्ञता के कारण आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, तत्पश्चात परमिट समय अवधि समाप्त होने के कारण परमिट नही उठा पाये थे। उन्होने सूचित किया है कि कुछ लोगो के पास वाहन उपलब्ध है तथा कुछ लोग सीजन के प्रारम्भ के समय परमिट हेतु आवेदन करेगें उन्होंने पार्क प्रभावित 20–25 ग्रामीण लोगो को परमिट स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

दिनांक 17.12.2016 में प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर केवल 07 वाहन स्वामियों के द्वारा उक्त मार्ग/क्षेत्र के परमिट प्राप्त किये गये हैं। वर्तमान में 21 वाहनें संचालित हो रही हैं।

वन क्षेत्राधिकारी, चीला रेंज ने अपने पत्र सं0 76/15 दिनांक 16.09.2017 के द्वारा पुनः 8–10 वाहनों को परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि पूर्व में प्राप्त आवेदन जिनके द्वारा अभी तक परमिट प्राप्त नहीं किये गये हैं एंव मद में उल्लेखित समस्त आवेदकों को मोतीचूर से 40 किमी0 अर्द्वब्यास के परमिट सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाते हैं। वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.04.2018 तक परमिट प्राप्त किये जा सकते हैं।

**संकल्प सं0–49**

इस मद के अन्तर्गत परेड ग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर संचालित नगर बसों का मार्ग झाझरा (बंशीवाला पुल) तक बढाये जाने का मामला प्रस्तुत किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान श्री विजय वर्धन, डंडरियाल, अध्यक्ष, परेड ग्राउण्ड, प्रेमनगर–परवल, ने अवगत कराया है कि विभाग के द्वारा बालाजी मन्दिर, आर0टी0डी0आर0 इस्टीट्यूट झाझरा तक उक्त मार्ग पर चलने वाली सिटी बसों को चार वापसी सेवायें दे रखी हैं व उक्त मार्ग से (बंशीवाला पुल) तक मार्ग वृद्वि के सम्बन्ध में पिछली आर0टी0ए0 की बैठक में संज्ञान नहीं लिया गया है। उक्त मार्ग पर स्कूलों, इन्स्टीट्यूट, विश्वविद्यालय लॉ कालेज व ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुये बस सेवाओं की वृद्वि कर सिटी बसों के माध्यम से जनता को सस्ती सुविधा का लाभ देने की कृपा करें।

प्राधिकरण के समक्ष श्री राम कुमार सैनी, अध्यक्ष देहरादून–विकासनगर– डाकपत्थर यूनियन के द्वारा विरोध करते हुये उल्लेख किया गया है कि यदि झाझरा से देहरादून घण्टाघर तक सीधी सेवा की आवश्यकता है, तो उनके मार्ग की वाहनो को बल्लूपुर चौक से घण्टाघर आने की अनुमति प्रदान की जाये।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 में परेड ग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर संचालित बसों को झाझरा बसींवाला पुल तक संचालन की अनुमति प्रदान करने तथा मार्ग पर चल रही सेवाओ की संख्या मे वृद्वि करने के सम्बन्ध मे मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। मार्ग का विस्तार बसींवाला पुल तक किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षों के द्वारा की गई आपत्ति के दृष्टि्गत प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रर्वतन) देहरादून सभी पक्षों से वार्ता कर मार्ग पर आवश्यकता को देखते हुये अपनी आख्या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगे तथा मामला आगामी प्राधिकरण की बैठक मे प्रस्तुत किया जाये। प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित पक्षों से वार्ता कर मामले के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है परन्तु आख्या उपलब्ध नहीं है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि देहरादून–प्रेमनगर–परवल मार्ग की सभी वाहनों को परमिटो में प्रेमनगर से सुद्वोवाला झाझरा (चालक प्रशिक्षण संस्थान तक) तक संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्राधिकरण ने मामले की सुनवाई के द्वौरान मार्ग का विस्तार बसींवाला पुल तक किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के दृष्टिगत् पुनः निर्णय लिया कि सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रर्वतन) देहरादून सभी पक्षों से वार्ता कर मार्ग पर आवश्यकता को देखते हुये अपनी आख्या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगे तथा मामला प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

**संकल्प सं0–50**

इस मद के अन्तर्गत लालतप्पतड– भानियावाला– झबरावाला– डोईवाला वाया दूधली–मथूरावाला मार्ग– आईएसबीटी मार्ग का विस्तार परेड ग्राउण्ड तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 मे 07/08 सीटर, चार पहिया वाहनो को बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भानियावाला–लालतप्पड मार्ग पर 20 परमिट, जिसमें से 15 परमिट सामान्य श्रेणी के आवेदको को, 04 परमिट अनुसूचित जाति के आवेदको तथा 01 परमिट अनुसूचित जनजाति के आवेदक को जारी किया जायेगा। परन्तु इस मार्ग पर केवल 09 परमिट ही प्राप्त किये गये। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.03.2016 में इस मार्ग का विस्तार बुल्लावाला से हंसोवाला तिराहा–मारखम ग्रान्ट– दूधली– मोथरोवाला होते हुये आईएसबीटी तक किया गया है।

उपरोक्त वाहनों की मार्ग यूनियन द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 16.02.2018 द्वारा निवेदन किया है कि दूधली व आसपास के ग्रामीणों को तथा छात्र–छात्राओं को अपने दैनिक कार्यों हेतु दून अस्पताल, डीएवी कॉलेज आदि स्थानों के लिये देहरादून शहर में प्रति दिन आना जाना होता है। क्षेत्र से देहरादून शहर के लिये सीधी सेवा न होने के कारण लोगो को परेशानी का सामना करना पडता है। उनकी वाहनों का मार्ग परेड ग्राउण्ड तक नहीं होने के कारण उनकी वाहनों में सवारियॉ नहीं बैठती है। जिस कारण से उनको आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने वाहनों का मार्ग डोईवाला से परेड ग्राउण्ड वाया दूधली, मौथरोवाला करने हेतु अनुरोध किया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत नागल बुन्दवाला, सिमलास ग्रान्ट, दूधली, नागल ज्वालापुर का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें इन वाहनों को घन्टाघर, परेड ग्राउण्ड तक करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिरकण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि प्रशनगत मार्ग का विस्तार घन्टाघर तक किये जाने के सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त कर प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

**संकल्प सं0–51** इस मद के अन्तर्गत मेहॅूवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–वाईल्ड लाइफ इन्स्टीटयूट –चन्द्रबनी –सुभाष नगर चौक–ट्रॉन्सपोर्ट नगर–सेवलाकलां–गौतम कुंड होते हुए आई0एस0बी0टी0–हरिद्वार बाईपास–पुलिस चौकी– सरस्वती विहार– माता मंदिर–धर्मपुर–आराघर होते हुए परेडग्राउण्ड मार्ग का विस्तार शिमला बाईपास से कैलाशपुर शिव मन्दिर तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। इस मार्ग का विस्तार प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास–पुलिस चौकी– सरस्वती विहार– माता मंदिर–धर्मपुर–आराघर होते हुए परेडग्राउण्ड तक किया गया है। उपरोक्त मार्ग पर वर्तमान में 17 चार पहिया 07/08 सीटर वाहनें संचालित हो रही है। क्षेत्रीय जनता के द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सम्बोधित पत्र जो जिलाधिकारी, महोदय के कार्यालय से दिनांक 06.12.2017 को प्राप्त हुआ था। इस पत्र में यह मॉग की गई थी कि कैलाशपुर से लगते हुये गॉवों मे यातायात का कोई साधन उपलब्ध नहीं है इस पत्र में निवेदन किया गया है कि शिमला बाईपास–मेहॅूवाला– बन विहार– कैलाशपुर शिव मन्दिर तक यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून मार्ग का सर्वेक्षण कर उल्लेख कर किया है कि मार्ग संकरा है, जिस पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों का संचालन किया जा सकता है। उनके द्वारा स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु चन्द्रबनी–गौतमकुण्ड मार्ग पर संचालित टाटा मैजिक वाहनों का मार्ग विस्तार कैलाशपुर तक किये जाने की संस्तुति की गई है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मेहॅूवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–वाईल्ड लाइफ इन्स्टीटयूट– चन्द्रबनी –सुभाष नगर चौक–ट्रॉन्सपोर्ट नगर–सेवलाकलां–गौतम कुंड होते हुए आई0एस0बी0टी0–हरिद्वार बाईपास–पुलिस चौकी– सरस्वती विहार– माता मंदिर–धर्मपुर–आराघर होते हुए परेडग्राउण्ड मार्ग पर संचालित वाहनों के परमिट का मार्ग विस्तार शिमला बाईपास से कैलाशपुर शिव मन्दिर तक किया जाता है।

**संकल्प सं0–52 –** इस मद के अन्तर्गत दिनांक 19.04.2017 को गुम्मा में दुर्घटनाग्रस्त वाहन स0 यू0के0–07पीए–0045 पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0 पीएसटीपी–4729 के विरूद्व धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। श्री बृजमोहन जैन पुत्र स्व0 श्रीपाल जैन वार्ड न0–09 इन्द्रा उद्यान मार्ग विकासनगर जिला देहरादून के नाम पर एक स्थाई सवारी गाडी परमिट स0 पीएसटीपी–4729 उनकी वाहन स0 यू0के0–07पीए–0045 बस के लिये सेट न0–5 के मार्गो के लिये जारी किया गया था। इस परमिट की वैधता दिनांक 17.6.2015 से दिनांक 16.6.2020 तंक है।

पुलिस थाना नेरावा जिला शिमला में दर्ज मुकद्दमा स0 20/2017 के अनुसार यह वाहन दिनांक 19.4.2017 को विकासनगर–मीनस–त्यूणी मार्ग पर मीनस से 10कि0मी0 दूर गुम्बा जिला शिमला में दुर्घटना ग्रस्त हुयी है, जिसमें 45 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। वाहन कुल 37 इन आल में पंजीकृत थी। परमिट धारक श्री बृजमोहन जैन को कार्यालय द्वारा दिनांक 26.4.2014 मे नोटिस जारी करते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तुत परमिट धारक का कोई उत्तर प्राप्त नही है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट सं0 पीएसटीपी–4729 को निरस्त जाता है।

**संकल्प सं 53–** इस मद के अन्तर्गत टिहरी एंव उत्तरकाशी जनपदों के नवनिर्मित मार्गो को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध मे मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि निम्नलिखित मार्गों को यातायात हेतु खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। इन मार्गों को मार्ग सूची सं0 4 के परमिटों में पृष्ठाकंन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(1) ओ0डी0आर0 06 (मोरी) से नानई (6.630 किमी)।
(2) इन्द्रा–टिपरी मोटर मार्ग (लम्बाई 6.50 कि0मी0)।

निम्नलिखित मार्गों को यातायात के लिये खोलने तथा मार्गों को मार्ग सूची सं0 1 के परमिटों में पृष्ठाकंन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(1) हिडोलाखाल– दुरोगी मोटर मार्ग (3.50कि0मी0)
(2) चंबा–रानीचौरी मोटर मार्ग (05कि0मी0)।

**संकल्प सं0 54 –** इस मद के अन्तर्गत निम्नलिखित वाहनों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों को उनके परमिटों के विरूद्व मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–86 की कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

(1) इस मद के अन्तर्गत श्री विपुल अग्रवाल वाहन स0 यू0के0–07टीए–7129 टैम्पो के चालक द्वारा निर्धारित किराये से अधिक की मॉग एवं अभद्र व्यवहार की शिकायत की थी। उक्त वाहन के परमिट सं0 टैम्पो–3705 के धारक श्री समीर खान अन्सारी अपना लिखित पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये सूचित किया है कि मेरे ड्राईवर ने अधिक किराया लिया गया, जो कि मेरी

जानकारी मे नही है। यह 2016 की घटना है, मैने ड्राईवर हटा दिया था, मेरे को ड्राईवर के डी0एल0 के बारे मे पता नही है, मै आपसे गलती की माफी मॉगता हूँ, अतः आपसे निवेदन है,कि माफ करने की कृपा करें।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त वाहन के परमिट सं0 टैम्पो 3705 को 01 माह हेतु निलम्बित किया जाता है। निलम्बन के स्थान पर 2500/ रू0 प्रशमन शुल्क देय होगा।

(2) इस मद के अन्तर्गत श्री मान सिंह के द्वारा वाहन सं0 यू0ए0–07ई–5695 के ड्राईवर और कड़क्टर के विरूद्व की गई शिकायत के सम्बन्ध मे मामला प्रस्तुत किया गया है। शिकायत कर्ता के द्वारा कार्यालय पत्र का भी उत्तर नहीं दिया गया एंव ना ही वे प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये।

उक्त वाहन के परमिट धारक श्री विजय वर्धन ड़डरियाल ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर सूचित किया है कि उक्त शिकायत झूठी है एंव लगाये गये आरोप निराधार हैं। मेरे द्वारा विभाग से शिकायत कर्ता के पहचान का साक्ष्य मॉगा गया है। जिससे शिकायत कर्ता की झूठी शिकायत के विरूद्व कानूनी कार्यवाही कर सकूँ। परन्तु विभाग के द्वारा मुझे सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है। उनके द्वारा शिकायत को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(3) इस मद के अन्तर्गत की गई शिकायत के सम्बन्ध में शिकायत कर्ता का नाम उल्लेखित नहीं है। शिकायत के सम्बन्ध में वाहन के परमिट धारक श्रीमती सीमा पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह का उत्तर प्राप्त है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(4) इस मद के अन्तर्गत वाहन सं0 यूके07 पीए– 0551 की प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। शिकायत के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता/ परमिटधारक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुये एंव ना ही परमिट धारक का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त वाहन के परमिट सं0 पीएसटीपी– 1970 को 15 दिनों हेतु निलम्बित किया जाता है। निलम्बन के स्थान पर 1000/ रू0 प्रशमन शुल्क देय होगा।

(5) इस मद के अन्तर्गत श्री जसवीर सिंह ने ऑटो स0 यू0के0–07टीए–6412 के चालक के द्वारा अधिक किराये की मॉग करने के सम्बन्ध में की गई शिकायत से सम्बन्धित मामला प्रस्तुत किया गया है। शिकायत कर्ता प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। परमिट धारक ने अपने लिखित उत्तर में सूचित किया है कि सूचना मिलने पर उनके द्वारा ड्राईवर को गाडी से हटा दिया है, भविष्य में मेरे किसी भी ड्राईवर से पुनः ऐसी गलती नही होगी।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त वाहन के आटो परमिट सं0 4111 को 15 दिनों हेतु निलम्बित किया जाता है। निलम्बन के स्थान पर 1000/ रू0 प्रशमन शुल्क देय होगा।

(6) इस मद के अन्तर्गत श्री पूर्ण सिंह कोठाल ने वाहन स0 यू0के0–07टीए–5502 चालक द्वारा अभद्र ब्यवाहर एंव गाली गालोच किये जाने के विरूद्व की गई शिकायत का मामला प्रस्तुत किया गया है। शिकायत कर्ता प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। परमिट धारक ने अपने लिखित उत्तर के द्वारा सूचित किया है कि उनकी वाहन खराब(ओवर हिटिंग) हो गई थी, इसलिये उसके द्वारा सवारी को दूसरी वाहन में बैठने हेतु बोला गया था।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त वाहन के मैक्सी परमिट सं0 4149 को 15 दिनों हेतु निलम्बित किया जाता है। निलम्बन के स्थान पर 1000/ रू0 प्रशमन शुल्क देय होगा।

(7) इस मद के अन्तर्गत श्रीमती सरिता बहुगुणा ने वाहन सं0 यू0के0–07टीए–6512 के द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया मॉगने की शिकायत की है। शिकायत के सम्बन्ध में वाहन स0 यू0के0–7टीए–6512 के परमिट स0 ऑटो 4657 के धारक श्री सुरेश कुमार ने अपने लिखित उत्तर में उल्लेख किया है कि उनकी गाडी के चालक ने दिनांक 28.12.2017 की घटना के बारे मुझे कुछ नही बताया और मेरे घर पर गाडी छोड़कर चला गया, उसके बाद वापस नही आया है।

उनके द्वारा इस घटना के लिये खेद व्यक्त किया गया है, और भविष्य मे इसकी पुनरावृति न होने का आश्वासन दिया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त वाहन के परमिट सं0 स0 ऑटो 4657 को 15 दिनों हेतु निलम्बित किया जाता है। निलम्बन के स्थान पर 1000/ रू0 प्रशमन शुल्क देय होगा।

(8) इस मद के अन्तर्गत श्रीमती रीना के द्वारा यू0के0–07टीए–5493 के ड्राईवर के द्वारा किराया ज्यादा लेने और बतमीजी करने के सम्बन्ध में की गई शिकायत को प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाहन के परमिट सं0 मैक्सी–4135 के धारक श्री मनोज जोशी ने अपने पत्र के द्वारा उल्लेख किया गया है, कि प्रार्थी टाटा मैजिक स0 यू0के0–07टीए– 5493 का पंजीकृत स्वामी है, तथा वाहन का स्वयं संचालन करता है, आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त पत्र के अनुसार श्रीमती रीना थापा निवासी टपकेश्वर मार्ग गढीकैण्ट देहरादून को न तो प्रार्थी जानता है, तथा प्रार्थी की वाहन के प्रति दिन एक ही समय पर गढी कैण्ट या देहरादून से गढीकैण्ट सवारी को चढाना होता है, क्योकि वाहन मार्ग पर चलने वाले अन्य वाहनो के साथ रोटेशन से संचालित होते है, श्किायतकर्ता श्रीमती रीना थापा प्रतिदिन मेरे वाहन से सफर करना दर्शाया है, जो कि गलत है, आपके द्वारा दिये नोटिस मे मेरे साथ अन्य किसी शराबी व्यक्ति का जिसका मेरा परिचालक सम्बोधित किया गया है, ऐसा परिचालक प्रार्थी की वाहन मे न तो कभी रहता है, न ही प्रार्थी के द्वारा किसी दिन ऐसे किसी व्यक्ति को अपना परिचालक या चालक बनाकर वाहन का संचालन कराया गया है, यदि जिस व्यक्ति के सम्बन्ध मे शिकायतकर्ता के द्वारा शराब पीकर बतमीजी करना बताया गया है, हो सकता है, कभी कोई श्रीमती रीना थाना का ही जानकार वाहन मे बैठा हो और उनमे वाहन से उतरने के बाद आपस मे कोई कहासुनी हुयी हो, जिससे प्रार्थी को कोई लेना–देना नही है,। उपरोक्त शिकायत पत्र प्रार्थी के विरूद्व किसी षड़यन्त्र के तहत दिया गया है, जो कि खारित होने योग्य है, सत्यता से आपको अवगत कराया जा रहा है, इस प्रकार का प्रकरण मेरे वाहन मे कभी नही हुया है, और न कोई किराया आदि के सम्बन्ध मे कहासुनी हुयी है।

श्रीमती रीना को प्राधिकरण के बैठक में उपस्थित होने की सूचना हेतु जो पत्र उनके पत्र पर प्रेषित किया गया है वो बिना प्राप्त हुये वापस कार्यालय मे प्राप्त हो गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(9) इस मद के अन्तर्गत श्री नौशाद अख्तर के द्वारा बस स0 यू0ए0–07एन–8510 के चालक के द्वारा तेज गति व लापरवाही से बस चलाते हुये टक्कर मारने की शिकायत के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। शिकायत कर्ता प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। वाहन स0 यू0ए0–07एन–8510 बस के परमिट सं0 पीएसटीपी–1789 के धारक श्री पंकज विष्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु उनका उत्तर अप्राप्त है। प्राधिकरण की बैठक में परमिट धारक के प्रतिनिधि श्री विजय वर्धन डंडरियाल ने उपस्थित होकर सूचित किया है। वर्तमान में उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जिससे उक्त परमिट के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

अतः प्राधिकरण विचारोपरान्त मा0 न्यायालय का निर्णय आने तक मामले को स्थगित रखने का निर्णय लिया है।

(10) इस मद के अन्तर्गत श्री भगतराम डोवरियाल द्वारा की गई यह शिकायत कि उनके बच्चे (वेटी–वहू) देहरादून में रिस्पना पुल से यूनियन के अन्तर्गत संचालित वाहन सं0 यू0के0–07टीए–8772 मे ऋषिकेश के लिये बैठे। बच्चों ने बताया कि उपरोक्त गाडी का चालक जिसका काल्पनिक नाम अवधेश कुमार यादव है, हमारे साथ सारे रास्ते भर बदतमीजी करता रहा, जोकि हम शर्म के मारे कुछ न कह सके। इस सम्बन्ध में श्री डोबरियाल ने उक्त चालक की शिकायत यूनियन पदाधिकारी से की पर इस सम्बन्ध में उनको कोई संन्तोषजनक उत्तर नही मिला। उनके द्वारा ऐसे व्यवहार वाले चालको का लाईसेंस निरस्तीकरण होना चाहिये।

इस सम्बन्ध मे वाहन स0 यू0के0–07टीए–8772 के परमिट स0 मैक्सी–6884 के धारक श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री प्रसन्ना नि0 171 मेहॅूवाला माफी, बसन्त विहार देहरादून को पत्र प्रेषित कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस पर परमिट धारक ने दिनांक 18.4.2017 मे अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, कि उपरोक्त वाहन स0 यू0के0–07टीए–8772 रिस्पनापुल मैक्सी समिती से संचालित होती है। महोदय् प्रार्थी की उपरोक्त वाहन संख्या मासिक किराये पर देहरादून से केन्द्रीय विद्यालय रायवाला मे लगी हुयी है। मै परमिट धारक के साथ–2 स्वंम अपनी गाडी का संचालन चालक के रूप में करता हॅू। दिनांक 20.3.217 को शिकायतकर्ता श्री भगतराम डोबरियाल के बच्चे(बेटी–बहु) ने मेरी वाहन स0 यू0के0–07टीए–8772 मे देहरादून– ऋषिकेश के लिये सफर नही किया है, क्योंकि शिकायतकर्ता के बच्चे, बेटे बहु समिति से वाहन सं0 0360 टाटा सुमो में गये थे, जोकि समिती की रोटेशन बुक मे दर्ज है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित यूनियन दून गढवाल ट्रेकर जीप कमांन्डर मालिक कल्याण संचालन समिति रिस्पना पुल ड़ाडा धर्मपुर देहरादून को कार्यालय पत्र स0 5001/आरटीए/दस–1/2017 दिनांक 28.10.2017 प्रेषित कर आख्या मॉगी गई है, जिसका अभी उत्तर प्राप्त नही है ।

प्राधिकरण की बैठक में श्री भगतराम डोबरियाल ने उपस्थित होकर उक्त वाहन में कार्यरत चालक के विरूद्व कार्यवाही करने की मॉग की है। परन्तु वाहन सं0 यू0के0–07टीए–8772 के परमिट स0 मैक्सी–6884 के धारक श्री अवधेश कुमार उपस्थित नहीं हुये।

श्री भगतराम डोबरियाल के द्वारा वाहन सं0 यू0के0–07टीए–8772 के चालक की शिकायत के सम्बन्ध में परमिट धारक ने अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता के बच्चे, बेटे बहु समिति से वाहन सं0 0360 टाटा सुमो में गये थे, जोकि समिती की रोटेशन बुक मे दर्ज है। जिसके सम्बन्ध में सचिव द्वारा सम्बन्धित यूनियन को पत्र प्रेषित किया गया है। जिसका उत्तर अभी तक अप्राप्त है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि वाहन ंस0 0360 जिसको उल्लेख वाहन सं0 यू0के0–07टीए–8772 के परमिट धारक श्री अवधेश कुमार के द्वारा अपने पत्र में किया गया है, के सम्बन्ध में सचिव के द्वारा जॉच कर आख्या प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

**संकल्प सं0 55–** मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत ओवरलोड के अभियोग में सवारी गाडी में 50 प्रतिशत से अधिक सवारी ढोने तथा टैक्सी/मैक्सी/ऑटो रिक्शा/ टैम्पो वाहनों में 03 से अधिक सवारी ढोने में चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरूद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया किः–

1–परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के गम्भीर अभियोग (प्रथम) के निस्तारण हेतु प्रथम अभियोग के लिये निर्धारित सामान्य प्रशमन का डेढ गुना प्रशमन शुल्क अथवा दो माह का निलम्बन प्रभावी होगा। अनुवर्ती प्रकरणों को क्रमॉक 2 में निर्धारित नीति के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

2– परमिट शर्तो के उल्लघंन एंव ओवरलोड के अन्य अभियोगों का प्रशमन निम्नवत लिया जायेगाः–

| क0 सं0 | परमिट शर्तो के उल्लघंन(ओवरलोडिंग सहित) के चालान | निर्धारित प्रकिया |
|---|---|---|
| 1 | द्वितीय अवसर/चालान | प्रथम अभियोग हेतु निर्धारित प्रशमन शुल्क की दुगुनी धनराशि/दो माह का निलम्बन |
| 2 | तृतीय अवसर/चालान | रु0 12000/– अथवा दो माह 15 दिन का निलम्बन |
| 3 | चतुर्थ अवसर/चालान | रु0 15000/– अथवा तीन माह का निलम्बन |
| 4 | पंचम अवसर/चालान | रु0 18000/– अथवा चार माह का निलम्बन |
| 5 | छटवां अवसर/चालान | रु0 20000/– अथवा पांच माह का निलम्बन |

**संकल्प सं0– 56** इस मद के अन्तर्गत श्री रविन्द्र कुमार के परमिट स0 टैम्पो–3609 पर संचालित वाहन सं0 यू0के0–07टीए–8831 के चालान के विरूद्व मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत मामला प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित किया गया है। श्री रविन्द्र कुमार के द्वारा प्राधिकरण के समक्ष यह निवेदन किया कि उनकी वाहन स0 यू0के0–07टीए–8831 का चालन दिनांक 14.09.2017 को किया गया है। उस दिन उनकी वाहन परिवारिक धार्मिक कार्य से देवी के दर्शन के लिये जा रही थी, गाडी मे परिवार के ही लोग थे, परिवार के लोगो मे छोटे–बडे बच्चे भी गाडी मे बैठे थे। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि ओवरलोड़िग मे उनकी वाहन के जुर्माने के रूप मे पूर्व मे भी रू0 18100.00 का दिनांक 19.4.2017 मे जमा कराये गये थे। अब जबकि उनकी वाहन का चालान उनके परिवारिक कारणो से हुआ है, इसलिये उन्हे इस चालान से जुर्माने मे छूट प्रदान की जाये। परमिट धारक की वाहन का ओवरलोडिग मे यह चौथा चालान है, इससे पूर्व तीन चालानो का निस्तारण करा लिया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त परमिट का एक माह का निलम्बन अथवा निलम्बन के स्थान पर रू0 10,000/– का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

**संकल्प सं0– 57–(1) (अन्य मद)** प्राधिकरण की बैठक में श्री नन्दा देवी निर्धन दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन देहरादून के पदाधिकारी एवं सदस्य ने उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि दिव्यागों को स्वः रोजगार से जोड़ने हेतु टाटा मैजिक या ऑटो रिक्शा आदि के परमिट जारी किये जाये। साथ ही उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया है कि दिव्यांगो को परमिट जारी करने हेतु आरक्षण दिया जाना चाहिये।

प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित उपस्थित आवेदको को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी करने हेतु दिव्यांगो के लिये आरक्षण की कोई व्यवस्था नही है, लेकिन समय–2 प्राधिकरण द्वारा दिव्यांगो को रोजगार देने के उद्देश्य से परमिट जारी किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय भी लिया कि दिव्यांगो की संस्था के द्वारा जो 18 प्रार्थना–पत्रा प्रस्तुत किये गये है, उन आवेदन पत्रो में उनके द्वारा किसी मार्ग या केन्द्र का उल्लेख नही किया गया है, और न ही निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराया गया है, जिस कारण इन प्रार्थना पत्रो को अस्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित आवेदक चाहें, तो नियमानुसार अपने आवेदन उत्तराखण्ड मोटरयान नियमवाली के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के साथ सचिव् सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है, जिन्हे आगामी प्राधिकरण की बैठक में विचार व आदेश हेतु अन्य प्राप्त आवेदन पत्रो के साथ प्रस्तुत किया जाये।

**(2)** इस मद के अन्तर्गत श्री विश्वनाथ पुत्र श्री दामोदर, 344 गोविन्दपुर, रानीपुर मोड, हरिद्वार ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.18 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में हरिद्वार केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट स्वीकृत किया गया था। जिसके आधार पर उन्होंने वाहन सं0 यूके08टीए 4952 दिनांक 28.11.2014 को पंजीकृत करा ली थी। परन्तु वाहन का परमिट प्राप्त नहीं कर सका। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि हरिद्वार केन्द्र के लिये स्वीकृत ऑटो रिक्शा परमिट उनकी उक्त वाहन के लिये जारी करने की कृपा करें।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि रू0 5000/– के साथ श्री विश्वनाथ को हरिद्वार केन्द्र का ऑटो रिक्शा परमिट प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत परमिट समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2018 तक प्राप्त किया जा सकेगा।

**संकल्प स0–58 (अन्य मद )**

प्राधिकरण की बैठक में संज्ञान में आया है कि नगर मे संचालित ऑटो रिक्शा, विक्रम टैम्पो एंव छोटी चार पहिया वाहनों पर स्थानीय पब्लिक ट्रांसर्पोट का कोई बोर्ड नही होता है, जिस कारण से स्थानीय जनता अथवा राज्य से बाहर से आने वाले पर्यटको को सार्वजनिक परिवहन सेवा वाहनों की पहचान करने में कठिनाईयों का सामना करना पडता है।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि संभाग के अन्तर्गत शहर में संचालित होने वाले ऑटो, विक्रम एवं हल्की चार पहिया वाहनों के अग्रिम भाग मे उपर की ओर एक बोर्ड (6X12 इंच) लगाया जायेगा, जिसकी पृष्टभूमि पीली होगी एंव काले रंग से **टैक्सी/मैक्सी सेवा** अंकित होगा।

## सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 20.02.2018 की अनुपूरक कार्य सूची।

**संकल्प सं0– 1 (अनुपूरक)** इस मद के अन्तर्गत विक्रम टैम्पो परमिट सं0 3473 का नवीनीकरण करने तथा परमिट पर नई वाहन प्रतिस्थापन करने का मामला प्रस्तुत किया गया है।

श्री राकेश कुमार अग्रवाल की वाहन सं0 यूए 07सी– 8179 को हरिद्वार केन्द्र का विक्रम टैम्पो परमिट सं0 3473 जारी किया गया था। उक्त परमिट की वैधता दिनांक 17.12.2012 का समाप्त हो गयी थी। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.2016 में उक्त परमिट को रू0 दस हजार प्रश्मन शुल्क के साथ परमिट का नवीनीकरण स्वीकृत प्रदान की गई थी। स्वीकृत नवीनीकरण प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.05.2017 तक का समय दिया गया था। परमिट धारक ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शास्ति धनराशि रू0 10,000.0 जमा कराकर दिनांक 01.05.2017 को परमिट पर संचालित वाहन का प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्राप्त की गई थी। परन्तु यूरो–4 वाहन बाजार में उपलब्ध न होने के कारण वे वाहन क्रय नहीं कर पाया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परमिट धारक को परमिट पर नई वाहन का प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.04.2018 तक नई वाहन का प्रतिस्थापन किया जा सकेगा।

**श्री राजपाल सिंह,**
**सदस्य**
**संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।**

**श्री अनिल डबराल,**
**सदस्य**
**संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।**

**कार्यवृत्त तैयारकर्ता–**
**सुधांशु गर्ग, पदेन सचिव**
**सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।**

**श्री दिलीप जावलकर(आई0ए0एस0)**
**अध्यक्ष**
**आयुक्त, गढ़वाल मंडल।**